पंचदश माला, खंड 27, अंक 3

सोमवार, 13 अगस्त, 2012
22 श्रावण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 86
Dated 4 July 2016

(खंड 27 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 27, ग्यारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 3, सोमवार, 13 अगस्त, 2012/22 श्रावण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा बधाई	1
प्रश्न का मौखिक उत्तर	3-9
*तारांकित प्रश्न संख्या 41	3-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	9
तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60	9-70
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	71-637
सभा पटल पर रखे गए पत्र	637-640
वित्त संबंधी स्थायी समिति	640
57वां और 58वां प्रतिवेदन	640
कार्य मंत्रणा समिति	
40वां प्रतिवेदन	640
नियम 377 के अधीन मामले	655
(एक) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में आदर्श विद्यालयों के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री आर ध्रुवनारायण	655-656
(दो) केरल के वयनाड में किसानों की दयनीय दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. आई. शानवास	656-657
(तीन) विशेष रूप से केरल में, छात्रों को शिक्षा ऋण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.टी. थॉमस	657
(चार) मध्य प्रदेश में पचोर और शुजलपुर के बीच रेल सम्पर्क की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री नारायण सिंह अमलाबे	657-658

*किसी सदस्य के नाम पर अंतिम + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | **कॉलम**

(पांच) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 658

(छह) मध्य प्रदेश में रतलाम-खांडवा रेल लाइन पर रेल पुलों की उचित मरम्मत और अनुरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 658-659

(सात) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर ट्रॉमा सेंटर (अभिघात केन्द्रों) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदर्शन भगत 659-660

(आठ) मारीपत, दनकौर, दादरी, इटावा, खुर्जा, अलीगढ़ और टूंडला रेलवे स्टेशनों को आगरा मंडल के अंतर्गत लाए जाने और अलीगढ़ से बरास्ता गाजियाबाद दिल्ली तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 660

(नौ) पूर्व-मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत बिहार में धमहारा और कोपरिया रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 660-661

(दस) तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किसानों को मेट्टूर बांध से जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री ए.के.एस. विजयन 661

(ग्यारह) नैदानिक परीक्षणों में लोगों का गिनी पिग के रूप में प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु विधि को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू 661-662

(बारह) रंजीत सागर बांध से राजस्थान को उसके जल का हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 662-663

रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012. 664

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 665

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 666-676

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 677

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 678

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
डॉ. सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 13 अगस्त, 2012/22 श्रावण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन* हुईं]

अध्यक्ष द्वारा बधाई

लंदन ओलंपिक, 2012 में विभिन्न खेल आयोजनों में भारत के लिए पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई

अध्यक्ष महोदया: माननीय, सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से लंदन ओलम्पिक, 2012 में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत के लिए पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए श्री सुशील कुमार, श्री योगेश्वर दत्त और सुश्री एम.सी. मैरीकोम को हार्दिक बधाई देती हूं।

श्री सुशील कुमार ने पुरुषों की 66 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतिस्पर्धा में देश के लिए रजत पदक जीता। श्री सुशील कुमार बीजिंग और लंदन में लगातार दो ओलम्पिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं।

श्री योगेश्वर दत्त ने पुरुषों की 60 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतिस्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक जीता।

सुश्री एम.सी. मैरीकोम ने महिलाओं की 51 कि.ग्रा. वर्ग की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक जीता।

इन खिलाड़ियों की ये असाधारण उपलब्धियां सम्पूर्ण देश के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगी।

इन खिलाड़ियों ने भारत के पदकों की संख्या छह तक पहुंचाकर देश को गौरवान्वित किया है जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

हम इन खिलाड़ियों और भारतीय खेल जगत को उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल प्रश्न संख्या 41, श्री प्रदीप मांझी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): अध्यक्ष जी, हमने कालेधन के बारे में नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, मैंने भी सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी नहीं, जीरो ऑवर में हम राजनाथ सिंह जी को, गुरुदास दासगुप्त जी को बोलने का मौका देंगे। अभी प्रश्न काल चलने दीजिए और आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: सफाई कर्मचारियों पर प्रश्न चल रहा है। सफाई कर्मचारियों को जो प्रताड़ना मिलती है तथा जो अपमान उन्हें सहना पड़ता है, उससे सम्बन्धित प्रश्न है इसलिए कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

+41. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में शुष्क और शौचालयों और सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन हेतु नया कानून बनाने और सिर पर मैला ढोने वालों और उनके परिवार के सदस्यों के पुनर्वास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्गों के दौरान सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(ङ) क्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा धनराशि का उपयोग करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक):

(क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा मार्च, 2012 में जारी हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना आंकड़ा-2011 में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन परिवारों की संख्या दी गई है जिनके शौचालयों में मल की सफाई मानव द्वारा की जाती है। ऐसे परिवारों की संख्या 7,94,390 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

ग्रामीण भारत में चल रही सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-सांविधिक कस्बों सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के बारे में आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है। सांविधिक कस्बों में सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों को नवीन सर्वेक्षण कराए जाने की भी योजना बनाई जा रही है।

(ग) और (घ) सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन तथा सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई गई है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित समाहित हैं:-

(i) सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों का नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 का प्रशासन;

(ii) शुष्क शौचालयों का जलवाही शौचालयों में परितर्वन; और

(iii) सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों का वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास।

सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्यितों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना का आरम्भ जनवरी, 2007 में किया गया था जिसका उद्देश्य, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को 173.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक 147.61 करोड़ रुपये का उपयोग किए जाने की उनके द्वारा पुष्टि की गई है।

"समेकित कम लागत स्वच्छता योजना" के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले जलवाही शौचालयों में परिवर्तित करने और जहां शौचालय नहीं हैं, वहां नए शौचालय निर्मित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान, इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 215.16 करोड़ रुपये की राशि (योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सब्सिडी) जारी की गई है जिसमें से राज्यों द्वारा 113.91 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (अब संशोधित एवं निर्मल भारत अभियान के रूप में पुनः नामित) का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करना है। विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में 4009.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसमें से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन के केन्द्रीय अंश के रूप में 2568.72 करोड़ रुपये सहित, 3844.86 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

सरकार, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिक सख्त प्रावधानों के साथ एक नया विधान लाने पर विचार कर रही है।

(ङ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने निधियों के उपयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

उन परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या जिनके शौचालयों में मल को मानव द्वारा साफ किया जाता है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हाथ से साफ किए जाने वाले शौचालयों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	0	11
2.	आंध्र प्रदेश	3246	7111	10357
3.	अरुणाचल प्रदेश	959	100	1059
4.	असम	15961	6178	22139
5.	बिहार	9765	3822	13587
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	552	184	736
8.	दादरा और नगर हवेली	55	113	168
9.	दमन और दीव	16	0	16
10.	गोवा	0	0	0
11.	गुजरात	1408	1158	2566
12.	हरियाणा	658	685	1343
13.	हिमाचल प्रदेश	310	0	310
14.	जम्मू और कश्मीर	160770	17673	178443
15.	झारखंड	1061	775	1836
16.	कर्नाटक	2052	5688	7740
17.	केरल	1358	1653	3011
18.	लक्षद्वीप	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	2947	2717	5664
20.	महाराष्ट्र	4291	5331	9622
21.	मणिपुर	6097	3965	10062
22.	मेघालय	1657	305	1962
23.	मिजोरम	107	14	121
24.	नागालैंड	678	108	786
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	583	583
26.	ओडिशा	18949	7547	26496
27.	पुदुचेरी	25	108	133
28.	पंजाब	2625	840	3465
29.	राजस्थान	772	1800	2572
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	10245	17414	27659
32.	त्रिपुरा	712	118	830
33.	उत्तर प्रदेश	219401	106681	326082
34.	उत्तराखंड	3451	1250	4701
35.	पश्चिम बंगाल	115928	14402	130330
	कुल	586067	208323	794390

[हिन्दी]

श्री प्रदीप माझी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं हमारे देश में मैनुअल स्क्वैंजर्स की प्रथा को समाप्त करने की सरकार की क्या मंशा है? अभी तक सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे मैनुअल स्क्वैंजर्स प्रथा बंद हो। सन् 1993 में मैनुअल स्क्वैंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैटरिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट आया था। लेकिन आज तक एक भी आदमी पर एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और न ही किसी को दंडित किया गया है। हमारे देश में करीब दस लाख लोग सिर पर मैला ढोने का काम कर रहे हैं, जो कि देश के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया

है इसलिए मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करता हूं कि वह सदन में साफ करें कि सरकार की क्या मंशा है, क्या वह मैनुअल स्क्वैंजर्स प्रथा को रोकना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं?

श्री मुकुल वासनिक: मैडम स्पीकर, यह मैला ढोने की प्रथा जो आज भी हमारे समाज में चल रही है यह हम सभी के लिए, एक समाज के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर गंभीर चिंता का विषय है और सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर इससे निपटने का काम कर रही है। यह अलग बात है कि वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2011 तक तमाम हमारी योजनाएं मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए लागू होने के बाद आज भी यह समस्या बनी हुई है। माननीय सदस्य ने जो 1993 के कानून का यहां जिक्र किया, मुझे इस बात की जानकारी है कि इतने साल बीत जाने के बाद भ हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे इस कानून के तहत किसी भी तहर की कोई सजा हुई है। कुछ कमियां 1993 के कानून में हैं, जिन्हें देखते हुए और मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए शुष्क शौचालय पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भारत सरकार एक नया कानून शीघ्र ही बनाने जा रही हे। पुनर्वास की जो योजना है, उसे भी हम संशोधित करके और बेहतर ढंग से इस तरह से कि मैला ढोने में जो व्यक्ति शामिल है, उसका हम कैसे पुनर्वास केसे कर सकते हैं, उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रदीप माझी: मैडम स्पीकर, अगर सरकार इस प्रथा को बंद करना चाहती है तो जो नया कानून, रोजगार पर रोक के रूप में मैनुअल स्क्वैंजर्स एक्ट और उनका (हिन्दी) रिहैबिलिटेशन एक्ट 2012 इस मानसून सत्र में आने वाला था वह क्यों नहीं आया और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि यह बिल सदन में नहीं आया। एजेंडा में बाकी सारे बिल आये लेकिन मैनुअल स्क्वैंजर्स बिल नहीं है और सदन में माननीय मंत्री जी वह बिल कब लाएंगे? ...*(व्यवधान)*

प्रर्वाहन 11.08 बजे

इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के लिए फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुकुल वासनिक: मैडम स्पीकर, माननीय सदस्य ने जो नये कानून के संदर्भ में चिंता व्यक्त की है मैं उनकी चिंता का बहुत आदर करता हूं। हमने नये कानून का जो प्रारूप बनाया है वह लॉ मिनिस्ट्री के पास वैटिंग के लिए भेजा है और जब वह प्रारूप हमें प्रारूप में प्राप्त हो जाएगा तो शीघ्र ही हम उस पर अगली कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदया, 21वीं शताब्दी में सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा आज भी जारी है, एक राष्ट्रीय शर्म है। कई अवसरों पर सरकार ने सभा को यह आश्वासन दिया है कि वे सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए नया विधान लाएंगे। जिस पर भी आज तक कुछ भी नहीं किया गया हैं। दस करोड़ से अधिक लोग सिर पर मैला ढोने जैसी प्रथा में शामिल हैं जो अपने सिर पर मैल ढोते हैं आज यह प्रथा भारत और पाकिस्तान को छोड़कर विश्व में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जहां यह असभ्य प्रथा आज भी जारी है। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जून, 2011 में यह आश्वासन दिया था कि छह महीने के अंदर सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाएगा। प्रधान मंत्री को आश्वासन दिए एक वर्ष बीत चुका है। कुछ भी नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: इस प्रथा को समाप्त करने के लिए और इन कामगारों को बचाने के लिए जो इस शर्मनाक कार्यकलाप में संलग्न है, कुछ भी नहीं किया गया है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस सत्र के अंत **तक** वे इस संबंध में विधान लाएंगे? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा से जुड़े लोगों में से कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है? सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा में लगे हुए दस लाख कामगारों के पुनर्वास हेतु सरकार की क्या योजना और कार्यक्रम है?

श्री मुकुल वासनिक: अध्यक्ष महोदया, जैसाकि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, मैं माननीय सदस्य और संपूण सभा को यह आश्वस्त करना चाहता हूं जैसा कि हम इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंसान द्वारा सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा का बने रहना भारी चिंता का विषय है। जितना जल्द हम इस पर काबू कर लेंगे उतना बेहतर यह हमारा समाज और हमारा राष्ट्र के लिए होगा।

जहां तक विधान का संबंध है, इस पर विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है लोग सभा के इस सत्र के दौरान हम इसे पुरःस्थापित कर पाएंगे। इस समय यह विधि और न्याय मंत्रालय के पास है जो प्रारूप विधेयक की समीक्षा कर रहा है। इसे प्राप्त करने के बाद हम इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ लाएंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सरकार प्रधान मंत्री, एनएसी की अध्यक्षा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह मेरे मंत्रालय का प्रमुख मुद्दा है। हम इस प्रथा को खत्म करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: पुनर्वास के बारे में क्या हुआ? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: यह सफाई कर्मचारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं चाहती थी कि आप लोग भी पूछते।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एकल ब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

42. **श्री नलिन कुमार कटील:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में आधारभूत मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/निर्णय लिया गया है;

(ग) एकल ब्रांड खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए सरकार के पास लम्बित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया हे/लिया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) 'समेकित एफडीआई नीति-2002 का परिपत्र 1' के पैरा 6.2.16.4 में यथा निहित मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है:-

(i) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'सिंगल ब्रांड' के होने चाहिए।

(ii) उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए अर्थात्, भारत के अलावा एक अथवा अधिक देशों में उत्पाद को एक ही ब्रांड के अन्तर्गत बेचा जाना चाहिए।

(iii) 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद खुदरा व्यापार में केवल वे ही उत्पाद शामिल होंगे जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्रांड किया जाएगा।

(iv) विदेशी निवेशक ब्रांड का स्वामी होना चाहिए।

(v) 51 प्रतिशत से अधिक एफडीआई वाले प्रस्तावों के संबंध में, बेचे जाने वाले उत्पादों के मूल्य की न्यूनतम 30 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से भारतीय 'लघु उद्योगों/ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों और दस्तकारों' से करनी होगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसकी सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। खरीद के मानदंडों में संशोधन के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100% तक एफडीआई के लिए दो प्रस्ताव (मैसर्स पावेर्स इंग्लैंड तथा आईकेइए ग्रुप से) प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, 51% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के साथ एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए छह प्रस्ताव (मैसर्स फाटा कंपनी लि., सामोआ; मैसर्स प्रमोद एस.ए.एस., फ्रांस; मैसर्स टॉमी हिल्लफीगर बी.वी., द नीदरलैंड्स; मैसर्स एनए पाली यूरोप एसएआरएल; मैसर्स बुक्स ब्रदर ग्रुप इंक., यूएसए; तथा मैसर्स दामियानी इंटरनेशनल बी.वी., द नीदरलैंड्स से) प्राप्त हुए हैं।

(घ) इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाएं

*43. **डॉ. बलीराम:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 में देश में विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का राज्य वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अन्य देशों में क्या स्थिति है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा हाल ही में राज्य सड़क परिवहन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने हेतु भावी रणनीति के लिए सुझाए गए कदमों तथा स्वीकार किए गए संकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा की निगरानी की भी समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) जी नहीं। मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा प्रकाशित "भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2011" के नवीनतम अंक के अनुसार वर्ष 2010 में 7% की तुलना में दुर्घटनाओं की वजह से मौतों की संख्या में वार्षिक वृद्धि घटकर 2011 में 5.9% हो गई।

(ख) वर्ष 2011 (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) के दौरान सूचित कुल सड़क दुर्घटनाओं की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, का ब्यौरा सलंग्न वितरण-1 पर दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि चालक की गलती ही दुर्घटनाओं के लिए एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक (77.5%) है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य कारक इस प्रकार हैं:—

पैदलयात्री की गलती	2.4%
साइकिल सवार की गलती	1.3%
सड़क स्थितियों में दोष	1.5%
मोटर वाहन की दशा में दोष	1.6%
मौसम की स्थिति	1.0%
सभी अन्य कारण*	14.8%

*इसमें अन्य वाहनों के चालक की गलती, यात्रियों की गलती, अपर्याप्त प्रकाश, गोलाश्मों का गिरना, नागरिक निकायों की लापरवाही, आवारा पशु, अन्य कारण तथा अज्ञात कारण शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ, जिनेवा द्वारा प्रकाशित 'विश्व सड़क सांख्यिकी 2011' के नवीनतम अंक के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका में वर्ष 2009 में विश्व में चोटिल करने वाली सर्वाधिक 15,47,797 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, इसके बाद, जापान में 7,36688 सड़क दुर्घटनाएं और भारत में 4,86,384 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। प्रति लाख मौतों और घायल दुर्घटनाओं संबंधी सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में दोनों मानकों की न्यून घटनाएं दर्शाती हैं। वर्ष 2009 के दौरान, भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 10.83 की सड़क दुर्घटना मौतों की संख्या कोरिया गणराज्य में 11.98, संयुक्त राज्य अमरीका में 11.01 और रसियन फेडरेशन में 18.39 की तुलना में काफी कम है।

(ग) वर्ष 2011 के दारौन, उन राज्यों जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और उन राज्यों जहां दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। 31 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राज्यों के परिवहन मंत्रियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों/परिवहन आयुक्तों और पुलिस महानिदेशकों/ने भाग लिया था। बैठक में सड़क दुर्घटना में मौतों में वृद्धि, सड़क सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र, स्तरीय परिषद्/जिला स्तरीय परिषद की स्थापना, राज्य सड़क सुरक्षा निधि का सृजन, सड़क सुरक्षा पर राज्यों की वार्षिक कार्रवाई योजना, सड़क सुरक्षा पर सड़क सुरक्षा पर राज्यों की वार्षिक कार्रवाई योजना, सड़क सुरक्षा पर सड़क सुरक्षा योजना का वित्त पोषण आदि विषयों पर चर्चा की गई।

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुझाए गए कदमों और भावी कार्यनीति के रूप में अपनाए गए संकल्प में राज्य सड़क सुरक्षा परिषदों और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की स्थापना, यातायात अपराधों को कम्पाउंड करके वसूल किए गए अर्थदंड के 50% को डाल कर सड़क सुरक्षा कोषों की स्थापना, राज्यीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर ब्लैक स्पॉटों की पहचान और निवारण, निजी सहभागिता के साथ ज्यादा ड्राइविंग स्कूलों की स्थापना, स्कूल पाठ्यक्रमों में सड़क सुरक्षा पाठ्यचर्या को को शामिल करना, चार पहिया वाहनों द्वारा सीट बेल्ट के उपयोग का प्रवर्तन और दुपहियों द्वारा हेल्मटों का उपयोग, अधिक भार लदान के विरूद्ध कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए विरूद्ध कार्रवाई आदि शामिल है।

(च) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा की मॉनीटरिंग की समीक्षा की है। राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 192 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासनों को

उनके क्षेत्राधिकारों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा उपायों की मॉनीटरिंग जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एंबुलेंसों, क्रेनों जैसे तैनात संसाधनों की मॉनीटरिंग, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सड़क दुर्घटनाओं संबंधी डाटाबेस का अनुरक्षण, ब्लैक स्पॉटों का विवेचन और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात परिचर्या पर प्रथम रिस्पोंडर को प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, के लिए सड़क सुरक्षा हेतु नोडल अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासकों को उनकी शक्तियों ओर जिम्मेदारियों के बारे में उनको सुग्राही बनाने के लए 5 जून-8 जून, 2012 को बैठकें आयोजित की गई थीं।

विवरण I

कुल सड़क दुर्घटनाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	वर्ष 2011 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44,165	13,651
2.	अरूणाचल प्रदेश	263	95
3.	असम	6,569	3,425
4.	बिहार	10,673	4,018
5.	छत्तीसगढ़	14,108	5,314
6.	गोवा	4,560	1,775
7.	गुजरात	30,205	6,485
8.	हरियाणा	11,128	4,066
9.	हिमाचल प्रदेश	3,099	1,296
10.	जम्मू और कश्मीर	6,655	2,425
11.	झारखंड	5,451	2,167
12.	कर्नाटक	44,731	14,128
13.	केरल	35,216	9,519
14.	मध्य प्रदेश	49,406	11,556
15.	महाराष्ट्र	68,438	12,530
16.	मणिपुर	692	378
17.	मेघालय	599	429
18.	मिजोरम	97	32
19.	नागालैंड	39	20
20.	ओडिशा	9,398	4,279
21.	पंजाब	6,513	2,428
22.	राजस्थान	23,245	7,273
23.	सिक्किम	406	151
24.	तमिलनाडु	65,873	22,932
25.	त्रिपुरा	834	339
26.	उत्तराखंड	1,508	781
27.	उत्तर प्रदेश	29,285	11,566
28.	पश्चिम बंगाल	14,945	4,787
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	234	63
2.	चंडीगढ़	437	89
3.	दादरा और नगर हवेली	103	0
4.	दमन और दीव	50	0
5.	दिल्ली	7,281	986
6.	लक्ष्यद्वीप	0	0
7.	पुदुचेरी	1,480	749
	जोड़	**497,686**	**149,732**

विवरण II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी/घटी है

क्र.सं.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां 2011 के दौरान सड़क दुर्घटना घातकताओं की संख्या में वृद्धि हुई	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां 2011 के दौरान सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी हुई
1.	असम	आंध्र प्रदेश
2.	छत्तीसगढ़	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
3.	दादरा और नगर हवेली	बिहार
4.	दमन और द्वीव	बिहार
5.	गोवा*	चंडीगढ़
6.	गुजरात	गोवा*
7.	हरियाणा*	हरियाणा*
8.	जम्मू और कश्मीर	झारखंड*
9.	झारखंड*	कर्नाटक*
10.	केरल	लक्ष्द्वीप
11.	महाराष्ट्र*	मध्य प्रदेश
12.	मणिपुर	महाराष्ट्र*
13.	मेघालय	मिजोरम
14.	पंजाब	ओडिशा
15.	राजस्थान*	पुदुचेरी
16.	सिक्किम	राजस्थान*
17.	तमिलनाडु	त्रिपुरा*
18.	त्रिपुरा*	
19.	उत्तराखंड	
20.	उत्तर प्रदेश	

*यह उन राज्यों को दर्शाता है जहां 2011 के दौरान घातकताओं में वृद्धि हुई यद्यपि दुर्घटनों की संख्या में कमी हुई।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

44. **श्री अजय कुमारः**
श्री एल. राजगोपालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोनों में अगले दस वर्षों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा और अधिक रोजगार सृजन की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उकत नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और/अथवा राज्य सरकारों के बीच मतभेदों को दूर कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न पणधारकों के साथ मतभेद के मुद्दे क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार झारखंड सहित देश में नकसल प्रभावित क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में कोई विशेष प्रावधान शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोनों (एनआईएसजेड) की परिकल्पना एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के तौर पर की गई है जिनमें अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाएं और जोनिंग आधार पर भूमि उपयोग; स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी; आवश्यक सामाजिक बुनियादी सुविधाएं; कौशल विकास सुविधाएं आदि मौजूद होंगे ताकि प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आने वाले लोगों को उत्पादक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। एनआईएमजेड राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में एक महत्वपूर्ण साधन हे जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना तथा 100 मिलियन रोजगार सृजित करना है। इस नीति में व्यवस्था है कि एनआईएमजेड का क्षेत्रफल न्यूनतम 5000 हेक्टेयर होगा। एनआईएमजेड के विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चुनाव करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। एनआईएमजेड का प्रबंधन स्पेशन परपज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा जो जोन का

मास्टर प्लान तैयार करेगा, जोन के भीतर स्थापित की जाने के भीतर स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को पूर्व स्वीकृति देगा तथा नीति में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य कार्य कार्य में लेगा। एनआईएमजेड एक स्वशासित और स्वायत्त निकाय के तौर पर कार्य का सके इसके लिए नीति में शर्त है कि राजय सरकार द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 243थ (1) (ग) के तहत एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस नीति को अनुमोदित करने से पहले सभी मंत्रालयों के मतों में सामंजस्य स्थापित किया गया था। श्रम और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का समाधान किया गया था और नीति में सहमति व्यक्त की गई व्यवस्थाएं शामिल की गई थीं।

(ङ) सामान्यत: नीति में दिए गए प्रस्ताव क्षेत्र तटस्थ तथा स्थान तटस्थ हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित किसी भी क्षेत्र के लिए इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। जहां एनआईएमजेड महत्वपूर्ण साधन हैं, वहीं नीति में निहित प्रस्ताव संपूर्ण देश में विनिर्माण उद्योगों पर लागू हैं जिसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं जिनमें कहीं भी उद्योगों द्वारा खुद को समूहों (क्लस्टर) में व्यवस्थित कर स्व-विनियमन का मॉडल अपनाया जाता है। यह नीति राज्यों के साथ भागीदारी से औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। राज्य सरकारों को नीति में उपलब्ध कराए गए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनआईएमजेड के लिए प्रस्ताव करना राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है।

सियाचिन ग्लेशियर का विसैन्यीकरण

***35. श्री मनीष तिवारी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सियाचिन ग्लेशियर के विसैन्यीकरण के संबंध में भारत सरकार का क्या रूख है:

(ख) क्या भारत के उपरोक्त रूख में संयुक्त राष्ट्र के 13 अगस्त, 1948 के संकल्प तथा भारत, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक समूह के बीच किए गए 29 जुलाई, 1949 के युद्ध विराम समझौते को ध्यान में रखा गया है;

(ग) क्या 29 जुलाई, 1949 के युद्ध विराम समझौते में यह स्पष्ट उल्लेख है कि युद्ध विराम की रेखा एनजे 9842 के आगे "थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स" तक होगी;

(घ) यदि हां, तो जैसा कि बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा रक्षा सचिव स्तर की वार्ता के प्रत्येक दौरे के बाद 29 जुलाई, 1949 के कराची समझौते के अनुसार युद्ध विराम रेखा की रूपरेखा के बारे में आग्रह न कर 'एक्च्यूल ग्राउंड पॉजीशन लाइन' के अधिप्रमाणन का आग्रह किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) मानचित्र संबंधी छेड़छाड़ से निपटने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र अब युद्ध विराम रेखा को एनजे 9842 से कराकोरम दर्रे के पश्चिम प्वाइंट तक बढ़ाया हुआ दर्शाता है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र भारत का एक अभिन्न अंग है। सरकार की सिद्धांत रूप से और अनवरत स्थिति यह है कि जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण राज्य भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। राज्य के क्षेत्र का एक भाग पाकिस्तान के गैर-कानूनी और जबर्दस्ती कब्जे में है। जम्मू और कश्मीर में जिस मुद्दे का समाधान किया जाना है, वह है पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे के अधीन क्षेत्र को उससे खाली कराया जाना। भारत, पाकिस्तान के साथ शेष सभी मुद्दों का समाधान शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय और शांतिपूर्वक ढंग से करने के लिए वचनबद्ध है।

(ग) युद्ध-विरोम रेखा (सीएफएल) की व्याख्या कराची समझौता, 1949 तथा शिमला समझौता, 1972 को ध्यान में रखकर की जानी है। नियंत्रण रेखा की व्याख्या प्वाइंट एनजे 9842 से उत्तर की ओर ग्लेशियर तक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार साल्टोरो रेंज द्वारा बनाए गए जलसंभर के साथ-साथ के रूप में की गई है।

(घ) शासकीय भारतीय पक्ष सियाचिन को संपूर्ण रूप में लेता है और यह उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में वर्णित हमारी सिद्धांत रूप में और अनवरत स्थिति पर आधारित है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारी क्षेत्रीय सीमाओं की अखंडता निरापद रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय मौजूद हैं।

(ङ) जब भी किसी मानचित्र में भारतीय सीमाओं के ठीक न दर्शाए जाने की बात सरकार की जानकारी में लाई जाती है, तो संबंधित भारतीय मिशन के माध्यम से मामले को प्रकाशक के साथ उठाए जाने के अलावा उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि इन विकृतियों/विसंगतियों को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। गलत रेखांकन के आधार पर इस मानचित्रकारी अधिक्रमण को अमरीकी सरकार के साथ 1983 में ही उठाया गया था। भारत सरकार की स्थिति को सैन्य तथा कूटनीतिक माध्यमों से पाकिस्तान सरकार को भी अवगत करा दिया गया है।

केन्द्रीय सड़क निधि

***46. श्री शिवकुमार उदासी:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के चयन हेतु धनराशि के आवंटन के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया और मानदंड क्या हैं:

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार विशेषकर महाराष्ट्र से प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्राप्त और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित और अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):

(क) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन राज्यों के 30 प्रतिशत ईंधन उपयोग एवं 70 भौगोलिक क्षेत्र को वेटेज के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को निधियां राज्यों से प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर रिहा की जाती हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सहित केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत प्रापत एवं अनुमोदित प्रस्तावों के पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत प्राप्तियों और वितरण के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) केन्द्रीय सड़क निधि योजनाओं के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की सूची केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क।) नियमावली, 2007 के अनुसार अनुमोदित है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों और कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार अनुमोदित हो। किंन्तु, योजनाओं की अनुमोदित की जाने वाली कुल लागत किसी भी हालत में किसी भी राज्य के संबंध में स्वीकृत वर्ष में सामान्यत: वार्षिक प्राप्ति का दोगुना नहीं बढ़ेगी।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य के प्राप्त केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गल प्राप्त और अनुमोदित राज्यवार प्रस्ताव

(लागत करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13$	
		प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	373	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	10	0	0	10	10	4	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	7	7	0	0
5.	छत्तीसगढ़	23	3	9	7	27	0	0	0
6.	गोवा	0	0	1	1	0	0	0	0
7.	गुजरात	58	12	42	36	0	0	0	0
8.	हरियाणा	15	15	1	1	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	5	5	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	8	8	11	11	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	1	1	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	6	6	14	14	0	0	0	0
13.	केरल	9	9	17	16	108	0	1	0
14.	मध्य प्रदेश	60	60	62	62	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	46	46	57	57	388	0	0	0
16.	मणिपुर	3	3	0	0	0	0	4	0
17.	मेघालय	8	8	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	7	7	0	0	1	1	0	0
19.	नागालैंड	0	0	1	1	0	0	0	0
20.	ओडिशा	10	3	18	8	11	0	0	0
21.	पंजाब	15	11	10	10	0	0	0	0
22.	राजस्थान	72	65	100	32	0	0	0	0
23.	सिक्किम	6	4	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	107	16	60	17	75	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	1	1	1	1	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	18	18	25	25	16	16	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	11	11	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	11	5	0	0	3	0	3	2

$जून, 2012 के अनुसार।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत राज्यवार प्राप्त और जारी धनराशि

(लागत करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13$	
		स्रोत	जारी	स्रोत	जारी	स्रोत	जारी	स्रोत	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	148.91	175.05	170.33	172.20	191.06	187.65	196.09	32.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	31.38	18.44	35.42	35.72	40.24	55.36	41.49	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	35.05	32.87	38.91	45.47	44.42	33.53	46.02	0.00
4.	बिहार	46.28	50.49	53.61	48.30	62.00	20.17	64.61	0.00
5.	छत्तीसगढ़	58.43	22.19	66.39	64.99	74.97	46.31	77.30	0.00
6.	गोवा	5.87	2.82	6.19	17.02	6.60	0.00	6.57	1.10
7.	गुजरात	107.48	0.00	119.81	208.03	135.00	132.58	139.42	0.00
8.	हरियाणा	47.55	18.16	55.36	50.57	66.17	64.99	67.56	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	24.81	12.06	27.48	17.44	31.22	26.04	32.19	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	86.81	86.81	96.97	97.79	110.59	108.61	113.58	0.00
11.	झारखंड	39.44	32.64	44.13	40.88	50.56	16.28	52.14	0.00
12.	कर्नाटक	105.84	120.30	118.45	96.01	133.67	131.28	138.29	0.00
13.	केरल	36.54	49.27	40.26	80.49	45.29	0.00	46.47	7.75
14.	मध्य प्रदेश	133.63	45.76	152.33	281.58	173.02	233.87	179.55	0.00
15.	महाराष्ट्र	174.92	72.97	199.75	256.82	225.57	0.00	234.63	39.11
16.	मणिपुर	8.90	2.20	10.07	5.28	11.43	5.84	11.56	0.00
17.	मेघालय	10.40	3.04	11.81	16.76	13.41	16.50	13.83	0.00
18.	मिजोरम	8.20	6.73	9.29	3.10	10.55	6.90	10.88	0.00
19.	नागालैंड	6.61	4.63	7.35	2.17	8.57	11.53	8.84	0.00
20.	ओडिशा	70.56	70.56	79.74	91.50	91.46	110.47	94.53	0.00
21.	पंजाब	48.69	68.69	50.71	80.35	57.82	105.32	57.36	0.00
22.	राजस्थान	158.91	158.91	177.30	178.79	201.16	196.92	207.43	0.00
23.	सिक्किम	2.99	3.41	3.48	2.48	3.96	4.05	4.08	0.00
24.	तमिलनाडु	93.98	54.89	109.16	203.01	123.78	160.10	128.77	21.46
25.	त्रिपुरा	4.62	5.27	5.22	7.95	5.94	9.81	6.12	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	140.65	161.07	157.93	189.87	180.28	177.06	184.76	0.00
27.	उत्तराखंड	25.74	8.01	28.84	34.89	33.19	0.00	34.01	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	53.02	53.02	59.23	67.51	66.62	63.33	68.92	11.49

$जून, 2012 के अनुसार।

अधिप्राप्ति में अनियमितताएं

***47. श्री रमेश राठौड़:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के उपयोग के लिए आक्रमण हेलीकॉप्टरों सहित शस्त्रों और गोला बारूद की खरीद/प्राप्ति में बोली प्रक्रिया में अनियमितताओं तथा स्थापित प्रक्रियाओं से अलग प्रक्रिया अपनाने के बारे में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सामग्री की आपूर्ति हेतु क्या देशें/करारों को रद्द/स्थगित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो पूरी प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के ब्यौरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

थल सेना क उपयोग के लिए आक्रमण हेलिकॉप्टर के अर्जन के लिए अधिप्राप्ति किए जाने का कोई मामला नहीं है।

(ग) से (ङ) मार्च, 2012 में विभिन्न विदेशी और घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं से श्री सुदीप्तो घोष, पूर्व महानिदेशक, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा गैर-कानूनी परितोषण की प्राप्ति के एक नवीनतम मामले में रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित छह फर्मों पर 10 वर्षों के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ आगे का कारोबार करने कपर रोक लगा दी है:

(i) मैसर्स इजरायल मिलिट्री एण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आईएमआई)

(ii) मैसर्स गिंगापुर टैक्नोलॉजीस कायनैटिक्स लिमिटेड (एसटीके)

(iii) मैसर्स टी.एस. किसन एंड कंपनी प्रा. लि., नई दिल्ली

(iv) मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स, लुधियाना

(v) मैसर्स रेनमैटल एयर डिफेंस (आरएडी), ज्यूरिच

(vi) मैसर्स कारपोरेशन डिफेंस, रूस (सीडीआर)

आयुध निर्माणी बोर्ड और उपर्युक्त कंपनियों के बीच सभी चालू संविदाओं को रद्द कर दिया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अन्यों के साथ-साथ श्री सुदीप्तो घोष और दो फर्मों अर्थात मैसर्स टी.एस. किसन एण्ड कंपनी प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली और मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स, लुधियाना पर भी आरोप-पत्र (चार्जशीट) दायर किए हैं।

इसके आलावा, मैसर्स डेनेल, साउथ अफ्रीका द्वारा संविदागत उल्लंघनों के एक मामलों में उनके साथ हस्ताक्षरित की गई दो संविदाओं को रद्द कर दिया गया था और वर्ष 2005 में रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके साथ आगे के कारोबार (डीलिंग) करने पर भी रोक लगा दी गई थी।

[हिन्दी]

वनों की सघनता

***48. श्री राकेश सिंह:**
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक राज्य में कुल वन आवरण और सघनता का आकलन करने हेतु कोई नियमित अध्ययन करवाती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई गई तकनीकों का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार का वन आवरण के साथ-साथ इसकी सघनता बढ़ाने तथा नियमित आधार पर सेटेलाइट मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उसका आकलन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, द्विवार्षिक रूप से देश के वन आवरण का मानचित्रण और आकलन करता रहा है। समूचे देश के वन आवरण दो वर्षों के अंतराल पर उपग्रह आकड़ों के विश्लेषण द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई कदम शामिल हैं, यथा राज्य वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 में किया गया आकलन, अक्टूबर, 2008 से

फरवरी, 2009 की अवधि से संबंधित आईआरएस संसाधन-I पी-6 एलआईएसएस-III के विश्लेषण पर आधारित है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 और 2009 के अनुसार राज्य-वार वन आवरण क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1986 में भारतीय वन सर्वेक्षण को उपग्रह चित्रों के विश्लेषण सहित आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके देश में वन आवरण के मानचित्रण का अधिदेश किया गया था। इन वर्षों के दौरान, रेज्युलेशन और मानचित्रण के स्केल में क्रमशः 1987 में 80 मीटर और 1.1 मिलियन तथा आज की तारीख में 23.5 मीटर और 1.50,000 तक के बदलाव के साथ मानचित्रण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय सुधार हुआ है।

देश में वन आवरण का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश में अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों की बहाली के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडी), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के विक्रेद्रित कार्यतंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2002 में स्कीम की शुरूआत से लेकर 31.03.2012 तक 18.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करने के लिए देश के 28 राज्यों में 800 एफडीए परियाजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ii) मंत्रालय वनों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि जारी करता है जिसमें अवसंरचना, अग्नि सुरक्षा, वन सीमाओं का सीमांकन, फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए सुविधाओं का निर्माण ओर संसूचना शामिल हैं। इसने भी वन आवरण को बढ़ाने में योगदान दिया है।

(iii) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत, हरित भारत के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक 5 मिलियन हेक्टेयर वन/वनेतर भूमियों पर वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाना तथा दूसरे 5 मिलियन हेक्टयेर पर वन आवरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

(iv) 13वें वित्त आयोग के अवार्ड के अंतर्गत, राज्यों को राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में उनके वनावरण के आधार पर 5000 करोड़ रुपये "वन अनुदान" के रूप में आबंटित किए गए हैं। इसे प्रत्येक राज्य में सघनता द्वारा मापित वनों की गुणवत्ता के आधार पर और बढ़ाया गया है।

(v) हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान में विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत भी वनीकरण कार्यकलाप भी किए जा रहे हैं।

विवरण I

भारतीय वन स्थिति 2011 के अनुसार राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वन आवरण

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	वर्ष 2011 में वन आवरण				भौगोलिक क्षेत्र का %
		अत्यधिक सघन वन	कम सघन वन	खुले वन	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	275069	850	26242	19297	46389	16.86
अरूणाचल प्रदेश	83743	20868	31519	15023	67410	80.50
असम	78438	1444	11404	14825	27673	35.28

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	94163	231	3280	3334	6845	7.27
छत्तीसगढ़	135191	4163	34911	16600	55674	41.18
दिल्ली	1483	7	49	120	176	11.88
गोवा	3702	543	585	1091	2219	59.94
गुजरात	196022	376	5231	9012	14619	7.46
हरियाणा	44212	27	457	1124	1608	3.64
हिमाचल प्रदेश	55673	3224	6381	5074	14679	26.37
जम्मू और कश्मीर	222236	4140	8760	9639	22539	10.14
झारखंड	79714	2590	9917	10470	22977	28.82
कर्नाटक	191791	1777	20179	14238	36194	18.87
केरल	38863	1442	9394	6464	17300	44.52
मध्य प्रदेश	308245	6640	34986	36074	77700	25.21
महाराष्ट्र	307713	8736	20815	21095	50646	16.46
मणिपुर	22327	730	6151	10209	17090	76.54
मेघालय	22429	433	9775	7067	17275	77.02
मिजोरम	21081	134	6086	12897	19117	90.68
नागालैंड	16579	1293	4931	7094	13318	80.33
ओडिशा	155707	7060	21366	20477	48903	31.41
पंजाब	50362	0	736	1028	1764	3.50
राजस्थान	342239	72	4448	11567	16087	4.70
सिक्किम	7096	500	2161	698	3359	47.34
तमिलनाडु	130058	2948	10321	10356	23625	18.16
त्रिपुरा	10486	109	4686	3182	7977	76.04
उत्तर प्रदेश	240928	1626	4559	8153	14338	5.95
उत्तराखंड	53483	4762	14167	5567	24496	45.80
पश्चिम बंगाल	88752	2984	4646	5365	12995	14.64
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8249	3761	2416	547	6724	81.51
चडीगढ़	114	1	10	6	17	14.72

1	2	3	4	5	6	7
दादरा और नगर हवेली	491	0	114	97	211	42.97
दमन और दीव	112	0	0.62	5.53	6	5.49
लक्षद्वीप	32	0	17.18	9.88	27	84.56
पुदुचेरी	480	0	35.37	14.69	50	10.43
कुल योग	3287263	83471	320736	287820	692027	21.05

विवरण II

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2009 के अनुसार राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वन आवरण

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	वर्ष 2011 में वन आवरण				भौगोलिक क्षेत्र का %
		अत्यधिक सघन वन	कम सघन वन	खुले वन	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	275,069	820	24757	19525	45102	16.40
अरूणाचल प्रदेश	83,743	20858	31556	14939	67353	80.43
असम	78,438	1461	11558	14673	27692	35.30
बिहार	94,163	231	3248	3325	6804	7.23
छत्तीसगढ़	135,191	4162	35038	1667	55870	41.33
दिल्ली	1,483	7	50	120	177	11.94
गोआ	3,702	511	624	1016	2151	58.10
गुजरात	196,022	376	5249	8995	14620	7.46
हरियाणा	44,212	27	463	1104	1594	3.61
हिमाचल प्रदेश	55,673	3224	638	5061	14668	26.35
जम्मू और कश्मीर	222,236	4298	8977	9411	22686	10.21
झारखंड	79,714	2590	9899	10405	22894	28.72
कर्नाटक	191,791	1777	20181	14232	36190	18.87
केरल	38,863	1443	941	6471	17324	44.58
मध्य प्रदेश	308,245	6647	35007	36046	77700	25.21

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	307,713	8739	20834	21077	50650	16.46
मणिपुर	22,327	701	5474	11105	17280	77.40
मेघालय	22,429	410	9501	7410	17321	77.23
मिजोरम	21,081	134	6251	12855	19240	91.27
नागालैंड	16,579	1274	4897	7293	13464	81.21
ओडिशा	155,707	7073	21394	20388	48855	31.38
पंजाब	50,362	0	733	931	1664	3.30
राजस्थान	342,239	72	4450	11514	16036	4.69
सिक्किम	70,96	500	2161	696	3357	47.31
तमिलनाडु	130,058	2926	10216	10196	23338	17.94
त्रिपुरा	10,486	111	4770	3192	8073	76.99
उत्तर प्रदेश	240,928	1626	4563	8152	14341	5.95
उत्तराखंड	53,483	4762	14165	5568	24495	45.80
पश्चिम बंगाल	88,752	2987	4644	5363	12994	14.64
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3762	2405	495	666	80.76
चंडीगढ़	114	1	10	6	17	14.91
दादरा और नगर हवेली	491	0	114	97	211	42.97
दमन और दीव	112	0	1	5	6	5.04
लक्षद्वीप	32	0	16	10	26	82.75
पुदुचेरी	480	0	13	31	44	9.14
कुल योग	**3,287,263**	**83,510**	**319,012**	**288,377**	**690,899**	**21.02**

[अनुवाद]

तटीय व्यापार विधि में छूट

*49. **श्री पी.टी. थॉमस:**
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की वर्ष-वार आय कितनी है तथा वेल्लारपदम ट्रांसशिपमेंअ टर्मिनल की आय पर तटीय व्यापार तिधि का क्या प्रभाव पड़ा है:

(ख) क्या सरकार ने वेल्लारपदम कोचीन में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और ऐसे ही अनुरोध करने वाले अन्य पत्तनों को मौजूदा तटीय व्यापार विधि के प्रतिबंधों से छूट देने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) विभिन्न पत्तनों में तटीय व्यापार विधि के प्रतिबंधों से छूट का निर्णय लेने हेतु मानदंड क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचीन पत्तन न्यास की वर्ष वार प्रचालन आय क्रमश: वर्ष 2009-10 में 232.07 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 276.08 करोड़ रुपये और वर्ष 2011-12 में 307.1. करोड़ रुपये है। कॉबोटाज कानून में रियायत से वल्लारपदम यानांतरण टर्मिनल में मुख्यमार्ग विदेशी जलयान आकर्षित हो सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।

(ख) वल्लारपदम, कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल के हित में कॉबोटाज कानून की रियायत पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 407 (2) में तटीय व्यापार करने वाले विदेशी जलयानों को, किसी अवधि अथवा यात्रा विशेष के लिए, लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान मौजूद है, बशर्ते नौवहन महानिदेशक द्वारा यथानिर्धारित शर्तें लागू हों। इस विषय पर मौजूद दिशानिर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विदेशी पताका वाले जलयानों को लाइसेंस
दिए जाने हेतु दिशानिर्देश

कानूनी प्रावधान और उद्देश्य: 1.1 लोक हित में तथा भारतीय पोत स्वामियों, पोत प्रचालाकों, परियोजना प्राधिकारियों, अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी पक्षों (नागरिकों/कंपनियों/सोसाइटियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं संयुक्त उपक्रमों), और सबसे बढ़कर भारतीय उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता तथा एक समान मान्यता सुनिश्चित करने के लिए, नौवहन महानिदेशक एतद्‌द्वारा पहले के सभी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, निर्यात, आयात, के लिए विदेशी पताका वाले जलयानों की चार्टरिंग के लिए तटीय व्यापार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए लाइसेंस दिए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं।

1.2 वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग XIV-शीर्षक 'भारतीय पोतों तथा तटीय व्यापार कर रहे पोतों का नियंत्रण' में, धारा 406 के प्रावधान लाइसेंस दिए जाने वाले भारतीय पोतों तथा चार्टर्ड पोतों से संबंधित हैं और धारा 407 के प्रावधान भारत में तटीय व्यापार के लिए पोतों को लाइसेंस दिए जाने से संबंधित हैं। जैसा कि इन धाराओं में निर्धारित किया गया है, धारा 406 के अंतर्गत भारत के किसी नागरिक अथवा किसी कंपनी अथवा किसी सहकारी संस्था द्वारा भारतीय अथवा किसी अन्य पोत को भारत के भीतर और बाहर किसी पत्तन अथवा स्थान से समुद्र में ले जाने के लिए लाइसेंस नौवहन महानिदेशक (इसके पश्चात् इसे नौवहन महानिदेशक कहा जाएगा) द्वारा दिया जाएगा। यही बात धारा 407 के अंतर्गत भारत में तटीय व्यापार करने के लिए भारतीय पोत के इतर किसी पोत अथवा भारत के किसी नागरिक अथवा किसी कंपनी अथवा किसी सहकारी संस्था द्वारा चार्टर किए गए पोत के लिए भी लागू होती है।

1.3 धारा 406 की उपधारा (3) और धारा 407 की उपधारा (2) नौवहन महानिदेशक को उनके द्वारा यथानिर्धारित शर्तों पर लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्रदान करती हैं। नौवहन महानिदेशक द्वारा इसी संबंध में दिनांक 27 मार्च, 2000 सं. एसडी-9/चार्ट(82)/97-II द्वारा समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। गत् ढाई वर्षों में मिले अनुभव के परिणामस्वरूप मौजूदा अद्यतन और नए दिशानिर्देश जारी करना जरूरी समझा गया।

1.4 यह सर्वविदित है कि हाल ही के वर्षों में, अपतटीय नौवहन उद्योग के सभी विभिन्न पक्षों के विकास में अत्यधिक प्रगति हुई है। केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय अपतटीय क्षेत्र, जलयानों और उपस्करों आदि की प्रगति और विकास सुनिश्चित करें। इसके परिणामस्वरूप किसी विदेशी पताका वाले जलयान को पूरे एकसक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कहीं भी भारतीय जलसीमा में किसी भी प्रकार का कार्य के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय, नौवहन महानिदेशक के लिए भारतीय अपतटीय उद्योग एवं जलयानों के विकास और उन्हें दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना आवश्यक होगा, चाहे उनमें प्रणोदन के यांत्रिक साधन लगे हों या नहीं। अत: यह दिशानिर्देश नीचे सूची में दी गई किसी भी सेवा/कार्यों को समर्थन देने वाले अथवा करने वाले सभी जलयानों पर लागू हैं:-

(i) पूंजी प्रधान परिसंपत्तियां जैसे कि प्लवमान भंडारण तथा उतराई यंत्र आदि।

(ii) टोविंग, लंगर संभलाई, ड्रैजिंग, अपतटीय ड्रिलिंग/उत्पादन रिगों, गोताखोरी समर्थन, रखरखाव समर्थन, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, केवल बिछाना, समुद्रतल खनन प्रचालनों, पाइप बिछाना, लाइटरेज, साल्वेज समुद्री निर्माण कार्य, हुक अप, आपूर्ति तथा यात्रियों, सामान और सामग्री का परिवहन कार्यों में लगे ऑयल फील्ड समर्थन सेवाएं देने वाले जलयान, और

(iii) पत्तन तथा टर्मिनल संबंधी समर्थन सेवाएं देने वाले जलयान।

1.5 यह दिशानिर्देश भारत की जलसीमा क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्र सहित इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रचालन हेतु किसी द्वारा चार्टर किए गए विदेशी पताका वाले किन्हीं जलयानों पर लागू होंगे।

1.6 यह दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

2. निर्यात/आयात के लिए विदेशी पताका वाले जलयानों को चार्टर करना

2.1 आवेदक को जलयान की अपेक्षा, कार्गो की मात्रा, कार्गो की प्रकृति, लेकैन, लदान और विसर्जन के पत्तन आदि की विनिर्दिष्टताओं से संबंधित विवरण वाली पूछ ताछ की जानकारी भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ (इसके पश्चात् इसे इंसा कहा जाएगा) तथा नौवहन महानिदेशक को लेकैन से कम से कम तीन कार्यदिवस पहले देनी चाहिए। उसे लेकैन प्रारंभ होने के तीन कार्यदिवस पहले आवश्यक शुल्क के साथ अनुबंध क, ख, ग और घ पर यथा निर्धारित उपयुक्त फॉर्मेट में आवेदन करना चाहिए।

2.2 इंसा पूछ ताछ जानकारी को अपनी सदस्य कंपनियों को परिचालित करेगा जो आवेदक को भारतीय पताका वाले किसी उचित जलयान, चार्टर किराए/भाड़े आदि का विवरण देते हुए अपना वांछित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और इंसा को सूचित करेंगे कि प्रस्ताव दे दिया गया है जिसमें मूल्य प्रस्ताव को छोड़कर सारा विवरण दिया जाएगा और नौवहन महानिदेशक को दिए गए प्रस्ताव की एक प्रति प्रेषित की जाएगी। कच्चे तेल के वाहकों, उत्पाद टैंकरों, रसायन वाहकों, अमोनिया टैंकरों, गैस वाहकों, फीडर और कंटेनर जलयानों को छोड़कर सभी जलयानों के संबंध में प्रस्ताव इंसा सदस्यों द्वारा पूछ ताछ प्राप्त होने के दो कार्यदिवसों के भीतर दिए जाने चाहिए। बाद वाले इन जलयानों के संबंध में, इंसा सदस्य कंपनियां आवेदक को अपने प्रस्ताव पूछताछ प्राप्त होने के एक कार्य दिवस के भीतर देंगी। इंसा, आवेदन की मांग के उत्तर में इसकी सदस्य कंपनियों द्वारा किए गए प्रस्तावों के बारे में नौवहन महानिदेशक को सूचित करेगा और कच्चे तेल के वाहकों, उत्पाद टैंकरों, रसायन वाहकों, अमोनिया टैंकरों, गैस वाहकों, उत्पाद टैंकरों, फीडर और कंटेनर जलवायनों को छोड़कर सभी जलयानों के संबंध में मांग प्राप्त होने के दो कार्यदिवसों के भीतर इनकी एक प्रति आवेदक कंपनी को प्रेषित करेगा। बाद की श्रेणी के जलयानों के संबंध में इंसा आवेदक की मांग के उत्तर में इसकी सदस्य कंपनियों द्वारा किए गए प्रस्तावों के बारे में नौवहन महानिदेशक को सूचित करेगा और मांग प्राप्त होने के एक कार्यदिवस के भीतर आवेदक कंपनी को इसकी एक प्रति प्रेषित करेगा। यदि इंसा द्वारा इसकी सदस्य कंपनियों से प्रस्ताव की कोई प्रतियां निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हाती हैं, तो इंसा नौवहन महानिदेशक को तदनुसार सूचित करेगा, जिसकी एक प्रति आवेदक को देगा।

3. स्पॉट अपेक्षा के लिए तटीय व्यापार/अपतटीय समर्थन प्रचालन/पत्तन संबंधी समर्थन सेवाओं के लिए चार्टरिंग अनुमति

3.1 आवेदक को लेकेन से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ (इसके आगे आई एनएसए कहा जाएगा) और नौवहन महानिदेशालय को जलयान की आवश्यकता, कार्गो की मात्रा, कार्गो की प्रकृति, लदाई और उतराई पत्तन आदि के विनिर्देशन संबंध में इन्क्वायरी प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्हें लेकैन के आरंभ होने से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व आवश्यक शुल्क सहित अनुबंध क, ख, ग और घ में निर्धारित उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना है।

3.2 आईएनएसए इस इन्क्वायरी को अपनी सदस्य कंपनियों को परिचालित करेगा, जो आवेदक को प्रस्ताव जो वह देना चाहती है जिसमें भेजेंगे, जिसमें भारतीय ध्वज से युक्त उपयुक्त जलयान, चार्टर किराया आदि का ब्यौरा होगा और इसां की सूचना देंगे कि, कीमत-प्रस्ताव को छोड़कर उपर्युक्त ब्यौरे के साथ प्रस्ताव, सभी जलयानों के संबंध में इन्क्वायरी प्राप्त हो जाने के बाद दो कार्य दिवसों के भीतर दिया जाना होगा। आईएनएसए आवेदक की इन्क्वायरी के प्रत्युत्तर में इसकी सदस्य कंपनियों द्वारा किए गए प्रस्ताव के बारे में नौवहन महानिदेशालय को सूचित करेगा और इसकी एक प्रति, सभी जलयानों के संबंध में एक दिन के भीतर तुरंत आवेदक कंपनी को भेजेगा।

3.3 दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया (पैरा 2.1-2.2) तटीय व्यापार और विदेशी पताका वाले जलयानों के समय और जलयात्रा हेतु स्पॉट आवश्यकताओं के लिए अनुमति वाले सभी आवेदनों पर भी लागू होंगे जहां तटीय व्यापार के लिए किसी निविदा प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। फिर भी, आवेदक, भारतीय तट कॉन्फ्रेंस (इसके आगे आईसीसी के रूप में संदर्भित) के साथ-साथ आईएनएसए को इन्क्वायरी भेज सकेंगे। आईसीसी भी उन्हीं क्रियाविधियों का पालन करेगा जैसा कि आई एनएसए करता है, जो पहले पैरा 2.1 से 2.2 में निर्दिष्ट है। फिर भी, अपतट सहायता सेवाओं और/अथवा पत्तन/टर्मिनल सहायता सेवाओं में सभी आवश्यकताओं, जहां किसी निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, के लिए पैरा 3.1 से 3.2 लागू होगा।

4. सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जलयानों की चार्टरिंग की जाएगी।

4.1 जब तक कि भारतीय जलयान, तकनीकी बोली के मूल्यांकन में सफल नहीं हो जाता तब तक वह वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी लाभ एवं सहायता का वस्तुत: पात्र नहीं होगा।

4.2 जब कभी जलयान की चार्टरिंग निविदा प्रक्रिया, खुली, बंद अथवा वैश्विक निविदा, अथवा निविदा की किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, वहां इन दिशा-निर्देशों को समाविष्ट किया जाना अपेक्षित है। चाहे दिशा-निर्देशों को किसी निविदा में समाविष्ट किया गया है अथवा नहीं, उक्त दिशा-निर्देशों को हर हाल में, निविदा दस्तावेज़ों के एक भाग के रूप में समाविष्ट समझा जाएगा।

4.3 प्रत्येक निविदा प्रक्रिया उक्त निविदा में प्रतिभागिता के लिए भारतीय ध्वज से युक्त जलयानों के लिए भारतीय नागरिकों/कंपनियों/सहकारी सोसाइटियों को अवसर प्रदान करेगी। जहां उक्त भारतीय नागरिक/कंपनियां/सहकारी सोसायटियां या तो प्रतिभागिता करने अथवा आदेश प्राप्त करने असफल हो जाती है, वहां उन्हें केवल वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 407 और 406 में पाए जाने वाले प्रावधानों के माध्यमों से किसी भी कीमत पर इस कार्य को अथवा इसी कार्य के हिस्से को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त निविदा प्रक्रिया में पहले पाने का अधिकार, विदेशी ध्वज से युक्त जलयानों द्वारा निर्देशित न्यूनतम कीमत पर कार्य लेने के लिए अपनी तैयरी दर्शाने पर भारतीय जलयान स्वामी के पास रहेगा।

"पहले पाने का अधिकार" एक ऐसा अधिकार है, जो किसी निविदा प्रक्रिया में एक बोलीदाता को प्राप्त होता है, जो किसी भारतीय ध्वज से युक्त जलयान का प्रस्ताव करता है और यद्यपि उसकी दर न्यूनतम नहीं हो रही हो, उसे इस शर्त पर निविदा सौंपी जाती है कि उसकी दर किसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई न्यूनतम दर से मेल खाती हो, जो एक विदेशी ध्वज से युक्त जलयान का प्रस्ताव है। यह अधिकार उद्योग की प्रथा और भारतीय नौवहन उद्योग को बढ़ावा देने तथा उनका विकास करने के केन्द्र सरकार की सोची समझी मंशा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

4.4 पहले पाने का अधिकार निम्नलिखित पर लागू होगा:-

(क) एक जलयान जिसे किसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित किया गया है और जो कीमत से युक्त बोली के खुलने की तारीख को विदेशी ध्वज से युक्त जलयान माना जाएगा। तद्नुसार, न्यूनतम दर से युक्त भारतीय ध्वज जलयान को विदेशी ध्वज से युक्त जलयान (जलयानों) जिन्हें प्रचालन की शुरूआत करने से पहले भारतीय ध्वज लगाने की अंडरटेकिंग का प्रस्ताव दिया जाता है, सहित विदेशी ध्वज से युक्त जलयानों की तुलना में पहले पाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त किसी विदेशी ध्वज युक्त जलयान की न्यूनतम निविदा, जहाँ एक से ज्यादा भारतीय ध्वज से युक्त जलयान निविदा का प्रस्ताव कर रहे हों, ऐसी स्थिति में पहले पाने का अधिकार, ऐसे भारतीय निविदाकारों में से न्यूनतम वाले को दिया जाएगा और यदि वह न्यूनतम निविदा से मेल खाने में असफल होता है तो अगले उच्च निविदा वाले भाररतीय निविदाकार को प्रस्ताव आदि दिया जाएगा।

(ग) किसी भारतीय बोलीदाता द्वारा किसी भारतीय ध्वज से युक्त जलयान का प्रस्ताव, इस वचन-पत्र के साथ दिया जाता है कि संचालनों के आरंभ होने से पूर्व परंतु मूल्य बोली खुलने के बाद इसे भारतीय ध्वज के रूप में बदल देगा तो इस पर तभी विचार यिका जा सकता है यदि भारतीय ध्वज से युक्त जलयान/जलयानों के भारतीय बोलीदाता/बोलीदाओं के प्रस्ताव, विदेशी ध्वज से युक्त जलयान द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम कीमत से मेल खाने में असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में निविदा सौंपने वाला प्राधिकारी निविदा सौंपने में निवारक जुर्माना का प्रावधान शामिल करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि बोलीदाता, संचालनों के आरंभ होने से पहल जलयान को भारतीय ध्वज में बदल लेगा।

(घ) इसी तरह, भारतीय बोलीदाता को, जो एक विशेष निविदा के लिए किसी भारतीय ध्वज से युक्त जलयान/जलयानों का प्रस्ताव करता है, उसे उसी कार्य के लिए किसी विदेशी ध्वज से युक्त उलयान/जलयानों के लिए उसे न तो चार्टर आरंभ करते समय अथवा चार्टर की अवधि के दौरान किसी भी समय, नौवहन महानिदेशालय द्वारा लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। भारतीय बोलीदाता को भारतीय ध्वज से युक्त जलयान/जलयानों को उस जलयान से बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका बोली के समय जलयान/जलयानों को उस जलयान को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका बोली के समय निर्माण किया जा रहा था, संविदा की जा रही हो अथवा पर किसी विदेशी ध्वज के साथ चल रहा बल्कि उसे संचालनों के आरंभ होने से पूर्व परंतु मूल्य बोली खुलने के बाद भारतीय ध्वज के रूप में बदला जाना था। इस बात की परवाह किए बिना कि क्या निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया था कि नहीं न ही उसे किसी विदेशी ध्वज से युक्त जलयान से बदले जाने की किसी उम्मीद से अन्यत्र से कोई अन्य भारतीय ध्वज से युक्त जलयान लाने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय ध्वज से युक्त जलयान को विदेशी ध्वज वाले जलयान से बदलने

के लिए लाइसेंस प्रदान करने के ऐसे अनुरोध को नौवहन महानिदेशालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ङ) संक्षेप में, (ग) और (घ) दोनों में, एक तरफ से मौजूदा भारतीय-ध्वज जलयानों को प्रोत्साहित करने तथा दूसरी तरफ नये भारतीय टनभार की अधिप्रति को प्रोत्साहित करने दोनों उद्देश्यों के मध्य संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए इक्विटी को बनाए रखा जाएगा, परंतु इसमें मौजूदा भारतीय पताका वाले जलयानों के प्रति थोड़ा झुकाव होगा क्योंकि यहां निवेश किया जा चुका है।

4.5 पक्षकार जो भारतीय-ध्वज जलयान का प्रस्ताव देता है, उसे न्यूनतम संयुक्त प्रभावी मूल्य से मेल खाते हुए वाणिज्यिक अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए और भारतीय ध्वज जलयानों के पक्ष में मूल्य वरीयता नहीं होगी। यदि भारतीय जलयान-स्वामी द्वारा किया गया कोई खर्च विदेशी-ध्वज जलयान क लिए चार्टरकता द्वारा वहन किया जा रहा है तो लागतों की तुलना के दौरान मूल्य में इसे उपयुक्त रूप से जोड़ दिया जाएगा। ऐसी गणना पर यदि भारतीय जलयान को विदेशी जलयान की तरह समान मूल्य पर प्रस्ताव मिलता है, तो धारा 406 और/अथवा 4407 के अंतर्गत लाईसेंस को उक्त विदेशी-ध्वज जलयान के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

संयुक्त प्रभावी मूल्य वह संख्या है जो निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता/प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न मूल्य इनपूट से निकाली गई संख्या हैं, जिसमें सभी लागतों/इनपूट को सारांशित किया गया है। ऐसा संयुक्त प्रभावी मूल्य तैयार करते समय, दैनिक किराया/दैनिक दर जैसे मोब/डीमोब शुल्क, कॉल आउट दरों और रूपान्तरण शुल्क इत्यादि जैसे इंपुट्स को ध्यान में रखा जाता है।

5. लाइसेंस में संशोधन पहले से ही स्वीकृत है:

5.1 लाइसेंस में संशोधन को निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा:

(क) एक ही लाइसेंस के संबंध में दो से अधिक संशोधन स्वीकार्य नहीं होंगे।

(ख) यदि संशोधन में तीन पैरामीटरों से अधिक विभिन्नताओं की मांग हैं, तो इसे नए मामले के रूप में देखा जाएगा।

(ग) किसी भी ओर से लेकैन पर यदि एक सप्ताह से अधिक भिन्नता है तो इसे नए मामले के रूप में देखा जाएगा।

(घ) किसी भी नए आवेदन के लिए एक बार भुगतान किया गया शुल्क स्वत: वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा। रिफंड अथवा समायोजन के लिए अलग से और पर्याप्त औचित्य को डीजी नौवहन के समक्ष रखना होगा और उनके द्वारा स्वीकार किया जाना होगा।

(ङ) नए मामले का अर्थ है कि आवेदक को एक बार फिर से शुरूआत से प्रक्रिया का अनुसरण करना है।

6. विचलनों के लिए जुर्माना:

6.1 यदि इंसा अथवा कोई भी नौवहन कम्पनी डी.जी. नौवहन के ध्यान में यह बात लाती है कि चार्टरकर्ता ने विदेशी-ध्वज जलयानों की चार्टरिंग में इन अनुदेशों का उल्लंघन किया है, तो डी.जी. नौवहन ऐसी शिकायत की विधिवत जांच करने के उपरान्त संबंधित चार्टरर को दंडित करने के लिए जैसा वह आवश्यक समझे, उपयुक्त कदम उठाएगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो।

6.2 यदि इस बात में कोई संदेह है कि निविदा विज्ञापन में दिए गए जलयान के तकनीकी विनिर्देशन भारतीय-ध्वज जलयानों से बचने के लिए जान बुझकर इरादतन तैयार किए गए हैं, तो इस मामले को डी.जी. नौवहन को निर्णय के लिए भेजा जा सकता है कि कया विनिर्देशन में छोटे-मोटे अंतर के साथ भारतीय जलयान को चार्टर किया जाना चाहिए न विदेशी-ध्वज जलयान को।

6.3 यदि भारतीय ध्वज पोतों के चार्टर पर देय पिछले भुगतान को समय से क्लीयर नहीं किया जाता है, तो डी.जी. नौवहन यह निर्णय ले सकता है कि ऐसे आवेदकों जिन पर इस प्रकार का बकाया है को आगे लाइसेंस स्वीकृत न करें।

7. गैर-इंसा/आईसीसी सदस्य

गैर-इंसा/आईसीसी सदस्यों के लिए, इन्क्वायरी की एक प्रति, जैसा कि प्रथा रही है, निर्धारित संगत अवधि के भीतर डी.जी. नौवहन कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होगी।

8. जनहित में अपवाद

राष्ट्रीय परियोजना-कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने, भारतीय टनभ्भार में वृद्धि, भारतीय हब-पत्त्न और समुद्री-व्यापार मार्गों, नए अथवा मौजूदा दोनों के विकास को बढ़ावा देने-और आपातकालीन स्थिति से निपटने अथवा संकट से उबरने के लिए डी.जी. नौवहन के पास यह अधिकार बना रहेगा कि वह यहां ऊपर निर्धारित किसी भी दिशा-निर्देश को अभिभूत करते हुए, जैसा वह उपयुक्त समझे, कार्रवाई करे।

वर्ष 2007 का नौवहन विकास परिपत्र सं. 2

दिनांक 20.04.2007 सं. एसडी-9/चार्ट(82)/97-ाा

विषय : वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 406 और 407 के अंतर्गत लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण

(यह परिपत्र एसडी परिपत्र सं. 2/2002, 8/2003, 1/2005, 3/2005, 3/3006 और 4/3006 के साथ पढ़ा जाए)

1. इस निदेशालय ने उपरोक्त विषय पर पहले एसडी परिपत्र 3/2006 जारी किया था जिसमें अधूरी कागजी कार्रवाई के कारण होने वाले विलंब को कम करने के लिए धारा 406 और 407 के अंतर्गत लाइसैंस जारी करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाए जाने का प्रयास किया था था।

2. तथापि, लाइसैंस जारी करने में होने वाले विलंब अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। कार्गो में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए ओर आगामी 5-6 वर्षों में कार्गो की उपलब्धता में 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और होने वाली बढ़ोत्तरी और इसके परिणामस्वरूप लाइसैंस कार्य में होने वाली बढ़ोत्तरी को देखते हुए, इस निदेशालय ने वर्ष 2006 के डीजीएस परिपत्र 4 में यथा घोषित और वर्णित हुए, इस निदेशालय ने वर्ष 2006 के डीजीएस परिपत्र 4 में यथा घोषित और वर्णित, 1 जनवरी 2007 से लाइसैंसों को संसाधित करने की ऑनलाईन प्रक्रिया को अपना लिया था।

3. प्रक्रियाओं को और अधिक सुप्रवाही बनाए जाने के लिए, एक ऐसी प्रणाली को अपनाए जाने का फैसला किया गया है जिसमें स्वघोषणा और स्वप्रमाणन पर ओर अधिक भरोसा किया जाए जो इस बात को स्वीकार करता हो की जलयान को समुद्री यात्रा के योग्य बनाए रखे जाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से इसके स्वामी की है और यह कि यह सुनिश्चित करना चार्टरकर्ता और पोत चालक के हित में है कि कान्ट्रैक्ट किया गया जलयान समुद्री यात्रा के योग्य है और जलयान के पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र और बीमा सुरक्षा है।

4. चार्टरिंग/लाइसैंस के लिए अनुमोदन जारी किए जाने की प्रक्रिया:

वह आवेदक जो विदेशी पताका वाले जलयान को काम पर लगाना चाहते हैं और एक अवधि विशेष अथवा यात्रा विशेष/अनुमति के लिए धारा 406 और 407 के अंतर्गत लाइसैंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अब पोत के पंजीकरण, सर्वेक्षण अथवा प्रमाणन से संबंधित किन्हीं प्रमाणपत्रों को मेल करने/भेजने/प्रतियां संलग्न करने की आवश्यकात नहीं है। इसके स्थान पर, उन्हें संगत प्रमाणपत्रों को जार किए जाने कओर वैधता सहित इस प्रकार के दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन फॉर्म में देना होगा और प्रमाणित करना होगा कि चैकलिस्ट में दी गई सारी सूचना की पुष्टि आवेदकों द्वारा पात द्वारा लिए गए अथवा पोत स्वामियों द्वारा प्रस्तुत किए प्रमाणपत्रों से कर ली गई है और यह कि प्रस्तुत की गई सारी जानकारी सत्य है ओर उनकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी ओर विश्वास पर आधारित है, जिसमें परिणामों का पूरा ज्ञान है, जिनका दायरा संबंधित पोत स्वामी को पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण, लाइसेंस रद्द करने और निदेशालय द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की मौजूदा प्रक्रिया में आवेदक को वापस भेजना और वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अंतर्गत दंड की कार्रवाइ के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि, सभी आवेदकों को प्रस्तुत/संलग्न करने होंगे:

(i) मांग ड्राफ्ट के साथ ऑन लाइन आवेदन के हस्ताक्षर युक्त एक प्रिंट के साथ निर्धारित शुल्क।

4.1 इसके अलावा यह नोट किया जाए कि प्रक्रिया में यह रियायत इन्हें उपलब्ध नहीं होगी:

(i) ऐसे अपतटीय जलयान जो 12 व्यक्तियों से अधिक लोगों को ले जाते हैं,

(ii) 15 वर्ष से अधिक पुराने अन्य अपतटीय जलयान,

(iii) 15 वर्ष से अधिक पुराने एकल हल वाले तेल टैंक,

(iv) सभी यात्री जलयान,

(v) 25 वर्ष से अधिक पुराना कोई भी जलयान।

इस प्रकार के पोतों को काम पर लगाने के इच्छुक आवेदकों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार वैधता जांच के लिए उचित प्रमाणपत्रों और सभी दस्तावेजों की प्रतियां भेजना जारी रखना होगा।

5. यह नोट किया जाए कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी की लेखापरीक्षा और आम पुष्टि की जा सकती है और इस प्रकार की गई लेखपरीक्षा अथवा पुष्टिकरण के दौरान यह मालूम हो कि जलयान की किसी फर्म, कंपनी, मास्टर अथवा एजेंट ने झूठा

घोषणापत्र दिया है तो उन्हें वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अंतर्गत उन पर दंड की कार्रवाई भी की जा सकती है।

6. आम व्यापार लाइसैंस जारी करने की प्रक्रिया:

आम व्यापार लाइसैंस के लिए आवेदन करने वाले भारतीय पोत स्वामियों के संबंध में धारा 406 के अंतर्गत पक्रिया में अब और अधिक स्वविनियमन लागू किया गया है।

6.1 अब से, लाइसैंस पोत के पास रहने वाले सांविधिक प्रमाणपत्रों की वैधता पर विचार किए बिना 10 वर्षो की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

6.2 पोत स्वामियों से हर समय सभी लागू प्रमाणपत्रों और बीमा सुरक्षा को अद्यतन और वैध रखना अपेक्षित है जिसके चूकने पर उन्हें उसके परिमाणों की पूरी जानकारी हो, चूक होने पर स्वत: लाइसेंस रद्द होने के साथ साथ धारा 406 के अंतर्गत पुरानी प्रक्रिया में लौटा दिया जाएगा।

6.3 ऐसे मामलों में जिनमें किसी नए अथवा पुराने जलयान को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 41 के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण/अस्थाई पास जारी किया हो, ऐसे जलयानों को धारा 41 के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण/अस्थायी पास की वैधता की अवधि तक अनंतिम आम व्यापार लाइसैंस जारी किया जाएगा। अनंतिम आम व्यापार लाइसैंस हासिल करने के लिए, पोत स्वामियों से मौजूदा प्रमाणपत्रों का ब्यौरा बताने वाली चैक लिस्ट और निर्धारित शुल्क के साि आवेदन करना अपेक्षित है।

7. इसे नौवहन महानिदेशक और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(एस.जी. भंडारे)
सहायक नौवहन महानिदेशक

विशेष आर्थिक जोनों हेतु वैधता अवधि का बढ़ाया जाना

***50 श्री हरीश चौधरी:**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोन संबंधी नियमों में कतिपय परिस्थितियों में विकासकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने हेतु विहित वैधता अवधि और वैधता अवधि बढ़ाने संबंधी कोई विशिष्ट प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं ने कतिपय आधारों पर अपनी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इनमें से किसी विकासकर्ता को उनकी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अतिरिक्त समय दिया गया है/अतिरिक्त समय दिए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के नियम 6(2) (क) के अनुसरण में एसईजेड विकासकर्ताओं को दिया गया अनुमोदन पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है जिस समय-सीमा के अंतर्गत विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का कार्यान्वयन करने के लिए प्रभावी कदम उठास जाने होते हैं। अनुमोदन बोर्ड, विकासकर्ता द्वसरा किए गए किसी आवेदन पर अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि बढ़ा सकता है।

(ग) से (च) एसईजेड विकासकर्ताओं ने वैश्विक मंदी के कारण प्रतिकूल व्यापार वातावरण, राज्य सरकार के सांविधिक निकायों से अनुमोदन में विलम्ब, पर्यावरणीय निकासी में विलम्ब, एसईजेड में स्थान के लिए मांग की कमी इत्यादि सहित विभिन्न कारणों से अपनी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए उन्हें स्वीकृत अनुमोदन पत्र की वेधता अवधि बढ़ाने की मांग की है। परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए उन्हें स्वीकृति अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि 283 विकासकर्ताओं संकलन विषय में दिए गए ब्यौरे के अनुसार के लिए बढ़ाया गया।

विवरण

एसईजेड विकासकर्ताओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा जिन्हें एसईजेड की स्थापना करने के लिए उनकी औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि को बढ़ाया गया

क्र.सं.	राज्य	एसईजेड विकासकर्ताओं की संख्या जिन्हें स्वीकृत औपचारिक अनुमोदन में विस्तार प्रदान किया गया
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	छत्तीसगढ़	1

1	2	3
3.	दादरा और नगर हवेली	1
4.	गोवा	6
5.	गुजरात	22
6.	हरियाणा	30
7.	झारखंड	1
8.	कर्नाटक	25
9.	केरल	12
10.	मध्य प्रदेश	6
11.	महाराष्ट्र	52
12.	नागालैंड	2
13.	ओडिशा	5
14.	पुदुचेरी	1
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	7
17.	तमिलनाडु	29
18.	उत्तर प्रदेश	13
19.	उत्तराखण्ड	1
20.	पश्चिम बंगाल	11
	सकल योग	283

[हिन्दी]

जल प्रदूषण के कारण बीमारियां

***51. श्री गोरखनाथ पाण्डेय:**
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का स्तर काफी उच्च है जिसके परिणामस्वरूप जल जनित बीमारियों और उससे होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नदियों के किनारों पर स्थिति शहरों और नगरों की नदियों के अधोप्रवाह (हाउनस्ट्रीम) में घुलित ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और कोलिफोर्म बेक्टीरिया के संदर्भ में जल गुणवत्ता में कमी देखी गई है। इस कमी का प्रमुख कारण सीवेज का निपटान है। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को जल प्रदूषण से जोड़ा जा सकता है। तथापि इन आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के माध्यम से नदियों में प्रदूषण उपशमन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, जिसमें वर्तमान में 20 राज्यों में फैले 190 नगरों की 40 नदियां शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की गई प्रदूषण उपशमन स्कीमों में सीवेज का इन्टरसेप्शन, डायवर्जन और उपचार, नदी किनारों पर कम लागत से सफाई-कार्य, विद्युत/बेहतर लकड़ी वाले अंत्येष्टि स्थल स्थल इत्यादि शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, 4664 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। एनआरसीपी के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई विधियों का राज्यवार और नदीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	नदी	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी और मुसी	36.89	-	-
2.	बिहार	गंगा	15.37	20.00	-
3.	गुजरात	साबरमती	-	0.39	-

1	2	3	4	5	6
4.	कर्नाटक	भद्रा, तुंग-भद्रा, कावेरी, तुंग और पेन्नार	-	0.96	-
5.	महाराष्ट्र	कृष्णा, गोदावरी, तापी और पंचगंगा	7.38	11.82	-
6.	मध्य प्रदेश	बेतवा, ताप्ती, वेणगंगा, खान, नर्मदा, क्षिप्रा, बीहड़ चंबल और मंदाकिनी	0.90	-	-
7.	ओडिशा	ब्राह्मणी और महानदी	-	-	5.00
8.	पंजाब	सतजुल और ब्यास	-	45.75	47.53
9.	राजस्थान	चंबल	20.00	-	20.00
10.	तमिलनाडु	कावेरी, अडियार, कूअम, वेन्नार, वेगई और तंबारानी	3.10	-	-
11.	दिल्ली	यमुना	66.50	83.29	34.88
12.	हरियाणा	यमुना	14.90	4.10	-
13.	उत्तर प्रदेश	यमुना, गंगा और गोमती, रामगंगा	112.80	238.59	72.75
14.	उत्तराखंड	गंगा	17.94	31.88	-
15.	पश्चिम बंगाल	गंगा, दामोदर और महानंदा	57.08	194.13	-
16.	सिक्किम	रानी चू	15.00	26.14	9.30
	कुल		367.86	657.05	189.46

[अनुवाद]

सेवा में आत्महत्या के मामले

***52. श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आत्महत्या की ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लागने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सेना में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी का रूख नहीं है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान आत्महत्या के मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कुल
2009	96
2010	115
2011	102
2012 (31 जुलाई तक)	62

2. सेना में आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर) ने कई अध्ययन किए हैं। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार सेना में आत्महत्याओं के

मामलों के प्रमुख कारण घरेलू समस्याएं, पति-पत्पनी की अनबन, तनाव ओर वित्तीय समस्याएं हैं। ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना, भोजन और वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार करना, उदार छुट्टी नीति लागू करना और राज्यों में रक्षा कार्मिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

***53 श्री गणेश सिंह:**
श्री लालजी टन्डन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार देश में रोजगार सृजन की वृद्धि दर के साथ-साथ बेरोजगारी की दर क्या रही;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगारी की बढ़ती दर को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में बेरोजगारी कम करने के लिए किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) रोजगार तथा बेरोजगार के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित पंचवार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। रोजगार एवं बेरोजगारी पर दो सर्वाधिक हालिया पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित रोजगार 2004-05 से 2009-10 के दौरान 0.28 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज करते हुए 2004-05 में 459.10 मिलियन तथा 2009-10 में 465.48 मिलियन थी। 2004-2005 में बेरोजगारी दरें 2.3 प्रतिशत तथा 2009-2010 में 2.0 प्रतिशत अनुमानित की गई।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनता के जीवनयापन स्तर में सामान्य रूप से सुधार लाने के लिए उसकी आय में बढ़ोतरी हेतु तीव्र गति से उत्पादक रोजगार सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। भारत सरकार अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करती रही है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से निवेश

***54. श्री पी. कुमार:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में सुधार हेतु उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने और ऐसे निवेश को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के विनियमों से छूट प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय सुरक्षा मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार भारत-पाकिस्तान व्यापार परिषद् गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय चर्चाओं के परिणाम के रूप में मार्च, 2012 में पाकिस्तान सरकार ने भारत को निर्यात किए जाने वाले अपनी 1963 मदों की सकारात्मक सूची की जगह 1209 मदों की 'नकारात्मक सूची' को स्थन दिया है। इसका निहितार्थ यह है कि उन 1209 मदों को छोड़कर अन्य सभी मदों का निर्यात किया जा सकता है। व्यापार योग्य वस्तुओं में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि से तीसरे देशों के जरिए व्यापार में कमी आने की संभावना है।

दोनों देशों के व्यवसायियों के लिए एक उदारीकृत बीजा व्यवस्था पर भी सहमति बनी है और यह हस्ताक्षर किए जाने के लिए तैयार है।

विद्युत क्षेत्र में व्यापार की व्यवहार्यता की जांच करने और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार की शुरूआत के लिए अलग-अलग संयुक्त विशेषज्ञ समूह गठित किए गए हैं

दोनों देशों के केन्द्रीय बैंक एक-दूसरे के देश में अपनी बैंक शाखाएं खोलने के तौर-तरीके तैयार कर रहे हैं।

अप्रैल, 2012 में, अटारी में अत्याधुनिक जांच चौकी के उद्घाटन से दोनों पक्षों के व्यापारियों को अटारी-वाघा भू-मार्ग के जरिए व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली है।

(ग) और (ग) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने दिनांक 1 अगस्त, 2012 के प्रेस नोट सं. 3(2012शृंखला) द्वारा विदेशी प्रतयक्ष निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की और रक्षा, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों/कार्यकलापों में किसी भी अनुमति देने का निर्णय लिया था।

(ङ) जी, हां। प्रेस नोट के अनुसार रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कोई भी पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तान का कोई प्रतिष्ठान केवल सरकार के माध्यम से ही निवेश कर सकता है। इसके लिए सुरक्षा संबंधी आवश्यक स्वीकृति अपेक्षित होगी।

(च) नई दिल्ली में दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत तथा पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रीद्वय एक संयुक्त व्यापार परिषद् गठित करने पर सहमत हुए थे। जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि यह संयुक्त व्यापार परिषद् व्यापार समुदायों के बीच नियमित तथा सतत वार्ता हेतु अतिरिक्त संस्थागत कार्यढांचा उपलब्ध कराएगी। यह परिषद दोनों देशों के मध्य व्यापार-दर-व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु कार्यनीतिगत तंत्र तैयार करेगी और उन्हें कार्यान्वित भी करेगी।

[हिन्दी]

व्यापार घाटा

***55. श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री नीरज शेखर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मद-वार और मूल्य-वार और आयात के निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसमें भिन्नताओं, यदि कोई हैं, के कारण कारण हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत के व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न व्यापार संगठनों/निर्यात संवर्धन परिषदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यापार घाटे को कम करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने क लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) (i) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता के अनुसार) के दौरान देश के निर्धारित निर्यात लक्ष्य, उपलब्धि और व्यापार घाटे का ब्यौरा निम्नवत है:

(मूल्य अमरीकी बिलियन डालर में)

वर्ष	निर्यात लक्ष्य	निर्यात उपलब्धि	व्यापार घाटा (अमरीकी बिलियन डालर)
2009-2010	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।	178.8	109.6
2010.2011	200	251.1	118.6
2011-2012	300	304.6 अनंतिम	184.8 अनंतिम
2012-2013	350	75.2 (अप्रैल-जून) अनंतिम	40.0 (अप्रैल-जून) अनंतिम

मद-वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। आयात के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ii) विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के आधार पर विकासशील देशों में व्यापार घाटे की वृद्धि में मिश्रित प्रवृत्ति है।

(iii) वैश्विक आर्थिक संकट, यूरोप में फैले ऋण संकट तथा विकासित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी से हमारी निर्यात मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आयात योग्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों तथा अधिक मांग दोनों के कारण आयात में भी वृद्धि हो रही है। पैट्रोलियम, उर्वरक, सोना, खाद्य तेल आदि के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि है। उनकी मांग में भी वृद्धि हुई है। इन्हीं कारणों से अधिक मूल्य के आयात हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि अवधि के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है।

(iv) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 की योजनाओं के तहत निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न व्यापार संगठनों/निर्यात संवर्धन परिषदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए और दिनांक 5 जून, 2012 को विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट की घोषणा करते समय उन अभ्यावेदनों पर विधिवत रूप से विचार किया गया।

(v) अपने निर्यात को बढ़ाने तथा व्यापार घाटा करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 अपने निर्यात को दुगुना करने हेतु कार्य योजना के एक भाग के रूप में मई, 2011 में कार्यनीति दस्तावेज जारी किया गया। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पूर्व के उपायों में बजट 2009-10 और 2010-11 में; विदेश व्यापार (एफटीपी) 2009-14 में; तत्पश्चात् जनवरी/मार्च, 2010 में; 23 अगस्त, 2010 को जारी विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट में की गई घोषणाएं तथा फरवरी और अक्टूबर, 2011 में की गई घोषणाएं शमिल हैं। सतत आर्थिक मंदी जिसने व्यापार को प्रभावित किया है, के परिप्रेक्ष्य में 05 जून, 2012 को विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट के भाग के रूप में अनेक उपायों/प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी।

खान कामगारों के लिए आवास सुविधा

***56. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में खान कामगारों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी है और खान कामगारों को दिए जाने वाले प्रस्तावित आवास ऋण की धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी हां। खान कामगारों को आवास सुविधा करने के लिए योजनाएं तैयार की गयी हैं।

(ख) खान कामगारों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गयी हैं:

(i) टाइप-I आवास योजना-इस योजना के अंतर्गत खान प्रबंधन को खान कामगारों हेतु मकान बनाने के लिए 40,000 रुपये प्रति इकाई की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) टाइप-II आवास योजना-इस योजना के अंतर्गत खान प्रबंधन को खान कामगारों हेतु मकान बनाने के लिए 50,000 रुपये प्रति इकाई की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) संशोधित एकीकृत आवास योजना-इस योजना के अंतर्गत खान कामगारों को व्यक्तिगत रूप से 40,000 रुपये प्रति इकाई की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) 40,000/50,000 रुपये की प्रति इकाई संस्वीकृत धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है न कि ऋण के रूप में। चालू वित्तीय वर्ष के लिए मकानों की इकाइयां तथा धनराशि क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होगी। वर्ष 2011-12 के लिए राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

राज्य का नाम	वर्ष-2011-13 (इकाई)	धनराशि (लाख में)
राजस्थान	69	13.80
ओडिशा	344	68.80
मध्य प्रदेश	02	0.40

वस्त्र मिलों का बंद होना

***57. श्री बलीराम ज़ाधव:**
श्री महाबली सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चल रही वस्त्र मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद हुई/रुग्ण घोषित की गई वस्त्र मिलों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार स्थित मिलों सहित उक्त बंद मिलों को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में वस्त्र मिलों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कर्मचारियों/कामगारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को छोटे और मध्यम वस्त्र उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) देश में 1957 वस्त्र मिल चल रही हैं राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 (फरवरी 2012 तक) के दौरान 150 वस्त्र मिल बंद हुईं जिनमें 50151 कामगार थे। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	2008-09	2099-10	2910-11	2011-12 (फरवरी 2012 तक)	कुल
बंद मिलों की सं.	27	11	82	30	150
बंद मिलों की नामावली पर कामगारों की सं.	5370	3322	29900	11559	50151

वित्तीय एवं श्रम समस्याएं मुख्य कारण बताए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बंद वस्त्र मिलों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता हेतु सरकार की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ङ) भारत सरकार, निजी क्षेत्र में किसी भाग विशेष अथवा संपूर्ण वस्त्र इकाई के स्थायी रूप से बंद हो जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गए वस्त्र कामगारों को वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) के तहत अंतरिम राहत प्रदान करती है। इस योजना के तहत मिल के औपचारिक रूप से बन्द हो जाने के बाद पात्र कामगारों को, उन्हें अन्य रोजगार में लगने में समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ सहायता दी जाती है।

(च) और (छ) जी, हां। भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ ने सूचित किया है कि बम्बई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 287 कंपनियों से 122 कंपनियों ने वर्ष 2011-12 की प्रथम तिमाही में निवल हानि होने की सूचना दी है और 166 कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में निराशाजनक परिणाम दर्शाए हैं। सूचित किया गया है कि बहुत सी कंपनियां आवधिक ऋणों को चुकाने तथा कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण करने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। इस मंदी के लिए बाह्य कारणों की वजह से वस्त्र उद्योग के लिए पुनर्गठन कार्यक्रम पर विचार करना आवश्यक हो गया है। सरकार ने बैंकों द्वारा अग्रिमों के पुनर्गठन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर वस्त्र उद्योग के ऋणां को पुनर्गठित करने के लिए बैंकों को निदेश जारी किए हैं।

देश में चल रही कपास मिलों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	मिलों की संख्या		
		कताई	मिश्रित	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	160	2	164
2.	असम	5	2	7
3.	बिहार	5	1	6
4.	छत्तीसगढ़	1	-	1
5.	दादरा और नगर हवेली	9	2	11
6.	दमन और दीव	1	-	1
7.	गोवा	1	-	1

1	2	3	4	5
8.	गुजरात	42	47	89
9.	हरियाणा	69	2	71
10.	हिमाचल प्रदेश	16	-	16
11.	जम्मू और कश्मीर	2	-	2
12.	झारखंड	1	-	1
13.	कर्नाटक	46	7	53
14.	केरल	31	3	34
15.	मध्य प्रदेश	43	14	57
16.	महाराष्ट्र	153	37	190
17.	मणिपुर	1	-	1
18.	ओडिया	15	1	16
19.	पुदुचेरी	9	1	10
20.	पंजाब	92	8	100
21.	राजस्थान	50	12	62
22.	तमिलनाडु	919	40	959
23.	उत्तर प्रदेश	57	9	66
24.	उत्तराखण्ड	8	1	9
25.	पश्चिम बंगाल	23	7	30
	कुल	1761	196	1957

[अनुवाद]

सड़क परियोजनाओं संबंधी करार

***58. श्री आनंदराव अडसुल:**
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य सौंपा गया और जो लंबित हैं;

(ख) क्या अनेक परियोजनाओं, जिनके लिए निविदाएं जारी की कई थीं, के लिए एक भी बोली लगाने वाला नहीं आया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) सरकार ने राष्ट्रीय की अन्य स्कीमों के अंतर्गत उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की 9500 किमी लंबाई का कार्य सौंपने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, 560. 4 किमी लंबाई की परियोजनाएं सौंप दी गई हैं और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। 8939.6 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों को अभी सौंपा जाना है ओर इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 705-74 किमी लंबाई की 5 परियोजनाओं के संबंध में कोई निविदाएं प्राप्त नहीं हुई थी और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ऐसी सभी परियोजनाओं के संबंध में निविदाएं पुन: आमंत्रित की हैं।

(घ) सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ठेकेदारों, विकासकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों की चिंताओं पर ध्यान देने और उनका समाधान करने के लिए नियमित पारम्परिक संपर्क किया जाता है। सरकार के भीतर, प्रक्रियाओं को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए उच्चतम स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, चालू वर्ष में लक्ष्य का एक बड़ा भाग सार्वजनिक वित्त पोषित इंजीनियरिंग प्रापण ठेके (ईपीसी) होंगे जिससे प्रणाली में धनराशि प्राप्त होगी।

विवरण I

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सौंपे गए कार्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	कर्नाटक में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत रारा-17 का कुंदापुर-गोवा/कर्नाटक सीमा खंड (लंबाई 187 किमी)
2.	केरल में एनएचडीपी-II के अंतर्गत रारा-47 का वायलार-वडक्कनचेरी खंड (लम्बाई 54 किमी)
3.	तमिलनाडु में एनएचडीपी-III के अंतर्गत रारा-67 का कोयंबटूर/मेट्टूपलयम खंड (लंबाई 53 किमी)

1	2
4.	गुजरात राज्य में एनएचडीपी-V के अंतर्गत रारा-8 के नर्मदा नदी पर नए 4 लेन के निर्माण सहित बदोदरा-सूरत खंड के किमी 192 से किमी 198 को 6 लेन का बनाया जाना (लंबाई 7 किमी)
5.	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत रारा-231 के रायबरेली से जौनपुर खंड (किमी 0 से किमी 166.4) को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाया जाना (लंबाई 166.4 किमी)
6.	तमिलनाडु में रारा-4 का वालाजपेट-पूनामल्ली खंड को 6 लेन का बनाया जाना (लंबाई 93 किमी)

विवरण II

लक्षित कुल 9839.6 किमी में से उन अभिनिर्धारित कार्य, जिनको वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सौंपा जाना है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रारा सं.	चरण/स्कीम	लंबाई (किमी)
1	2	3	4	5
1.	विक्रमवंडी-तंजावूर	45C	IV	164
2.	चांदीखोल-दुबरी-तालचर	200	III	133
3.	घाघरा पुल-वाराणसी	233	IV	178
4.	वाराणसी-सुल्तानपुर	56	IV	155
5.	अंबेडकर नगर-रायबरेली	232	IV	165
6.	रायबरेली-बांदा	232	IV	140
7.	चांदीखोल-पारादीप	5ए	V	77
8.	ईपीई		अन्य	135
9.	छुटमलपुर-सहारनपुर-यमुनानगर-हरियाणा/उ.प्र. सीमा खंड	73 और 72ए	IV	94
10.	रामबन-बनिहाल	1ए	II	36
11.	अधमपुर-रामबन	12ए	II	40
12.	रोहतक-हिसार	10	III	100
13.	परवाणु-सोलन	22	III	100
14.	मदुरै-परमाकुंडी-रामनाथपुरम	49	III	115
15.	मुरादाबाद-सीमा-फतेहपरु-सालासार	65	IV	145
16.	राजस्थान सीमा-फतेहपुर-सालासार	65	IV	154
17.	भावनगर-वेरावल	8ई	IV	263
18.	इलाहाबाद बाइपास-वाराएसी	2	V	160

1	2	3	4	5
19.	पत्तन संपर्क से जेएनपीटी		अन्य	44
20.	गोशपुर-सलसलाबाड़ी	31डी	II	168
21.	शिमला-सोलन	22	III	60
22.	बालेश्वर-बारीपदा-झारपोखरिया	5	IV	90
23.	बहरागोरा-संबलपुर	6	IV	368
24.	वाराणसी-गोरखपुर	29	IV	206
25.	सितारगंज-काशीपुर	74	IV	77
26.	खेद-सिन्नर	50	IV	150
27.	तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा-बंगलौर	209	IV	204
28.	चकेरी-इलाहाबाद	2	V	146
29.	डीमाऊ-डीब्रूगढ़	37	एसएआरडीपी-एनई	46
30.	नुमालीगढ़-जोरहाट	37	एसएआरडीपी-एनई	51
31.	जोरहाट-डीमाऊ	37	एसएआरडीपी-एनई	60
32.	दीमापुर-कोहिमा	39	एसएआरडीपी-एनई	60
33.	करईकुडीरामनाथपुरम	210	III	80
34.	पटना-गया-डोभी	83	III	127
35.	अंबाला-कैथल	65	III	86
36.	राजसमंद-भीलवाड़ा	758	IV	86
37.	होजपेट-हुबली	63	IV	131
38.	यादगिरी-वारंगल	202	IV	96
39.	भीलवाड़ा-लाडपुरा	758	IV	72
40.	धुले-औरंगाबाद	211	IV	140
41.	उनियारा-गुलाबपुरा	148डी	IV	205
42.	पाधी-दोहाद	113	IV	86
43.	वाराणसी-हनुमन्नहा	7	IV	125
44.	उन्नाव-लालगंज	232ए	IV	68
45.	विलूपपुरम-पुदुच्चेरी-नागपट्टनम	45ए	IV	194
46.	न्यू चौक-मनाली	21	IV	119

1	2	3	4	5
47.	चास-रामगढ़	23	IV	78
48.	झालावाड़-राजस्थान/म.प्र. सीमा	12	IV	62
49.	करौली-धौलपुर	11बी	IV	101
50.	औरंगाबाद-वेदिशी	211	IV	175
51.	शोलापुर-वेदिशी	211	IV	85
52.	प्रतापगढ़-पाधी	113	IV	100
53.	लुधियाना-चंडीगढ़	95	V	60
54.	चित्रदुर्ग-हरिहर-हावेरी चित्रदुर्ग बाइपास सहित	4	V	150
55.	जालंधर-अमृतसर	1	II	20
56.	बरेली-सितारगंज	74	IV	87
57.	काशीपुर-हरिद्वार	74	IV	167
58.	सितारगंज-टनकपुर	125	IV	52
59.	डिंडीगुल-कोयंबटूर	209	IV	150
60.	छपरा-रीवाघाट-मुजफ्फरपुर	102	IV	75
61.	बिहार शरीफ-बड़बिगहा-मोकामा	82	IV	52
62.	गोविंदपुर-चास पर रारा-2 के साथ जंक्शन झारखंड/प.बं. सीमा तक	32	IV	71
63.	रांची-नगर उंतरी	75	IV	260
64.	रांची-बीरमित्रपुर	23	IV	210
65.	लाडनू (निंबी जोधान)-दीगना-मेड़ता सिटी	458	IV	139
66.	मेड़ता सिटी-लांबिया-जलतारन-रायपुर	458	IV	79
67.	रायपुर-भीम (जस्सा खेड़ा)	458	IV	32
68.	भीम-भीम बाइपास सहित परसोली	148 डी	IV	31
69.	परसोली-गुलाबपुरा	148 डी	IV	39
70.	नागपट्टनम-तंजावूर	66	III	77
71.	रामनाथपुरम-धनुषकोडी	49	III	70
72.	बरही-रजौली	31	IV	48
73.	लालसोट-करौली	11बी	IV	85
74.	मेट्टूपलयम-कर्नाटक सीमा	67	IV	103
75.	हासन-बीसी रोड	48	IV	130
76.	उदयपुर (NH-8)-कुमदल नया खेद-झडोल-सोमनलवा दैया (गुजरात सीमा) ईडर	58ई	IV	154

1	2	3	4	5
77.	ऊंचा नगला-खनुआवा-रूप्पस-धौलपुर	123	IV	80
78.	केथल-हरियाणा/राजस्थान सीमा	65	IV	160
79.	हिसार-डबवाली	10	IV	160
80.	गुलगर्गा-बीजापुर-होमानाबाद	218	IV	200
81.	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसमार्ग	VI	152	
82.	केरल/मिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी	47 और 47बी	III	70
83.	चरथलाई-ओचिरका	47	III	84
84.	ओचिरा-तिरुवनंतपुरम	47	III	86
85.	तिरूवनंतपुरम-तमिलनाडु/केरल सीमा	47	III	43
86.	कुट्टीपुरम-ईडापल्ली	17	III	116
87.	अहमदाबाद-बामनबोर-समखियाली ओर बामनबोर-राजकोट	8ए और 8बी	IV	338
88.	कंकतोरा-झरसूगुडा जंक्शन	200	IV	68
			(राज्य सरकार माध्यम से)	
89.	चित्रदुर्ग-शिमोगा	13	IV	102॰60
			(राज्य सरकार माध्यम से)	
90.	केरल सीमा-मैसूर-कोल्लेगल	212	IV	150॰20
			(राज्य सरकार माध्यम से)	
91.	श्रीगंगानगर (राजस्थान/पंजाब सीमा)-अमृतसर	15	IV	172
			(राज्य सरकार माध्यम से)	
92.	जालंधर-पंजाब/हरियाणा सीमा	71	IV	199
			(राज्य सरकार माध्यम से)	
93.	जबलपुर-भोपाल	12	IV	290
			(राज्य सरकार माध्यम से)	
94.	नासिक-सिन्नर (4 लेन)	50	रारा (मूल)	25
95.	नागौर-बीकानेर	11	रारा (मूल)	107
96.	नागौर-जोधपुर	65	रारा (मूल)	136
97.	जोधपुर-पाली	65	रारा (मूल)	73
98.	बला-रीवा-सिद्धी	75	रारा (मूल)	72
		जोड़		11465.8

विवरण III

उन परियोजनाओं की सूची जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं परंतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी निविदाकर्ता से निविदा प्राप्त नहीं हुईं

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	उत्तर प्रदेश में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत रारा-233 का घाघरा ब्रिज-वाराणसी खंड (लंबाई 178 किमी)
2.	उत्तर प्रदेश में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत रारा-56 का वाराणसी-सुल्तानपुर खंड (लंबाई 155 किमी)
3.	ओडिशा में एनएचडीपी-V के अंतर्गत रारा-5ए का चांदीखोल-पारादीप खंड (लंबाई 77 किमी)
4.	ओडिशा में एनएचडीपी-III के अंतर्गत रारा-200 का चांदीखोल-दुबरी-तालचर खंड (लंबाई 133 किमी)
5.	तमिलनाडु में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत रारा-45 सी का विक्रमवंडी-तंजावूर खंड (लंबाई 164 किमी)

[हिन्दी]

'बांध परियोजनाओं में पर्यावरण संबंधी शर्तों का अनुपालन'

***59. श्री उदय प्रताप सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सरकार सरोवर परियाजना और मध्य प्रदेश में इन्दिरा सागर परियोजना को स्वीकृति देने के समय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान पालन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शर्तों के अनुपालन की निगरानी हेतु कोई निगरानी समिति अथवा मूल्यांकन समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने इस संबंध में सरकार से कोई सिफारिशें की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इन्द्रिरा सागर परियोजना (आईएसपी) को जून, 1987 में पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। पर्यावरण मंजूरी की शर्तों में से एक के अनुसार नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) को यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं संबंध कार्य की प्रगति के समरूप पर्यावरण सुरक्षा उपाय योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित किए जाते हैं। तद्नुसार, एनसीए के पर्यावरण उप-समूह द्वारा परियोजनाओं हेतु अनुपालन एवं सुरक्षा के उपायों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(ग) और (घ) सरदार सरोवर एवं इन्दिरा सागर परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण/अध्ययन/आयोजना के मूल्यांकन एवं पर्यावरण सुरक्षा उपायों संबंधी योजनाओं एवं कार्यान्वयन के लिए श्री देवेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

(ङ) और (च) इस समिति द्वारा प्रस्स्तु की गई रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई कि एसएसपी अथवा आईएसपी पर आगे किसी जलाशय की भराई की अनुमति नहीं दी जाए। राज्य सरकरों द्वारा शेष पर्यावरणीय सुरक्षा के उपायों के कार्यान्वयन हेतु समय अनुसूची सहित कार्य योजनाओं के सुझाव भी दिए गए हैं। तत्पश्चात् पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने अप्रैल तथा मई, 2011 के दौरान आयोजित अपनी बैठकों में इन योजनाओं पर विचार करके इन्हें स्वीकृति प्रदान की। यह योजनाएं अब कार्यान्वयनाधीन हैं।

[अनुवाद]

रक्षा बलों के लिए आयुर्वेद पद्धति

***60. श्री पी.सी. चाको:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा बलों के सदस्यों के लिए प्राधिकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आयुर्वेद को शामिल करने और इसके क्रियान्वयन हेतु कोई मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयुर्वेद पद्धति को उक्त योजना के अंतर्गत कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं। सरकार का सशस्त्र सेनाओं में भारतीय चिकित्सा प्रणाली शुरू किए जाने का प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाट समुदाय को ओबीसी सूची में डाला जाना

461. श्री रतन सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों में बसे जाट समुदाय के लोगों को राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की सूची में शामिल नहीं किया गया है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान के भरतपुर तथा धौलपुर क्षेत्रों में जाट समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में जाट समुदाय के समावेशन संबंधी अनुरोध पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1997 में विचार किया गया था। आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, राजस्थान और धौलपुर जिलों को छोड़कर) के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जाट जाति/समुदाय के समावेशन की अनुशंसा की थी और तद्नुसार, भारत का राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड-1, संख्या 241 दिनांक 27.10.1999 में अधिसूचना जारी की थी।

(ग) से (ङ) भरतपुर और धौलपुर जिलों की जाट जाति/समुदाय को राजस्थान के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। जब भी जाट जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए, उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया गया हैं

[अनुवाद]

अवतार परियोजना की स्थिति

462. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित की जा रही एयरोबिक वेहिकल फॉर हाइपरसोनिक एयरोस्पेस ट्रांस्पोर्टेशन (अवतार) परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ख) परीक्षण के लिए प्रथम प्रोटोटाइप के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथाविकास संगठन में एक वैज्ञानिक समूह ने व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया था। तथापि, इस परियोजना में हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरोबिक विमान का प्रोटोटाइप बनाने और उसकी उड़ान वरीक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं था।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्ति

463. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के भिवन्डी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान वर्ष-वार तथा भिवन्डी सहित राज्य-वार कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(ग) देश में बेरोजगार व्यक्तियों को सरकार द्वारा भत्ते की कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार देश में भिवंडी महाराष्ट्र राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों की संख्या, 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 401.72 लाख एवं लगभग 27.35 लाख थी।

(ख) 2009, 2010 और 2011 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया राज्य-वार नियोजन संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को दिए गए बेरोजगारी भत्ते के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं। भारत सरकार अति लघु, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से और स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(पीएमईजीपी), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन से रोजगार उत्पन्न करने का सतत प्रयास करती रही है।

विवरण I

2009, 2010 और 2011 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए राज्य-वार नियोजन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियोजन		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.0	0.9	0.8
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0
3.	असम	2.9	0.6	3.1
4.	बिहार	4.0	3.2	2.3
5.	छत्तीसगढ़	1.5	2.2	0.9
6.	दिल्ली	@	4.1	0.2
7.	गोवा	1.8	1.8	1.4
8.	गुजरात	153.5	202.8	223.9
9.	हरियाणा	1.8	5.	6.9
10.	हिमाचल प्रदेश	0.3	1.1	3.2
11.	जम्मू और कश्मीर	0.5	1.7	1.3
12.	झारखंड	2.7	12.5	8.7
13.	कर्नाटक	1.3	2.0	2.1
14.	केरल	14.2	11.5	13.5
15.	मध्य प्रदेश	5.2	9.0	6.6
16.	महाराष्ट्र	23.9	207.3	165.6
17.	मणिपुर	@	0.6	@
18.	मेघालय	0.1	0.0	@
19.	मिजोरम	0.0	0.0	0.0
20.	नागालैंड	0.1	0.0	@
21.	ओडिशा	4.8	5.4	2.9

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	1.7	2.1	3.2
23.	राजस्थान	4.7	0.8	1.1
24.	सिक्किम*			
25.	तमिलनाडु	16.4	17.4	11.2
26.	त्रिपुरा	0.7	0.7	0.9
27.	उत्तरांचल	5.5	1.3	1.1
28.	उत्तराखंड	6.4	7.2	5.6
29.	पश्चिम बंगाल	2.6	2.5	3.0
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	0.3	0.1
31.	चण्डीगढ़	2.2	0.0	0.2
32.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	0.0
33.	दमन और दीव	0.0	0.0	0.0
34.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
35.	पुदुचेरी	1.3	0.5	0.1
	कुल	261.5	509.6	469.9

टिप्पणी:@ आंकड़े 50 से कम।

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण योग मेल न खाए।

विवरण II

राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष	उन व्यक्तियों की श्रेणी, जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है	निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी अर्हताएं	बेरोजगारी भत्ते की दर प्रति माह
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	2010	शिक्षित बेरोजगार युवक	मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक (10+2) पुरुष एवं महिला आवेदक	100/- रुपये
				10+2 एवं उससे अधिक (विज्ञान के बिना)	500/- रुपये
				10+2 (विज्ञान सहित)	750/- रुपये
				10+2 एवं उससे अधिक (महिला आवेदन)	900/- रुपये

1	2	3	4	5	6
				स्नातक एवं उससे अधिक, विज्ञान के बिना (पुरुष आवेदक)	750/- रुपये
				स्नातक एवं उससे अधिक, विज्ञान के साथ (पुरुष आवेदक)	1000/- रुपये
				स्नातक एवं उससे अधिक (महिला आवेदक)	1500/- रुपये
2.	केरल	2010	बेरोजगार युवा	अ.जा./अ.ज.जा. विकलांग पंजीयक	120/- रुपये
3.	जम्मू और कश्मीर	2010	मैट्रिक परन्तु 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं		600/- रुपये
			10+2		650/- रुपये
			10+2	अतिरिक्त कौशल आधारित अर्हता जैसे आईटीआई एवं अन्य समकक्ष अर्हता	700/- रुपये
			10+2	जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेकनीक संस्थान से तीन वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष अतिरिक्त व्यावसायिक अर्हता (मान्यता प्राप्त) हैं।	850/- रुपये
			स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर से कम		1000/- रुपये
			कम्प्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, चिकित्सीय स्नातक स्तर एवं समकक्ष		1200/- रुपये
4.	तमिलनाडु	2010	लगातार पांच वर्ष या इससे	एसएसएलसी अनुत्तीर्ण	100/- रुपये
			अधिक अवधि के लिए	एसएसएलसी	150/- रुपये
			रोजगार कार्यालयों में	एचएससी	200/- रुपये
			पंजीकृत समर्थ शरीर वाले व्यक्ति आवेदकों के लिए बेरोजगारी सहायता योजना	उपाधि	300/- रुपये
			रोजगार कार्यालय में पंजीकृत	एसएसएलसी और इससे कम	300/- रुपये
			विभिन्न प्रकार के योग्य	एचएससी	375/- रुपये
			आवेदकों हेतु बेरोजगारी सहायता योजना	उपाधि	450/- रुपये

1	2	3	4	5	6
			जो एक वर्ष से कम अवधि के लिए न हो		
			रोजगार कार्यालय में पंजीकृत	एसएसएलसी और कम	300/- रुपये
			दृष्टि संबंधी विकलांग	एचएससी	375/- रुपये
			आवेदकों हेतु बेरोजगारी राहत योजना जो एक वर्ष से कम की अवधि के लिए न हो	उपाधि	450/- रुपये
5.	छत्तीसगढ़ (रायपुर)	2010	यह योजना उन अभ्यर्थियों के लिए खुली है जो अ.जा, अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य जैसी सभी श्रेणियों से संबंधित हैं, जो निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करते हों:–	न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक पास	500/- रुपये
			1. परिवारों की सर्वेक्षण सूची में शामिल परिवार का सदस्य, जो गरीबी रेखा से नीचे आता है		
			2. जो न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्हता प्राप्त हो।		
			3. न्यूनतम दो वर्ष के लिए रोजगार कार्यालय में चालू पंजीकरण।		
6.	पंजाब (चंडीगढ़)	2010	बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों	मैट्रिक/पूर्वस्नातक	150/- रुपये प्रति माह
			की सभी श्रेणियां	स्नातक और उससे अधिक	200/- रुपये प्रति माह
			दृष्टिहीन, बधिर एवं व्यक्ति	मैट्रिक/पूर्वस्नातक	450/- रुपये प्रति माह
				स्नातक और उससे अधिक	600/- रुपये प्रति
			अस्थि संबंधी विकलांग व्यक्ति	मैट्रिक/पूर्वस्नातक	225/- रुपये प्रति माह
				स्नातक एवं उससे अधिक	300/- रुपये प्रति माह
7.	त्रिपुरा	2010	100% दृष्टिहीन	कक्षा VIII	1000/- रुपये प्रति माह

यमुना जल संबंधी रिपोर्ट

464. श्री मानिक टैगोर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुना नदी के जल की सफाई के संबंध में एक रिपोट्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'एण्ड क्वाइट फ्लो द मैली यमुना' रिट याचिका (सी) 725/1994 के मामले में अपने दिनांक 27.02.2012 के आदेश में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आगरा तक जल के नमूने लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया था।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मामले में एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसके साथ "हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आगरा तक यमुना नदी की जल गुणवत्ता की रिपोर्ट" नामक एक रिपोर्ट संलग्न है।

टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट

465. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनियों के लागत आधारित पेट्रोलियम उत्पादों का अध्ययन करने के लिए गठित टैरिफ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल एवं गैस की लागत का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय अपस्ट्रीम तेल कंपनियों का लागत मूल्यांकन अध्ययन टैरिफ कमिशन को संदर्भित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) टैरिफ आयोग ने व्यय विभाग के आदेश पर अध्ययन किया था और 4 जनवरी, 2012 को उस विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई थी। 13 जून, 2012 को रिपोर्ट की एक प्रति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी भेजी गई। अध्ययन में पता चला कि आयात-निर्यात परिदृश्य में परिवर्तन को देखते हुए मौजूदा पद्धति में संशोधन करने की आवश्यकता है। अध्ययन में सुझाई गई पद्धति से मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल के मामले में कम वसूली नहीं हुई। तथापि एलपीजी और विशेष मिट्टी के तेल के लिए कम वसूली में काफी कमी आई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) टैरिफ आयोग ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की वास्तविक उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए ओएनजीसी ओर ओआईएल जैसी राष्ट्रीय तेल और गैस उत्पादन कंपनियों का इसी प्रकार का लागत आधारित अध्ययन करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सहमति मांगी है।

ठेका/नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति

466. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के अन्तर्गत कार्यरत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं और वे किस-किस स्थान पर स्थित हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनमें नियुक्त ठेका/नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) ये मजदूर किन क्षेत्रों/नौकरियों में नियुक्त किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें नियमित किया गया;

(घ) इन कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई थी कि ठेकेदारों तथा अन्य लोगों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन न किया जाए; और

(च) ठेकेदारों तथा अन्य लोगों द्वारा उल्लंघन तथा इनके विरुद्ध शिकायतों के मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम और स्थानों को शामिल करने वाली सूची विवरण-I में दी गई है।

ठेका श्रमिकों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों द्वारा शामिल किया जाता है और ठेका श्रमिकों के नियोजन का ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नैमित्तिक तथा ठेका श्रमिकों को उनकी ठेका संबंधी शर्तों और आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है तथा केन्द्रीय तौर पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा लगाए गए ठेका श्रमिकों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	ऐसे लाइसेंसों के तहत आने वाले ठेका श्रमिकों की संख्या
2009-10	13.73 लाख
2010-11	14.89 लाख
2011-12*	13.07 लाख

*अनंतिम

(ख) किसी प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य, प्रक्रिया अथवा काम में ठेका श्रमिकों को लगाया जा सकता है यदि वह कार्य, प्रक्रिया अथवा काम सरकार द्वारा उस विशेष प्रतिष्ठान में अधिसूचना के माध्यम से प्रतिषिद्ध न किया गया हो।

(ग) केन्द्रीय रूप में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठेका श्रमिकों के संबंध में लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा ऐसी शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है तथा कार्रवाई की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ठेका कामगारों के सामाजिक सुरक्षा संबंधी तथ्यों को क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित किया जाता है बशर्ते कि जिन प्रतिष्ठानों में बाहर से लगाए गए कामगार कार्य कर रहे हैं वे उक्त अधिनियमों के दायरे में आते हों।

(च) अभियोजनों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गयी 84 अधिसूचनाओं द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया है। विगत तीन वर्षों के दौरान ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत चलाए गए अभियोजनों और दोषसिद्धि व्यक्तियों/नियोजकों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

1. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम लिमिटेड, कानपुर-208016 (उत्तर प्रदेश)
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली-110003
3. अखिल भारतीय चार्टर्स लिमिटेड, मुम्बई-400021
4. एअरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली-110037
5. एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर-560231
6. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, मुबई-400021
7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर-744102 अंडमान
8. असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी-781001
9. अकालतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली-110001
10. एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई-400021
11. एन्टण्यू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता-700001
12. बामन लॉरी एण्ड कम्पनी, पश्चिम बंगाल
13. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता-700013
14. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद-500058
15. भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटैड, बंगलौर-560045
16. भारत संसार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110001
17. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड, कोलकाता-700071
18. बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता-700027
19. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता-700043
20. भारत भारती उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता-700027
21. ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर-208001 (उत्तर प्रदेश)
22. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद-211010 (उत्तर प्रदेश)
23. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली-110049
24. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापट्नम-530012

25. भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश-203203

26. भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, स्टील सिटी-827004, झारखंड

27. ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलिमर लिमिटेड, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

28. भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई-400001

29. बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता-700001

30. बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता-700088

31. ब्रहमपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड, नोएडा-201301

32. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, मुम्बई-400005

33. भारत बैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना-800001

34. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद, झारखण्ड

35. बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर-560027

36. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया (लिमिटेड, नई दिल्ली-110002)

37. ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जैसोप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता-700001

38. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता-700001

39. बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, गुडगांव-122016

40. भारत पैट्रो रिसोर्सज लिमिटेड, भारत भवन, मुम्बई-400038

41. भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

42. भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेडीपीए, भारत भवन, मुम्बई-400038

43. बीईएल औप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड, बंगलौर-560045

44. बोकारो कोडरमा मैथोन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

45. सीमेन्ट कार्पोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

46. सैंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची-834001 (झारखण्ड)

47. सैंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता-700001

48. सैंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद-201010 (उत्तर प्रदेश)

49. सैंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

50. सैंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची-834031

51. सैंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसेज कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110016

52. सैंट्रल वेयरहाउसेज कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-160016

53. चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई-600018

54. सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली-110066

55. कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला भवन, कोलकाता-700001

56. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन-682015

57. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110076

58. कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई-400614

59. कोस्टल कनार्टक पावर लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

60. कोस्टल महाराष्ट्र मेधा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

61. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

62. क्रेडा एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड, मुम्बई-400020

63. ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्नम-530035

64. डेकीकेटिड फ्रेट कोरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

65. दोनई पोलो अशोक कार्पोरेशन लिमिटेड, अरूणाचल प्रदेश

66. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंक्टोरिया, बर्दवान-713333 (पश्चिम बंगाल)

67. ईस्ट-नॉर्थ इंटरकनेक्शन कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

68. एजुकेशनल कंसलटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

69. इलैक्टॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद-500062

70. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110066

71. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली-110003

72. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई-600001

73. एक्सपोर्ट क्रैडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई-400021

74. फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, भिलाई-490001

75. फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

76. एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर (राजस्थान)

77. एफएसीटी लिमिटेड कोची, केरल

78. भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली-110001

79. फ्रैश एण्ड हैल्दी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली-110076

80. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता-700024

81. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडिगामा, गोवा-7403802

82. गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली-110066

83. गेल गैस लिमिटेड, नई दिल्ली-110066

84. घोगरपल्ली इंटीग्रेटड पावर कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

85. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर-560001

86. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

87. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता-700001

88. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्नम्-530005

89. हाउसिंग एण्ड अर्बन डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

90. हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता-700001

91. हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

92. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता-700019

93. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई-400020

64. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

96. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल-686616

97. हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110015

98. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू. कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड-643005

99. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता-700022

100. हिन्दुस्तान फ्ल्यूरोकार्बन्स लिमिटेड, हैदराबाद

101. हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर-302017

102. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बंगलौर-560032

103. एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम-695012

104 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे-411018

105. एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी भवन, बंगलौर-560032

106. एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, हैदराबाद-500040

107. एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, श्रीनगर-190012 (जम्मू एवं कश्मीर)

108. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर-560032 (कर्नाटक)

109. एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर-560032

110. हैंडीक्राट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

111. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता-700020 (पश्चिम बंगाल)

112. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिक्ल्स लिमिटेड, मुम्बई-400002

113. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता-700016

114. होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110037

115. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची-834004

116. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव-122016

117. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड-244715

118. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110049

119. इंडियन ऑयल टैक्नोलॉजीज लिमिटेड, फरीदाबाद-121007 (हरियाणा)

120. आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर-560016

121. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

122. इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली-110001

123. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली-110017

124. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा-324005

125. इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्व लिमिटेड, कोटा-324005

126. इंस्ट्रूमेंटेशन डिजिटल कंट्रोल लिमिटेड, कोटा-324005

127. आईएल पावर इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कोटा-324005

128. इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

129. इंडियन रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

130. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवेल्पमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

131. इंडिया टूरिज्म डिवेल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

132. इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई-400028

133. आईडीपीएल कम्प्लैक्स, गुडगांव-122016

134. इंडियन वैक्सीन कार्पोरेशन लिमिटेड

135. आईएएल एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई-400021 (महाराष्ट्र)

136. जम्मू और कश्मीर डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू-140004

137. झारखंड इंटीग्रेटिड, नई दिल्ली-110001

138. जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-700087

139. कनार्टक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर-560010

140. कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

141. कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, बंगलौर-560001

142. कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई-400614

143. केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर-560034 (कर्नाटक)

144. कुमारकृपा फ्रंटियर्स होटल्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

145. एमपी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल-462003

146. मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई-600068

147. मजगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई-400010

148. महानदी कोल्डफील्ड्स लिमिटेड, सम्भलपुर-768020 (उड़ीसा)

149. एमओआईएल लिमिटेड (मैग्नीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड), नागपुर-440013

150. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर-442401 (महाराष्ट्र)

151. मुम्बई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई-400020

153. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर-440006 (महाराष्ट्र)

155. मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, मंगलौर-575030

156. मैकॉन लिमिटेड, रांची-834002 (झारखण्ड)

157. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

158. एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता-700020

159. मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड, मुंम्बई-400006

160. नेशनल हैंडीकैप्ट फाइनेंस एण्ड डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, फरीदाबाद-121007

161. नेशनल माइनोरिटीज डिवेल्पमेंट एण्ड फाइलेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली-110092

162. नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली-110048

163. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड, नागालैण्ड

164. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110019

165. नेशनल शीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली-110012

166. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई-400018

167. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

168. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली-110092

169. राष्ट्रीय अजजा वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली-110066

170. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110020

171. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

172. नेशनल बीसी फाइलेंस एण्ड डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली-110016

173. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम-785699

174. एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल-462013

175. एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

176. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली--110048

177. एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

178. एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड, नोएडा-201301

179. एनटीपीसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, नोएडा-201301

180. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

181. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु

182. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ-226001

183. नेपा लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

184. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

185. राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता-700001

186. एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद-500028

187. नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर-751007

188. नेशनल इनफोमेटिक्स सैंटर सर्विसेज इंक, नई दिल्ली-110066

189. नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई-400021

190. नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश-486889

191. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता-700032

192. नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी-781021

193. उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी-781005

194. न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई-400094

195. नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

196. एनटीसी तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड, तमिलनाडु

197. ऑयल इंडिया लिमिटेड, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

198. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

199. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

200. उड़ीसा ड्रग्ज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, भुवनेश्वर-751010

201. उड़ीसा इंटीग्रेटिड पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

202. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

203. पीईसी लिमिटेड, हंसालय, नई दिल्ली-110001

204. पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी-605014

205. पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली-110001

206. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुडगांव-122001 (हरियाणा)

207. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

208. प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेल्पमेंट इंडिया लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

209. पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड, चंडीगढ़ (पंजाब)

210. आरआईटीईएस लिमिटेड, गुडगांव-122001

211. रेल टेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

212. रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110066

213. रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची-834002

214. राजस्थान ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जयपुर-302013

215. राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, जयपुर-302016

216. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

217. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

218. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली--110003

219. आरसीएफ लिमिटेड, मुम्बई-40002

220. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्नम-53031

221. रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डस (1972) लिमिटेड, मुम्बई-400008

222. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश-171009

223. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ-226008 (उत्तर प्रदेश)

224. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड माइनिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

225. स्पंज आइरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद-500028

226. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

227. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़)

228. एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर-560096

229. स्टेट फार्मस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-1100019

230. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली-110003

231. सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर-302017

232. सेतजुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई-600001

233. शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई-400021

234. साखीबगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

235. तमिलनाडु ट्रेड प्रामोशन आर्गेनाइजेंशन, चेन्नई-600089

236. टिहरी हाइड्रो डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन लिमिटैड, ऋषिकेश-249001 (उत्तराखण्ड)

237. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110048

239. तुंगभ्रदा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध-583225 (कर्नाटक राज्य)

240. टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता-700087 (पश्चिम बंगाल)

241. उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुरी-752001

242. यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड-832102

243. विगन्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तारिकेरे-577228 (कर्नाटक)

244. वेपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

245. वेस्टर्न केालफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर-440001

246. नीपको लिमिटेड, शिलांग-793003 (मेघालय)

विवरण II

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन), अधिनियम, 1970

क्र.सं.	ब्यौरे	2008-2009	2009-2010	2010-11	2011-12*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6925	9428	7327	3886
2.	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	3573	5181	4908	2451
3.	दोषसिद्धि व्यक्ति				

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	ब्यौरे	2008-2009	2009-2010	2010-11	2011-12*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	15671	14720	16780	8842
2.	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	4631	4382	5950	4497
3.	निपटाए गए दावा मामलों की संख्या	2237	2046	1964	1591

3. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 धारा (47, 48 और 49) के अंतर्गत

क्र.सं.	ब्यौरे	2008-2009	2009-2010	2010-11	2011-12*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2651	3036	2657	1220
2.	प्राप्त अभियोजन प्रस्तावों की संख्या	705	670	922	330
3.	संस्वीकृत अभियोजन प्रस्तावों की संख्या	680	622	894	324
4.	न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना	Rs. 1,18,450/-	Rs. 1,28,600/-	Rs. 2,13,800/-	Rs. 49,500/-

दोषसिद्धि व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	ब्यौरे	2008-2009	2009-2010	2010-11
1.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	3585	3415	4459
2.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996	680	622	894
3.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970	738	2318	1528

सड़क परियोजनाओं पर इक्विटी

467. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010-11 में सौंपी गई सड़क परियोजनाओं के संबंध में इक्विटी पर औसत आमदनी के वर्ष 2009 से पहले संविदा पर दी गई परियोजनाओं के 6 से 8 प्रतिशत कम होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) निर्माण-प्रचालन-अंतरण (बीओटी) परियोजनाओं के मामले में प्रदत्त परियोजनाओं में वाणिज्य जोखिम रियायतग्राही का होता है और प्राइवेट रियायतग्राहियों को प्रदत्त ऐसी सड़क परियोजनाओं पर इक्विटी के औसत प्रतिफल संबंधी कोई जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

राष्ट्रीय पेय के रूप में चाय

468. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित किए जाने पर केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में उत्पादित की जा रही कॉफी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सैनिक कल्याण बोर्ड

469. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) कितनी जिलों में सैनिक कल्याण बोर्ड स्थित हैं;

(ग) क्या कतिपय जिलों में ऐसे बोर्ड स्थापित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सैनिक कल्याण बोर्डों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गए तथा यह धनराशि किन योजनाओं पर व्यय की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस समय राजस्थान में, 1,77,630 भूतपूर्व सैनिक हैं।

(ख) राज्य में सभी जिलों को सैनिक कल्याण बोर्ड कवर करते हैं। जिन जिलों में जिला सैनिक कल्याण बोर्डों के कार्यालय नहीं है, उन्हें आस-पास के अथवा सबसे समीप जिले में के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा कवर किया जाता है। इस समय राजस्थान में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, श्रीलवाड़ा, बीकानेर, चुरु, जयपरु, जैसलमेर, झुनझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर जिलों में 19 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हैं।

(ग) और (घ) निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सामान्यत: उन जिलों में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाते हैं जिनमें भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की 7500 या उससे अधिक जनसंख्या निवास करती है।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सैनिक बोर्डों को उपलब्ध कराई गई योजनावार निधियां निम्नानुसार हैं:

क्रम	योजना का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	राज्य और जिला सैनिक कल्याण बोर्डों का रख-रखाव	200.88	117.88	314.51
2.	रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता	47.89	59.89	136.00
	राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं			
3.	राज्य सरकार द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यू-II पेंशन	720.00	893.00	893.00
4.	राज्य सरकार द्वारा मानदेय	747.00	738.00	728.00
5.	समामेलित निधि से छात्रवृत्तियां	5.45	9.20	12.40

[अनुवाद]

इको सिटी परियोजनाओं की शुरूआत

470. **डॉ. रत्ना डे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश में पर्यावरणीय सुधार लाने के लिए इको सिटी परियोजनाओं की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थान-वार परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) अभिज्ञान पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से पर्यावरण को बेहतर बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2002-03 में चुनिंदा शहरों/नगरों, नामशः तिरूपति (आंध्र प्रदेश), पुरी (उड़ीसा), उज्जैन (मध्य प्रदेश), कोट्टयम (केरल), तंजावुर (तमिलनाडु) और वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में इको सिटी स्कीम प्रारंभ की गई थी।

सीपीसीबी द्वारा, नगर-निगमों को अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए 50:50 लागत भागीदारी के आधार पर निधियां प्रदान की गई थीं। इस व्यवस्था में कुल बजट का 50% नगर निगमों द्वारा अपनी निजी निधियों से अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से दिया जाना था।

इस स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में तिरूपति, मध्य प्रदेश में उज्जैन और केरल में कोटट्टायम में सीमित सफलता देखी गई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) की सीमित क्षमताओं, सीपीसीबी, एसपीसीबी और नगर-निगमों के बीच समन्वय मुद्दों, तथा शहरी विकास के लिए अन्य स्कीमों जैसे जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की उपलब्धता को देखते हुए अक्टूबर, 2011 में सीपीसीबी की इको सिटी स्कीम को जनहित में बंद करने का निर्णय लिया गया था।

खनन प्रचालनों में कोटा

471. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए खनन प्रचालनों में कोटा आरक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी पद्धति क्या है; और

(ग) ऐसे कोटे के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) विद्यमान माईंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट, 1957 की धारा 17ए (ए) और 17ए (2) में पूर्वेक्षणी अथवा खनन प्रचालन कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों हेतु क्षेत्रों का आरक्षण किए जाने का प्रावधान किया है, जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है:

धारा 17ए(1ए) केन्द्रीय सरकार स्वयं के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी अथवा कॉरपोरेशन के जरिये पूर्वेक्षणी अथवा खनन प्रचालन कार्य करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किसी भी क्षेत्र को जोकि पूर्व में किसी पूर्वेक्षणी लाइसेंस अथवा खनन लीज के तहत न रखा गया हो, आरक्षित कर सकती है और जहां भी वह ऐसा प्रस्तावित करती है इसके किसी भी क्षेत्र को जोकि पूर्व में किसी पूर्वेक्षणी लाइसेंस अथवा खनन लीज के तहत न रखा गया हो, आरक्षित कर सकती है और जहां भी वह ऐसा प्रस्तावित करती है इसके लिए वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस क्षेत्र की सीमाओं को और खनिज पदार्थ अथवा खनिज पदार्थों को जिनके लिए क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा, स्पष्ट करेगी।

धारा 17ए(2) राज्य सरकार स्वयं के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी अथवा कॉरपोरेशन के जरिये पूर्वेक्षणी अथवा खनन प्रचालन कार्य करने के लिए राज्य लीज के तहत न रखा गया हो, आरक्षित कर सकती है और जहां भी वह ऐसा प्रस्तावित करती है इसके लिए वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस क्षेत्र की सीमाओं को और खनिज पदार्थ अथवा खनिज पदार्थों का जिनके लिए क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा, स्पष्ट करेगी।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में अन्वेषण और खनन कार्य हेतु क्षेत्र का आरक्षण करने के प्रस्ताव जब भी प्राप्त होते हैं तो उन पर खान मंत्रालय द्वारा विचार मामला दर मामला आधार पर संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है।

पहाड़ियों में युद्ध करने हेतु नया कोर

472. **श्री के सुगुमार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए अनुमानित खतरों से निपटने के लिए पहाड़ियों में युद्ध करने हेतु नया आक्रामक कोर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अधिक सतर्क यूनिटों के सृजन की बढ़ती मांग को देखते हुए रक्षा बजट को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सेना का आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन एक गतिशील और सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो संक्रियात्मक आवश्यकताओं और खतरे की अवधारणा पर आधारित है। चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षमता संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। इसको सुकर बनाने के लिए आवश्यक बजटीय सहायता इष्टतम रूप से सुनिश्चित की जाती है।

कपास का निर्यात

473. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
श्री मनोहर तिरकी:
श्री नरहरि महतो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या कपास के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कपास पर इस प्रतिबंध का कृषि मंत्रालय तथा गुजरात सहित कई राज्य सरकारों द्वारा विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कपास के निर्यात पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितना समय लगने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पत्तनों का उन्नयन

474. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **पोतपरिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य की तट रेखा को देखते हुए मुम्बई पत्तन पर भार को कम करने के लिए कांडला पत्तन के अलावा गुजरात के किसी अन्य पत्तन को उन्नत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कांडला को छोड़कर, गुजरात राज्य में कोई अन्य महापत्तन नहीं है। गुजरात राज्य में गैर-महापत्तन राज्य सरकार/गुजरात समुद्रीय बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

छात्रावासों का निर्माण

475. **श्रीमती कमला देवी पटले:**
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने/छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में निर्मित छात्रावासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आज की तारीख तक केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों के कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" (बीजेआरसीवाई) के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। बीजेआरसीवाई के अंतर्गत छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान राज्यों को स्वीकृत किए गए छात्रावासों की संख्या संलग्न विवरण-I पर दी गई है। मंत्रालय "राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना" का कार्यान्वयन नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय की "अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों के सभी तरह से पूर्ण प्रस्तावों पर निधियां उपलब्ध होने पर उसी वित्त वर्ष में विचार यिका जाता है और अनुमोदित किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावासों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	4
3.	बिहार	12
4.	छत्तीसगढ़	3
5.	हरियाणा	3
6.	हिमाचल प्रदेश	5
7.	कर्नाटक	3
8.	केरल	4
9.	मध्य प्रदेश	15
10.	महाराष्ट्र	46
11.	पंजाब	2
12.	राजस्थान	36
13.	उत्तर प्रदेश	7
14.	उत्तराखंड	1
15.	पश्चिम बंगाल	16
16.	पुदुचेरी	2
	कुल	162

विवरण II

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10 में जारी केन्द्रीय सहायता	2010-11 में जारी केन्द्रीय सहायता	2011-12 में जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21182.31	57023.48	64360.00
2.	असम	1014.99	504.99	1310.00
3.	बिहार	1000.00	3472.07	5714.75
4.	छत्तीसगढ़	0.00	1207.79	4601.07

1	2	3	4	5
5.	गोवा	0.00	18.05	6.26
6.	गुजरात	2741.34	5560.09	3599.08
7.	हरियाणा	6962.57	3600.00	13702.47
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	500.00
9.	जम्मू और कश्मीर	150.00	100.00	359.05
10.	झारखंड	514.74	100.00	1045.93
11.	कर्नाटक	11819.35	15718.32	11224.99
12.	केरल	3200.00	2400.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	3653.86	6721.19	15311.66
14.	महाराष्ट्र	13400.00	28161.01	45339.90
15.	मणिपुर	185.70	100.00	397.98
16.	मेघालय	0.00	0.00	14.30
17.	ओडिशा	0.00	2697.51	3974.64
18.	पंजाब	0.00	5814.58	5095.92
19.	राजस्थान	5397.72	3900.00	2982.32
20.	सिक्किम	1.00	16.56	31.91
21.	तमिलनाडु	5369.97	17847.60	14338.38
22.	त्रिपुरा	410.16	498.25	1171.82
23.	उत्तर प्रदेश	19967.13	49804.19	50537.24
24.	उत्तराखंड	789.70	2155.15	3376.54
25.	पश्चिम बंगाल	3835.67	2200.00	20738.22
26.	दमन और दीव	0.00	0.00	15.01
27.	दिल्ली	0.00	0.00	979.40
28.	पुदुचेरी	0.00	100.00	405.60
	कुल	101596.21	209720.83	271134.44

[अनुवाद]

चाय की खेती

476. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से हरित चाय की खेती के उन्नयन तथा राज्य के चाय उत्पादकों एवं किसानों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 26 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 86 के लिए धनराशि

477. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग 26 तथा 86 के उन्नयन एवं मरम्मत के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी तथा खर्च की गई;

(ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब तक पूर्ण किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) निधि राज्य/परियोजनावार जारी की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार। तथापि, विगत तीनों वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रारा-26 और रारा-86 के उन्नयन और मरम्मत पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित:

(करोड़ रु. में)

रारा सं.	2009-10	2010-11	2011-11	2012-13 (30.6.2012 तक)
रारा-26	321.59	328.40	286.00	27.10
रारा-86	14.81	10.16	45.42	46.64

(ख) रारा-26 पर 7 कार्यों में से एक कार्य पूरा हो चुका है, दो कार्य काफी हद तक पूरे हो चुके हैं और शेष चार कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इसी प्रकार रारा-86 पर 11 कार्यों में से पांच कार्य पूरे हो चुके हैं, और शेष छह कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) मंत्रालय में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े एशिया पेसीफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की एशिया पेसीफिक सड़क दुर्घटना डाटा बेस परियोजना के अनुरूप विकसित फारमेट में संकलित किए जाते हैं। इस फारमेट में सड़क दुर्घटनाओं के राष्ट्रीय राजमार्गवार विशिष्ट आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है जिसमें शामिल हैं-जागरूकता संवर्धन, सड़ सुरक्षा सूचना डाटा बेस स्थापित करना, कुशल परिवहन के प्रयोग सहित सुरक्षित सड़क संरचना को प्रोत्साहित किया जाना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियों और का गठन किया जाना। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा को आयोजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के चुनिंदा खंडों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण किया जाना वाहनों के सुरक्षा मानकों का प्रवर्तन किया जाना, सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रकार अभियान चलाया जाना आदि।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए का अहमदाबाद-बामनबोर खण्ड

478. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए के अहमदाबाद-बामनबोर खण्ड को छह लेन का करने हेतु गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को संस्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू/पूर्ण होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेरीटाइम एजेन्डा

479. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2010-2020 के लिए मेरीटाइम एजेन्डा वैश्विक पोत निर्माण में भारत के हिस्से को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने के उद्देश्य से जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस एजेन्डा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विकसित किए जाने वाले प्रमुख पत्तनों के नाम क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) समुद्री एजेंडा का लक्ष्य भारतीय समुद्री क्षेत्र को वास्तविक तौर पर विश्व के प्रमुख समुद्री देशों के बीच ले आना है। उपर्युक्त एजेंडा इस बात को मानता है कि कुछ ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय समुद्री क्षेत्र को एक साथ कई किस्म के हस्तक्षेपों की जरूरत है जो कि देश की आर्थिक प्रगति के साथ जुड़े हैं। एजेंडा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) लगभग 2500 एमटी कार्गो की संभलाई के लिए वर्ष 2020 तक 3200 एमटी की पत्तन क्षमता का सृजन करना।

ii) विश्व में सर्वश्रेष्ठ के समकक्ष पत्तन निष्पादन में सुधार करना।

iii) भारतीय पताका के साथ-साथ भारतीय नियंत्रण के अंतर्गत टनभार बढ़ाना।

iv) तटीय नौवहन को बढ़ाना और बाधा रहित बहुरीत्यात्मक परिवहन को सुकर बनाना।

v) वैश्विक पोत निर्माण में भारत के हिस्से को बढ़ाकर 5% करना।

vi) कार्गो संचलन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देना।

vii) वर्ष 2015 तक भारतीय नाविकों की संख्या को बढ़ाकर वैश्विक संख्या को बढ़ाकर वैश्विक संख्या के 9% तक करना और इस स्तर को कायम रखना।

(ग) समुद्री एजेंडा में देश के सभी महापत्तनों के विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं।

भेषज क्षेत्र में एफडीआई

480. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आटोमेटिक रूट के माध्यम से भेषज क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भेषज में एफडीआई पर प्रतिबंध लगाने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण को देखते हुए औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पेटेन्टिड औषधियां बनाने के लिए स्थानीय भेषज निर्माताओं को अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 10.04.2012 को जारी 'समेकित एफडीआई नीति-2012 का परिपत्र 1' में शामिल किए गए अनुसार मौजूदा एफडीआई नीति में औषधीय क्षेत्र में केवल ग्रीनफील्ड निवेदशों के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

(ख) औषधीय क्षेत्र में ब्राऊनफील्ड निवेशों (अर्थात मौजूदा कंपनियों में निवेश) के लिए एफडीआई को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय औषधीय कंपनियों के हाल ही के अधिग्रहण से उत्पन्न चिन्ताओं के कारण सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत रखा गया है।

हाथियों की गणना

481. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय हाथी गणना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) देश में हाथियों की संख्या की राष्ट्रव्यापी गणना 5 वर्ष के अन्तराल पर की जाती है जो पिछली बार 2007-08 में की गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी हाथी रेंज वाले राज्यों में हाथियों की गणना की जा रही है। चूंकि हाथी लम्बी रेंज वाले पशु हैं, इसलिए राष्ट्रव्यापी गणना एक रेंज में सभी राज्यों में, सभी पड़ोसी राज्यों के साथ गणना कार्य को समन्वित करके, एक साथ ही जाती है।

[हिन्दी]

वस्त्र पार्क

482. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ओडिशा तथा तमिलनाडु सहित देश में अधिक वस्त्र पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या ऐसे पार्क खोलने के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठत।

[अनुवाद]

विशेष बलों का आधुनिकीकरण

483. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना की काफी समय से प्रतिक्षित अपने विशेष बलों को आधुनिक बनाने संबंधी परियोजना सुचारू रूप से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित भारी बजट का अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस बजट को प्रभावी रूप से उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) विशेष बलों को दिए गए उपस्करों का विवरण उजागर करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) विशेष बलों के लिए कोई अलग से बजट नहीं होता है।

तसर/ईरी रेशम का उत्पादन

484. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर राज्यों में तसर और ईरा किस्म के रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड वान्य रेशम की सभी तीन किस्मों-तसर, इरी और मूगा कि विकास के लिए विशिष्ट राज्यों के सभी क्षेत्रों में अपेक्षित सहायता प्रदान करता है।

(ख) तसर और इरी खाद्य पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 11वीं योजना अवधि के दौरान देश के केन्द्रीय और पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से 'केन्द्रीय उत्प्रेरक विकास योजना' (सीडीपी) नामक केन्द्रीय परिवर्तित योजना कार्यान्वित की थी। सीडीपी के अंतर्गत परिकल्पित संघटक तसर एवं इरी पादप पौधों का विकास और विस्तार, फार्म एवं कोया पश्च अवसंरचना का विकास, रेशम में रिलींग एवं प्रोसेसिंग प्रौद्यागिकियों का उन्नयन, उद्यम विकास कार्यक्रम, विस्तार एवं प्रचार आदि के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है।

समूह विकास कार्यक्रम के तहत समूह अप्रोच के माध्यम से विशेष रेशम उत्पादन परियोजनाएं भी कार्यान्वित की गई थीं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में वान्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से संयुक्त रूप से 10 समूह (7 तसर+3

इरी समूह) विकसित किए गए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	विकसित समूहों की सं.		समूहों के स्थान
	तसर	ईरी	
मणिपुर	2	-	सेनापथी, चर्चांदापुर
उत्तराखंड	1	-	भागेश्वर
हिमाचल प्रदेश	1	-	मंडी/कुल्लु
ओडिशा	2	-	नुगांव एवं पल्लाहेश
छत्तीसगढ़	1	-	बस्तर
असम	-	1	उदलगांव (बीटीसी)
नागालैंड	-	1	दीमापुर
उत्तर प्रदेश	-	1	फतेहपुर
कुल	7	3	

[हिन्दी]

वेज़ बोर्ड रिपोर्ट

485. **श्री मनोहर तिरकी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पत्रकारों और गैर-पत्रकारों हेतु वेज बोर्ड द्वारा अधिसूचित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सिफारिशों को लागू करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सिफारिशों को कब तक लागू किए जान की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) पत्रकारों और गैर-पत्रकारों हेतु वेज बोर्ड द्वारा अधिसूचित सिफारिशों का ब्यौरा श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.nick.in में डाल दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने एबीपी प्राइवेट लिमिटेड एवं एएनआर बनाम भारत सरकार तथा अन्य के मामले में 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 246 के निष्कर्ष के अध्यधीन का.आ. संख्या 2532 (अ) दिनांक 11/11/2011 द्वारा मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशें अधिसूचित कर दी थीं। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्र उद्योग के भिन्न-भिन्न नियोजकों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 10 अन्य रिट याचिकाएं भी दायर कर दी गई हैं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्रियान्वयन के संबंध में कोई भी स्थगन नहीं दिया है।

वेतन बोर्डों की सिफारिशों के क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। तदनुसार, अधिसूचना की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित की गयी थी। मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से बार-बार यह अनुरोध किया है कि वेतन बोडों की सिफारिशों का शीघ्र और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन संबंधी प्रगति की निगरानी के लिए विशेष प्रकोष्ठों का सृजन किया जाए, त्रिपक्षीय अनुवीक्षण समिति गठित की जाए तथा राज्य के श्रम प्रवर्तन तंत्र की गति तें तेजी लायी जाए। अधिसूचना के क्रियान्वयन के अनुवीक्षण के उद्देश्य से केन्द्रीय स्तर की एक अनुवीक्षण समिति भी गठित की गयी है। अब तक किसी भी राज्य से सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

इस अवस्था में यह बता पाना संभव नहीं है कि वेतन बोर्डों की सिफारिशें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

आतंकवाद फैलाने हेतु धनराशि

486. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना मुख्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार कार्य कर रहे अनेक आतंकवादी संगठन देश में आतंकवाद फैलाने के लिए हवाला के माध्यम से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में धनराशि भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने क लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में सक्रिय मिलिटेंट/आतंकवादियों को उनके विदेश, विशेष रूप से पाकिस्तान आधारित संगठनों से भी तीसरे देश के रास्ते धन मुहैया कराया जाता है। पिछले कई वर्षों से भारत में आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने का विख्यात जरिया जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) हैं।

(ग) सरकार ने देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या बढ़ाना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केन्द्रों की स्थापना, सही समय पर साथ-साथ होकर 24×7 आधार पर काम करने हेतु बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ बनाना, अन्य आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान तथा कारगर सीमा प्रबंधन। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दण्डात्मक उपायों को सुदृढ़ किए जाने हेतु जाने हेतु विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1976 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जांच करने और दोषों के अभियोजन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए का गठन किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कतिपय दोषों को शामिल किया जा सके। सरकार सीमापार से आतंकवाद तथा इसके वित्त पोषण के मुद्दों को विभिन्न बहुस्तरीय तथा द्विपक्षीय मंत्री तथा बहहुस्तरीय और द्विपक्षीय वार्ताओं में भी उठाती रही है।)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर खरड़ से कुराली तक के खंड को चार लेन का बनाना

487. **श्री रवनीत सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर खरड़ से कुराली तक के खंड को चार लेन का बनाने हेतु परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को अनुमति प्रदान करने में विलंब होने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राष्ट्रीय मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) रारा-21 के चंडीगढ़ से कुराली (खरड़ से कुराली सहित) तक लगभग 39 कि.मी. खंड को बीओटी आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तदनुसार परियोजना तैयार करने की सलाह दी गई है।

आधुनिक वैज्ञानिक कार्यविधियों के प्रयोग का रोजगार पर प्रभाव

488. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योगों में आधुनिक वैज्ञानिक कार्यविधियों के प्रयोग से मौजूदा श्रमिकों और भावी रोजगार की संभावनाओं को खतरा है जिससे श्रमिकों की आवश्यकता कम होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस खतरे को संज्ञान में लिया है; और

(ग) यदि हां, तो एक ओर मौजूदा श्रमिकों को बचाने और वहीं दूसरी ओर श्रमिकों की भर्ती हेतु संभावित क्षेत्रों का विकास करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, नैसकॉम ने यह सूचित किया है कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुप्रयोग को उपयोग में लाने से सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिक समर्थित सेवा (आईटी/आईटीईएस) उद्योग में श्रमिकों एवं भावी रोजगार की संभावनाओं में कमी नहीं आई है। इसके अनुप्रयोग अनुप्रयोग के उपयोग से आईटी/आईटीईएस उद्योग या अन्य किसी क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। वास्तव में, कार्यबल में लगातार वृद्धि हो रही है जो वर्ष 1999-2000 में 39. 7 करोड़ से बढ़कर 2004-05 कमें 45.9 करोड़ और 2009-10 में 46.5 करोड़ हो गया है।

एजेटी हॉक की सुपुर्दगी

489. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हॉक-132 उन्नत जेट ट्रेनर की समय-सीमा के अंदर सुपुर्दगी करने में हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सक्षम नहीं होने से भारतीय वायु सेना के लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय-सीमा के अंदर सुपुर्दगी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) और (ख) हॉक एमके-132 एडवांस जेट प्रशिक्षक विमान को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में 2008 में एक लड़ाकू प्रशिक्षक विमान के रूप में किरन एमके-II/मिग-21 स्थान पर प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से अधिष्ठापित किया गया था। विदेशी विनिर्माताओं से खराब अवययों, जिग्स तथा उपकरणों की प्राप्ति के कारण जिस पर 6.5 मिलियिन जीबीपी की परिनिर्धारित हानि लगायी गई थी। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक की

आपूर्ति में विलंब को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010-11 के लिए हॉक द्वारा मूल प्रशिक्षण योजना को संशोधित किया गया था तथा भारतीय वायुसेना के पायटों को मिग-21 विमान पर प्रशिक्षित किया गया था।

(ग) भारतीय वायु सेना को हॉक एजेटी की आपूर्ति 2011-12 में पूरी हो चुकी है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

लघु वन उत्पाद हेतु एमएसपी

490. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो लघु वन उत्पाद हेतु एमएसपी निर्धारित किए जाने के पश्चात् कितने लोगों/जनजातियों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), लघु वन उत्पाद (एमईपी) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संचालन के लिए नोडल और प्रशासनिक मंत्रालय है और मंत्रालय ने अप्रैल, 2012 में "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) हेतु न्यूनतम समर्तीन मूल्य (एमएसपी) की शुरूआत" नामक एक स्कीम का प्रस्ताव किया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि 13 महत्वपूर्ण अभिज्ञात लघु वन उत्पादों हेतु एमएसपी स्कीम के एंचालन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में लघु वन उत्पाद हेतु केन्द्रीय कीमत निर्धारण आयोग का गठन किया जाए।

(ख) स्कीम के प्रस्ताव के अनुसार, लगभग 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका लघु वन उत्पादों के संग्रहण और विपणन से प्राप्त करते हैं। अत: यह स्कीम लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने वालों के लिए एक बड़ा सामाजिक लाभ होगी, जिनमें से अधिकांशत: आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी हैं।

(ग) एमएफपी हेतु एमएसपी शुरू करने की स्कीम के तौर-तरीके जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तय किये जा रहे हैं। इस स्कीम की शुरूआत 01.01.2013 से किया जाना प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

'बाघ आरक्षित-क्षेत्र के आस-पास सड़कों का निर्माण'

491. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बांग्लादेश की सीमा से लगे मिजोरम में एक बाघ आरक्षित क्षेत्र के साथ एक गश्ती सड़क बनाने हेतु अनुमति मांगने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा 13 जून, 2012 को हुई अपनी 25वीं बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे डम्पा बाघ रिजर्व मिजोरम में बाढ़ लगाने और गशती सड़क के नियंत्रण हेतु अनुमति लेने संबंधी संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया गया। स्थायी समिति ने संशोधित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा विचार किए जाने से पहले राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, मिजोरम राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई हेतु स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

गति नियंत्रक

492. श्री हंसराज गं अहीर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए उनमें गति नियंत्रक लगाया जाना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें गति नियंत्रक लगाया जाना अनिवार्य बना दिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन वाहनों की कतिपय श्रेणियों में स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रक यंत्र) अथवा गतिसीमा नियंत्रक को

लगाया जाना अनिवार्य किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

श्रम आयुक्तों द्वारा निरीक्षण

493. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने, निर्धारित से कम भुगतान करने और श्रमिकों को अन्य सुविधाओं से संबंधित अधिनियम के प्रवर्तन हेतु नियमित निरीक्षण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुपालन न किए जाने संबंधी पकड़े गए/चिन्हित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत राज्य-वार कितने मामले आरंभ किए गए; और

(घ) उपरोक्त मामलों की आज की तिथि के अनुसार क्या स्थिति है?

श्रम और राजेगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी हां।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के संबंध में मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के अधीन अधिकारियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों और पता चली अनियमितताओं तथा चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध चलाए गए अभियोजनों की संख्या का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2009-2010 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत किए गए क्षेत्र-वार निरीक्षण

क्रम सं.	क्षेत्र	किए गए निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताओं की संख्या				अभियोजनों की संख्या						दावें					
			प्रारंभ में	पता चली	सुधारी गईं	लंबित	प्रारंभ में	चलाए गए	दोषसिद्धियां		वापिस लिए गए	लंबित	प्रारंभ में	दायर कए	निर्णय		वापस लिए गए	लंबित
									प्राप्त हुए	निर्मोचन					पक्ष में	खिलाफ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अहमदाबाद	820	3171	12064	12675	2560	1697	207	58	0	0	1846	43	111	31	0	0	123
2.	अजमेर	1312	6629	9972	12864	3737	5702	251	285	11	0	5657	184	139	135	0	0	188
3.	आसनसोल	267	1268	1747	2209	806	2612	130	86	0	0	2656	35	158	58	0	0	135
4.	बंगलौर	1308	49515	13585	40549	22551	386	136	98	0	10	414	56	96	38	0	0	114
5.	भुवनेश्वर	1104	7550	8893	8698	7745	2701	470	60	0	0	3111	1700	192	130	0	0	1762
6.	चंडीगढ़	747	1709	8279	5634	4354	915	352	356	0	3	908	46	101	61	0	0	86
7.	चेन्नई	1261	5755	12826	11037	7544	672	173	138	0	0	707	6	53	29	0	0	30
8.	कोचिन	852	5145	10247	9627	5765	177	71	104	0	0	144	3	33	12	0	0	24
9.	देहरादून	367	2800	4929	5759	1970	1461	168	0	0	0	1629	75	187	103	0	0	159
10.	दिल्ली	495	3343	2316	2015	3644	1190	489	128	0	0	1551	47	213	110	0	0	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.	धनबाद	718	3791	5411	5603	3599	5977	362	71	0	0	6268	408	212	250	0	0	370
12.	गुवाहाटी	221	1472	4096	4851	717	1942	39	0	0	0	1981	29	10	16	0	0	23
13.	हैदराबाद	751	1143	11370	6676	5837	2737	1017	227	0	0	3527	126	206	223	0	0	109
14.	जलबपुर	761	3767	3394	3486	3675	3868	262	92	0	0	4038	112	208	150	5	0	165
15.	कानपुर	389	9393	4269	4390	9272	4105	92	134	0	0	4063	31	136	109	0	0	58
16.	कोलकाता	1176	9611	13281	12823	10069	1944	464	409	50	0	1949	116	89	106	0	0	99
17.	मुम्बई	1291	14884	11811	8306	18389	2367	380	118	0	0	2629	351	261	86	0	2	524
18.	नागपुर	578	6744	8806	10107	5443	3995	182	42	0	0	4135	63	130	127	4	0	62
19.	पटना	1121	2333	8455	3396	7392	3158	106	16	0	0	3248	274	146	121	0	0	299
20.	रायपुर	412	11708	5811	2520	14999	1722	248	918	1	0	1051	127	73	92	0	0	108

विवरण II

वर्ष 2010-2011 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत किए गए क्षेत्र-वार निरीक्षण

			अनियमितताओं की संख्या				अभियोजनों की संख्या						दावें					
क्रम सं.	क्षेत्र	किए गए निरीक्षणों की संख्या	प्रारंभ में	पता चली	सुधारी गई	लंबित	प्रारंभ में	चलाए गए	दोषसिद्धियां		वापिस लिए गए	लंबित	प्रारंभ में	दायर कए	निर्णय		वापसि लिए गए	लंबित
									प्राप्त हुए	निर्मोचन					पक्ष में	खिलाफ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अहमदाबाद	568	2560	6585	5848	3297	1846	119	46	0	0	1919	123	151	140	0	0	134
2.	अजमेर	1043	3737	8893	10094	2536	5657	162	721	0	0	5098	188	143	150	0	0	181
3.	आसनसोल	259	806	2107	1437	1476	2656	101	228	0	0	2529	135	73	158	3	0	50
4.	बंगलौर	1055	22551	10886	12444	20993	414	107	114	0	3	404	114	96	132	0	0	78
5.	भुवनेश्वर	1217	7745	9965	12431	5279	3111	468	455	0	0	3124	1762	231	223	0	0	1770
6.	चंडीगढ़	711	4354	7425	10584	1195	908	315	877	0	0	346	86	294	214	0	0	166
7.	चेन्नई	1332	7544	13085	12029	8600	707	279	193	0	0	793	30	73	59	0	1	43
8.	कोचिन	857	5765	9041	10898	3908	144	71	149	0	0	66	24	31	27	0	0	28
9.	देहरादून	441	1970	5605	4629	2946	1629	256	178	0	0	1707	159	151	185	0	0	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.	दिल्ली	566	3644	1973	2762	2855	1551	465	166	0	0	1850	150	114	152	0	0	112
11.	धनबाद	606	3599	5392	3090	5901	6268	316	203	0	0	6381	370	301	330	1	0	340
12.	गुवाहाटी	793	717	10948	5259	6406	1981	152	0	0	0	2133	23	96	29	0	0	90
13.	हैदराबाद	1364	5837	16472	18048	4261	3527	942	1454	0	0	3015	109	207	154	0	0	162
14.	जबलपुर	607	3675	5877	2884	6668	4038	200	86	8	0	4144	165	111	153	12	0	111
15.	कानपुर	604	9272	6915	7026	9161	4063	177	193	0	0	4047	58	117	137	0	0	38
16.	कोलकाता	1189	10069	10713	16756	4026	1949	892	824	10	0	2007	99	250	134	0	0	215
17.	मुंबई	1190	18389	10363	12229	16523	2629	284	37	0	0	2876	524	210	566	57	0	111
18.	नागपुर	743	5443	11337	10105	6675	4135	235	117	0	0	4253	62	192	169	2	0	83
19.	पटना	869	7392	6040	9423	4009	3248	265	25	0	0	3488	299	112	168	0	0	243
20.	रायपुर	766	14999	6106	5631	15474	1051	202	58	0	0	1195	108	138	119	0	0	127

विवरण III

वर्ष 2011-2012 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत किए गए क्षेत्र-वार निरीक्षण

क्रम सं.	क्षेत्र	किए गए निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताओं की संख्या				अभियोजनों की संख्या						दावें					
			प्रारंभ में	पता चली	सुधारी गईं	लंबित	प्रारंभ में	चलाए गए	दोषसिद्धियां		वापिस लिए गए	लंबित	प्रारंभ में	दायर कए	निर्णय		वापसि लिए गए	लंबित
									प्राप्त	निर्मोचन हुए					पक्ष में	खिलाफ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अहमदाबाद	533	3297	6268	5585	3980	1919	98	23	0	0	1994	134	133	125	0	0	142
2.	अजमेर	1279	2536	14357	11169	5724	5098	374	209	0	2	5261	181	227	264	2	0	142
3.	आसनसोल	258	1476	2024	2107	1393	2529	59	2	0	0	2586	50	112	79	3	0	80
4.	बंगलौर	857	20993	7964	8338	20619	404	62	85	0	3	378	78	88	94	0	0	72
5.	भुवनेश्वर	869	5279	7146	7298	5127	3124	289	466	0	0	2947	1770	209	171	2	0	1806
6.	चंडीगढ़	651	1195	4999	5270	924	346	279	372	0	0	253	166	105	169	0	0	102
7.	चेन्नई	1349	8600	14688	15984	7304	793	347	675	0	0	465	43	610	266	1	2	384
8.	कोचिन	920	3908	9112	8681	4339	66	82	62	0	0	86	28	37	28	3	0	34
9.	देहरादून	322	2946	4897	5321	2522	1707	256	263	0	0	1700	125	126	169	0	0	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.	दिल्ली	272	2855	1442	1852	2445	1850	220	270	0	0	1800	112	100	124	0	0	88
11.	धनबाद	551	5901	5331	2247	8985	6381	526	125	0	0	6782	340	475	293	2	0	520
12.	गुवाहाटी	819	6406	7985	5270	9121	2133	173	1	0	0	2305	90	80	33	3	2	132
13.	हैदराबाद	1115	4261	16076	18126	2211	3015	832	2965	0	1	881	162	187	277	2	1	69
14.	जबलपुर	586	6668	8070	7706	7032	4144	626	568	0	0	4202	111	142	179	16	0	58
15.	कानपुर	364	9161	6993	7885	8269	4047	266	371	0	0	3942	38	129	138	0	0	29
16.	कोलकाता	1216	4026	11038	10937	4127	2007	357	169	0	0	2195	215	201	67	0	0	349
17.	मुम्बई	1532	16523	13587	11987	18123	2876	271	86	0	0	3061	111	168	119	43	0	117
18.	नागपुर	733	6675	9197	6284	9588	4253	257	66	0	0	4444	83	197	199	0	0	81
19.	पटना	808	4009	4642	4379	4272	3488	379	0	0	0	3867	243	180	137	0	0	286
20.	रायपुर	238	15474	3027	10569	7932	1195	1184	38	0	0	2341	127	108	70	0	0	165

[हिन्दी]

'ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण'

494. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योगों का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के परिणाम के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के संबंध में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार उसने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं करवाया है। तथापि, वायु प्रदूषण के स्तर में, विशेष रूप से परिवेशी वायु में रेसपिरेबिल सस्पैंडिड पार्टिकुलेट मेटर (आरएसपीएम) के रूप में देश के अनेक क्षेत्रों में बढ़ता हुआ रूझान दिखाई दे रहा है। इसका कारण औद्योगिकीकरण है जिसमें जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ वर्तमान उद्योगों का विस्तार, वाहनों और डीजी सैटों की संख्या में वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, निर्माण कार्यकलाप और खेती के बाद बचे हुए अवशेष को जलाने सहित कृषि पद्धतियां शामिल हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के संबंध में जन-जागरूकता समय-समय पर इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट माध्यम द्वारा उत्पन्न की जाती है।

[अनुवाद]

'स्वीकृति मानदंडों का उल्लंघन'

495. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यावरणीय स्वीकृति के मानदंडों का उल्लंघन किए जाने की बढ़ती हुई घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उल्लंघनों को रोकने और राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां सौंपने के लिए कड़े नियम बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,

विकासात्मक परियोजनाओं हेतु उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद और विभिन्न सुरक्षोपायों का सुझाव देने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करता है। निर्धारित की गई पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के छह क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र कार्यालयों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा भी मॉनीटर किया जाता। मंजूरी संबंधी प्रतिमानकों के बढ़ते हुए उल्लंघन का कोई रूझान नहीं देखा गया है। तथापि, स्थल निरीक्षण के दौरान यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो चूककर्ता इकाइयों के विरुद्ध सुचित कार्रवाई आरंभ की जाती है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रतिमानकों का उल्लंघन किए जाने के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

'हाथी गलियारों की पुनर्स्थापना'

496. श्री सी. शिवासामी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों के अनुसार कर्नाटक में अधिकांश हाथी गलियारे खतरे में थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकास गतिविधियां, मानवीय बसावट, हाथी गलियारों को संकरा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेषज्ञों ने कर्नाटक में हाथी गलियारों की पुनर्स्थापना करने की सलाह दी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री जयंती नटराजन): (क) से (घ) माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डॉ. आर. सुकुमार, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर की अध्यक्षता में हाथी कोरीडोर से संबंधित मामलों सहित मानव-हाथी भिडंत से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हाथी कार्य बल का गठन किया है। इस संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कार्यबल को 06.09.2012 को या उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अभी तक कार्यबल द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ङ) और (च) का संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वन विभाग ने वर्तमान वन्यजीव पर्यावासों (संरक्षित क्षेत्र) के बीच कोरिडोर कनैक्टिविटी स्थापित करने के हित में अनेक कदम उठाए हैं जैसे बीआरटी बाघ रिजर्व और कोल्लिगत रिजर्व वनों के बीच चमाराजानगर जिले में, इन दो क्षेत्रों के बीच हाथी कोरिडोर करने के लिए 25.37 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना तथा कन्यनपुरा हाथी कोरिडोर के एक भाग के रूप में बांदीपुर बाघ रिजर्व से सटे हुए गुण्डलुपेट तालुक में 50.49 वर्ग कि.मी. को अधिसूचित किया जाना भी है।

[हिन्दी]

निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कर्मकारों का शोषण

497. श्री प्रदीप कुमार सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी सुरक्षा सेवा कंपनियां खुले-आम कर्मकारों और सुरक्षा गार्डों का शोषण कर रही हैं और इन कर्मकारों और गार्डों की भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में अनियमितताएं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन में लिप्त पाई गईं ऐसी कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसी दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर की गई निजी सुरक्षा सेवाओं/एजेंसियों द्वारा अपने कामगारों/सुरक्षा गार्डों के संबंध में भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा संबंधी बकायों को जमा कराने की सामान्य अनुपालना संतोषप्रद है। तथापि, कुछ मामलों में भविष्य निधि तथा कराबी बकायों के प्रेषण में अनियमतताएं पाई गई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II पर हैं।

(ग) ऐसे सभी उल्लंघन मामलों में आवश्यक जांच कराई गई हैं और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथा विहिन कार्रवाई की गई है।

विवरण I

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करती पाई जाने वाली निजी सुरक्षा सेवा कंपनियों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	कंपनियों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (09.08.2012 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	57	53	51	23
2.	बिहार	1	2	12	0
3.	छत्तीसगढ़	0	1	2	4
4.	दिल्ली	20	17	14	5
5.	गोवा	5	6	4	2
6.	गुजरात	39	31	27	15
7.	हरियाणा	27	28	16	09
8.	हिमाचल प्रदेश	5	6	0	0
9.	झारखंड	9	8	7	7
10.	कर्नाटक	47	45	52	18
11.	केरल	11	18	25	19
12.	मध्य प्रदेश	16	8	9	2
13.	महाराष्ट्र	28	37	15	11
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1	1	1	0
15.	ओडिशा	15	6	15	8
16.	पंजाब	14	9	14	7
17.	राजस्थान	24	37	35	8
18.	तमिलनाडु	75	111	86	30
19.	उत्तर प्रदेश	37	51	28	9
20.	उत्तरांचल	37	23	8	4
21.	पश्चिम बंगाल	20	10	11	4
	कुल	488	508	432	185

विवरण II

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का उल्लंघन करती पाई जाने वाली निजी सुरक्षा सेवा कंपनियों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	कंपनियों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (09.08.2012 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	बिहार	0	0	1	2
3.	छत्तीसगढ़	3	3	3	0
4.	दिल्ली	6	18	11	8
5.	गोवा	9	6	14	17
6.	गुजरात	75	84	54	130
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0	224	0	27
9.	झारखंड	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	0	1	5	0
11.	केरल	44	34	10	9
12.	मध्य प्रदेश	136	129	132	148
13.	महाराष्ट्र	46	93	77	80
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	10	17	15	16
15.	ओडिशा	0	0	0	0
16.	पंजाब	4	4	4	3
17.	राजस्थान	18	23	29	25
18.	तमिलनाडु	279	341	374	280
19.	उत्तर प्रदेश	35	31	14	15
20.	उत्तरांचल	0	0	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0
	कुल	666	1008	743	760

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

498. **श्री अर्जुनराम मेघवाल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या इन व्यापार मेलों के आयोजन का प्रयोजन सिद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेले में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए कोई स्टाल आरक्षित है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष रूप से कितने कारीगरों को स्टाल आवंटित किए गए;

(ङ) क्या व्यापार मेला आयोजन समिति को बिचौलियों द्वारा कारीगरों के नाम पर दुकानें आवंटित कराने और उनका दुरुपयोग किए जाने संबंधी शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो व्यापार मेला आयोजन समिति ने ऐसे कितने बिचौलियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन का प्रयोजन व्यापार एवं उद्योग जगत जिसमें लघु, मध्यम एवं बड़ी कम्पनियां शामिल हैं, को भारत तथा अन्य देशों के व्यवसाय जगत एवं उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों एवं सेवाओं के प्रदर्शन हेतु मंच उपलब्ध कराना है। यह मेला घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के लिए उत्प्रेरक और व्यवस्था एवं व्यापार के विस्तार हेतु मच के रूप में भी कार्य करता है।

(ख) जी, हां। 31 वर्षों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लगातार आयोजन से ये संकेत मिलता है कि इस मेले ने प्रदर्शनीकारों एवं दर्शकों में लोकप्रियता कायम की है।

(ग) जी, नहीं। सीएपीएआरटी, एमएसएमई, एनएसआईसी जैसे सरकारी संगठनों तथा विकास आयुक्त, हस्तशिल्प और राज्यों द्वारा मेले में दस्तकारों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा इन संगठनों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

एनजीओ को वित्तीय सहायता

499. **श्री अंजन कुमार एम. यादव:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न योजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित राज्य-वार कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एन.जी.ओ. के नाम क्या हैं जिन्हें समान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्य की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा का क्या परिणाम रहा; और

(च) वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाई गई एन.जी.ओ. के नाम क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रत्न और आभूषणों का निर्यात

500. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान रत्न और आभूषणों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रत्न और आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) डीजीसीआईएस के

अनुसार वर्ष 2010-11 में हुए 40,508.72 मिलियन अम. डॉलर के निर्यात की तुलना में 15.92% वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2011-12 (अ) के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात 46,956.95 मिलियन अम. डॉलर का रहा था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, केता-विक्रेता बैठकों के आयोजन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कई कदम उठाए हैं। सरकार ने रत्न एवं आभूषण के निर्यात के संवर्धन के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 में कई उपायों की भी घोषणा की है यथा-विनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनर्निर्यात हेतु खेप आधार पर हीरों के आयात की अनुमति देना, विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा निर्यात संवर्धन दौरों आदि के मामले में रत्न एवं आभूषण उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से लाने ले जाने की सीमा में वृद्धि।

एस.टी.सी. द्वारा निर्यात में अनियमितताएं

501. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2004-09 के दौरान राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत निर्यात में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को 725 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एसटीसी के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजकोष को हुई हानि की वसूली करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में सीवीसी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2004-09 के दौरान एसटीसी द्वारा संचालित निर्यात स्कीमों में भारत सरकार के राजकोष को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तथापि, वर्ष 2005-06 के दौरान एसटीसी मुम्बई, द्वारा क्रेडिट किंग इंश्योरेंस स्कीम (सीएलआईएस) शुरू की गयी ताकि संरचित वित्त पोषण में ऋण जोखिमों को कवर किया जा सके और विभिन्न मदों के निर्यात के लिए सहभागियों को ये सुविधा प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापार सहयोगियों द्वारा निर्यात किये जाने से पहले ही एक्जिम बैंक द्वारा एसटीसी को ऋण की मंजूरी दे दी गयी। एसटीसी के सहयोगी व्यापारियों द्वारा किया गया 1493 करोड़ रुपये का निर्यात प्रभावित हुआ था। निर्यात हेतु आगे की कार्रवाई के माध्यम से 768 करोड़ रुपये वसूल लिया गया था तथा शेष 725 करोड़ रुपये विदेशी खरीददारों से वसूल किया जाना है, जिसमें से एसटीसी का संबंध 397 करोड़ रुपयों से है।

(ग) से (ङ) जहां तक सीएलआईएस के अंतर्गत बकाया वसूली की बात है, एसटीसी द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक आपराधिक शिकायत दर्ज किया है जिसकी जांच चल रही है। व्यापार सहयोगियों के खिलाफ धन वसूली के लिए एसटीसी द्वारा शुरू की गयी कानूनी कार्यवाहियों में निगोसिएबल इंस्ट्रूटमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई, पूरी बकाया राशि की वसूली के लिए समरी सूट तथा याचिकाओं को समाप्त किया जाना शामिल है। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के अनुसार निर्यात हेतु आगे की कार्रवाई की अनुमति प्राप्त न किए जाने के लिए चूककर्ता एसोसिएट के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध भारतीय रिजर्व बैंक से किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार एसटीसी के सात अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

वस्तुओं का निर्यात

502. श्री कीर्ति आजाद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांशत: आयात और निर्यात की जा रही 100 महत्वपूर्ण मदों में से केवल 6 मदों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन मदों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात हेतु ऐसी मदों की संख्या बढ़ाए जाने की संभावना तलाशी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) संयुक्त राज्य की वेबसाइट http://comtrade.un.org/pb/commoditypagesnew.aspx?y=2010 के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयातित और निर्यातित अधिकतम शीर्ष 100 मदों में से 6 से अधिक मदों का निर्यात करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्थानांतरण और तैनाती नीति

503. **डॉ. संजय सिंहः**
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत परिवहन महानिदेशालय में तकनीकी अधिकारी के स्थानांतरण और पदस्थापना की कोई नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पोत परिवहन महानिदेशालय में तकनीकी अधिकारियों के लिए स्थानांतरण और पदस्थापना संबंधी नीति तैयार करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) नौवहन महानिदेशालय में तकनीकी कार्मिकों की अत्यधिक कमी के कारण, स्थानांतरण नीति को संचालित किया जाना संभव नहीं हो पाया है। फिर भी, नौवहन महानिदेशालय के कार्यालय में स्थानांतरण नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

'संरक्षा बल का गठन'

504. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सिफारिश पर कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिए 'विशेष बाघ' संरक्षा बलों का गठन किया गया है;

(ख) क्या एनटीसीए ने विशेष बाघ संरक्षा बल के लिए उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को चिह्नित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार बांदीपुर बाघ रिजर्व (कनार्टक), पेन्च बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र) और तदोबा-अन्धारी बाघ रिजर्व (महाराष्ट्र) में विशेष बाघ संरक्षा बल का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) बाघों की बहुलता और उनकी असुरक्षा की स्थिति के आधार पर, विशेष बाघ संरक्षा बल का गठन, सशस्त्रीकरण और तैनाती करने के लिए देश में 13 बाघ रिजर्वो का अभिनिर्धारण किया गया है जिनमें अन्य के साथ-साथ उत्तराखंड में कॉर्बेट बाघ रिजर्व भी शामिल है।

(घ) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व नहीं है, इसलिए उक्त राष्ट्रीय उद्यान का अभिनिर्धारण विशेष बाघ संरक्षा बल हेतु नहीं किया गया है।

(ङ) कॉर्बेट बाघ रिजर्व में विशेष बाघ संरक्षा बल का गठन, सशस्त्रीकरण और तैनाती करने हेतु उत्तराखंड सरकार को 93 लाख रु. की राशि जाशि जारी की गई है।

चाय का कम मूल्य

505. **श्री राजय्या सिरिसिल्लाः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में चाय के कम मूल्य से देश में हरी चाय के उत्पादकों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में स्थिरता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों बाजारों में चाय का मूल्य स्थिर एवं उत्फुल्ल रहा। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	चाय की कीमत (अम.डा./किग्रा.)				
	भारत	बांग्लादेश	श्रीलंका	इंडोनेशिया	केन्या
2009	2.18	1.98	3.15	1.80	2.29
2010	2.29	2.61	3.28	1.82	2.554
2011	2.23	2.14	3.25	1.97	2.72

(ग) चाय अधिनियम, के तहत चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश के तहत मूल्य साझा सूत्र अधिसूचित किया गया है ताकि हरी पत्ती उत्पादकों और फैक्टरी मालिकों के बीच (बनी चाय के) प्राप्त कीमत का समान बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके। मूल्य साझा तंत्र की निगरानी हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सात प्रमुख चाय उत्पादक जिलों में (पांच असम में और 2 पश्चिम बंगाल में) निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

सितम्बर, 2012 तक लघु उपजकर्ता निदेशालय के संचालित हो जाने की आशा है, जिसके बाद बोर्ड उपजकर्ताओं के करीबी संपर्क में होगा और चाय फैक्टरियों पर निगरानी रख सकेगा तथा मूल्य साक्षा तंत्र में पारदर्शिता भी ला सकेगा।

'हाथियों को अन्यत्र बसाना'

506. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिड़ियाघरों से अभयारण्यों के निकट बन शिविरों में हाथियों को बसाने के अपने आदेश, जिसका पूरे देश में चिड़ियाघरों के अनेक निदेशकों ने भारी विरोध किया था, की फिर से समीक्षा करने के लिए पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी घटनाओं का पता चला है;

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में राज्यों को क्या दिशा-निर्देश दिए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी हां। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों में हाथियों को उपलब्ध कराई गई आवास सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया है जिसमें हाथी, पशु कल्याण तथा वन्यजीवों के कल्याण एवं रक्षण तथा पुनर्वास संबंधी विशेषज्ञ शामिल हैं। ताकि हाथियों को चिड़ियाघरों से वन शिविरों में बसाने के मुद्दे पर आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।

(ख) और (ग) हैदराबाद, मैसूर, बंगलोर, त्रिवेन्द्रम, पुणे के निदेशकों और अन्य व्यक्तियों ने हाथियों को संबंधित चिड़ियाघरों में ही रखने दिए जाने का औचित्य सहित अनुरोध किया है।

(घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों में हाथियों में पुनर्वास के बारे में अपनाई जाने वाली सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डनों सहित पशु कल्याण कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, चिडियाघरों, वन विभाग के कार्मिकों को शामिल करते हैं' चिड़ियाघरों में हाथियों की देख-रेखा' पर स्टेकहोल्डरों की एक कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2009 के पत्र के माध्यम से जारी एडवायजरी के अनुसार चिड़ियाघरों को सलाह दी गई है कि वे हाथियों को पुनर्वास शिविरों/हाथी शिविरों/ विभागीय उपयोग हेतु राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभ्यारण्यों/बाघ रिजर्वों में वन विभाग के पास उपलब्ध सुविधाओं में रखें।

खुले बाजार में कैंटीन की वस्तुओं की बिक्री

507. श्री रूद्रमाधव रायः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में रक्षा कैंटीनों की शराब/ग्रासरी और अन्य वस्तुओं की खुले बाजार में बिक्री का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा कैंटीनों में केवल गुणवत्तापूर्ण/ब्रांडेड उत्पादों की ही बिक्री सुनिश्चित किए जाने के लिए समिति गठित करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कैंटीन से खुले बाजारों में शराब/ग्रासरी/अन्य वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए रसीदों तथा व्यय पर निगरानी रखने तथा प्रत्येक रक्षा कैंटीन के खातों की लेखा परीक्षा अनिवार्य करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा केन्टीनों के हकदार ग्राहकों को शराब/ग्रसरी वस्तुओं की बिक्री यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीनों के माध्यम से की जाती है। अनियमितताओं को रोकने के लिए गोपनीय पिन वाले (वैयक्तिक पहचान संख्या) स्मार्ट कार्ड जारी किये गए हैं ताकि केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सामानों की खरीद की अधिकतम मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई है जिसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। संबंधित कैंटीन के प्रशासनिक/सुरक्षा कर्मचारी द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है।

(ग) और (घ) कैन्टीन भंडार विभाग में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादों को सूचीबद्ध किया जाता है। कैन्टीन भंडार विभाग यह सुनिश्चित करता है कि केवल गुणवत्तायुक्त उत्पाद ही कैंटीन में मंगाए जाएं।

(ङ) यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीन की चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है।

'सतही जल की प्रदूषण समस्याओं पर नियंत्रण'

508. श्री जयराम पांगी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा और यमुना कार्य योजना के अंतर्गत के जल मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो गंगा और यमुना कार्य योजना के अंतर्गत लगाए गए एसटीपी की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे संयंत्रों को लगाने में कितनी लागत आई और इनके लिए जुटाई गई धनराशि का क्या स्रोत था और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना और बारहवीं पंचवर्षीय योजना और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक नदी के लिए कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार किसी योजना के अंतर्गत ऐसे संयंत्रों के लिए धनराशि प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार नदियों में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कोई विधान बनाने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) चूंकि गंगा और यमुना सहित नदियों में बढ़ते हुए कार्बनिक प्रदूषण का प्रमुख कारण विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा अनुपचारित और अंशत: उपचारित घरेलू बहिसाव है, अत: गंगा कार्य योजना (जीएपी) और यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अन्तर्गत कोर प्रदूषण उपशमन स्कीमों में से एक के रूप में विभिन्न अभिनिर्धारित नगरों में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) संस्थापित किए गए हैं। जीएपी औरवाईएपी का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में इन एसटीपी की संस्थापना में लगने वाली मंजूर की गई लागत 938.30 करोड़ रु. है। वाईएपी के लिए जापान इंटरनेशनल कॉआपरेशन एजेंसी ने ऋण सहायता प्रदान की है जबकि जीएपी के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार के योजना परिव्यय से किया जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अन्तर्गत 2372.76 करोड़ रु. की सीवेज तथा सीवरेज परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। एनजीआरबीए के अन्तर्गत स्कीमें भारत सरकार के साथ-साथ विश्व बैंक तथा जेआईसीए द्वारा निधियन से भी कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्यों के बीच स्थापित भागीदारी आधार पर किया जाता है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत, भारत सरकार ने एसटीपी की संस्थापना के अलावा विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों नामत: सीवेज का अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन, अल्प लागत शौचालय निर्माण, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह, नदी तटाग्र विकास कार्य को मंजूरी दी है। एनआरसीपी के अन्तर्गत इस समय 20 राज्यों में फैली हुई 40 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों से लगे 190 नगरों में प्रदूषण उपशमन कार्य किए जा रहे हैं।

(च) और (छ) नदी और अन्य निकायों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आवश्यक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत सीवेज उपचार संयंत्र

क्र.सं.	योजना/राज्य	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	सीवेज उपचार संयंत्र (संख्या)
1	2	3	4
	गंगा कार्य योजना चरण-I		
1.	उत्तर प्रदेश	102.25	13
2.	बिहार	15.14	7
3.	पश्चिम बंगाल	73.61	15
	कुल	191.00	35

1	2	3	4
गंगा कार्य योजना चरण-II			
1.	उत्तराखंड	46.69	10
2.	उत्तर प्रदेश	29.42	6
3.	बिहार	0.00	0
4.	झारखंड	0.00	0
5.	पश्चिम बंगाल	100.60	34
	कुल	176.71	49
यमुना कार्य योजना चरण-I एवं II			
1.	हरियाणा	110.67	17
2.	दिल्ली	84.07	9
3.	उत्तर प्रदेश	375.85	17
	कुल	570.59	43

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी सीवरेज एवं एसटीपी कार्यों परियोजनाओं के विवरण

क्र.सं.	योजना/राज्य	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	सीवेज उपचार संयंत्र (संख्या)
1.	उत्तराखंड	151.30	8
2.	उत्तर प्रदेश	1314.31	7
3.	बिहार	441.85	4
4.	झारखंड	0.00	0
5.	पश्चिम बंगाल	465.30	8
	कुल	2372.76	27

बुनकर सेवा केन्द्र

509. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत देश में बुनकर सेवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को मंजूर की गयी तथा उनके द्वारा उपयोग की गयी धनराशि कितनी है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में बुनकर सेवा केन्द्र संतोषप्रद ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो बुनकर सेवा केन्द्रों के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इस समय देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत मिजोरम, नागालैंड और झारखंड में एक-एक नए बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने का अनुमोदन किया है। बुनकर सेवा केन्द्रों को योजनेतर स्कीम के तहत सीधे की निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा स्वीकृत और उपयोग में लाई गई राज्य-वार निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि योजनेतर स्कीम के तहत निधियों के अपर्याप्त आबंटन के कारण बुनकर सेवा केन्द्रों के सामने मानवशक्ति की कमी, पुरानी मशीनरी और उपकरण, शराब अवसंरचना जैसी समस्याएं आ रही हैं। बुनकर सेवा केन्द्रों का सुधार करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के हथकरघा संबंधी कार्यदल ने बुनकर सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें सुदृढ़ बनाए जाने की सिफारिश की है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थित बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	बुनकर सेवा केन्द्र का स्थान	2011-12 आवंटित/ स्वीकृत निधि	2011-12 उपयोग की गई निधि
1	2	3	4
असम	गुवाहाटी	208.85	208.22
त्रिपुरा	अगरतला	118.11	117.15
मणिपुर	इम्फाल	103.2	102.85
पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	132.5	130.14
बिहार	भागलपुर	96.77	96.49

1	2	3	4
ओडिश	भुवनेश्वर	103.45	103
तमिलनाडु	चेन्नई	169.83	169.14
	सेलम	91.92	90.5
	कांचिपुरम	71.24	71.06
कर्नाटक	बंगलौर	115.24	114.16
केरल	कन्नूर	104.46	103.73
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	116.88	115.81
	हैदराबाद	141.76	141.34
दिल्ली	दिल्ली	239.96	237.31
उत्तर प्रदेश	मेरठ	100.56	99.9
	वाराणसी	144.26	144.01
उत्तराखण्ड	चमोली	57.29	56.01
हरियाणा	पानीपत	85.55	84.83
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	31.92	31.55
राजस्थान	जयपुर	125.94	125.32
महाराष्ट्र	मुम्बई	187.1	184.78
	नागपुर	106.87	105.24
गुजरात	अहमदाबाद	100.26	99.87
मध्य प्रदेश	इंदौर	83.00	80.73
छत्तीसगढ़	रायपुर	62.40	61.14
	योग	2899.32	2874.28

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना

510. **श्री एस. अलागिरी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के पायलट चरण के लिए चयनित 225 गांवों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु के कुड्डालोर-जिले में इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुड्डालोर सहित राज्य में लागू की जा रही इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) तमिलनाडु में "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित प्रायोगिक योजना के लिए चयनित 225 ग्रामों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्य को 45.225 करोड़ रुपये की पूर्ण ग्राह्य केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि इस योजना के अंतर्गत कुड्डालौर जिले में सभी 68 ग्रामों के लिए ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है तथा 13.67 करोड़ रुपये की राशि जिले को जारी कर दी गई है, जिसमें से योजना के तहत समाभिरूपता एवं "अन्तर पूर्ति" घटकों के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर मई, 2012 तक 13.35 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

विवरण

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित 225 की सूची:-

जिला	ब्लॉक	क्र.सं.	गांव
1	2	3	4
		1.	आदिपुडुचेरी
		2.	कडुवंगुडी
		3.	कलयाणमहादेवी
		4.	कल्याणसुन्द्रपुरम
		5.	करूप्पुर
		6.	कीलाकूथंगुडी
		7.	कुरुम्बेरी
		8.	नाडप्पुर
		9.	नाराणमंगलम
		10.	पल्लीवरामंगलम
		11.	पुडुपाथुर
		12.	राधानल्लूर
		13.	थंडालई

1	2	3	4
		14.	तिरुवथिवैमंगलम
		15.	थिरुकरावसाल
		16.	उमामाहेश्वरपुरम
		17.	वैपुर
		18.	वेप्पाथंगुडी
		19.	विन्जीपुर
	थिरूथुरैपूंडी	20.	पनईपुर
		21.	रायानल्लूर
		22.	कुन्नूर
		23.	कीराक्कालूर
		24.	नुनाक्काडु
		25.	मनाली
		26.	थिरुवलंजुली
		27.	अन्दनकरै
		28.	थिरुथंगूर
		29.	पलांगुडी
		30.	कोमल
		3.1	पूसालंगुडी
		32.	कीरलाथुर
		33.	ईझिलूर
		34.	पिचांकोट्टागम
		35.	मेलामराथुर
	मुथु पेट्टई	36.	पांडी
		37.	कालीकुडी
		38.	वांगानगर
		39.	मंगुडी
		40.	कुन्नालूर

1	2	3	4
		41.	मरुथवानम
		42.	थोली
		43.	कीलाम्मानकुरिची
	मन्नारकुडी	44.	चिथरैयुर
		45.	कक्कैयाडी
		46.	कीलामनाली
		47.	किलियानूर
		48.	मंचनवाडी
		49.	ओहैपेरैपुर
		50.	ओवरचेरी
		51.	पून्थलांगुडी
		52.	पूडुडेवनगुडी
		53.	सिथनाकुडी
		54.	थेनगोवानूर
		55.	तिरुरामेश्वरम
		56.	वाडापथिमंगलम
		57.	वेल्लाकुडी
		58.	वेंगरामंपेरैयुर
		59.	अकरैवट्टम
		50.	ओवरचेरी
		51.	पून्थलांगुडी
		52.	पूछुडेवनगुडी
		53.	सिथनाकुडी
		54.	थेनगोवानूर
		55.	तिरुरामेश्वरम
		56.	वाडापथिमंगलम
		57.	वेल्लाकुडी

1	2	3	4
		58.	वेंगरामंपेरैयुर
		59.	अकरैवट्टम
		60.	अलाथुर
		61.	अरावथयुर
		62.	कर्णावुर
		63.	कलुवथयुर
		64.	कुन्नीयुर
		65.	मनाकथंकोट्टगम
		66.	मूनामसेती
		67.	मुथलसेती
		68.	नालांसेती
		69.	नोक्कानुक्काडाई
		70.	पैन्गट्टूर
		71.	पमानी
		72.	रामापुरम
		73.	सवालाकरम
		74.	वट्टार
	नीडामंगलम	75.	अन्नावसाल
		76.	अरिचापुरम
		77.	अनुमंथपुरम
		78.	नगर
		79.	पलांगलाथुर
		80.	रिशियुर
		81.	सिथमपुर
		82.	वैयाकलाथुर
		83.	वडाक्कारवयाल
	कोट्टूर	84.	कुलमनिक्कम
		85.	मोवाट्टागुडी
		86.	पेरीयाकोथुर
		87.	कंडामंगलम
		88.	कुरुचिमूलाई-1
		89.	मालावरयानल्लूर
		90.	मारुवाल्लिक्कालप्पाल
		91.	नारायणपुरम कलप्पल
		92.	नेम्मेली
		93.	पल्लीवर्थी
		94.	पनईयुर
		95.	सिथामल्ली
		96.	सिथामल्ली
		97.	थेरकुन्नल्लूर
		98.	थिरुक्कालर
	कोराडाचेरी	99.	पेरुम्पुगलौर
		100.	तिरुपल्लीमुक्कोडा
		101.	अन्नावसल
		102.	अथिचोलामंगलम
		103.	डीनपगुडी
		104.	कमलापुरम
		105	करैयप्पालइयुर
		106.	कीरनगुडी
		107.	मेलाडीचमंडलम
		108.	मेलाथीरूमाधिक्कुलम
		109.	नलीलोन्नू
		110.	नट्टूवाकुडी
		111.	निक्कुपाई

1	2	3	4
		112.	थिट्टानीमुट्टम
		113.	थियागराजपुरम
		114.	विद्यापुरम
	कुडावसल	115.	थियागराजपुरम
		116.	मेलारमनसेठी
		117.	परिथियुर
		118.	थिरुकुडी
	नन्नीलम	119.	अचुदामंगलम
		120.	कुथूर
		121.	मुगिलकुडी
		122.	मुलगुडी
		123.	मुल्लमंगलम
		124.	नागाकुडी
		125.	नीलाकुडी
		126.	पन्डारावली
		127.	सिरूपुलयुर
		128.	सुराकुडी
		129.	उभयावेदांतापुरम
		130.	वंडमपलाई
		131.	वेलनगुडी
		132.	विशालूर
	वनंगैमन	133.	अरावथुर
		134.	अरावुर
		135.	अवालीवन्नालूर
		136.	इनमकिलियुर
		137.	कोथानूर
		138.	मडागारम
		139.	मानालूर

1	2	3	4
		140.	मनिकामंगलम
		141.	मनियुर
		142.	मनियुर
		142.	मरुवाथुर
		143.	नरथंगुडी
		144.	पडागचेरी
		145.	पप्पाकुडी
		146.	पायंथंचेरी
		147.	पेरुंगुडी
		148.	पुनईयिरुक्कू
		149.	पून्थोट्टन
		150.	पुलवारनाथम
		151.	राजेन्द्रनल्लूर
		152.	रेघुनाथपुरम
		153.	रेगूनाथपुरम
		154.	सारनाथम
		155.	थेंकूवालावेली
		156.	वीरानम
		157.	वेल्लूर
कुड्डालौर	कट्टूमन्नारकोयल	158.	आधानूर (मन्नागुडी)
		159.	अलिंजामंगलम
		160.	ईचमकुन्डी
		161.	कनट्टामपुलियुर
		162.	कीलाकडाम्बूर
		163.	कीलपुलियाम्पट्टूर
		164.	कोंडासमुद्रम
		165.	कोन्नामंगलम
		166.	कुप्पूनकुली

1	2	3	4
		167.	मेलाकमुडम्बूर
		168.	मेलराधाम्बूर
		168.	मेलराधाम्बूर
		169.	नगरापाड़ी
		170.	नट्टारमंगलम
		171.	रेड्डीयुर
		172.	सिरुकट्टूर
		173.	थोरापू
		174.	तिरुचिन्नापुरम
		175.	वानामादेवी
		176.	वीरानन्नालूर
		177.	अचईपुरम
		178.	कुचूर
		179.	थोंडामनाथम
		180.	वेल्लांपुंडी
		181.	ईय्यालूर
	कुमाराची	182.	सी. वक्कारामारी
		183.	कट्टूपुडालूर
		184.	वारागुर
		185.	अलकोंडानाथम
		186.	चिदम्बरा अरासूर
		187.	कुडुवेल्ली कवाडी
		188.	मन्नारकुलापुडी
		189.	नन्दीमंगलम
		190.	ओबियन्जीमेडी (मेय्याथूर)
		191.	नीवासल
		192.	ओडईयुर (मन्नाकुडी)
		193.	परिबिलागम
		194.	सोलाक्कुर
		195.	सुराविलन्डूर
		196.	थिम्मूर
		197.	थेरकुमनगुडी
		198.	थिरुनराईयुर
		199.	वाडामूर
		200.	कीजाथनगुडी
		201.	कोठावसाई
		202.	सिवाकम
		203.	पहल्लईआरथंगल
	कीरापलायम	204.	वक्कूर
		205.	वेलियाकुड़ी
		206.	विलागम
		207.	कलियामई
		208.	कुमारकुडी
		209.	मथुरेनगनालूर
		220.	मुड्डीकन्डानल्लूर
		211.	के. अडूर
		312.	मुगईयुर
		313.	पारादूर
		314.	साथमंगलम
		215.	पलंचेरनथंगुडी
		216.	टी. मनालूर
		217.	किल्लीयानूर
		218.	पन्नापट्टू
		219.	पेरुगलूर
		220.	सिरुगलूर
		221.	आयानूर अक्कारामंगलम
		222.	थारासूर
		223.	सेथीयुर
		224.	इन्नानगरम
		225.	देवनगुडी

'कोंकण के तटीय क्षेत्र का विकास'

511. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य में कोंकण के तटीय क्षेत्र में विकास के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन/मंजूरी हेतु किस तारीख से लंबित है;

(ग) क्या टंटनागिरी-सिंधुदुर्ग जिले से जुड़ी कोई योजना इस प्रस्ताव में शामिल की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रामलय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से कोंकण के तटीय क्षेत्र के विकास हेतु कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

रक्षा बलों के खरीद प्रस्ताव

512. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने युद्धपोतों के लिए सौ 30 मि.मी. बंदूकों की खरीद के लिए नौ सेना तथा तट रक्षकों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा अधिग्रहण परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 48000 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण के लिए "आवश्यकता की स्वीकार्यता" प्रदान की है।

इसके और आगे विवरण देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने नौसेना और तटरक्षक बल के लिए 30 मि.मी. की 118 नौसेना सरफेस गनों की अधिप्राप्ति के लिए "आवश्यकता की स्वीकार्यता" प्रदान की है।

[हिन्दी]

आवास पट्टा योजना

513. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) ने अपने विभिन्न इस्पात संयंत्रों में अपने कर्मचारियों के लिए आवास पट्टा योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जहां यह योजना प्रारंभ की गयी थी तथा कितने चरणों में इसे लागू किया गया है एवं संयंत्र-वार कितने आवासों को पट्टे पर दिया गया है तथा अब तक कितनी धनराशि अर्जित की गयी है;

(ग) क्या उक्त योजना का कोई चरण अभी भी लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में इस समय किसी आवास पट्टा योजना का प्रचालन नहीं किया जा रहा है। तथापि, 'सेल की कर्मचारियों को आवास पट्टा योजना-2001" 01 जून, 2001 और 31 दिसंबर, 2003 के बीच चरणबद्ध रूप में आरंभ की गई थी। जिन संयंत्रों/यूनिटों में यह स्कीम आरंभ की गई, उनका ब्यौरा और पट्टे पर दिए गए आवासों तथा अर्जित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

संयंत्र/यूनिट	पट्टे पर दिए गए आवासों की सख्या	प्राप्त धनराशि (करोड़ रुपए में)
भिलाई इस्पात संयंत्र	4500	124.4
बोकारो इस्पात संयंत्र	4773	137.6
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	5751	97.4
राउरकेला इस्पात संयंत्र	395	18.1
अलॉय इस्पात संयंत्र	1625	23.7
विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात संयंत्र	576	9.39
लोहा एवं इस्पात अनुसंधान और विकास केंद्र, रांची	127	4.3
सेलम इस्पात संयंत्र	118	4.21

(ग) और (घ) यह योजना 31.12.2003 को समाप्त हो गई थी।

बराक प्रक्षेपास्त्र की खरीद

514. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बराक प्रेक्षपास्त्र खरीद में अनियमितताओं की जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त अनियमितताओं में लिप्त पाए गए व्यक्तियों का जैसा कि हाल ही में पता चला है देश के रक्षा मंत्रालय एवं अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों के परिसरों में निर्बाध प्रवेश है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने तथा चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से बराक प्रक्षेपास्त्र की खरीद में तथाकथित अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है। निजी व्यक्तियों, मै. आईएआई इज़रायल कंपनी के अज्ञात कार्मिकों तथा रक्षा मंत्रालय के कार्मिकों के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 9.10.2006 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। केन्दीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय पक्ष की ओर की जांच पूरी कर ली है। तथापि, विदेशों को भेजे गए अनुरोध-पत्रों को अभी निष्पादित किया जाना है। रक्षा मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियमित किया गया है तथा विस्तृत सुरक्षा निर्देश विद्यमान हैं। इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है।

[अनुवाद]

सैनिकों को मियाद समाप्त हो चुकी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति

515. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना के सैनिकों को जैसाकि हाल ही में पता चला है कि 8 से 24 माह पहले मियाद समाप्त हो गयी खाद्य वस्तुएं दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैन्य प्रशिक्षण शिविरों में खाद्य भंडारण की समुचित सुविधा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सैनिकों को ताजा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूनिटों को ताजी खाद्य मदें आपूर्ति आपूर्ति डिपुओं द्वारा जारी की जाती हैं। यूनिटों (प्रशिक्षण कैंपों सहित) में भण्डारण तथा पकाने की उचित सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सैनिकों को ताजा खाना उपलब्ध कराती हैं। खाद्य सामग्रियों (राशन) की आपूर्ति में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार सैनिकों को उपलब्ध कराई जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व देती है।

चतुर्वेदी समिति

516. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में चतुर्वेदी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति के उद्देश्य क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) से (ग) 'राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियाजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित नीति-ढांचा एवं वित्तपोषण' के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तेज एवं शीघ्र विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए, सरकार ने कार्यक्रम संबंधी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का समाधान करने एवं वित्तीय आवश्यकताओं पर नजर रखते हुए सरकार के सड़क एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसमें श्री अशोक चावला, वित्त सचिव सहित श्रीमती सुषमा नाथ, व्यय सचिव, श्री ब्रह्म दत्त, सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) सदस्य तथा प्रधानमंत्री की संयुक्त सचिव, श्रीमती विनी महाजन सह-सदस्य थे।

महिला श्रमिकों की बढ़ती संख्या

517. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन दशकों में देश में महिला श्रमिकों की संख्या खतरनाक 7 प्रतिशत की दर से कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। 1983 और 2009-10 के दौरान राजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित इन सर्वेक्षणों के दो दौरों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर महिला श्रम बल भागीदारी दर 1983 में 29.5 से घटकर 2009-10 में 23.3 प्रतिशत रह गई है। महिला श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट के मुख्य कारण शिक्षा के उच्चतर स्तर में भागीदारी में वृद्धि और वास्तविक वेतन में वृद्धि के कारण आय के स्तर में वृद्धि हैं।

फ्लोराइड से प्रभावित विकलांग

518. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का फ्लूओरोसिस से पीड़ित लोगों को वित्तीय लाभ/पेंशन की सुविधा प्रदान करने तथा ऐसे लोगों को नि:शक्त के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनकी नि:शक्तता की आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार सीमा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर व्ययित धनराशि कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) अनन्य रूप से फ्लूओरोसिस जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार विकलांगता नहीं है, से पीड़ित लोगों को वित्तीय लाभ/पेंशन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यदि फ्लूओरोसिस के परिणामस्वरूप चलन संबंधी विकलांगता जैसी कोई विकलांगता उत्पन्न होती है तो संबंधित प्रभावित व्यक्ति संबंधित राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध पेंशन का पात्र होगा।

फ्लूओरोसिस के कारण विकलांगता की सीमा के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में फ्लूओरोसिस की समस्या को रोकने तथा नियंत्रित करने हेतु, सरकार ने 2008-09 से राष्ट्रीय फ्लूओरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) परियोजना आरंभ करने के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग के बेसलाईन सर्वेक्षण डाटा एकत्र करना, मूल्यांकन करना तथा उपयोग करना।

(ii) चुनिंदा क्षेत्रों में फ्लूओरोसिस का व्यापक प्रबंधन।

(iii) फ्लूओरोसिस मामलों की रोकथाम, निदान और प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण करना।

खाद्यान्नों के व्यापार में अनियमितताएं

519. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दलहन सहित खाद्यान्नों के निर्यात एवं आयात में अनियमितताओं की कुछ घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सामने आयी ऐसी अनियमितताओं की प्रकृति तथा ऐसी अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई राजस्व की कुल हानि वर्षवार क्या है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में दालों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए कुछ आयातकों ने बंदरगाहों से आयातित दालों को उठाने में तथाकथित रूप से देर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे आयातकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) ऐसी अनियमिताओं तथा शिकायतों पर निगरानी रखने हेतु बेहतर तंत्र सुनिश्चित करने के लिए तथा इस मामले में समय पर समुचित एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछल तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात और आयात में अनियमितताओं का कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दालों की बिक्री और वितरण संबंधी अपनी निष्पादन रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी खाते में दालों के आयात पर कुछ टिप्पणियां की हैं।

(ख) वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं नाफेड द्वारा सरकारी खाते में दालों का आयात (15% तक नुकसान की प्रतिपूर्ति की 31.3.2011 से बंद एक योजना के तहत) देश में दातों की मांग और उत्पादन के बीच अंतर को पाटने के लिए तथा कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता था। तथापि आयात एजेंसियों के नियंत्रण से बाहर के कुछ कारकों जिसमें दालों के अंतर्राष्ट्रीय दामों में बढ़ोतरी, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, दालों की लैंडेड लागत की तुलना में बढ़ोतरी, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, दालों की लैंडेड लागत की तुलना में कम बिक्री वसूली, वैश्विक मंदी आदि के कारण नुकसान 15% से अधिक हो जाता था। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के नुकसान के ब्यौरे इस प्रकार है:-

	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
पीईसी	2403509715	1638009125	369559321	4411076161
एमएमटीसी	97321394	1288550213	572904461	1958776068
एसटीसी	168783757	1869274678	731493335	2769551770
नाफेड	436383165	1728490581	59928063	2224801809

(ग) से (ङ) बंदरगाहों द्वारा मंजूदी में देरी, स्थानीय छुट्टीयों/परिवहन प्राधिकारों द्वारा हड़ताल और विविध पत्तनों पर भण्डारों का पता लगाने में कठिनाईयों के कारण भी कुछ विलम्ब होता है। स्थानीय प्लॉट क्वारन्टाइन प्राधिकरणों से भी मंजूरी मिलने में विलम्ब होती है। ये विलम्ब/अनियमिततायें आयात एजेंसियों के नियंत्रण के बाहर थीं। यद्यपि सरकार द्वारा दालों के आयात पर नियमित निगरानी रखी जा रही थी फिर भी दिनांक 31.3.2011 से इस स्कीम को बंद कर दिया गया है।

[हिन्दी]

झारखंड सीमा और रांची के बीच मार्ग

520. श्री यशवंत लागुरी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के क्योंझर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड स्थित झारखंड सीमा एवं रांची के बीच मार्ग को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथ अब तक उस पर कितना कार्य पूर्ण किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) ओडिशा और रांची में क्योंझर जिले से सटे हुए झारखंड सीमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 विस्तार है। मंत्रालय ने उक्त बार्डर और रांची के बीच लगभग 203 किमी लंबाई में से, 143 किमी लंबाई में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करने, 20 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 256. 00 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की है। सभी सड़क कार्यों का कार्य सौंप दिया गया। पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य निविदा स्तर पर है।

[अनुवाद]

आयात पर रोक

521. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपयोग किए गए तथा पहने हुए कपड़ों के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ औद्योगिक घराने अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके उन अन्य मदों जो आयात हेतु मुक्त हैं, के नाम पर उपयोग किए गए तथा पहने हुए कपड़ों का अवैध आयात करते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा अब तक दर्ज किए मुकदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पुराने वस्त्रों तथा अन्य पुरानी वस्तुओं का आयात विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत "प्रतिबंधित" है।

(ख) से (ङ) औद्योगिक घरानों के द्वारा इस्तेमाल किए हुए और पुराने वस्त्रों का अधिकारियों की मिलीभगत से गैर-कानूनी आयात का कोई मामला नजर में नहीं आता हे। तथापि, राजस्व विभाग (सीबीईसी) द्वारा प्राप्त ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2009-10 में 0.75 लाख रुपये के माल को जब्त करने का 1 मामला सामने आया था, वर्ष 2010-11 में 3.42 लाख रुपये का माल जब्त होने के 3 मामले सामने आए तथा वर्ष 2011-12 (जून 11 तक) में 179.05 लाख रुपये का माल जब्त होने के 2 मामले थे।

(च) राजस्व आसूचना महानिदेशालय सहित-शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को, प्रयुक्त और पुराने वस्त्रों के अवैध आयात के किसी प्रयास को निष्फल करने और रोकने के लिए संवेदनशील बनाया गया है।

सेना में महिला अधिकारी

522. श्री एन. चेलुवराया स्वामी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 14 वर्ष की सेवा करने के बाद भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों की तुलना में प्रदान रैंक क्या हैं;

(ख) अधिकारियों की समानता के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर उनके लिंग के आधार पर विभिन्न मापदंड के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भारतीय सेना में महिलाओं को अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में भर्ती किया जाता है। अल्पकालिक सेना कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित सभी अधिकारी 13 वर्ष की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूरी करने के बाद यथा लागू वरिष्ठता के समायोजन के उपरांत बिना किसी लिंग-भेद के लेफ्टिनेंट कर्नल का स्थायी रैंक धारण करने के लिए पात्र हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में वस्त्र उद्योग का हिस्सा

523. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में वस्त्र उद्योग के हिस्से का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या बिहार में वस्त्र उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिहार में किन-किन स्थानों पर वस्त्र महाविद्यालय स्थित हैं;

(घ) क्या सरकार का बिहार में नए वस्त्र महाविद्यालय खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त महाविद्यालयों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी नहीं।

(ख) बिहार में वस्त्र उद्योग की योजनाओं के ब्यौरे और उनके अधीन मिलने वाले प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

(1) **हथकरघा क्षेत्र:**

भारत हथकरघा गणना (2009-10) के अनुसार देश में 43. 31 लाख हथकरघा बुनकर हैं जिनमें से 0.43 लाख बिहार राज्य में स्थित हैं जो केवल 0.99% है। हथकरघा उत्पादन के राज्य-बार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय बिहार राज्य सहित देश में निम्नलिखित विकासात्मक एवं कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना:

(ii) विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना;

(iii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना;

(iv) मिल गेट मूल्य योजना;

(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना; तथा

(vi) हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार, सुधार तथा पुनर्गठन पैकेज।

11वीं योजना के दौरान , एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत बिहार को 651 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। विपणन

और निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए बिहार को 0.52 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी। हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के अंतर्गत 3.99 करोड़ रु. के दावों का निपटारा किया गया है। बिहार में बुनकरों को मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत 13.77 करोड़ रु. के यार्न की आपूर्ति की गई थी।

(2) **रेशम क्षेत्र:** रेशम क्षेत्र के अंतर्गत बिहार में रेशम उत्पादन कार्यकलापों को बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने राज्य रेशम उत्पादन विभाग के सहयोग से 11वीं योजना अवधि के दौरान "उत्प्रेरक विकास योजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की है। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार को रेशम उद्योग के स्टेकहोल्डरों को सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के अंतरण हेतु सीडीपी एक विशिष्ट एवं कारगर साधन है। सीडीपी के अंतर्गत संघटकों में होस्ट प्लान्टेशन, फार्मों के विकास और कोया पश्च अवसंरचना का विकास, रेशम में रीलिंग एवं प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकियों के उन्नय, उद्यम विकास कार्यक्रम, विस्तार और प्रचार आदि के लिए सहायता का प्रावधान है। सीडीपी के इन संघटकों से रेशम उद्योग के अंतर्गत पर्याप्त रोजगार का सृजन हुआ है। रेशम उत्पादन कार्यकलापों के लिए बिहार सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार और सीएसबी द्वारा प्रस्तावों के आधार पर बिहार राज्य के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान सीडीपी के अंतर्गत सीएसबी द्वारा प्रदान की गई वर्ष-वार वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	राशि (लाख रु.)
2007-08	शून्य
2008-09	43.00
2009-10	171.32
2010-11	384.32
2011-12	357.76
कुल	957.30

चूंकि उपर्युक्त सीडीपी योजना 12वीं योजना अवधि में भी बिहार में जारी रखी जा रही है, इसलिए बिहार सरकार ने 12वीं योजना के पहले वर्ष (2012713) के लिए सीडीपी के अंतर्गत 347.50 लाख रु. की वित्तीय सहायता मांगने के लिए सीएसबी को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसके स्थान पर शीर्ष मानीटरिंग समिति (एससी) ने 2012-13 के लिए बिहार के लिए 285.60 लाख रु. जारी करने की सिफारिश की है और स्वीकृति दी है।

(3) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएसए): वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुकर बनाने की दृष्टि से सरकार ने 01.04.1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, जिसे बाद में 31.03.2007 तक बढ़ा दिया गया था। वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) आरंभ की थी। यह योजना परिवर्तित रूप से 01.04.2007 से 28.06.2012 तक जारी रही। यह योजना 28.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के लिए पुनर्गठित रूप में पुन: आरंभ की गई है और उपलब्ध सीमा प्राप्त करने के अध्यधीन 2012-13 में जारी है। बिहार राज्य तथा संपूर्ण भारत में उपलब्ध टीयूएफए लाभों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

टीयूएफएस 5% आईआर (फार्म-3) के अंतर्गत जारी वर्ष-वार/राज्य-वार सब्सिडी

(करोड़ रु. में)

राज्य/संघ	2010-11		2011-12	
शासित क्षेत्र	आवेदनों की संख्या	राशि	आवेदनों की संख्या	राशि
बिहार	1	0.18	1	0.06
संपूर्ण भारत				
कुल	14972	2753.59	9279	2893.94

(4) बिहार तथा भारत में कपास/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें:

वस्त्र मिलों की संख्या (30.06.2012 की स्थिति के अनुसार)

(संख्या)

मद	बिहार	संपूर्ण भारत
कपास/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर-एसएसआई)* (30.06.2012 की स्थिति के अनुसार)	6	3299
विद्युतचालित करघों की संख्या (31.03.2012 की स्थिति अनुसार)	2894	2298377
2011-12 के दौरान यार्न का उत्पादन (अनन्तिम)	शून्य	4372 कि.ग्राम.

*ये सभी छ: मिलें बंद हैं। इसलिए बिहार राज्य के किसी स्पन यार्न उत्पादन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) बिहार, पटना में वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी केन्द्र है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सैन्यकर्मियों के लिए विशेष पोशाक

524. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियाचिन/करगिल में तैनात सैन्यकर्मियों के लिए अधिकांश विशेष पोशाक विदेश से आयात किए जा रहे हैं जिनमें मांग करने के समय से आपूर्ति तक लगभग 32 माह तक लगभग जाते हैं जिससे सैन्यकर्मियों को भारी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अत्यधिक विलंब को कम करने के लिए इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सियाचिन/करगिल जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य कार्मिक विशेष पोषाक और पर्वतारोहण के साजो-सामान के लिए प्राधिकृत हैं। कुल 55 मदों में से 36 सामान स्वदेशी तौर पर खरीदे जाते हैं और केवल 19 मदों का ही आयात किया जाता है। इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संपूर्ण शक्तियों सहित सेना मुख्यालय के मास्टर जनरल ऑफ आर्डिनेंस (एमजीओ) की अध्यक्षता में एक सक्षम समिति कार्यरत है। किसी भी अभाव से बचने के लिए इन मदों की पर्याप्त मात्रा रिजर्व में रखी जाती है। इन मदों की गुणवत्ता में सुधार और स्वदेशी संसाधनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है।

'ऑफसेट' करार

525. श्री नवीन जिंदल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक विदेशी कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित 'ऑफसेट' समझौतों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक समझौतों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के वृहत लक्ष्य के संबंध में इन समझौतों से हो रहे लाभों का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में रक्षा 'ऑफसेट' नीति में संशोधन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) से (ग) अब तक निम्नलिखित 19 ऑफसेट संविदाओं पर हस्ताक्षर हुआ है:

क्र.सं.	योजना का नाम
	वायु सेना
1.	मध्यम पावर रडार
2.	मिग-29 उन्नयन
3.	एमआई-17 वी-5 हेलिकॉप्टर (एमएलएच)
4.	जगुआर विमान के लिए मध्यम ऊंचाई के ईओ/आईआर टोह प्रणाली
5.	सम्बद्ध उपस्करों सहित हारोप यूएवी
6.	सी-130 जे-30
7.	लो लेव ट्रांसपोर्टेबल रडार
8.	वीवीआईपी हेलिकॉप्टर
9.	सीबीयू-105 सेंसर फ्यूज्ड शस्त्र
10.	सी-17 विमान
11.	मिराज-2000 उन्नयन
12.	मिराज-2000 के लिए एमआईसीए प्रक्षेपास्त्र
13.	एनजीपीजीएम
14.	आधारभूत प्रशिक्षण विमान
	नौसेना
1.	फ्लीट टैंकर
2.	लंबी रंज वाली समुद्री टोह पनडुब्बी रोधी युद्ध पद्धति विमान
3.	फ्लीट टैंकर (विकल्प उपबंध)
4.	वायु मार्ग चौकसी रडार
5.	चालकरहित वायुवाहित विमान

विदेशी विक्रेताओं, जिन्होंने ऑफसेट सविदाएं की हैं, द्वारा निवेशों तथा खरीद के जरिए भारतीय-उद्योग-सरकारी तथा निजी-दोनों को लाभ हो रहा है। स्वदेशी रक्षा उद्योग आधार के विकास में ऑफसेटों का सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा।

(घ) और (ङ) 2005 में शुरू किए गए ऑफसेट के अनुभव तथा कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न मसलों को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑफसेट नीति तथा उससे सम्बद्ध मामलों की व्यापक पुनरीक्षा शुरू की गई थी। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित ऑफसेट दिशा-निर्देश रक्षा मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड किए गए हैं तथा 01.08.2012 से लागू हो गए हैं।

रिंग रोड का निर्माण

526. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कोट्टरक्कारा में रिंग रोड के निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से और धनराशि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) केरल में कोट्टरक्कारा में रिंग रोड के निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत विचार करने हेतु केरल राज्य सरकार द्वारा संस्तुत वर्ष 2012-13 के लिए कार्यों की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लाइओवर का निर्माण

527. **श्री एस॰ सेम्मलई:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर तमिलनाडु के सलेम जिला में मल्लूर तथा धर्मपुरी जिला में थोप्पुर खंडों पर बार-बार सड़क दुर्घटनाएं होने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन खंडों पर फ्लाइओवर बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के किमी. 216/100 पर मल्लूर में तथा किमी. 163/500-600 पर थोप्पुर मेरचेरी में इंटर सेक्शन पर दुर्घटनाएं सूचित की गई हैं। इन अवस्थानों को अंडरपास/फ्लाईओवर प्रदान करके सुधार के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत धनराशि

528. **श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत उपक्रमों एवं प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा किसी धनराशि का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान उपयोग की गयी धनराशि उपक्रम-वार क्या है;

(ग) क्या पदाधिकारियों ने इस धनराशि का व्यय मनमाने ढंग से किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) और (ख) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 9 रक्षा उपक्रमों द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान इस्तेमाल की गई धनराशि इस प्रकार है:

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का नाम	इस्तेमाल की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	5.81
2.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल)	2.36
3.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल)	0.13
4.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)	0.84
5.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड (जीआरएसई)	2.90
6.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)	शून्य*

1	2	3
7.	बीईएमएल लिमिटेड	3.47
8.	माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)	1.07
9.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	1.48

*हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, (एचएसएल) एक घाटे में चल रहा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए उसे सीएसआर के लिए धनराशि आबंटित कराने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्रोजगार

529. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में भूतपूर्व सैनिकों को विहित प्रतिशत में रोजगार/नौकरी नहीं मिल रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उसे सुनिश्चित करने के लिए कोई आदर्श प्रणाली है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विहित प्रतिशत में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिले यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई आदर्श प्रणाली अंगीकार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश मॉडल का अधययन किया है तथा सरकार का विचार इसे अंगीकार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) से (घ) केन्द्र सरकार सिविल नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' पदों में 10% तथा समूह 'घ' पदों में 20% आरक्षण उपलब्ध कराती है। अधिकांश राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान करती हैं जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होता है क्योंकि यह आरक्षण राज्य में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या और संबंधित राज्य की पुनर्वास नीति पर निर्भर करता है। आरक्षण नीति को लागू करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। चूंकि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना ऐच्छिक है, अतः इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) हिमाचल प्रदेश मॉडल का अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) ऊपर (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवहन विमान की खरीद

530. **श्री ए. गणेशमूर्ति:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय वायुसेना के लिए एवीआरओ विमानों के पुराने बेड़े के स्थान पर परिवहन विमान खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विमान की आपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बजाय विदेशी विक्रेता के साथ समझौता करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) उक्त विमानों को कब तक खरीदे और प्रचालन किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 23 जुलाई, 2012 को 'खरीदों और बनाओं' श्रेणी के अंतर्गत एवरो विमानों के प्रतिस्थापना के रूप में 56 विमानों की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता की स्वीकार्यता (एओएन(प्रदान की है।

(ग) और (घ) एवरो विमान को प्रतिस्थापन के लिए विमानों की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2011 के अनुसार 'खरीदो और बनाओ' के माध्यम से की जानी प्रस्तावित है, जिसमें यह शर्त है कि मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) भारत में 40 विमानों के विनिर्माण के लिए भारत की एक निजी उत्पादन एजेंसी का चयन करेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 11,897 करोड़ रुपये है। इससे विमान विनिर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ङ) विमानों की सुपुर्दगी संविदाओं पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 24 महीने के अंदर शुरू होगी ओर आठ वर्षों की अवधि में पूर्ण होगी।

ईपीएफ पेंशनरों से अभ्यावेदन

531. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनर संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी मांगों पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार का 1994 पेंशन अधिनियम में निर्धरित मानकों में परिवर्तन करने का विचार है जो देश के अनेक कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की अनुमति नहीं देता; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी, हां। विभिन्न पेंशनर संघों से योजना के उपबंधों में संशोधन करते हुए लाभों में वृद्धि करने की मांग संबंधी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर पेंशन क्रियान्वयन समिति, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक उप-समिति है, द्वारा विचार किया गया था। पेंशन क्रियान्वयन समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और यह सिफारिश की है अंतरिम उपाय के रूप में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000/- रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाए। पेंशन क्रियान्वयन समिति की सिफारिशें कर्मचारी भविष्य निधि की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हैं। इस संबंध में अंतरमंत्रालीय परामर्श भी शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)

532. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश विशेषकर मधय प्रदेश में अजा/अजजा बहुल खंडों में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्थापित किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु आईटीआई की स्थापना के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लघु औद्योगिक प्रशिक्षझा संस्थान की स्थापना की कोई योजना नहीं है। तथापि मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से सेवारहित खण्डों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल खण्ड शामिल हैं, में 1500 नए आईटीआई और 5000 कौशल विकास केन्द्रों (एसडीसी) की स्थापना के लिए "कौशल विकास योजना" नामक एक योजना तैयार की है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश भी शामिल है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योजना

533. **श्री अशोक तंवर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के पिछड़े जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के विकास के संबंध में विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और धिकारिता मंत्रालय, देश के पिछड़े जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं:

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;
2. "अस्वच्छ" व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति;
3. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का योग्यता उन्नयन;
4. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना; और

5. कक्षा IX-X में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: दिनांक 01.07.2012 से कार्यान्वित एक नई योजना।

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं:

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति;
2. विदेश में उच्चतर अध्ययन करने हेतु अनुसूचित जाति आदि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना;
3. पहचान की गई व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख संस्थाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचति जाति विद्यार्थियों के लिए "उत्कृष्ट श्रेणी" शिक्षा योजना;
4. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को केवल केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। विगत तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I-IV पर दिया गया है।

विवरण I

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी राज्य-वार केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10 जारी केन्द्रीय सहायता	2010-11 जारी केन्द्रीय सहायता	2011-12 जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21182.31	57023.48	64360.00
2.	असम	1014.99	504.99	1310.00
3.	बिहार	1000.00	3472.07	5714.75
4.	छत्तीसगढ़	0.00	1207.79	4601.07
5.	गोवा	0.00	18.05	6.26
6.	गुजरात	2741.34	5560.09	3599.08
7.	हरियाणा	6962.57	3600.00	13702.47
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	500.00
9.	जम्मू और कश्मीर	150.00	100.00	359.05
10.	झारखंड	514.74	100.00	1045.93
11.	कर्नाटक	11819.35	15718.32	11224.99
12.	केरल	3200.00	2400.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	3653.86	6721.19	15311.66
14.	महाराष्ट्र	13400.00	28161.01	45339.90

1	2	3	4	5
15.	मणिपुर	185.70	100.00	397.98
16.	मेघालय	0.00	0.00	14.30
17.	ओडिशा	0.00	2697.51	3974.64
18.	पंजाब	0.00	5814.58	5095.92
19.	राजस्थान	5397.72	3900.00	2982.32
20..	सिक्किम	1.00	16.56	31.91
21.	तमिलनाडु	5369.97	17847.60	14338.38
22.	त्रिपुरा	410.16	498.25	1171.82
23.	उत्तर प्रदेश	19967.13	49804.19	50537.24
24.	उत्तराखंड	789.70	2155.15	3376.54
25.	पश्चिम बंगाल	3835.67	2200.00	20738.22
26.	दमन और दीव	0.00	0.00	15.01
27.	दिल्ली	0.00	0.00	979.40
28.	पुदुचेरी	0.00	100.00	405.60
	कुल	101596.21	209720.83	271134.44

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान "अस्वच्छ" व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10 जारी केन्द्रीय सहायता	2010-11 जारी केन्द्रीय सहायता	2011-12 जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2171.5	880.00	0.00
2.	असम	52.17	0.00	109.89
3.	बिहार	0	117.59	122.89
4.	छत्तीसगढ़	192.08	170.73	226.25
5.	गोवा	0.89	0.50	2.61

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	3639.90	3658.52	3142.04
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	6.86
8.	जम्मू और कश्मीर	24.59	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	0	0.00	87.91
10.	केरल	6.11	15.00	3.00
11.	मध्य प्रदेश	232.59	0.00	318.34
12.	महाराष्ट्र	0	0.00	794.99
13.	ओडिशा	0	0.00	48.14
14.	पुदुचेरी	7.71	6.00	0.00
15.	पंजाब	0	112.07	34.00
16.	राजस्थान	598.95	568.76	1354.41
17.	तमिलनाडु	971.88	236.00	55.89
18.	त्रिपुरा	47.83	41.70	42.26
19.	उत्तराखंड	1.55	1.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	26.27	39.90	15.68
	कुल	7974.02	5847.77	6365.16

विवरण III

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योग्यता उन्नयन योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी केन्द्रीय सहायता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10 जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	2010-11 जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	2011-12 जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	0	88.80	44.40
2	बिहार	0	43.75	43.80
3	छत्तीसगढ़	0	21.60	12.26
4	गुजरात	0.60	0	18.60
5	हरियाणा	0	3.75	13.20
6	झारखंड	0	7.00	0.00

1	2	3	4	5
7	कर्नाटक	28.20	16.20	17.70
8	केरल	0	4.77	3.85
9	मध्य प्रदेश	153.76	3.72	58.80
10	राजस्थान	8.44	6.86	6.86
11	उत्तर प्रदेश	0	73.18	6.56
12	उत्तराखंड	0	0	10.46
13	पश्चिम बंगाल	0	0	32.80
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1	असम	0	13.80	3.45
2	नागालैंड	0	0	12.00
3	सिक्किम	3.00	3.00	3.00
4	त्रिपुरा	6.00	3.00	3.00
	कुल	200.00	289.43	290.74

विवरण IV

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10 जारी केन्द्रीय सहायता	2010-11 जारी केन्द्रीय सहायता	2011-12 जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-	600.00	-
2.	असम	-	75.00	-
3.	बिहार	-	631.40	687.74
4.	छत्तीसगढ़	33.75	-	-
5.	हरियाणा	190.55	455.00	-
6.	हिमाचल प्रदेश	-	604.50	-
7.	झारखंड	-	45.00	-
8.	कर्नाटक	202.4	340.00	-

1	2	3	4	5
9.	केरल	54.75	60.00	200.00
10.	मध्य प्रदेश	430.7	510.60	–
11.	महाराष्ट्र	–	1284.10	4297.00
12.	पंजाब	–	–	90.00
13.	राजस्थान	1897.75	968.00	111.00
14.	उत्तर प्रदेश	157.05	982.10	99.00
15.	उत्तराखंड	ष्89.29	–	–
16.	पश्चिम बंगाल	–	1154.40	1106.67
17.	पुदुचेरी	100	100.00	–
	कुल	3156.24	7810.10	6591.41

[हिन्दी]

जेनरिक औषधियों की बिक्री पर अतिरिक्त शुल्क लगाना

534. **श्री दिनेश चन्द्र यादवः**
श्री हर्ष वर्धनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) का भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा जेनरिक औषधियों की बिक्री पर अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारतीय भेषज कंपनियों पर वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध विरोध दर्ज कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले पर संयुक्त राज्य अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्यि और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषध प्राधिकरण (यूएसएफडीए) की वेबसाइट में उपलब्ध सूचना के अनुसार जेनकि औषध उपभोक्ता शुल्क संशोधन अधिनियम 2012, दिनांक 9.7.2012 को प्रभावी हुआ जिसमें जेनरिक औषधियों के पंजीकरण पर यूएसएफडीए को शुल्क लगाने का अधिकार मिल गया।

(ग) से (ङ) यूएसएफडीए के भारतीय कार्यालय से एक स्पष्टीकरण मांगा गया जिसने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य आवेदन की समीक्षा एवं निरीक्षण प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना तथा अगले 5 वर्षों में समीक्षा अवधि औसतन 31 महीने से घटाकर 10 महीने करना है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह अधिनियम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के जेनरिक उद्योग में लागू है। अतः भारतीय भेषज कंपनियों से अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुएं

535. **श्री पन्ना लाल पुनियाः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की खाद्य वस्तुएं और उनके महत्व और उनकी खपत पद्धति का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का डब्ल्यूपीआई निर्धारित करने की कार्यविधि और मानदंडों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए अपनाई गई नई पद्धति और इसमें कवर की गई मदों का ब्यौरा क्या है?

वणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के लिए खाद्य वस्तुओं की संगत भारिता के साथ थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2004-05) का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिय गया है। किसी थोक मूल्य सूचकांक शृंखला के जीवनचक्र के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मूल्य के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक की भारिता का पैटर्न निश्चित रहता है। आधार वर्ष 2004-05 वाली वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक की शुरूआत सितम्बर, 2010 में की गकई थी। थोक मूल्य सूचकांक एवं भारिता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट http://eaindustry.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ऊपर उल्लिखित खाद्य वस्तुओं के उपभोग के रूझान एकत्र नहीं किए जाते हैं। तथापि, जुलाई, 2009 से जून, 2010 की अवधि के लिए शहरी और ग्रामीण घरों के लिए चलाए गए 'भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का घरेलू उपभोग' विषय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यलय (एनएसएसओ) के 66वें चक्र के आधार पर, खाद्य वस्तुओं के नवीनतम मद-वार उपभोग रूझान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लेकिन थोक मूल्य सूचकांक और एनएसएसओ सर्वेक्षण रिपोर्ट की मदों के विनिर्देशनों में समानता न होने के कारण उनमें कोई एक के साथ एक संबंध नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान शृंखला (आधार 2004-05) में संशोधन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त वस्तु समूह का चयन करने तथा उन्हें भारिता प्रदान करने की प्रणाली की जांच करने हेतु 19 मार्च, 2012 को डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2010-11, वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा अप्रैल, 2012 से जून 2012 हेतु खाद्य वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2004-05)

वस्तु का नाम	भारिता	2010-11	2011-12	अप्रैल-12	मई-12*	जून-12*
1	2	3	4	5	6	7
I खाद्य वस्तुएं	14.33709	179.63	192.74	207.2	206.3	209.2
(क) अनाज (अनाज + दालें)	4.08982	174.43	180.72	188.9	190.4	193.4
(i) अनाज	3.37323	169.67	176.23	184.3	184.5	186.4
चावल	1.79348	167.19	172.29	177.3	178.3	181.6
गेहूं	1.11595	171.44	168.29	179.3	178.8	180.2
ज्वार	0.09572	189.54	248.55	236.8	240.8	235.2
बाजरा	0.11522	175.58	193.21	209.5	210.5	209.4
मक्का	0.21727	168.94	205.63	225.4	220.5	220.3
जौ	0.01671	165.68	180.19	210.8	212.7	200.1
रागी	0.01885	173.79	204.92	223.5	228.4	224.0
(ii) दालें	0.71662	196.86	201.82	211.0	218.3	225.9
चना	0.33490	149.97	193.78	224.7	236.9	250.7

1	2	3	4	5	6	7
अरहर	0.13740	205.06	183.20	175.5	181.0	184.8
मूंग	0.08429	280.44	244.42	236.6	235.7	234.2
मसूर	0.05764	194.45	162.78	170.0	180.1	186.9
उड़द	0.10239	271.75	240.00	215.6	214.8	215.1
(ख) फल और सब्जियां	3.84270	172.05	183.15	215.3	208.1	213.1
(i) सब्जियां	1.73553	182.83	179.26	237.6	224.0	243.8
आलू	0.20150	131.95	128.98	173.8	198.7	221.4
मीठा आलू	0.01750	194.14	205.97	192.7	195.7	181.2
प्याज	0.17794	259.60	186.67	139.6	139.3	158.0
टेपिओका	0.06781	282.82	285.63	240.9	245.0	238.6
जिंजर (ताजा)	0.04514	114.54	79.98	56.5	54.8	72.5
मटर (हरी)	0.10999	144.87	174.70	एनए	एनए	एनए
टमाटर	0.26738	190.39	184.39	एनए	एनए	एनए
फूलगोभी	0.23627	169.87	145.93	एनए	एनए	एनए
बैंगन	0.29840	164.66	170.97	206.7	182.3	227.6
भिंडी (लेडी उंगली)	0.12604	174.80	237.15	355.3	218.3	209.9
बंदगोभी	0.18756	214.58	211.59	416.1	437.6	447.1
(ii) फल	2.10717	163.17	186.37	197.0	195.1	187.8
केले	0.34264	163.01	173.42	176.9	202.7	208.5
आम	0.65134	191.52	237.15	238.5	221.9	208.3
सेब	0.10397	173.59	220.38	240.0	252.7	छ।
नारंगी	0.13309	185.32	237.35	230.3	226.0	236.3
काजू	0.16399	151.04	192.09	169.4	182.6	178.8
नारियल (ताजा)	0.24113	97.77	118.20	109.1	106.4	107.6
पपीता	0.10340	189.62	186.97	130.4	121.6	128.9
अंगूर	0.09399	188.85	221.20	छ।	छ।	छ।
अनन्नास	0.04577	177.92	193.45	245.2	223.4	249.2

1	2	3	4	5	6	7
अमरूद	0.07609	177.67	148.32	102.8	102.8	102.8
लीची	0.03716	179.20	119.70	एनए	एनए	153.0
नींबू	0.07225	197.49	236.16	306.3	279.3	244.3
चीकू	0.04235	174.02	209.45	212.3	206.2	211.4
(ग) दूध	3.23818	175.88	194.01	202.9	204.1	205.7
(घ) अंडे, मांस और मछली	2.41384	190.13	214.33	229.8	232.6	235.4
अंडा	0.18675	165.44	181.79	178.2	178.8	183.0
मछली-अंतर्देशीय	0.57256	193.43	250.82	276.6	279.1	280.2
समुद्री मछली	0.72259	222.84	246.72	269.9	271.1	272.1
मटन	0.34586	187.17	200.10	209.6	211.4	212.5
गाय और भैंस का मांस	0.11585	188.20	199.62	207.7	201.5	201.5
पोल्ट्री चिकन	0.41028	141.16	136.56	139.9	150.6	160.5
सूअर का मांस	0.05995	197.50	219.93	234.3	236.8	240.3
(ङ) छौंक और मसाला	0.56908	243.98	237.53	207.4	200.4	195.9
काली मिर्च	0.02959	247.12	402.93	483.6	488.8	497.5
मिर्च (सूखी)	0.15812	221.80	277.12	236.1	225.1	219.9
हल्दी	0.07573	401.72	214.87	145.1	143.6	141.2
इलायची	0.01703	348.22	291.35	301.2	293.8	281.7
अदरक (सूखी)	0.05150	119.25	90.11	74.3	70.3	71.7
सुपारी/आर्कानट	0.10437	154.69	209.79	234.6	227.2	210.2
जीना	0.04393	163.35	188.49	186.6	186.1	185.5
लहसुन	0.06437	410.12	281.12	135.3	118.7	120.7
धनिया	0.02444	174.06	216.17	205.7	204.3	202.5
(च) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.18347	181.94	216.45	225.4	234.1	235.3
चाय	0.11233	148.33	150.85	182.3	196.7	198.6
कॉफी	0.07114	235.01	320.08	293.4	293.4	293.4
II खाद्य उत्पाद	9.97396	141.15	151.20	155.5	157.1	157.4

1	2	3	4	5	6	7
(क) एक डेयरी उत्पाद	0.56798	152.07	171.60	177.1	174.7	174.9
पाउडर दूध	0.20061	150.22	176.99	183.2	176.9	176.8
घी	0.21595	163.71	184.83	188.6	188.1	188.8
मक्कखन	0.06118	159.79	166.59	176.5	176.5	174.6
आइसक्रीम	0.05063	115.59	123.67	127.6	127.5	128.9
संघनित दूध	0.03961	132.57	141.18	148.1	148.5	149.0
(ख) भोजन की डिब्बाबंदी, संरक्षण और प्रसंस्करण	0.35785	127.21	139.58	142.4	144.6	144.6
डिब्बाबंद मछली	0.05534	136.59	151.49	158.7	159.1	159.0
मत्स्य-चूर्ण	0.05941	100.20	113.11	120.1	120.1	120.1
झींगा संसाधित	0.11517	122.53	128.92	128.8	130.5	133.7
डिब्बाबंद मांस	0.03554	175.87	188.38	193.9	193.9	194.5
सब्जियों के बीज	0.09239	126.02	143.93	144.1	150.2	145.9
(ग) अनाज मिल उत्पाद	1.34017	145.79	146.19	146.7	147.1	145.3
मैदा	0.45224	146.73	145.76	145.4	145.4	145.8
गेहूं का आटा (आटा)	0.39334	158.94	163.94	161.2	161.7	156.3
बेसन	0.09734	134.23	136.10	136.1	136.1	136.1
सूजी	0.08499	168.91	164.97	167.3	168.4	164.0
चावल की भूसी	0.11785	122.29	122.60	126.1	129.2	132.4
गेहूं का चोकर	0.09066	130.37	125.06	137.2	137.5	131.8
चेवड़ा (बीटन राइस)	0.03750	107.00	107.00	107.0	107.0	107.0
मक्का का आटा	0.01572	140.60	140.60	140.6	140.6	140.6
अन्य अनाज मिल उत्पाद	0.05053	131.33	123.22	125.6	125.6	125.6
(ध) बेकरी उत्पाद	0.44354	126.25	127.19	128.3	128.3	127.1
बिस्किट/कूकीज	0.35095	121.02	121.63	122.3	122.3	120.8
रोटी और बंद	0.06304	147.45	145.46	148.2	148.2	148.2
केक और मफिन	0.02955	143.71	154.27	156.5	156.5	156.5

1	2	3	4	5	6	7
(ङ) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.08859	160.50	167.72	170.5	172.6	173.5
चीनी	1.73731	165.02	173.44	176.5	178.5	178.8
गुड	0.07763	197.20	197.15	198.3	208.2	221.5
खांडसारी	0.06133	159.87	170.90	175.0	177.7	179.5
सीरा	0.12926	105.10	103.46	102.1	101.4	99.9
खोई	0.03946	118.17	115.84	119.7	120.9	132.9
चीनी मिष्ठान	0.04360	119.48	119.16	125.3	125.6	125.6
(च) खाद्य तेल	3.04293	120.58	135.72	144.2	146.0	146.5
वनस्पति	0.71494	116.32	121.40	121.2	124.6	124.5
मूंगफली का तेल	0.30438	145.25	163.83	188.3	192.5	190.6
पाम तेल	0.41999	111.30	119.74	129.8	128.9	130.4
चावल की भूसी तेल	0.18489	120.12	146.82	154.2	154.3	155.3
बिनौले का तेल	0.26101	124.31	149.52	153.4	161.8	170.7
सरसों और रेपसीड तेल	0.45094	116.30	135.89	151.6	151.4	151.0
सोयाबीन तेल	0.37971	125.57	147.17	158.3	158.8	157.0
खोपरा तेल	0.10231	100.08	119.87	116.2	115.8	115.4
सूरजमुखी तेल	0.17348	120.43	132.04	134.7	134.0	134.7
तिल का तेल	0.05128	134.22	146.36	157.5	155.9	153.6
(छ) खल	0.49441	168.63	175.30	186.1	189.7	191.6
कपास बीज खल	0.12928	142.74	157.48	159.8	160.4	157.0
चावल की भूसी निकालना	0.09174	223.69	222.10	216.7	206.6	215.9
सरसों का खल	0.04018	180.16	165.51	186.2	196.3	200.1
मूंगफली खल	0.04463	240.19	263.14	291.9	296.9	300.7
अन्य खल	0.18858	140.17	146.07	164.2	174.9	176.0
(ज) चाय और कॉफी प्रसंस्करण	0.71106	149.80	156.62	154.7	158.0	159.6
चाय पत्ती (मिश्रित)	0.27219	153.89	167.54	173.5	179.3	176.3
चाय पत्ती (खालिस)	0.18048	145.55	148.80	137.6	135.5	139.6

1	2	3	4	5	6	7
बारीक चाय (मिश्रित)	0.13716	134.03	134.94	130.2	136.8	144.8
बारीक चाय (खालिस)	0.09813	157.62	152.91	149.2	151.5	152.4
कॉफी पाउडर	0.02310	195.80	233.48	236.2	236.2	236.2
(झ) नमक	0.04810	174.77	176.24	181.8	181.8	181.8
(ञ) अन्य खाद्य उत्पाद	0.87933	141.15	157.44	159.2	161.5	161.8
काजू टुकड़ा	0.38299	135.81	157.11	154.9	159.9	159.4
गोला (मवेशी चरा)	0.11247	178.61	186.48	195.4	195.6	199.7
पापड़	0.08081	144.16	162.42	168.3	168.6	167.3
काजू (भुना हुआ)	0.01367	130.84	138.33	143.3	142.7	141.2
मिश्रित मसाले	0.06599	142.67	170.42	171.1	174.3	172.6
अचार	0.02476	117.15	126.16	127.9	127.9	127.6
सोयाबीन के पदार्थ (तेल को छोड़कर)	0.05937	140.94	142.99	144.0	148.8	147.6
रेडीमेड/इंस्टेंट पाउडर	0.13927	128.44	139.42	144.4	141.4	143.6

*मई 2012 और जून 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम

536. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटीग्रेटिड गाइडिड मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेक्षपास्त्रों के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था और मार्च, 2012 में पूरा किया गया था। यह कार्यक्रम पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शक अग्नि प्रक्षेपास्त्र के विकास के लिए स्वीकृत किया गया था।

(ग) से (ङ) प्राप्त लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

- पृथ्वी शृंखला के प्रक्षेपास्त्र शामिल कर लिए गए हैं।
- आकाश प्रक्षेपास्त्र उत्पादन तथा शामिल किए जाने की प्रक्रिया में है।
- पुनर्विन्यासित नाग प्रेक्षपास्त्र कैरियर सहित नाग के क्रास कंट्री परीक्षण शुरू किए गए हैं।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में विलंब तथा सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता में परिवर्तन के कारण त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के रूप में पूरा कर दिया गया है।
- अग्नि पुनर्प्रविष्टि 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शक' परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा इस प्रौद्योगिकी का अग्निशृंखला के प्रक्षेपास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है।

[अनुवाद]

खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

537. श्री पी. लिंगम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा दिखाई गई रुचि का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार के तहत अनुमोदित प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में अनुमोदित मामलों की सूची

क्रम सं.	निवेशक और देश का नाम
1	2
1.	मैसर्स तानो इंडिया प्रा. इक्विटी फंड।/और या इसकी सहायक कंपनियां, मारिशस
2.	मैसर्स लुइस बिटन मालेटियर (फ्रांस)
3.	मैसर्स लाड्रो कमर्शियल एस.ए., स्पेन
4.	मैसर्स फेन्डी इंटरनेशनल, एसए, फ्रांस
5.	मैसर्स डेमरो एक्पोर्ट प्रा. लि., श्री लंका
6.	मैसर्स रिनो ग्रेडियो अर्जेटीरी, एसपीए इटली या इसकी सहायक कंपनी
7.	मैसर्स मित्सुई आटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी.वी., नीरदलैंड
8.	मैसर्स अरमेनजिल्डो जेग्ना होल्डइटाल्टा एसपीए, इटली
9.	मैसर्स एटामीट, बेल्जियम
10.	मैसर्स ली कूपर इंटरनेशनल लि., यूके
11.	मैसर्स फैबइंडियाइंक, यूएसए मैसर्स डब्ल्यूसीपी मारिशस होल्डिंग्स, मारिशस
12.	मैसर्स सोकोमैक एसए, फ्रांस
13.	(i) मैसर्स ग्रोटो एसपीए, इटली (ii) मैसर्स सिमसैट एसपीए, इटली
14.	मैसर्स सिन रोग प्रा. लि., सिंगापुर
15.	मैसर्स वाल्यून इलेक्ट्रानिक टूल्स कं. लि., चीन
16.	मैसर्स फैब्रियानों एसडीएन बीएचडी, क्वालालम्पुर, मलेशिया
17.	मैसर्स क्रिश्चियन डियार कोटर, पेरिस, फ्रांस
18.	मैसर्स फारएवर न्यू क्लोदिंग प्रा. लि., आस्ट्रेलिया
19.	मैसर्स हैरम्स इंटरनेशनल्स, फ्रांस
20.	मैसर्स ट्रायो सलैक्श्यान इंक, कनाडा
21.	(i) मैसर्स टोइस हांग-कांग लि., हांक-कांग (ii) मैसर्स टोड्स इंटरनेशनल बीवी, नीदरलैंड
22.	मैसर्स डीजल इंटरनेशनल बीवी, नीदरलैंड
23.	मैसर्स डोल्स एंड गबाना, मिलान, इटली और/या इसकी सहायक, संबद्ध या सहयोगी कंपनियां
24.	(i) मैसर्स एलए बाइसिक्लस (थाइलैंड) (ii) मैसर्स इंडस ट्रेडिंग कं. थाइलैंड
25.	मैसर्स रेने दर्ही, फ्रांस
26.	मैसर्स क्राक्स एशिया प्रा.लि., सिंगापुर
27.	मैसर्स रिचमंट सर्विसेज बीपी एम्स्टरडम, नीदरलैंड प्रत्यक्ष रूप से इसकी एक या अधिक संबद्ध कंपनियों द्वारा
28.	मैसर्स पावर प्लेट इंडिया होल्डिंग्स लि., मारिशस
29.	मैसर्स जियोर्जियो अरमानी होल्डिंग बीवी, नीदरलैंड
30.	मैसर्स जियोर्डानी मारिशस लि., मारिशस
31.	मैसर्स पारले इंडिया, नीदरलैंड
32.	मैसर्स मार्क एंड स्पैंसर पीएलसी यूके प्रत्यक्ष रूप से या इसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा

1	2
33.	मैर्स हालमार्क ग्रुप लि., यूके
34.	मैसर्स पिक्वार्डो एसपीए, इटली
35.	मैसर्स फेरग्मो इंटरनेशनल बीवी, नीदरलैंड
36.	मैसर्स वर्ल्ड एसआरएल, इटली
37.	मैसर्ससेलियो इंटरनेशनल, बेल्जियम प्रत्यक्ष रूप से या इसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा
38.	मैसर्स एस. ओलिवर बर्न्ड फ्रिहर गैम्ब एंड कं. जर्मनी प्रत्यक्ष रूप से या इसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा
39.	मैसर्स लुइस विटन, फ्रांस
40.	मैसर्स डोरल कैपिटल एसए लग्जम्बर्ग
41.	मैसर्स डामा एसपीए, इटली
42.	मैसर्स कूल टॉय वाच एसआरएल, इटली
43.	मैसर्स आस्ट्रिया प्यूमा डेजल काफ्ट एमबीएच, आस्ट्रिया
44.	मैसर्स लैरोस मॉडल गेम्ब, जर्मनी
45.	मैसर्स पोल्ट्रोना फ्रो एसपीए फ्रो, इटली
46.	मैसर्स इन्डो इंटरनेशनल एसए स्पेन
47.	मैसर्स नोकिया कार्पोरेशन, फिनलैंड प्रत्यक्ष रूप से या इसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी नोकिया इंडिया प्रा.लि. द्वारा
48.	मैसर्स डमास एलएलसी, दुबई, यूएई प्रत्यक्ष रूप से या इसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा
49.	मैसर्स ओविस एसपीए, इटली
50.	मैसर्स इंडस्ट्रिया डि डिसैनो टैक्सटिल सौसीडाड अनोनिमा (इंडिटैक्स एसए), स्पेन
51.	मैसर्स लासिटाने सिंगारपुर प्रा.लि. सिंगापुर
52.	मैसर्स फिएम एसपीए, इटली
53.	मैसर्स गुची ग्रुप एनवी नीदरलैंड
54.	मैसर्स बरबेरी इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि., यूके या मैसर्स बरबेरी ग्रुप पीएसलसी यूके की डब्ल्यूओएस
55.	मैसर्स मदरकेयर यूके लि., यूके प्रत्यक्ष रूप से या इसकी संबद्ध और य समूह कंपनी द्वारा
56.	मैसर्स अर्ली लर्निंग सेन्टर लि., यूके
57.	मैसर्स वर्व हियरिंग सिस्टम्स एजी, स्विट्जरलैंड
58.	श्री मैटियो बासो, श्री डैनियल केसारो, श्रीमती बिट्रीस बासो, इटली
59.	मैसर्स सी एंड जे क्लार्क इंटरनेशनल लि., यूके
60.	मैसर्स डेल्सी एसए, फ्रांस
61.	मैसर्स क्रिश्चियन लोबोटिन एसए फ्रांस
62.	मैसर्स टाइमैक्स गार्मेन्ट्स प्रा. लि. श्री लंका
63.	मैसर्स कनाली होल्डिंग एसए, इटली

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

538. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष का पद जनवरी, 2012 से रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें निर्धारित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पद को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। श्री न्यायमूर्ति, श्री एल.एस. पान्टा के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष का पद दिनांक 1 जनवरी, 2012 से रिक्त है। बाद में श्री न्यायमूर्ति आर.वी. रविन्द्रन, जिनकी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा संस्तुति की गई थी, ने निजी कारणों से पद हेतु अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। तथापि, श्री न्यायमूर्ति, श्री ए.एस. नायडु, न्यायिक सदस्य एजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) अध्यक्ष, एनजीटी की नियुक्ति हेतु निबंधन और शर्तें, एनजीटी अधिनियम, 2010 में दी गई हैं।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एनजीटी के नए अध्यक्ष के नामांकन हेतु इस मामले को विधि और न्याय मंत्री के साथ उठाया हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

539. डॉ. रतन सिंह अजनाला:
डॉ. किरोड़ीलाल मीणा:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री एस पक्कीरप्पा:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री के.डी. देशमुख:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए निर्धारित नीति/लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी उपलब्धियां क्या रहीं और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित उनके निर्माण की क्या पद्धति है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से इस संबंध में प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित/जारी/आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बित/विलम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा लक्ष्य प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की लागत और समय में बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है और विलम्बित परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी संशोधित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या ठेकेदार का घटिया गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए कोई शिकायत, यदि कोई हो, प्राप्त हुई है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। इन परियोजनाओं को विभिन्न विधियों नामत: मद दर ठेकों, बीओटी (पथकर/वार्षिकी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि और उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 80 रारा परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं। यह विलंब विभिन्न कारणों जैसे कि भूमि अधिग्रहण में विलंब, उन सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, पर्यावरण, वन स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब और रेलवे अनुमोदनों में विलंब, ठेकेदारों का अल्प-निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं की वजह से हुए हैं। सभी परियोजनाओं को पूरा करने में विलंबों को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों में शक्तियों के पर्याप्त प्रत्यायोजन के साथ मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटों की स्थापना, जन सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण मुद्दों से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त अधिकार प्राप्त समितियों का गठन आदि। इसके अलावा, तेजी से कार्य पूरा करने के लिए विलंबित परियोजनाओं की मुख्यालय और फील्ड यूनिट स्तरों पर गहन मॉनीटरिंग और अवधिक समीक्षा की जाती है।

इन परियोजनाओं में समय वृद्धि और उनके पूरा होने की संभावित तारीख का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है। चूंकि, ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं, इसलिए इन परियोजनाओं पर वास्तविक लागत वृद्धि का पता केवल परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही पता लगाया जा सकता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के घटिया/अल्प-गुणता के निर्माण/अनुरक्षण के विरूद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनकी जांच की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं.	योजना का नाम	2007-08 लक्ष्य	2007-08 उपलब्धि	2008-09 लक्ष्य	2008-09 उपलब्धि	2009-10 लक्ष्य	2009-10 उपलब्धि	2010-11 लक्ष्य	2010-11 उपलब्धि	2011-12 लक्ष्य	2011-12 उपलब्धि
1	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना										
	(i) 4 लेन में चौड़ीकरण (किमी)	2885	1683	3520	2203	3165	2693	2500	1784	2500	2248
	(ii) पुलों का निर्माण (सं.)	5	2	3	1	2	0	2	0	1	0
	(iii) बाइपासों का निर्माण (सं.)	11	2	17	3	13	3	12	5	7	0
2	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से इतर										
	(i) न्यून ग्रेड खंड का सुधार (किमी)	25	26	80	47	20	31	1	1	20	16
	(ii) 4 लेन में चौड़ीकरण (किमी)	34	36	51	63	79	69	138	99	104	74
	(iii) 2 लेन में चौड़ीकरण (किमी)	919	951	1176	1153	1321	1234	1117	1042	1070	782
	(iv) कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (किमी)	577	911	706	1010	1058	1013	1213	1016	1080	675
	(v) सड़क गुणता का सुधार (किमी)	1602	1657	1350	2470	2510	3168	2307	2026	1672	2510
	(vi) पुलों का निर्माण/पुनरुद्धार (सं.)	107	86	92	77	132	122	187	103	129	92
	(vii) बाइपासों का निर्माण (सं.)	3	6	8	4	6	0	15	3	7	3
	(viii) मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी)	22	36	26	16	9	3	3	0	0	0

विवरण II

विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्राप्त और राज्य-वार अनुमोदित प्रस्ताव

क्रम	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	152	152
2.	अरूणाचल प्रदेश	29	23
3.	असम	100	84
4.	बिहार	258	110
5.	छत्तीसगढ़	161	86
6.	गोवा	18	18
7.	गुजरात	128	85
8.	हरियाणा	123	118
9.	हिमाचल प्रदेश	81	81
10.	झारखंड	127	127
11.	कर्नाटक	154	154
12.	केरल	320	81
13.	मध्य प्रदेश	211	127
14.	महाराष्ट्र	201	201
15.	मणिपुर	29	29

1	2	3	4
16.	मेघालय	26	26
17.	मिजोरम	31	31
18.	नागालैंड	24	24
19.	ओडिशा	216	160
20.	पंजाब	114	114
21.	राजस्थान	183	111
22.	तमिलनाडु	186	185
23.	उत्तर प्रदेश	272	272
24.	उत्तराखंड	190	190
25.	पश्चिम बंगाल	116	84

विवरण III

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि और उन पर किए गए व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	आबंटन					व्यय				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011.12^	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	82.44	192.97	348.39	254.77	113.99	8 1.59	196.38	348.39	254.77	19.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	1.10	0.00	0.00	0.00	5.65	1.10	0.00	0.00	0.00
3.	असम	87.96	88.25	206.29	177.64	213.43	86.00	87.65	206.29	177.64	200.18
4.	बिहार	96.82	104.02	245.45	199.15	247.54	90.28	95.02	245.45	199.15	232.31
5.	चंडीगढ़	2.00	3.39	2.95	8.81	1.00	2.00	3.39	2.95	8.81	0.81
6.	छत्तीसगढ़	42.19	67.42	79.65	53.53	56.05	40.15	65.74	79.65	53.53	52.95
7.	दिल्ली	9.00	15.80	17.21	52.58	6.50	8.30	15.80	17.21	52.58	5.70
8.	गोवा	15.00	34.39	33.16	30.14	5.00	15.00	34.39	33.16	30.14	4.79
9.	गुजरात	67.70	102.33	150.26	111.60	95.96	65.16	101.06	150.26	111.60	88.82
10.	हरियाणा	81.25	103.23	152.16	1.13.69	100.00	8 1.24	103.23	152.16	143.69	98.16
11.	हिमाचल प्रदेश	57.00	76.21	80.46	95.72	110.26	57.00	76.21	80.46	95.72	121.15
12.	झारखंड	57.25	96.4	117.90	112.70	92.00	57.24	96.41	117.90	112.70	97.14
13.	कर्नाटक	104.21	215.30	305.43	276.65	328.31	106.5 1	214.91	305.42	276.65	313.06
14.	केरल	58.48	72.53	141.23	109.00	165.82	50.10	73.20	141.23	109.00	1 53.66
15.	मध्य प्रदेश	80.88	110.14	150.16	134.24	101ए69	76.40	98.35	1 50.16	1 34.24	76.07
16.	महाराष्ट्र	142.55	195.18	326.18	265.53	286.52	144.79	196.87	326.18	265.53	304.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मणिपुर	12.14	23.77	19.65	63.88	50.28	10.34	23.65	19.65	63.88	47.09
18.	मेघालय	22.88	51.60	61.54	79.08	85.05	22.33	50.77	61.54	79.08	82.76
19.	मिजोरम	15.00	13.55	5.52	24.23	40.00	15.00	13.55	5.52	24.23	40.81
20.	नागालैंड	12.00	30.60	30.46	26.94	21.00	10.20	30.60	30.46	26.94	19.63
21.	ओडिशा	139.31	209.55	333.70	230.71	293.28	138.87	208.84	333.70	230.71	272.94
22.	पुदुचेरी	7.55	2.95	9.22	3.93	4.50	7.49	2.95	9.22	3.93	4.73
23.	पंजाब	85.95	156.77	188.49	115.00	115.11	85.47	156.77	188.49	115.00	1 1 7.23
24.	राजस्थान	103.18	214.35	140.24	147.31	119.63	102.81	216.54	140.23	147.31	1 16.93
25.	तमिलनाडु	94.03	133.77	168.40	182.13	158.37	94.48	13 1.96	168.40	182.13	159.99
26.	उत्तर प्रदेश	135.87	223.51	433.21	452.55	313.21	132.50	222.20	433.21	452.55	323.75
27.	उत्तराखंड	41.30	12.40	160.91	130.83	83.46	38.98	112.29	160.91	130.83	51.72
28.	पश्चिम बंगाल	58.00	95.30	147.00	120.61	292.00	57.99	95.30	147.00	120.61	282.93
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	1.89	2.13	0.00	0.00	0.00	1.89	2.13
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)*	10851.06	12566.47	11744.70	17518.94	23442.89	9066.24	10497.21	9017.96	12563.94	21379.89
	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)*	649.76	650.00	756.00	760.00	540.00	623.93	645.80	723.49	694.49	515.00
	एसएआरडीपी-एनई*	710.00	1000.00	1200.00	1500.00	1950.00	698.02	643.72	667.60	1046.71	1939.98
	एलडब्ल्यूई*	-	-	125.00	750.00	1200.00	-	-	5.00	718.05	1166.68

*राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं।
^अनंतिम

विवरण IV

परियोजनाओं में समय वृद्धि और उनके पूरा होने की संभावित तारीख

क्र. सं.	खंड	राज्य	रारा सं.	कुल लम्बाई (किमी में)	पूरी की गई लंबाई (किमी में)	द्वारा वित्त पोषित	प्रारंभ की तिथि	ठेके के अनुसार पूरा होने की तिथि	पूरा होने/ पूरा होने की संभावित तिथि	टीपीसी (रुपये सीआर)	टाईम ओवर रन (इन मन्थ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हैदराबाद-यादगिरी (अनुमोदित लंबाई 30)	आंध्र प्रदेश	202	35.65	33.4	बीओटी	अग.-2010	मई-2012	अग.-2012	388	3
2.	अरमूर से कडलूर येल्लारेड्डी (एनएस-2/एपी-1 (अनुमोदित लंबाई 60.25)	आंध्र प्रदेश	7	59	58.89	बीओटी	फर.-2010	फर.-2012	जुलाई-2012	390.56	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा (छह लेन)	आंध्र प्रदेश	5	82.5	27.1	बीओटी	मई-2009	अक्तू.-2011	जून-2013	572.3	20
4.	गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस-23/एपी)	आंध्र प्रदेश	7	23.1	21.25	एनएचए आई		समाप्त		71.57	58
5.	ब्रह्मपुत्र पुल (एएस-28)	असम	31	5	0	एनएचएआई	अक्तू.-2006	अप्रैल-2010	दिस.-2012	217.61	32
6.	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3)	असम	37	19	16.6	एनएचएआई	सित.-2005	जून-2009	मार्च-2013	245	45
7.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-6)	असम	31	25	22.9	एनएचएआई	नव.-2005	जून-2009	मार्च-2013	225	45
8.	मैबंग से जुमर्डिंग (एएस-27)	असम	54	21	0	एनएचएआई	अक्तू.-2006	अप्रैल-2009	मार्च-2013	200	47
9.	हरंगाजो से मैबंग (एएस-23)	असम	54	16	11.73	एनएचएआई	अग.-2006	फर.-2009	मार्च-2013	280	49
10.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12)	असम	31सी	30	27.2	एनएचएआई	नव.-2005	जून-2008	सित.-2012	230	51
11.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-10)	असम	31सी	33	25.34	एनएचएआई	नव.-2005	जनू-2008	दिस.-2012	237.8	54
12.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-9)	असम	31	21.5	19.4	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	दिस.-2012	142	54
13.	दबोका से नगांव (एएस-7)	असम	36	30.5	30.362	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	दिस.-2012	225	54
14.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-8)	असम	31	30	27.94	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	दिस.-2012	200	54
15.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-7)	असम	31	27.3	18.3	एनएचएआई	अक्तू.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2012	208	56
16.	गुवाहाटी से नलबाड़ी (एएस-4)	असम	31	28	10.6	एनएचएआई	दिस.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2012	175.96	56
17.	गुवाहाटी से नलबाड़ी (एएस-5)	असम	31	28	15.5	एनएचएआई	अक्तू.-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2012	198.16	56
18.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11)	असम	31सी	30	16.04	एनएचएआई	नव.-2005	जून-2008	मार्च-2013	195	57
19.	नगांव से धर्मातुल (एएस-2)	असम	37	25	22.4	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	मार्च-2013	264.72	57
20.	धर्मातुल से सोनापुर सीमा (एएस-19)	असम	37	25	21.65	एनएचएआई	दिस.-2005	जून-2008	मार्च-2013	200	57
21.	धर्मातुल से सोनापुर सीमा (एएस-20)	असम	37	22	19.7	एनएचएआई	नव.-2005	मई-2008	मार्च-2013	160	58
22.	सिलचर-उदरबंद (एएस-1)	असम	54	32	19.5	एनएचएआई	सित.-2004	सित.-2007	मार्च-2013	154.57	66
23.	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7)	बिहार	57	37.59	37.4	एनएचएआई	अप्रैल-2006	सित.-2008	दिस.-2012	340	51
24.	फोरबिसगंज-सिमराही (बीआर-3)	बिहार	57	34.87	32.5	एनएचएआई	अप्रैल-2006	सित.-2008	दिस.-2012	332.94	51
25.	कोटवा से दीवापुर (एलएमएनएचपी-10)	बिहार	28	38	37.5	डब्ल्यूबी	नव.-2005	नव.-2008	मार्च-2013	240	52
26.	दीवापुर से यूपी/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	बिहार	28	41.085	29.78	डब्ल्यूबी	नव.-2005	अक्तू.-2008	मार्च-2014	300	65
27.	दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	छत्तीसगढ़	6	82.685	82	बीओटी	जन.-2008	जन.-2011	दिस.-2012	464	23
28.	औरंग-रायपुर	छत्तीसगढ़	6	43.485	43.07	बीओटी	अप्रैल-2006	जन.-2009	दिस.-2012	190	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	सूरत-दहीसर (6 लेन)	गुजरात [118.2]/ महाराष्ट्र [120.77]	8	239	232	बीओटी	फर.-2009	अग.-2011	सित.-2012	1693.75	13
30.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	हरियाणा	10	63.49	58.442	बीओटी	मई-2008	मई-2010	दिस.-2012	486	31
31.	पानीपत-जालंधर (छ: लेन)	हरियाणा [116]/ पंजाब [175.1]	1	291	215.93	बीओटी	मई-2009	मई-2011	अग.-2013	2288	27
32.	गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (6 लेन)	हरियाणा [64.31]/ राजस्थान [161.3]	8	225.6	143.35	बीओटी	अप्रैल-2009	अक्तू.-2011	दिस.-2012	1673.7	14
33.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) एनएस-30ए)	जम्मू कश्मीर	1ए	1.23	0	एनएचएआई	जून-2006	दिस.-2008	अक्तू.-2012	62.96	46
34.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जेएंडके	जम्मू कश्मीर	1ए	15	14.7	एनएचएआई	नव.-2005	मई-2008	जुलाई-2012	85.34	50
35.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस35/जेएंडके)	जम्मू कश्मीर	1ए	30	29.65	एनएचएआई	सित.-2005	फर.-2008	जुलाई-2012	193.1	53
36.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/ जेएंडके)	जम्मू कश्मीर	1ए	33.65	33.25	एनएचएआई	सित.-2005	फर.-2008	जुलाई-2012	166.3	53
37.	हावेरी-हरिहर	कर्नाटक	4	56	56	एनएचएआई	नव.-2008	जुलाई-2010	अग.-2012	196.65	25
38.	हरिहर-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	4	77	77	एनएचएआई	अक्तू.-2008	जून-2010	अग.-2012	207.56	26
39.	न्यू मंगलौर पत्तन	कर्नाटक	13,17 और 48	37	36.74	एसपीवी	जून-2005	दिस.-2007	दिस.-2012	196.5	60
40.	आईसीटीटी वल्लारपदम के लिए रारा संपर्क	केरल	47सी	17.2	15.1	एनएचएआई	अग.-2007	फर-2010	दिस.-2014	557	58
41.	लखनादोन से एमपी/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3)	मध्य प्रदेश	7	56.475	27.73	वार्षिकी	दिस.-2007	जून-2010	अक्तू.-2012	407.6	28
42.	लखनादोन से एमपी/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	मध्य प्रदेश	7	49.35	40.11	वार्षिकी	मार्च-2007	सित.-2009	अक्तू.-2012	263.17	37
43.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/ बीओटी/एमपी-1)	मध्य प्रदेश	75,3	42	40.45	वार्षिकी	अप्रैल-2007	अक्तू.-2009	दिस.-2012	300.93	38
44.	सागर बाइपास (एडीबी-II/सी-5)	मध्य प्रदेश	26	26	26	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	अग.-2012	151.3	46
45.	राजमार्ग चौराहा से लखनादोन (एडीबी-II/सी-9)	मध्य प्रदेश	26	54.7	51.06	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	सित.-2012	229.91	47
46.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	मध्य प्रदेश	26	44	40.84	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	दिस.-2012	203.43	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	राजमार्ग चौराहा से लखनादोन (एडीबी-IIèkसी-8)	मध्य प्रदेश	26	54	46	एडीबी	अप्रैल-2006	अक्तू.-2008	दिस.-2012	251.03	50
48.	धोलपुर-मोरेना खंड (चम्बल पुल सहित) एनएस-1/आरजे-एमपी/1	मध्य प्रदेश [1]/राजस्थान[9]	3	10	7.11	एनएचएआई	सित.-2007	दिस.-2010	दिस.-2012	232.45	27
49.	ग्वालियर-झांसी	मध्य प्रदेश [68.5]/ उत्तर प्रदेश [11.5]	75	80	52.77	वार्षिकी	जून-2007	दिस.-2009	दिस.-2012	604	36
50.	कांप्टीकानून और नागपुर बाइपास सहित एमपी/महाराष्ट्र सीमा से नागरपुर को 4 लेन का बनाना	महाराष्ट्र	7	95	58.5	बीओटी	अप्रैल-2010	जून-2012	अक्तू.-2012	1170.52	4
51.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	महाराष्ट्र	3	60	50	बीओटी	जन.-2010	जुलाई-2012	दिस.-2012	940	5
52.	एमपी/महाराष्ट्र सीमा से धूले	महाराष्ट्र	3	98	87	बीओटी	दिस.-2009	जून-2012	दिस.-2012	835	6
53.	पुणे-शोलापुर पैकेज-I (अनुमोदित लंबाई पैकेज-I और II 170 किमी)	महाराष्ट्र	9	110.05	84	बीओटी	नव.-2009	मार्च-2012	अक्तू.-2013	1110	19
54.	वाडनेर-देवधारी (एनएस-60/एमएच)	महाराष्ट्र	7	29	0	एनएचएआई	फर.-2010	नव.-2010	नव.-2012	193.45	24
55.	नागपुर-कोंधली	महाराष्ट्र	6	40	39.84	बीओटी	जून-2006	दिस.-2008	दिस.-2012	168	48
56.	बोरखेड़ी-जाम (एनएस-22/एमएच)	महाराष्ट्र	7	27.4	27	एनएचएआइ	जून-2005	दिस.-2007	जुलाई-2012	110	55
57.	सुनाखला-गंजम (ओआर-VI)	ओडिशा	5	55.713	50.7	एनएचआइ	अक्तू.-2009	अक्तू.-2011	जुलाई-2012	241.53	9
58.	बालासोर-भद्रक (ओआर-III)	ओडिशा	5	62.64	62.61	एनएचआइ	दिस.-2008	दिस.-2010	जुलाई-2012	228.7	19
59.	गंजम-इच्छापुरम (ओआर-VII)	ओडिशा	5	50.8	50.714	एनएचआइ	जुलाई-2006	नव.-2008	जुलाई-2012	263.27	44
60.	भुवनेश्वर-खुर्दा (ओआर-I)	ओडिशा	5	27.15	27.15	एनएचआइ	जन.-2001	जन.-2004	जुलाई-2012	140.85	102
61.	पठानकोट से जम्मू कश्मीर सीमा (एनएस-36/जेएंडके)	पंजाब	1ए	19.65	18.65	एनएचआइ	नव.-2005	मई-2008	जून-2013	97.73	61
62.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पीबी)	पंजाब [29] हिमाचल प्रदेश [11]	1ए	40	40	एनएचआइ	मई-2005	जुलाई-2008	श्रनस.2012	284	50
63.	किशनगढ़-अजमेर-व्यावर	राजस्थान	8	82	80.5	बीओटी	नव.-2009	मई-2012	सित.-2012	795	4
64.	चंबल पुल (आरजे-5)	राजस्थान	76	1.4	0	एनएचआइ	नव.-2006	फर.-2010	दिस.-2013	281.31	46
65.	कोटा बाइपास (आरजे-4)	राजस्थान	76	26.42	26.35	एनएचआइ	मई-2006	नव.-2008	सित.-.2012	250.39	46
66.	तूतीकोरीन पत्तन	तमिलनाडु	7ए	47.2	42.5	एसपीवी	अप्रैल-2010	अप्रैल-2012	सित.-2012	182.25	5
67.	सलेम-उलून्डरूपेट (बीओटी-1/टीएन-06)	तमिलनाडु	68	136.357	ख34.2	बीओटी	जन.-2008	जन.-2011	फर.-2013	941	25
68.	चैन्नै-टाडा (6 लेन)	तमिलनाडु	5	43.4	7	बीओटी	अप्रैल-2009	अक्तू.-2011	मार्च-2014	353.37	29
69.	त्रिची-करूर	तमिलनाडु	67	79.7	70	बीओटी	जन.-2008	जुलाई-2010	मार्च-2013	516	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	तंजावुर-त्रिची	तमिलनाडु	67	56	54.2	बीओटी	दिस.-2006	जून-2009	नव.-2012	280	41
71.	लखनऊ-कानपुर (ईडब्ल्यू/3बी)	उत्तर प्रदेश	25	16	15.3	एनएचएआई	फर.-2010	अग.-2011	अक्तू.-2012	54	14
72.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	उत्तर प्रदेश	26	49.7	44.5	वार्षिकी	मार्च-2007	सित.-2009	दिस.-2012	355.06	39
73.	गंगा पुल से रामा देवी क्रासिंग (यूपी-6)	उत्तर प्रदेश	25	5.6	1.64	एनएचएआई	दिस.-2005	सित.-2008	मार्च-2013	201.66	54
74.	औरैया से झांसी (यूपी-5)	उत्तर प्रदेश	25	50	50	एडीबी	सित.-2005	मार्च-2008	दिस.-2012	340.68	57
75.	गढ़मुक्तेश्वर-मुदाबाद	उत्तर प्रदेश	24	56.25	55.85	एनएचएआई	मार्च-2005	सित.-2007	सित.-.2012	275	60
76.	हापुड-गढ़मुक्तेश्वर	उत्तर प्रदेश	24	35	34	एनएचएआई	मार्च-2005	सित.-.2007	सिम..2012	220	60
77.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/1-ए)	उत्तर प्रदेश	2	50.83	50.76	डब्ल्यूबी	मार्च-2002	मार्च-2005	अक्तू.-2012	367.49	91
78.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकट्टा (डब्ल्यूबी-1)	पश्चिम बंगाल	31सी	32	25.5	एनएचएआई	जून-2006	नव.-2008	सित.-.2012	221.82	46
79.	सिलीगुडी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-7)	पश्चिम बंगाल	31	26	18.69	एनएचएआई	जन.-2006	जुलाई-2008	दिस.-2012	225	53
80.	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III)	पश्चिम बंगाल	6	1.732	0.48	एनएचएआई		समाप्त		81	59

पथकर का संग्रहण

540. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि में निर्माणाधीन राजमार्गों पर निजी सड़क कंपनियों द्वारा शत-प्रतिशत पथकर वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का पथकर नीति अथवा पथकर संग्रहण व्यवस्था में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि सड़क उपयोग करने वालों की शिकायतों का समाधन किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति के कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) रियायतग्राहियों द्वारा रियायत करारों और अधिसूचित दरों के उपबंधों के अनुसार प्रयोक्ता फीस संग्रहीत की जा रही है। तथापि, पथकराधीन 4 लेन खंडों के मामले में जब उनको 6 लेन/और विकास के लिए लिया जाता है तब पथकराधान राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार 6 लेन/और विकास के दौरान पथकराधान जारी रहता है। उन खंडों, जहां प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) अधिसूचित दरों के अनुसार वसूल किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। सड़क प्रयोक्ताओं की दिक्कतों को कम करने के लिए, सरकार ने दिनांक 12.10.2011 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली, 2008 को संशोधित किया है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली, 1997 से राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली, 2008 में ट्रांजिट करते समय प्रयोक्ता शुल्क दरों की ग्रेड वृद्धि अधिकतम 25% हो। यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जो वर्तमान में 4 लेन के राजमार्ग हैं और जिनको बीओटी (पथकर) निविदा प्रक्रिया पर 6 लेन परियोजनाओं के रूप में लिया

जा रहा है, ट्रांजिशन योजना 1997 नियमावली से 2008 नियमावली में अधिसूचित किया जाना चाहिए और इसके पश्चात् परियोजना की निविदा दी जाए जिसके लिए निर्माण पूरा होने तक सदृश पथकर अधिसूचना लागू रहेगी।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

दिनांक 08.08.2012 की स्थिति के अनुसार उन परियोजनाओं जहां निर्माण अवधि के दौरान पथकराधान चल रहा है, की सूची

	खंड	पथकराधान पहुंच के किमी	रारा	राज्य
1.	गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर	किमी. 42.0 से किमी 246.00	8	हरियाणा और राजस्थान
2.	सूरत-दहिसर	किमी 263.4 से किमी 502.00	8	गुजरात और महाराष्ट्र
3.	जगतपुर-भुबनेश्वर-चांदीखोल	किमी 413.000 से किमी 418.000 और किमी 0.000 से किमी 62.000	5	ओडिशा
4.	पुणे-सतारा	किमी 2.80 से किमी 30.0 और किमी 834.50 से किमी 781.00 से किमी 725.00	4	महाराष्ट्र
5.	बेलगाम-धारवाड़	किमी 433.000 से किमी 515.000	4	महाराष्ट्र
6.	होसूर-कृष्णागिरी	किमी 33.130 से किमी 93.000	7	तमिलनाडु
7.	कृष्णागिरी-वालाजपेट	किमी 89.00 से किमी 93.000 और किमी 0.000 से किमी 148.300	7 और	तमिलनाडु
8.	पानीपत-जालंधर	किमी 96 से किमी 372.00	1	हरियाणा और पंजाब
9.	समखियाली-गांधीधाम	किमी 306 से किमी 362.16	8ए	गुजरात
10.	देवनहल्ली-बंगलौर	किमी 534.720 से किमी 556.840	7	कर्नाटक

[हिन्दी]

मल्टीब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

541. **श्री कामेश्वर बैठाः**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः
श्री महेश्वर हजारीः
डॉ. भोला सिंहः
श्रीमती ऊषा वर्माः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री ए. सम्पतः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः
श्रीमती सुशीला सरोजः
चौधरी लाल सिंहः
श्री एम.बी. राजेशः
श्री श्रीपाद येसो नाईकः
श्री रुद्रमाधव रायः
श्री प्रहलाद जोशीः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री प्रदीप माझीः

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित तंत्र क्या हैं और सरकार ने (छोटे दुकानदारों, किसानों और व्यापारियों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को बचाने के लिए क्या सुरक्षोपाय प्रदान किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार की अनुमति देने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों के विचार/सहमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अधययन करवाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार मं सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 51% तक एफडीआई की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है जो विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन है। तथापि विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक सहमति बनाने के लिए इन निर्णय को स्थगित किया गया है।

(ख) नीतिगत निर्णय में अपनाए गए सुरक्षोपाए इस प्रकार हैं:

(i) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी जाए;

(ii) ताजे कृषि उत्पाद, जिनमें फल, सब्जियां, फूल, अनाज, दालें, ताजा पोल्ट्री, मछली और मांस उत्पाद शामिल हैं, बिना ब्रांड के हो सकते हैं।

(iii) विदेशी निवेशक द्वारा एफडीआई के तोर पर लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमेरिकी डालर होगी।

(iv) लाए जाने वाले कुल एफडीआई का न्यूनतम 50 प्रतिशत 'बैक एंड बुनियादी सुविधाओं' में निवेश किया जाएगा, जहां 'बैक एंड आधारभूत सुविधाओं में सभी कार्यकलापों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, सिवाए फ्रंट एंड इकाइयों पर किए गए पूंजी व्यय के; उदाहरण के लिए बैक एंड अवसंरचना में शामिल होगा प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, वेयरहाउस, कृषि बाजार उत्पाद अवसंरचना आदि पर किया गया निवेश। भूमि की लागत और किरायों पर किया गया व्यय, यदि कोई हो, को बैक एंड आधारभूत प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।

(v) विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों की खरीद का न्यूनतम 30 प्रतिशत भारतीय 'लघु उद्योगों' से खरीदा जाएगा, जिनका संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होगा। यह मूल्य स्थापना के समय के मूल्य को बताता है, जिसमे मूल्यह्रास शामिल नहीं है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय यह मूल्य पार हो जाता है, तो उद्योग इस प्रयोजन हेतु 'लघु उद्योग' के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) उपर्युक्त क्रम सं. (iii), (iv) और (v) में दी गई शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा स्व-प्रमाणन, जिन्हें आवश्यकता होने पर दुबारा जांचा जा सकता है। तदनुसार, निवेशकों को वैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखाओं का रखरखाव करना होगा।

(vii) खुदरा बिक्री स्थलों की स्थापना केवल उन शहरों में की जा सकती है जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है और ऐसे शहरों की नगरपालिका/शहरी संकुलन के आस-पास के 10 किमी. क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है; संबंधित शहरों की मास्टर/जोनल योजनाओं के अनुसार खुदरा स्थल सदृश क्षेत्रों तक प्रतिबंधित किए जाएंगे और अपेक्षित सुविधाओं जैसे कि परिवहन सम्पर्क के लिए प्रावधान किए जाएगें;

(viii) कृषि उत्पादों को खरीदने का प्रथम अधिकार सरकार का होगा।

(ग) जुलाई, 2010 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने इस विषय पर चर्चा करने और राज्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार और टिप्पणियां प्राप्त करने के उद्देश्य से 'मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश' विषय पर चर्चा पत्र जारी किया। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देने के पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार प्राप्त हुए।

(घ) दिल्ली और मणिपुर राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली ने लिखित रूप में नीति के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। महाराष्ट्र, असम, हरियाण, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रेस वक्तयों के जरिए सार्वजनिक रूप से इस नीति का समर्थन किया है और इसके कार्यान्वयन का अनुरोध किया है।

(ङ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों संबंधी भारतीय अनुसंधान परिषद् (आईसीआरआईईआर) के जरिए 'असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा का प्रभाव' पर एक अध्ययन शुरू किया था। यह रिपोर्ट वर्ष 2008 में सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

(च) आईसीआरआईईआर के अध्ययन की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस संबंध में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

विवरण

आईसीआरआईईआर अध्ययन के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अगले पांच वर्षो में वास्तविक जीडीपी में प्रतिवर्ष 8-10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। परिणामस्वरूप, 90,000 रुपये से अधिक वार्षिक घरेलू आय वाले उपभोक्ता वर्ग के वर्ष 2006-07 में लगभग 370 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 620 मिलियन हो जाने की संभावना है। अत:, भारत में खुदरा व्यवसाय वर्ष 2006-07 में 322 बिलियन अमरीकी डालर से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के साथ बढ़कर वर्ष 2011-12 में 590 बिलियन अमरीकी डालर होने की संभावना है। अध्ययन दर्शाता है कि:

- असंगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की संभावना है, वर्ष 206-07 में 309 बिलियन अमरीकी डालर की बिक्री वर्ष 2011-12 से बढ़कर 496 बिलियन अमरीकी डालर होने की संभावना है।
- असंगठित खुदरा व्यापारियों की अपेक्षाकृत कमजोर वित्तीय स्थिति तथा उनकी विस्तार संभावना में भौतिक स्थान संबंधी बाधाओं के कारण, यह क्षेत्र अकेले खुदरा व्यापार की बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा।
- अत: संगठित खुदरा व्यापार में जो कुल खुदरा व्यापार का मात्र 4 प्रतिशत है, तीव्र गति से 45 से 50 प्रतिशत वृद्धि की संभावनज्ञ है एवं वर्ष 2011-12 में कुल खुदरा व्यापार में इसका हिस्सा चौगुना अर्थात् 16 प्रतिशत होने की संभावना है।
- यह एक सकारात्मक तथ्य है जिसमें असंगठित एवं संगठित क्षेत्र दोनों, न केवल एक साथ अस्तित्व में रहेंगे अपितु उनके आकार में भी वृद्धि होगी।
- इस अध्ययन में जिन असंगठित खुदरा व्यापारियों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से अधिकांश ने इस व्यवसाय को छोड़ने के बजाय इसमें बने रहने तथा प्रतिस्पर्धा करने की बात कही है।

मुख्य निष्कर्ष

असंगठित खुदरा व्यापारियों पर प्रभाव

- बड़े असंगठित खुदरा व्यापारियों के प्रवेश के बाद प्रारंभिक वर्षों में, असंगठित खुदरा व्यापारियों, जो संगठित खुदरा व्यापारियों के आसपास थे, के व्यापार एवं लाभ की मात्रा में कमी आई।
- बिक्री एवं लाभ पर विपरीत प्रभाव समय के साथ-साथ कम होता गया।
- संगठित खुदरा व्यापारियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में समग्र रोजगार में कमी के कोई प्रमाण नहीं थे।
- उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्रों में रोजगार में कुछ कमी आई, इसका प्रभाव समय के साथ-साथ कम होता गया।
- समग्र रूप से असंगठित खुदरा दुकानों के बंद होने की दर 4.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष पाई गई है जो कि छोटे व्यवसायों के बंद होने की अंतर्राष्ट्रीय दर से काफी कम है।
- संगठित खुदरा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के कारण बंद होने की दर भी कम है तथा 1.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।
- सुधरी हुई कारोबार रीतियों तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए परंपरागत खुदरा विक्रेताओं से भी प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया मिल रही है।
- असंगठित क्षेत्र के अधिकांश खुदरा विक्रेता कारोबार में बने रहना और प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी इसी तरह काम जारी रखे।
- छोटा खुदरा विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने एवं बनाए रखने में अधिक भरोसेमंद रहे हैं।

- तथापि केवल 12 प्रतिशत असंगठित खुदरा विक्रेताओं की संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच है एवं 37 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंक ऋण तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता महसूस करते हैं।

- अधिकांश असंगठित खुदरा विक्रेता स्वतंत्र बने रहने के लिए वचनबद्ध हैं और मात्र 10 प्रतिशत ने संगठित खुदरा विक्रेताओं का फ्रेंचाईजी बनना पसंद किया।

उपभोक्ताओं पर प्रभाव

- उपभोक्ताओं ने निश्चित रूप से संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र का बहुत अधिक लाभ उठाया है।

- संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रवेश के साथ ही समग्र उपभोक्ता खर्च बढ़ा है।

- हालांकि सभी आय वर्गों ने वंगठित खुदरा खरीदारी से बचत की, लेकिन सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं ने कहीं ज्यादा बचत की। इस प्रकार, संगठित खुदरा क्षेत्र कम समृद्ध वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभदायक है।

- असंगठित आउटलैट का सबसे बड़ा तुलनात्मक लाभ, समीप होना है।

- असंगठित खुदरा विक्रेताओं के पास काफी प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं जिनमें उपभोक्ता की ख्याति, उधार पर बिक्री, सौदेबाजी की संभावनाएं, खुले सामनों (लूज आईटम) की बिक्री करवाना, सुविधाजनक समय और घर पर सुपुर्दगी शामिल है।

मध्यस्थों पर प्रभाव

- अध्ययन में मध्यस्थों पर संगठित खुदरा क्षेत्र के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है।

- तथापि फल, सब्जियों और परिधान जैसे उत्पादों के लिए काम कर रहे मध्यस्थों के टर्नओवर तथा लाभ पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- दो तिहाई से ज्यादा मध्यस्थ, खुदरा क्षेत्र के विस्तार से कारोबार के बढ़े अवसरों के परिणामस्वरूप, अपने कारोबारों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

- केवल 22 प्रतिशत नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी इस कारोबार में आए।

किसानों पर प्रभाव

- संगठित खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री के विकल्प से किसानों को काफी लाभ हुआ है।

- संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र को फूलगोभी सीधे बिक्री करने वाले किसानों के लिए औसत मूल्य वसूली सरकार द्वारा नियंत्रित मंडी में उनके बिक्री की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक रहा है।

- संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र को सीधे बिक्री करने वाले किसानों का लाभ मंडी में बिक्री से प्राप्त राशि से करीब 60 प्रतिशत ज्यादा रहा।

- यदि मंडी में कमीशन एजेंट द्वारा ली जाने वाली राशि (जो प्रायः बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत होती है) को भी ध्यान में रखा जाए, तो अंतर और भी ज्यादा है।

विनिर्माताओं पर प्रभाव

- बड़े विनिर्माताओं ने मूल्य और भुगतान संबंधी दबावों के जरिए संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है।

- विनिर्माताओ ने अपनी ब्रांड क्षमता का सृजन तथा सुदृढ़ीकरण करके, अपनी खुदरा मौजूदगी बढ़ाकर, छोटे खुदरा विक्रेताओं को 'अपनाकर' और आधुनिक खुदरा विक्रेताओं के साथ कारोबार हेतु समर्पित दलों की स्थापना करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

- संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रवेश से संभारतंत्र (लॉजीस्टिक्स) उद्योग बदल रहा है। यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सकारात्मक बहिर्मुखता पैदा करेगा।

- छोटे विनिर्माताओं पर संगठित व्यापार क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा।

नीतिगत सिफारिशें

सर्वेक्षण के परिणामों और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार क्षेत्र के अनुभवों की समीक्षा के आधार पर, अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की गई हैं:

1. निजी-सरकारी सहभागिता के जरिए वैट मार्केटों का आधुनिकीकरण।

2. जैसा कि चीन में है, असंगठित खुदरा क्षेत्र को बिक्री और किसानों में खरीद के लिए मेट्रो जैसे कैश एंड कैरी आउटलेटों की सुविधा प्रदान करना।

3. आपूर्तिकर्ताओं और किसानों से सीधी खरीद के लिए असंगठित खुदरा विक्रेताओं के को-ऑपरेटिब्स और एसोसिएशनों को प्रोत्साहन देना।

4. नवीन सुधारों वाले बैंकिंग समाधानों के जरिए बैंकों और छोटे ऋण संस्थानों से असंगठित खुदरा विक्रेताओं को बेहतर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5. संगठित खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री के लिए किसानों की को-ऑपरेटिब्स के गठन की सुविधा प्रदान करना।

6. छोटे आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार के लिए संगठित खुदरा क्षेत्र द्वारा "निजी आचार संहिता" के गठन को प्रोत्साहन देना। बाद में इन्हें लागू करने योग्य कानून में समाविष्ट किया जा सकता है।

7. संगठित क्षेत्र के लिए लाइसेंसिंग तथा परमिट व्यवस्था का सरलीकरण और आधुनिक खुदरा क्षेत्र मुहैया कराने हेतु राज्यों में एक समान राष्ट्रव्यापी लाइसेसिंग व्यवस्था की ओर बढ़ना।

8. सांठगांठ तथा लूटखसोट वाले मूल्य निर्धारण के खिलाफ नियम लागू करने हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका को सुदृढ़ करना।

9. एपीएमसी बाजारों का आधुनिकीकरण जैसाकि बंगलौर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) सफल मार्केट बनाया गया है।

[अनुवाद]

कांडला परिसर को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करना

542. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कांडला पत्तन न्यास से कांडला परिसर को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) कांडला पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव कांडला पत्तन न्यास द्वारा गांधीधाम में पट्टे पर दिए गए आवासीय और संयुक्त क्षेत्रों के कुछ हिस्सों और गांधीधाम और अदिपुर में सिंधु पुनर्वास निगम द्वारा आगे पट्टे (सब लीज) पर दिए गए भूमि के कुछ क्षेत्रों को लीजहोल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के संबंध में है। उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

ब्रॉड बेस व्यापार और निवेश समझौता

543. श्री एम.आई. शानवासः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूरोपीय संघ के साथ ब्रॉड-बेस व्यापार और निवेश समझौता (बी.टी.आई.ए.)/मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) विवादित मुद्दे पर अभी जारी बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके समाधन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) उपर्युक्त समझौते से लघु और मध्यम उद्यमों और निर्यातकों को होने वाले संभावित आर्थिक लाभ का ब्यौरा क्या है?

वणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत सरकार यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एक द्विपक्षीय व्यापक व्यापार और निवेश समझौते पर वार्ता कर रही है तथा हेलसिंकी में अक्तूबर, 2006 को 7वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय व्यापार समूह के सिफारिशों पर आधारित 28-29 जून, 2007 को ब्रुसेल्स में वार्ताएं आरंभ की गई थीं। वस्तुओं में व्यापार, सेवाओ में व्यापार, निवेश, स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार को तकनीकी बाधाओं, व्यापार उपायों, सरकारी खरीद, सीमाशुल्क सहयोग और व्यापार सुविधा, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा के अधिकार आदि सहित कई क्षेत्रों में वार्ताएं जारी हैं। अब तक चौदह दौर की वार्ताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग) जारी वार्ताओं में पूर्व की तथा स्थापित प्रथा के अनुरूप विवादस्पद मुद्दों तथा उनके समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और वार्ता के ब्यौरों को उजागर करना उनकी संवेदनशीलताओं के कारण असामयिक होगा। समझौते को अंतिम रूप देने से पहले कुछ भी उजागर किए जाने से वार्ताओं के क्रम में भारत की स्थिति प्रतिकूलतः प्रभावित होगी।

(घ) द्विपक्षीय व्यापक व्यापार समझौते के फलस्वरूप वस्तु एवं सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी तथा निवेश भी बढ़ेगा और लघु एवं मध्यम उद्यमी एवं निर्यातक लाभान्वित होंगे।

नक्सलवादी/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास

544. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नक्सलवादी/वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओडिशा सहित उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित/जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति विशेषरूप से बिहार के सुपौल, सासाराम तथा बाल्मीकि नगर में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) विशेषकर छत्तीसगढ़ में विलंबित परियोजना यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन राज्यों में पहुंच में बढ़ोत्तरी तथा साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सड़क अवसंरचना प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 7300 करोड़ रुपये की लागत से 8 राज्यों में 34 जिलों के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 5477 किमी सड़कों के विकास के लिए सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी), अनुमोदित की है। कार्यक्रम और निर्धारित/निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जून, 2012 तक 1811 किमी सड़कें पूरी की गई हैं। आरआरपी के अंतर्गत सभी कार्य मार्च, 2015 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। रोहतास जिले के सौपाल और सासाराम में कोई परियोजना अनुमोदित सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित 34 जिलों में बिहार का वाल्मीकि नगर शामिल नहीं है।

(घ) ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति और बस्तर क्षेत्र में कुछ सुरक्षा संबंधी मुद्दों की वजह से छत्तीसगढ़ में 229 किमी लंबाई के 7 कार्य विलंबित हुए हैं।

(ङ) सुरक्षा प्रबंधनों सहित वामपंथी उग्रवाद (एलडबल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अवरोधों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अलग-अलग परियोजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के पश्चात् अग्रिम में ही निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा गया है। इसके परिणामस्वरूप कार्यों का शीघ्र सौंपना और परियोजनाओं की संस्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य तुरन्त शुरू करना है।

विवरण

निर्धारित और जारी निधियां

राज्य	आरआरपी में अभिनिर्धारित लंबाई (किमी)	संस्वीकृत कार्य (किमी लंबाई)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)	जून, 2012 तक व्यय
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	620	620	1131	475
बिहार	675	674	616	405
छत्तीसगढ़	2092	1968	2658	497
झारखंड	752	760	1099	182

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	237	237	212	52
महाराष्ट्र	420	470	810	212
ओडिशा	614	614	949	280
उत्तर प्रदेश	67	67	42	29
जोड़	5477	5410	7517	2132

[हिन्दी]

आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण

545. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों की मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यय का कारखाने-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आधुनिकीकरण कार्य के पूरा करने के पश्चात् निर्धरित किए गए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आधुनिक मशीनरियों के प्रचालन हेतु कोई विशेष संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों की मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का आयुध निर्माणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है: (निर्माणी-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं)

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	नवीकरण और प्रतिस्थापन के तहत व्यय	नई पूंजी के तहत व्यय	कुल व्यय
2009-10	228.49	106.90	335.39
2010-11	208.15	327.21	535.36
2011-12 (अनंतिम)	309.14	162.63	471.77
कुल	745.78	596.74	1342.52

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन लक्ष्य के प्रति प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	उत्पादन लक्ष्य (बीई)	उपलब्धियां	पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धियों में % वृद्धि
2009-10	9662	8715	21
2010-11	11208	11215	29
2011-12	12391	12389	10

(ग) और (घ) प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी के आपूर्ति आदेश खंड के अनुसार, अधिप्राप्ति के तहत संयंत्र और मशीनरी के प्रचालनार्थ प्रशिक्षण आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संयंत्र के प्रेषण-पूर्व-निरीक्षण और उसके प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के दौरान दिया जाता है।

विवरण

पूंजीगत संयंत्र तथा मशीनरी पर व्यय

क्र. सं.	निर्माणी	2009-10 एनसी	2009-10 आरआर	2009-10 कुल	2010-11 एनसी	2010-11 आरआर	2010-11 कुल	2011-12 एनसी	2011-12 आरआर	2011-12 कुल
मशीन ओर संघटक										
1.	धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर	37.95	1292.45	1330.4	4.26	974.3	978.56	5.15	1116.38	1121.53
2.	आयुध निर्माणी, अम्बरनाथ	83.73	891.24	944.97	40.35	1144.34	1184.69	8.42	429.41	437.83
3.	आयुध निर्माणी, कटनी	0	1031.33	1031.33	0	382.48	382.48	0.17	1992.97	1993.14
4.	आयुध निर्माणी, मुरादनगर	9.79	260.4	270.19	68.22	483.65	551.87	0	827.73	827.73
5.	आयुध निर्माणी, भुसावल	0	93.64	93.64	0	184.96	184.86	0	188.34	188.34
6.	मशीन टूल प्रोटोटाइप निर्माणी, अम्बरनाथ	1.24	265.7	366.94	0	530.05	350.05	0	990.07	990.07
7.	आयुध निर्माणी, अम्बाझारी	8.93	7150.64	7159.57	5.54	1490.21	1495.75	1626.43	2089.53	3715.96
8.	हेवी अलॉय पेनेट्रेटर प्रोजेक्ट, तिरुचिरापल्ली	0	228.21	228.21	0	489.24	489.24	0.57	141.24	141.81
कुल		111.65	11313.61	11425.26	118.37	5679.23	5797.6	1640.74	7775.67	9146.41
शस्त्र वाहन तथा उपस्कर										
1.	गन केरिज निर्माणी, जबलपुर	0	392.15	392.15	0	185.74	185.74	0	1045.64	1045.64
2.	राइफल निर्माणी, ईशापुर	2.66	179.59	182.25	21.16	671.04	692.2	29.43	904.19	933.62
3.	गन एवं शैल निर्माणी, कोसीपुर	0	109.11	109.11	0	155.11	155.11	0	440.01	440.01
4.	आयुध निर्माणी, कानपुर	4.46	1790.3	1794.76	6.71	448.34	155.05	0	2656.25	2856.25
5.	लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	6.6	386.3	392.9	0	721.79	721.79	0.38	1024.43	1024.81
6.	आयुध निर्माणी, दमदम	0	3.95	3.95	40.19	2.13	42.32	0	119.36	119.36
7.	आयुध निर्माणी, त्रिची	0	37.95	37.95	0	95.04	95.04	24.27	300.62	324.89
8.	वाहन निर्माणी, जबलपुर	0	779.85	779.85	1.94	791.74	793.68	296.82	614.09	910.91
9.	फील्ड गन निर्माणी, कानपुर	39.7	289.89	329.59	11.3	241.12	252.42	0	2331.55	2331.55
10.	ग्रे आयरन फाउंडरी, जबलपुर	0	88.99	88.99	0	304.69	304.69	0	347.19	347.19
11.	आयुध निर्माणी प्रोजेक्ट, कोरवा	0	0	0	123.83	0	123.83	2357.64	0	2357.64
	कुल	53.42	4058.08	4111.5	205.13	3616.74	3821.87	2708.53	9983.33	12691.86

गोलाबारूद तथा विस्फोटक										
1.	गोलाबारूद निर्माणी, किरकी	23.2	189.35	212.55	33.31	3642	3675.31	84.74	890.78	978.52
2.	कोडइट निर्माणी, अरुवनकाडु	4.65	134.12	138.79	0	337.26	337.26	0	97.8	97.8
3.	उच्च विस्फोटक निर्माणी, पुणे	11.72	277.94	289.66	17.86	168.27	186.13	0	310.05	310.05
4.	आयुध निर्माणी, खमरिया	388.77	266.41	655.18	22.54	322.63	345.17	48.77	1551.88	1600.65
5.	आयुध निर्माणी, भण्डारा	0	452.49	452.49	35.88	581.16	617.04	30.38	2273.87	2304.25
6.	आयुध निर्माणी, वरणगांव	0	423.6	423.6	2.79	610.55	613.34	38.12	1976.43	2014.55
7.	आयुध निर्माणी, चन्द्रपुर	12.76	229.37	242.13	11.98	416.18	428.16	39.56	652.55	692.11
8.	आयुध निर्माणी, बडमाल	0.47	71.29	71.76	0	82.6	82.6	0	173.84	173.84
9.	आयुध निर्माणी, इटारसी	1567.18	131.61	1698.79	1016.91	213.13	1230.04	311.83	319.28	631.13
10.	आयुध निर्माणी, देहू रोड	7.22	30.44	37.66	15.58	58.87	74.45	74.15	305.15	379.30
11.	आयुध निर्माणी प्रोजेक्ट, नालंदा	7751.21	0	7751.21	9189.83	0	9189.83	1152.23	11.34	1163.57
	कुल	9767.2	2206.64	11973.84	10346.68	6432.66	16779.34	1779.77	8562.97	10342.74
कवचित वाहन ग्रुप										
1.	आयुध निर्माणी, देहरादून	3.45	0.45	3.9	3.41	37.53	40.94	0.3	42.34	42.64
2.	आयुध केबल निर्माणी, चंडीगढ़	0	24.95	24.95	37.68	2.83	40.51	7.68	6.34	14.02
3.	भारी वाहन निर्माणी, आवडी	177.72	3190.29	3368.01	73.2	1712.72	1785.92	29.56	1446.93	1476.49
4.	आयुध निर्माणी, मेढक	70.11	205.47	275.58	21464.92	563.14	22028.06	9557.77	1053.27	10611.04
5.	इंजन निर्माणी, आवडी	20.07	1118.66	1138.73	6.87	1634.09	1640.96	33.08	668.87	701.95
6.	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक निर्माणी, देहरादून	384.84	78.07	462.91	340	337.83	677.83	438.36	556.07	994.43
	कुल	656.2	4617.88	5274.08	21926.09	4288.14	26214.23	10066.76	3773.82	13840.58
आयुध उपस्कर ग्रुप										
1.	आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	52.34	121.5	173.84	43.96	325.78	369.74	0	200.68	200.68
2.	आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर	24.79	31.1	55.89	0.22	91.65	91.87	0	63.01	63.01
3.	आयुध पैराशूट निर्माणी	2.18	321.84	324.02	0.00	179.77	179.77	48.97	140.17	189.14
4.	आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी	10	176.77	186.77	62.87	116.24	179.11	10.73	129.8	140.53
5.	आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर	12.3	1.89	14.19	17.74	84.35	102.09	7.36	284.94	292.3
	कुल	101.6	653.1	754.7	124.78	797.79	922.57	67.07	818.6	885.67
सकल योग		10,690.06	22,849.31	33,539.37	32,721.04	20,814.56	53,535.60	16,262.86	30,914.38	47,177.24

[अनुवाद]

बफर क्षेत्र की अधिसूचना

546. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री बैधनाथ प्रसाद महतो:
श्री रामकिशुन:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के आधार पर देश में बाघ अभयारण्यों के कोर जोनों में पर्यटन कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इको पर्यटन के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने उनके क्षेत्राधिकार में स्थित बाघ अभयारण्यों के आस-पास के कर क्षेत्रों के संबंध में अधिसूचना जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों का राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि बाघों को विलुप्त होने से बचाया जा सके?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सिविल) 2011 की संख्या 21339-अजय दुबे बनाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं अन्य के मामले में "संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आस-पास पारि-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों" को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में 41 बाघ रिजर्वों में से, 30 बाघ रिजर्वों में बफर क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। अभी तक राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किये गये बफर क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सिविल) 2011 की संख्या 21339 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.7.2012 के आदेश के अनुपालन हेतु बाघ बहुल राज्यों को सलाह जारी कर दी गयी है।

विवरण

राज्यों द्वारा यथा सूचित बाघ रिजर्वों के बफर क्षेत्रों की सूची (9.8.2012 तक)

क्रम सं.	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	बफर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4
1.	बांदीपुर	कर्नाटक	584.06
2.	कॉर्बेट	उत्तराखंड	466.32
3.	कान्हा	मध्य प्रदेश	1134.361
4.	मानस	असम	2310.88
5.	मेलघाट	महाराष्ट्र	1268.03
6.	पलामू	झारखंड	715.85
7.	सिमलीपाल	ओडिशा	1555.25
8.	सुंदरवन	पश्चिम बंगाल	885.27
9.	पेरियार	केरल	44.00
10.	सरिस्का	राजस्थान	332.23
11.	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	367.3225
12.	इन्द्रावती	छत्तीसगढ़	1540.70
13.	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1107.9848
14.	पेंच	मध्य प्रदेश	768.30225
15.	तड़ोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र	1101.7711
16.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	820.03509
17.	डम्पा	मिजोरम	488.00
18.	भद्रा	कर्नाटक	571.83
19.	पेंच	महाराष्ट्र	483.96
20.	नमेरी	असम	144.00
21.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	794.04397
22.	उदान्ती-सीतानदी	छत्तीसगढ़	991.45
23.	काजीरंगा	असम	548.00
24.	अचनाकमर	छत्तीसगढ़	287.822

1	2	3	4
25.	डांडेली-अंशी	कर्नाटक	282.63
26.	संजय-डुबरी	मध्य प्रदेश	861.931
27.	परम्बीकुलम	केरल	252.772
28.	बीलीगिरि रंगनाथ टेम्पल	कर्नाटक	215.72
29.	कावल	आंध्र प्रदेश	1125.89
30.	बाल्मीकि	बिहार	300.93
	कुल		22351.34571

[हिन्दी]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से वैज्ञानिकों का पलायन

547. श्री तूफानी सरोज:
श्री सी.आर. पाटिल:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में कितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान डीआर-डीओ में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डीआरडीओ में कम परिलब्धियां उनके इस्तीफे की प्रमुख वजह है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत कार्यरत प्रयोगशालाओं का ब्यौरा और प्रत्येक प्रयोगशाला में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान त्याग-पत्र देने वाले वैज्ञानिकों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

पद	वर्ष				
	2007	2008	2009	2010	2011
वैज्ञानिक 'बी'	166	78	41	38	58
वैज्ञानिक 'सी'	86	58	18	18	21
वैज्ञानिक 'डी'	13	8	2	2	5
वैज्ञानिक 'ई'	2	5	1	3	1
वैज्ञानिक 'एफ'	6	1	3	2	1
कुल	273	150	65	63	86

वर्ष 2007-2011 के दौरान किसी भी वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एच', और विशिष्ट वैज्ञानिक ने त्याग पत्र नहीं दिया है।

(घ) जिन वैज्ञानिकों ने त्याग पत्र दिया है, उन्होंने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को छोड़ने के कारणों में अपना व्यक्तिगत/घरेलू आधार बताया है। तथापि, यह अनुमान है कि अन्य संगठनों/उद्योगों में उपलब्ध बेहतर अवसरों/प्रोत्साहन वैज्ञानिकों के बड़ी तादाद में बहिर्गमन के कारण हैं।

(ङ) बड़ी तादाद में वैज्ञानिकों के बहिर्गमन को रोकने के सुधारात्मक उपायों के रूप में निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं:–

- प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति पर दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां।
- फास्ट ट्रैक्ट के आधार पर दी गई पदोन्नति पर छह तक परिवर्तनीय वेतनवृद्धियां।

- सभी वैज्ञानिकों को व्यावसायिक अद्यतन भत्ता।
- मूल्यांकनों के जरिए फास्ट ट्रैक्ट पदोन्नतियां।
- प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी/आईआईएस आदि में डीआरडीओ प्रायोजित उम्मीदवार के रूप में उच्च योग्यता प्राप्त करने के अवसर।
- वैज्ञानिकों को उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए युवा वैज्ञानिक, वर्ष का वैज्ञानिक, तथा अन्य डीआरडीओ पुरस्कार, आदि प्रदान करना।
- कार्य स्थलों तथा आवासीय परिसरों में उत्कृष्ट आधारभूत सुविधाएं सृजित की गई हैं।

सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के बराबर डीआरडीओ वैज्ञानिकों को कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है।

विवरण

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की संख्याशक्ति

क्र.सं.	प्रयोगशालाओं के नाम	वैज्ञानिकों की संख्याशक्ति
1	2	3
1.	वैमानिक विकास स्थापना (एडीई), बेंगलूर	317
2.	एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एडीआरडीई), आगरा	78
3.	एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप (एएनयूआरएजी), हैदराबाद	97
4.	आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना (एआरडीई), पुणे	220
5.	एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी (एएसएल), हैदराबाद	282
6.	सेंटर फॉर एयर बोर्न सिस्टम (सीएडीएस), बेंगलूर	148
7.	सेंटर फॉर अर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर), बेंगलूर	165
8.	सेंटर फॉर मिलिटरी एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन (सीईएमआईएलएसी), बेंगलूर	134
9.	सेंटर फॉर परसोनल टेलेंट मैनेजमेंट (सीईपीटीएएम), दिल्ली	14
10.	सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी (सीएफईईएस), दिल्ली	86
11.	समाघात वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सीवीआरडीई), आवडी	219
12.	रक्षा वैमानिकी अनुसंधान स्थापना (डीएआरई), बेंगलूर	78
13.	रक्षा इलेक्ट्रानिकी अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डीईएएल), देहरादून	213
14.	रक्षा बायो इंजीनियरी एवं इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला (डीईबीईएल), बेंगलूर	72
15.	रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी), दिल्ली	22
16.	रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल), मैसूर	48
17.	रक्षा बायो-उर्जा अनुसंधान संस्थान (डीआईबीआईआर), हलद्वानी	21
18.	रक्षा उच्च तुंगता अनुसंधान संस्थान (डीआईएचएआर), लेह	14

1	2	3
19.	रक्षा शरीर विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (डीआईपीएएस), दिल्ली	72
20.	रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर), दिल्ली	40
21.	रक्षा प्रयोगशाला (डीएल), जोधपुर	98
22.	रक्षा इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएलआरएल), हैदराबाद	285
23.	रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल), हैदराबाद	195
24.	रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डीएमएसआर डीई), कानपुर	108
25.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डीआरडीई) ग्वालियर	125
26.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), हैदराबाद	495
27.	रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (डीआरएल), तेजपुर	29
28.	रक्षा भू-भाग अनुसंधान प्रयोगशाला (डीटीआरएल), दिल्ली	38
29.	गैर टरबाइन अनुसंधान स्थापना (जीटीआरई), बेंगलूर	291
30.	उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल), पुणे	223
31.	नाभिकीय औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञापन संस्थान (इनमास), दिल्ली	88
32.	उपकरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना (आईआरडीई), देहरादून	208
33.	प्रणाली अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईएसएसए), दिल्ली	87
34.	प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (आईटीएम), मसूरी	08
35.	एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर), बालासोर	117
36.	लेज़र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एलएएसटीईसी), दिल्ली	166
37.	इलेक्ट्रॉनिकी एवं रडार विकास स्थापना (एलआरडीई), बेंगलूर	302
38.	माइक्रोवेव ट्यूब अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एमटीआरडीसी), बेंगलूर	59
39.	नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएमआरएल), अंबरनाथ	84
40.	नौसेना भौतिक एवं समुद्रविज्ञान प्रयोगशला (एनपवीओएल), कोच्चि	255
41.	नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम	207
42.	प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिश्यामेंट (पीएक्सई), बालासोर	42
43.	अनुसंधान एवं विकास स्थापना (इंजीनियर) [आर एंड डीई(ई)], पुणे	158
44.	भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र (आरएसी), दिल्ली	12
45.	अनुसंधान केन्द्र इमारत (आरसीआई), हैदराबाद	536
46.	वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एसएजी), दिल्ली	104

1	2	3
47.	हिम एवं अवधाव अध्ययन स्थापना (एफएएसई), मनाली	56
48.	ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला (एसएसटीएल), दिल्ली	208
49.	टर्मिनल बेलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल), चंडीगढ़	150
50.	वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (वीआरडीई), अहमदनगर	108

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए अपर्याप्त निधियां

548. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा कितने आवंटन का अनुरोध किया गया है एवं गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वास्तव में राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के संसाधनों/वार्षिक बजट में से राष्ट्रीय राजमार्ग-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है एवं समय-सीमा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि की प्राक्कलित आवश्यकता का वर्ष-वार ब्यौरा और इस मंत्रालय को प्रदान कियागया वास्तविक आबंटन इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	धनराशि की प्राक्कलित आवश्यकता	प्रदान किया गया आबंटन
2008-09	2,500.00	974.32
2009-10	2,500.00	1,059.10
2010-11	2,800.00	1,989.46
2011-12	2,800.00	1,327.40
2012-13	3,000.00	1,998.03

पिछले तीन वर्ष, प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्ष प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/वार्षिक बजट में से राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करना इस मंत्रालय का प्रयास है। इसके लिए, इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि के आबंटनों को बढ़ाने के मुद्दे को समय-समय पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गहन मॉनीटरिंग करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। भूमि अधिग्रहण,

जन सुविधाओं के स्थानांतरण आदि में तेजी लाने के लिए उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है और विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जाती है और समय-समय पर उपचारात्मक कार्रवाही की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष, प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित निधियां और किए गए व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12[e]		2012-13	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन[1]	व्यय[2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	56.25	63.89	67.06	64.13	68.92	62.33	101.24	0.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.91	2.73	26.53	27.07	6.0	04.89	54.0	50.00
3.	असम	78.85	67.19	111.36	99.04	62.90	43.91	81.66	0.00
4.	बिहार	69.51	50.92	93.84	79.06	78.09	50.60	60.97	1.01
5.	चंडीगढ़	0.75	0.67	0.66	0.31	0.46	0.37	0.98	0.00
6.	छत्तीसगढ़	33.40	31.94	22.66	22.66	15.97	12.65	62.04	0.00
7.	दिल्ली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	1.65	0.00
8.	गोवा	5.35	4.93	4.85	1.66	4.97	3.60	11.89	0.03
9.	गुजरात	43.03	41.68	82.74	82.21	66.20	61.88	69.90	15.47
10.	हरियाणा	18.97	18.61	30.06	28.15	22.58	21.60	18.39	1.65
11.	हिमाचल प्रदेश	31.37	26.43	22.25	21.69	37.95	35.79	82.7	87.00
12.	झारखंड	28.97	18.23	33.20	32.92	17.30	16.23	50.98	3.30
13.	कर्नाटक	64.76	66.98	77.61	61.43	53.79	46.40	112.04	12.57
14.	केरल	28.50	60.45	52.08	41.88	34.62	22.27	50.99	0.00
15.	मध्य प्रदेश	57.15	59.53	45.39	43.30	33.01	19.04	55.60	0.00
16.	महाराष्ट्र	66.98	65.38	104.40	99.50	111.73	94.96	107.52	2.24
17.	मणिपुर	7.24	7.61	18.68	17.46	27.82	13.71	15.07	0.00
18.	मेघालय	14.78	17.79	48.92	44.93	58.85	34.70	25.09	0.65
19.	मिजोरम	3.58	2.22	39.69	37.44	24.42	17.98	41.97	1.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	नागालैंड	12.30	10.72	14.57	12.77	55.53	49.51	28.36	1.71
21.	ओडिशा	59.50	61.83	80.77	80.77	35.81	32.18	90.11	8.75
22.	पुदुचेरी	1.63	0.89	3.46	1.64	0.77	0.30	2.30	0.00
23.	पंजाब	23.00	26.86	21.38	16.13	17.67	14.84	39.95	1.13
24.	राजस्थान	76.53	48.39	85.72	77.30	106.30	97.42	121.85	0.37
25.	तमिलनाडु	32.62	41.21	54.36	53.90	42.98	33.74	54.47	4.64
26.	उत्तर प्रदेश	73.93	84.83	97.50	97.11	100.28	84.201	20.19	4.27
27.	उत्तराखंड	25.31	23.40	73.59	59.46	64.79	34.80	60.01	2.22
28.	पश्चिम बंगाल	27.15	36.70	57.65	54.75	26.57	22.14	45.66	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	0.00
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)ε	87.94	87.94	617.65	617.65	95.42	95.42	100.00	100.00
31.	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)$	24.00	23.73	65.00	44.50	55.00	55.00	70.00	7.12

ε - अनंतिम

[1] - जून, 2012 की स्थिति के अनुसार

[2] - जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार

$ - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

विवरण II

पिछले तीन वर्ष, प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित निधियां और किए गए व्यय

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	रारा सं.	धनराशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	......	....
		2010-11	......	......
		2011-12	52ए	2.00
		2012-13$	......	......
2.	बिहार	2009-10	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के पहुंचमार्ग	171.78
		2010-11		217.86

1	2	3	4	5
		2011-12		37.31
		2012-13$		15.21
3.	छत्तीसगढ़	2009-10	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 216, 217 और 221	12.16
		2010-11		16.43
		2011-12		35.99
		2012-13$		6.27
4.	गोवा	2009-10	4ए, 17, 17ए और 17बी	4.92
		2010-11		1.25
		2011-12		4.16
		2012-13$		0.03
5.	गुजरात	2009-10	6, 8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 113 और 228	31.66
		2010-11		82.74
		2011-12		65.44
		2012-13$		28.81
6.	झारखंड	2009-10		
		2010-11		
		2011-12	6, 23, 31, 33, 75, 78, 80, 99 और 100	18.00
		2012-13$		3.70
7.	केरल	2009-10		
		2010-11		
		2011-12	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	9.06
		2012-13$		20.31
8.	कर्नाटक	2009-10	4ए, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212,	6.19
		2010-11	118 और 234	16.39
		2011-12		11.34
		2012-13$		....
9.	मध्य प्रदेश	2009-10	3, 7, 12, 12ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 86 और 92	84.00
		2010-11		0.00

1	2	3	4	5
		2011-12		0.00
		2012-13$		78.00
10.	मणिपुर	2009-10	2 (नई रारा सं.)	5.12
		2010-11	37 और 102 (नई रारा सं.)	12.30
		2011-12	2, 37 और 102 (नई रारा सं.)	12.46
		2012-13$		
11.	ओडिशा	2009-10	18, 20, 26, 49, 53, 55, 57, 59, 143, 149 और 316 (नई रारा सं.	13.69
		2010-11	18, 49, 53, 59, 143 और 316 (नई रारा सं.)	5.00
		2011-12	20, 26, 49, 53, 59 और 143 (नई रारा सं.)	4.88
		2012-13$	55, 59 और 143 (नई रारा सं.	4.85
12.	राजस्थान	2009-10		
		2010-11		
		2011-12		2.51
		2012-13$		
13.	तमिलनाडु	2009-10	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के पहुंचमार्ग	8.25
		2010-11		11.98
		2011-12		5.38
		2012-13$		
14.	उत्तर प्रदेश	2009-10	24, 24ए, 25 और 28	2.81
		2010-11	25 और 28	0.96
		2011-12	28 और 74	0.80
		2012-13$		
15.	उत्तराखंड	2009-10	9, 34, 109, 134, 309, 507, 534, 707 और 734 (नई रारा सं.)	0.60
		2010-11		9.99
		2011-12	28 और 74	1.47
		2012-13$		0.00

$-जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार।

[हिन्दी]

वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे

549. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:**
श्री हरिन पाठक:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभिकल्पना, निर्माण, वित्तपोषण और चलाओ प्रणाली के अंतर्गत वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे के व्यवहार्यता अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या परियोजना के निष्पादन में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसमार्ग परियोजना, एक्सप्रेसमार्गों के अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत शामिल की गई है।

(ख) बदोदरा-मुंबई एक्सप्रेसमार्ग परियोजना का साध्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) लागू नहीं, क्योंकि निष्पादन कार्य अभी किया जाना है।

उद्योगों की स्थापना

550. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री बलीराम जाधव:
श्री रतन सिंह:
श्री पी. बलराम नाईक:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापक औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रें का औद्योगिकीकरण करने हेतु तथा अत्यंत पिछड़े क्षेत्रें जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं, में रोजगार के सृजन के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रें/राज्यों को उनके विकास के लिए चिह्नित करने हेतु कोई सर्वेक्षण/अधययन कराया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश विशेषकर जहां विशेष औद्योगिक पैकेज/प्रोत्साहन दिया गया था, में स्थापित उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष श्रेणी या नवसृजित राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों में कितने लोगों को रोजगार मिला है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु औद्योगिक पैकेज का और विस्तार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कर्नाटक जैसे और अधिक राज्यों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव, यदि कोई है, सरकार के विचाराधीन है;

(छ) देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रें में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) योजना आयोग ने बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के उद्देश्य से अगस्त, 2004 में एक अंतर्मन्त्रालयी कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने 17 चुने हुए मानदंडों के आधार पर 170 जिलों को पिछड़ेपन के लिए चिह्नित किया था। इन मानदंडों में शामिल थे जनसंख्या में कृषि श्रमिकों की बहुतायत, प्रतिव्यक्ति क्रेडिट जमा, ढांचागत और संस्थानिक सुविधाएं एवं क्षेत्रीय पिछड़ेपन के लिए समग्र प्रतिनिधित्व के तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। अगस्त, 2006 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) की शुरूआत की गई थी। 272 जिलों में यह कार्यक्रम 11वीं जिलों में यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहा। चूंकि बीआरजीएफ को पुनर्गठित करने का कार्य

शुरू किया जा रहा है जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों को चिह्नित करना भी शामिल है, राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु उनकी पहचान के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए उद्योगों का राज्य-वार विवरण जैसा कि दायर किए गए आईईएम, जारी किए गए आशय पत्रों एवं प्रदान किए गए प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की दृष्टि से औद्योगिक निवेश आशयों से पता चलता है, संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) से (छ) विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड को केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना और केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। 2002-03 से 2011-12 तक, जम्मू और कश्मीर में 68,393, हिमाचल प्रदेश में 1,05,452 तथा उत्तराखंड में 3,18,890 रोजगार सृजित किए गए। अन्य राज्यों से भी ऐसे ही पैकेजों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पर्वतीय और दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों एवं अन्य विशेषताओं के साथ उपर्युक्त विशेष श्रेणी के राज्यों में भौगोलिक स्थानों की स्थिति प्रतिकूल है, सरकार का यह स्थिर मत रहा है कि किसी भी नए पैकेज की घोषणा न की जाए। अन्य राज्यों के लिए इस प्रकार का कोई पैकेज लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

दायर किए गए आईईएम/एलओआई/जारी किए गए डीआईएल की दृष्टि से राज्य-वार तथा वर्ष-वार औद्योगिक निवेश आशय

राज्य का नाम	2009 संख्या	2010 संख्या	2011 संख्या	2012(जून) संख्या
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
आंध्र प्रदेश	319	519	392	169
अरूणाचल प्रदेश	4	5	7	3
असम	45	37	32	14
बिहार	32	46	31	12
चंडीगढ़	0	1	1	0
छत्तीसगढ़	293	256	114	55
दादरा और नगर हवेली	50	63	55	12
दमन और दीव	39	35	21	2
दिल्ली	21	19	12	1
गोवा	46	39	23	12
गुजरात	376	497	544	254
हरियाणा	85	141	118	58
हिमाचल प्रदेश	41	54	36	34
जम्मू और कश्मीर	23	23	21	19

1 2	3	4		5
झारखंड	65	53	25	10
कर्नाटक	179	269	217	76
केरल	8	8	12	3
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	182	226	191	59
महाराष्ट्र	594	759	975	275
मणिपुर	0	1	1	1
मेघालय	10	14	6	3
मिजोरम	0	0	1	0
नागालैंड	0	0	1	0
ओडिशा	99	179	119	36
पुदुचेरी	14	14	8	2
पंजाब	68	103	113	42
राजस्थान	88	125	166	101
सिक्किम	8	13	15	6
तमिलनाडु	236	237	258	104
त्रिपुरा	2	1	3	1
उत्तर प्रदेश	176	172	165	63
उत्तराखंड	165	217	80	27
पश्चिम बंगाल	206	209	136	44
एक से अधिक राज्यों में स्थित	0	1	1	0
कुल	3475	4336	3900	1498

आईईएम: गैर-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम श्रेणी के तहत लाइसेंसमुक्त क्षेत्र के लिए दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन,
एलओआई: जारी किए गए आशय-पत्र, **डीआईएल:** प्रदान किए गए प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस

विवरण II

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	2009	2010	2011	2012 (जून)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
आंध्र प्रदेश	82	86	86	45
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	1

1	2	3	4	5
असम	10	9	13	10
बिहार	1	0	2	4
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	6	10	0	0
दादरा और नगर हवेली	9	7	6	3
दमन और दीव	3	13	1	1
दिल्ली	2	0	1	0
गोवा	5	6	7	2
गुजरात	76	56	50	27
हरियाणा	21	13	7	8
हिमाचल प्रदेश	7	7	3	5
जम्मू और कश्मीर	3	3	0	0
झारखंड	0	2	5	1
कर्नाटक	31	19	22	3
केरल	1	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	30	12	11	9
महाराष्ट्र	289	87	120	49
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	2	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	1	6	5	1
पुदुचेरी	2	2	2	0
पंजाब	16	7	2	3
राजस्थान	10	27	14	11
सिक्किम	4	4	3	2
तमिलनाडु	39	27	28	7
त्रिपुरा	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	18	24	20	11
उत्तराखंड	68	159	31	34
पश्चिम बंगाल	68	50	33	18
कुल	804	636	474	255

विवरण III

'विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज' योजना की शुरूआत से लेकर इसके तहत जारी की गई राशि योजनागत

(करोड रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजना	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना	शून्य	2.00	शून्य	शून्य	शून्य	4.00	शून्य	शून्य	5.00	19.73	30.73
		केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना	शून्य	1.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11.57	12.00	18.01	36.59	79.92
		व्यापक बीमा योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.13	3.27	3.40
		जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान	शून्य	शून्य	4.60	शून्य	शून्य	शून्य	2.86	छप्प	1.80	1.93	11.19
	कुल		शून्य	3.75	4.60	शून्य	शून्य	4.00	14.43	12.00	24.94	61.52	125.24 50.00 (इक्विटी शेयर)*
2.	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना	2.50	शून्य	शून्य	7.00	12.00	20.00	22.57	19.00	29.84	101.37	214.28
	कुल		2.50	शून्य	शून्य	7.00	12.00	20.00	22.57	19.00	29.84	101.37	214.28
3.	उत्तराखंड	केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता	2.50	शून्य	शून्य	7.00	9.00	5.00	23.00	18.50	10.22	75.51	150.73
	कुल		2.50	शून्य	शून्य	7.00	9.00	5.00	23.00	18.50	10.22	75.51	150.73
	कुल योग		5.00	3.75	4.60	14.00	21.00	29.00	60.00	49.50	65.00	238.40	490.25

[अनुवाद]

निःशक्तों को सहायता

551. श्री पूर्णमासी रामः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख तक शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) निःशक्तों के कल्याण और पुनर्वास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत आवश्यक सहायता और उपकरण जैसे हियरिंग ऐड ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग मुफ्त प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जनगणना, 2001 के अनुसार, देश में चलन-संबंधी विकलांगता वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 61 लाख थी।

(ख) उन प्रमुख योजनाओं, जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां। एडिप योजना के अंतर्गत केवल उन सहायक यंत्रों/उपकरणों को कवर किया जाता है जिनकी लागत 6,000 रुपये से अधिक नहीं होती है। सहायता की राशि इस प्रकार है:–

कुल आय	सहायता की राशि
(i) 6500/- रुपये प्रतिमाह तक	(i) सहायक यंत्र/उपकरण की पूर्ण लागत
(ii) 6501/- रुपये से 10,000/- रुपये प्रतिमाह तक	(ii) सहायक यंत्र/उपकरणों की लागत का 50%

(घ) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत संवितरित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और III पर दिया गया है। वर्ष 2011-12 के संबंध में सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का विवरण अभी कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त होना है।

विवरण I

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

(i) **दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)**

इस योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों को विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, हाफवे होम, समुदाय आधारित पुनर्वास, विकलांग व्यक्तियों के लिए शीघ्र उपचार केन्द्र तथा कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के पुनर्वास एवं जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) आदि जैसे उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ii) **सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप)**

एडिप योजना के अंतर्गत, टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र एवं उपकरण प्राप्त करने में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। ताकि विकलांगता के प्रभाव को कम करके तथा उनके आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना में सहायक यंत्र प्रदान करने से पूर्व, जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सीय/सुधारात्मक सर्जरी करने की भी परिकल्पना है।

(iii) **विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)**

इस योजना के अंतर्गत, मुख्यत: बाधामुक्त वातावरण तैयार करने, जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों, (डीडीआरसी), संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) आदि को सहायता प्रदान करने के लिए नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संगठनों/संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत गुवाहाटी, सुन्दरनगर, भोपाल, पटलना, लखनऊ, श्रीनगर, अहमदाबाद और कोझिकोड में 8 सीआरसी की स्थापना की गई है।

(iv) **राष्ट्रीय संस्थान**

यह मंत्रालय निम्नलिखित 7 स्वायत्तशासी राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता प्रदान करता है जो पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते है। तथा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान का कार्य करते हैं।

i. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून।

ii. राष्ट्रीय मानसिक विकलांगजन संस्थान, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश

iii. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान, मुम्बई।

iv. राष्ट्रीय अस्थि विकलांगजन संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

v. स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा।

vi. पं. दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली।

vii. राष्ट्रीय बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु।

(v) मंत्रालय ने जुलाई, 2011 में नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है। यह केन्द्र भारतीय सांकेतिक भाषा के अध्ययन, शैक्षिक विकास एवं प्रचार तथा इसके शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभायेगा तथा श्रवणबाधित समुदाय के व्यक्तियों की मुख्य जरूरतों को पूरा करेगा।

(vi) राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्व-रोजगार हेतु विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

विवरण II

वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय की सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप) के अंतर्गत संवितरित सहायक यंत्र एवं उपकरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	ट्राईसाइकिल	व्हील चेयर	क्रचेज/ लेटर्स/ ब्रेसेज/वाकर्स/ वाकिंग फ्रेम्स/ सर्विकल कॉलर्स	श्रवण यंत्र	कैलिपर्स	दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल राइटिंग उपकरण लो-विजन सहायक यंत्र तथा अन्य सहायक यंत्र	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र	लगाए गए कृत्रिम अंग (लोवर एवं अपर)	सुधारात्मक सर्जरी	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. शिवरों के माध्यम से तथा प्रारम्भ स्कूलों में												
शेष भारत												
1.	आंध्र प्रदेश	3970	3062	3170	6111	522	2685	0	539	200	985	21244
2.	बिहार	7598	1801	6824	165	56		13		0	3178	19635
3.	छत्तीसगढ़	132	58	85	31	63	0		0	0	0	369
	गुजरात	160	48	1018	11	1167	29	11	249		183	2876
	हरियाणा	132	59	38	147			25		12		413
4.	हिमाचल प्रदेश	0	25	20	6	0	0	0	0	0	20	71
5.	जम्मू और कश्मीर	54	47	20		46	1		6	0	29	203
6.	झारखंड	1351	126	1184	1262					0	1527	5450
7.	कर्नाटक	922	1282	687	2162	0	7	33	413	0	545	6051
8.	केरल	77	227	913	873	119	0	62	239	0	36	2546
9.	मध्य प्रदेश	2308	1473	1096	242	17	0	4	0	0	784	5924
10.	महाराष्ट्र	2248	2369	1951	2724	62	8	0	36	0	359	9757
11.	ओडिशा	3434	2873	2647	1356	515	0	0	48	106	1560	12539
12.	पंजाब	18	2	86	265	496	78	0	20	0	4	969
13.	राजस्थान	2731	980	1310	1909	299	61	0	68	0	1459	8817
14.	तमिलनाडु	893	1778	625	3677	6	564	330	260	0	613	8746
15.	उत्तर प्रदेश	12249	3606	10062	1947	568	143	0	130	0	7098	35803
16.	उत्तराखंड	510	585	1730	2169	864	4854	0	0	0	292	11004
17.	पश्चिम बंगाल	3917	3943	2386	4954	166	3	0	108	0	4939	20416
संघ राज्यक्षेत्र												
18.	चंडीगढ़	18	8	19	46		0	0	0	0	4	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	दिल्ली	277	123	169	176	3	788	146	1	0	437	2120
20.	पुदुचेरी	0	0	0	28	0	0	50	0	0		78
पूर्वोत्तर राज्य												
21.	अरूणाचल प्रदेश	171	248	699	526	0	0	0	0	0		1644
22.	असम	3448	2342	3254	3082	927	504	0	1089	0		14646
23.	मणिपुर	20	62	123	136	0	0	0	0	0		341
24.	मेघालय	41	239	348	218	0	0	0	0	0		846
25.	मिजोरम	1	74	195	164	0	0	0	0	0		434
26.	नागालैंड	24	264	491	309	0	0	0	0	0		1088
27.	सिक्किम	1	134	527	164	0	0	0	0	0		826
28.	त्रिपुरा	297	184	522	291	0	0	0	0	0		1294
	कुल	47002	28022	42199	35151	5896	9725	674	3206	318	24052	196245
II. मुख्यालय और कार्यान्वयन एजेंसियों के केन्द्रों में		2089	4463	2543	9146	2930	11641	5695	1206	1805	17016	58534
कुल योग		49091	32485	44742	44297	8826	21366	6369	4412	2123	41068	254779

विवरण III

वर्ष 2010-11 के दौरान मंत्रालय की सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप) के अंतर्गत संवितरित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का विवरण*

क्र. सं.	राज्य का नाम	ट्राईसाइकिल	व्हील चेयर	क्रचेज/ लेटर्स/ ब्रेसेज/वाकर्स/ वाकिंग फ्रेम्स/ सर्विकल कॉलर्स	श्रवण यंत्र	कैलिपर्स	दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल राइटिंग उपकरण लो-विजन सहायक यंत्र तथा अन्य सहायक यंत्र	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र	लगाए गए कृत्रिम अंग (लोवर एवं अपर)	सुधारात्मक सर्जरी	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. शिवरों के माध्यम से तथा प्रारम्भ स्कूलों में												
शेष भारत												
1.	आंध्र प्रदेश	793	1017	379	493	0	320					3002
2.	बिहार	3772	1168	3291	2066	1968	115	22	224	0	87	12713
3.	छत्तीसगढ़	625	242	576	672	357	352	0	4	0	55	2883
4.	गुजरात	430	99	2384	649	5199	55	25	291	0	94	9226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	हरियाणा	317	64	48	207							636
6.	हिमाचल प्रदेश	92	369	486	438	64	501					1950
7.	जम्मू और कश्मीर	30	55	54							15	154
8.	झारखंड	1749	585	2336	681	736	280	0	20	0	27	6414
9.	कर्नाटक	589	678	697	542	4	220	0	27	0	86	2843
10.	मध्य प्रदेश	726	293	1060	2736	672	324	52	110	0	1039	7012
11.	महाराष्ट्र	4695	2487	4149	3048	1874	320	158	522	0	267	17520
12.	ओडिशा	3276	1154	3664	3680	1590	944	22	163	0	137	14630
13.	पंजाब	2703	1201	2038	248	1907	156	0	274	0	0	8527
14.	राजस्थान	5721	1239	5635	2146	2988	86	1257	323	286	0	19681
15.	तमिलनाडु	1248	6471	816	2796	415	8	28	303	0	249	12334
16.	उत्तर प्रदेश	8517	2345	5454	785	2838	1427	235	115	0	172	21888
17.	उत्तराखंड	234	147	687	686	304	1580	0	4	0	0	3642
18.	पश्चिम बंगाल	2325	2081	2843	5057	14	823	0	22	0	64	13229
संघ राज्यक्षेत्र												
19.	दिल्ली	243	103	274	159	339	27	0	3	0	3	1151
20.	पुदुचेरी	8	5	0	0	0	0	6	0	0	0	19
21.	दादरा और नगर हवेली	6	5		27	2	6					46
पूर्वोत्तर राज्य												
22.	असम	2512	2749	5959	2156	624	1111	0	133	121	17	15382
23.	मिजोरम	0	12	16	146	2	8	0	4	0	0	188
24.	नागालैंड	12	17	13	7	0	11	0	0	0	0	60
25.	सिक्किम	12	17	20	41	0	13	0	0	0	0	103
26.	त्रिपुरा	375	202	358	272	202	410	0	0	0	0	1819
	कुल	41010	24805	43237	29738	22099	9097	1805	2542	407	2312	177052
II.	मुख्यालय और कार्यान्वयन एजेंसियों के केन्द्रों में	4072	2164	7120	9347	11535	23094	108	4146	4256	6616	72458
कुल योग		45082	26969	50357	39085	33634	32191	1913	6688	4663	8928	249510

वन्य-जीवों की हानि

552. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री अधीर चौधरी:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सहित देश के कुछ भागों में बाढ़ और विभिन्न कारणों से जन-जीवन और वन्य-जीवों की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) राज्यों में वन्य पशुओं और वन्य जीवों हेतु संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, दिनांक 07.08.2012 को मंत्रालय में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, जून-जुलाई 2012 के दौरान भीषण बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुल 631 पशुओं की मौतें हुई हैं, जिनका ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	प्रजातियां	कुल
1	2	3
1.	गैंडे	19
2.	हाथी	1
3.	स्वैम्प डियर	11
4.	भैंस	4
5.	हॉग डियर	529
6.	सांबर	22
7.	बनैला सुअर	34
8.	साही	5
9.	हॉग बैजर	3
10.	अजगर	2
11.	लोमड़ी	1
		631

देश के अन्य हिस्सों से ऐसी कोई रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रजातियों हेतु अनुकूल विविध पर्यावासों के सृजन के लिए उत्तरदायी और वहां बाढ़ का बार-बार आना एक प्राकृतिक घटना है। मौजूदा बाढ़ में उद्यान के फ्लड प्लेन क्षेत्रों की परिस्थितिकीय आवश्ययकता की तुलना में वहां बहुत अधिक पानी आया है जिससे वन्य पशुओं की मौतें हुई हैं और साथ ही भौतिक अवसंरचना जैसे सड़कों, शिकार-रोधी शिविरों, कृत्रिम उच्च भूमि क्षेत्रों आदि को क्षति पहुंची है। वर्ष 1988 और 1998 में आयी इसी प्रकार की भीषण बाढ़ों के दौरान पशुओं की मौतों की संख्या क्रमश: 1203 और 652 रिकार्ड की गयी थी।

वन्यजीवों के सुरक्षित क्षेत्रों के उपयुक्त प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय, संबंधित राज्य सरकारों में प्राधिकरणों द्वारा निश्चित किए जाते हैं। मंत्रालय "वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास", बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य-प्रचालन योजनाओं के अनुरुप उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर सर्विस लेन

553. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 (चार लेन) पर सिमारा, अररिया, संग्रक, खोपा, ब्रह्मपुर, फूलपरस, नरहिया तथा भोताहा जैसे स्थानों पर सर्विस लेन का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण सड़क पार करते समय दुघर्टनाओं का खतरा सदा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नरहरिया बाजार के पूर्व और दक्षिण में सबवे के निर्माण के बाद भी दोनों ओर सब लेन से नहीं जुड़ पाएं हैं जिसके कारण वर्षा ऋतु के दौरान पानी भर जाता है और यातायात की समस्या उत्पन्न हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) परियोजना में सिमारा और भोताहा चौक के सिवाय 10.060 किमी. की कुल लंबाई के समस्त स्थानों पर सर्विस रोड का प्रावधान किया गया है। इसमें से 5.21 किमी. लंबाई की सर्विस रोड को अवरोधों के कारण पूरा नहीं किया जा सका है।

(ग) और (घ) नरहिया में बाईं ओर 830 मी. और दाईं ओर 1080 मी. की सर्विस रोड के साथ अंडरपस का निर्माण किए जाने का प्रावधान है। बाईं ओर 620 मी. लंबाई में और दाईं ओर 970 मी. लंबाई में अंडरपास और सर्विस लेन के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। शेष बाईं ओर 220 मी. लंबाई और दाईं ओर 110 मी. लंबाई में निर्बाध भूमि की अनुपलब्धता के कारण सर्विस रोड को पूरा नहीं किया जा सका है। सर्विस लेन के साथ नाले का निर्माण भी शामिल किया गया है।

कृषि मजदूरों को मजदूरी

554. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कृषि मजदूरों को कितनी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या कम मजदूरी के भुगतान के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों जैसे कि कृषि मजदूरों, बीड़ी कामगारों और खान में काम करने वाले लोगों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही देश में "कृषि" जैसे अनुसूचित नियोजन में नियोजित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर का निर्धारण, पुनरीक्षण तथा संशोधन करने हेतु समुचित सरकारें हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत देश में "कृषि" कार्य में नियोजित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कृषि उत्पादन तथा भुगतान की गई मजदूरी का आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

(ग) वर्ष 1996 से सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) की अवधारणा को असांविधिक आधार पर शुरु किया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया है कि ये न्यूनतम मजदूरी का निर्धारझा इस प्रकार करें कि यह एनएफएलएमडब्ल्यू से कम न हो। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी को मूल्यवृद्धि से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए) पद्धति को अंगीकार किया है इसके माध्यम से औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्तझ मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर न्यूनतम मजदूरी संशोधित की/बढ़ाई जाती है। परिवर्ती महंगाई भत्ता सामान्यत: वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है। परिवर्ती महंगाई भत्ता कृषि, बीड़ी एवं खान कामगारों सहित विभिन्न अनुसूचित नियोजनों पर लागू है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कृषि कामगारों की विभिन्न श्रेणी के लिए न्यूनतम दरें

(रुपये प्रति दिवस)

क्र.सं.	समुचित सरकार	श्रेणी	कृषि कामगारों के लिए वीडीए सहित न्यूनतम मजदूरी
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	अकुशल	162.00-181.00
		अर्ध-कुशल	167.00-188.00
		कुशल	182.00-215.00
		अति कुशल	198.00-240.00

1	2	3	4
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	निम्नतम	119.00
		उच्चतम	261.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	अकुशल	134.62-153.85
		कुशल	146.15-165.38
3.	असम	अकुशल	100.42
		अर्ध-कुशल	110.46
		कुशल	120.50
4.	बिहार		135.23
5.	छत्तीसगढ़	अकुशल	118.76
6.	गोवा	अकुशल	150.00
7.	गुजरात		100.00
8.	हरियाणा	अकुशल	173.19
		अर्ध-कुशल	178.19-183.19
		कुशल	188.19-193.19
9.	हिमाचल प्रदेश	अकुशल	120.00
10.	जम्मू और कश्मीर	अकुशल	110.00
		अर्ध-कुशल	150.00
		कुशल	200.00
11.	झारखंड	अकुशल	145.54
		अर्ध-कुशल	158.54
		कुशल	203.06
12.	कर्नाटक		145.58
13.	केरल	हल्के कार्य के लिए	150.00
		भारी कार्य के लिए	200.00
14.	लक्षद्वीप	अकुशल	200.00
		अर्ध-कुशल	225.00
		कुशल	250.00
		अति कुशल	275.00

1	2	3	4
15.	मध्य प्रदेश	अकुशल	174.80
16.	महाराष्ट्र	क्षेत्र-I	120.00
		क्षेत्र-II	110.00
		क्षेत्र-III	105.00
		क्षेत्र-IV	100.00
17.	मणिपुर	अकुशल	122.10
		अर्ध-कुशल	129.97
		कुशल	132.60
18.	मेघालय	अकुशल	100.00
		अर्ध-कुशल	120.00
		कुशल	140.00
19.	मिजोरम	अकुशल	170.00
		अर्ध-कुशल	190.00
		कुशल-II	240.00
		कुशल-I	300.00
20.	नागालैंड	अकुशल	150.00
		अर्ध-कुशल	110.00
		कुशल	120.00
21.	ओडिशा	अकुशल	92.50
		अर्ध-कुशल	105.50
		कुशल	118.50
		अति कुशल	131.50
22.	पंजाब	भोजन सहित	154.62
		भोजन रहित	170.14
23.	राजस्थान	अकुशल	135.00
		अर्ध-कुशल	145.00
		कुशल	155.00
		अति कुशल	205.00

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	महिला कामगार (5 घंटे)	85.00
		पुरुष कामगार (6 घंटे)	100.00
25.	त्रिपुरा	वयस्क	140.00
		युवा	98.00
26.	उत्तर प्रदेश	अकुशल	100.00
27.	उत्तराखंड	अकुशल	129.50
28.	पश्चिम बंगाल	भोजन सहित अकुशल	102.50
		भोजन रहित अकुशल	112.50
		कुशल	120.50
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अकुशल	212.00-223.00
		अर्ध-कुशल	224.00-232.00
		कुशल	237.00-254.00
30.	चंडीगढ़	अकुशल	219.93
		अर्ध-कुशल	225.00-228.85
		कुशल	236.54-245.19
31.	दादरा और नगर हवेली	अकुशल	156.20
		अर्ध-कुशल	162.70
		कुशल	169.20
32.	दिल्ली	अकुशल	270.00
		अर्ध-कुशल	298.00
		कुशल	328.00
33.	पुदुचेरी		
	(i) करईकल	6 घंटे हल्का कार्य	100.00
		भारी कार्य	150.00
	(ii) पुदुचेरी	हल्का कार्य	100.00
		भारी कार्य	150.00
	(iii) माहे	भारी कार्य पुरुष 8 घंटे	160.00
		हल्का कार्य महिला 8 घंटे	120.00
	(iv) यनम	हल्का कार्य 6 घंटे	100.00
		हल जोतना 5 घंटे	100.00

[अनुवाद]

निर्यातकों को प्रोत्साहन

555. **श्री बिभू प्रसाद तराई:**
श्री निशिकांत दुबे:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री जगदीश ठाकोर:
श्री ए. साई प्रताप:
श्रीमती अन्नू टंडन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान विश्व व्यापार में भारत के हिस्से में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्यातकों को प्रदान किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा देश से घटते निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा घोषित अनुपूरक विदेश व्यापार नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यातकों को प्रदान की गई इन नई रियायतों ने देश में निर्यात की मात्र में वृद्धि करने में किस हद तक मदद की है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेश विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों, जहां भारी मंदी चल रही है, में भारतीय सामान के लिए बाजार बनाने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर श्रम सघन क्षेत्र से निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार नियमित अन्तराल पर निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन की समीक्षा करती है और जब कभी निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता हो, प्रोत्साहित प्रदान करने के लिए उपचारी उपाय करती है। फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम और विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना जैसी विदेश व्यापार नीति की स्कीमों के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट www.dgft.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) निर्यातों में 2004-05 के बाद से प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है सिवाय 2009-10 के जब इसमें गिरावट आई थी। प्रोत्साहनों का असर दिखने में समय लगता हैं पिछले ऐसे प्रोत्साहनों की घोषणा 05 जून, 2012 को की गई थी।

(ङ) और (च) निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 61 और अध्याय 62 के अंतर्गत आने वाले सभी परिधानों के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। भारत के निर्यातों में हथकरघा, हस्तशिल्प, चमड़ा, टेक्टसाइल और इंजीनियरी सामान आदि जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों की भूमिका को समझते हुए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफओबी) के 2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान करके फोकस उत्पाद स्कीम के तहत इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया है।

[हिन्दी]

जूट का उत्पादन और निर्यात

556. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
प्रो. रामशंकर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही जूट मिलों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षो के दौरान देश में उनके उत्पादन और जूट बैग के निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान जूट के बैगों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चीनी उद्योग को उचित मूल्य पर जूट के बैग पर्याप्त संख्या में प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में जूट मिलों का आधुनिकीकरण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अभी तक कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है तथा इनके लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) देश में 83 कंपोजिट जूट मिल हैं। कुल 83 जूल मिलों में से पश्चिम बंगाल में 64, बिहार व उत्तर प्रदेश प्रत्येक में 3, आंध्र प्रदेश में 7, असम एवं ओडिशा प्रत्येक में 2, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ प्रत्येक में 1 जूट मिल है। जूट बैग्स के उत्पादन और निर्यात के बारे में राज्य-वार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और यथासमय सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे। तथापि, गत 3 वर्षों के दौरान देश में जूट बैग्स के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मात्रा '000 एम.टन)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2009-10	921.6	26.5
2010-11	1076.9	40.6
2011-12	1165.1	81.1

(ख) और (ग) गत वर्ष जूट बैग्स के औसत मूल्य में पिछले दो वर्षों में जब पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, कमी हुई है। तथापि, यह रूख आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) के माध्यम से खरीदे गए जूट बैग्स के लिए सरकारी मूल्य के अनुरूप है। ब्यौरा इस प्रकार है:–

(रुपये/एम.टन)

वर्ष	सरकारी मूल्य (औसत)	बाजार मूल्य (औसत)	
	बी. ट्विल	बी. ट्विल	ए. ट्विल (चीन) की पैकिंग के लिए प्रयुक्त)
2002-03	23760	22635	22085
2003-04	22636	21966	21452
2004-05	24840	22708	23689
2005-06	29832	28385	27599
2006-07	30014	30507	30077
2007-08	28194	27361	27153
2008-09	32108	32441	31362
2009-10	42332	41967	42162
2010-11	53193	49119	49718
2011-12	49820	48989	49195

चीनी की आपूर्ति एवं वितरण में राज्य सहभागिता गेहूं धान/चावल जैसे खाद्यान्नों की तुलना में कम होने के कारण चीनी क्षेत्र अपने जूट बैग्स की आवश्यकता को खुले बाजार से पूरा करता है जहां जूट बैग्स की पर्याप्त उपलब्धता है। जूट बैग्स में पैकिंग के लिजए खाद्यान्नों और चीनी की प्रतिशतता का निर्धारण करते समय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कच्ची जूट की उपलब्धता और खाद्यान्न एवं चीनी की पैकिंग के लिए अनुमानित मांग के साथ मिलों की जूट बैग्स बनाने की क्षमता को ध्यान में रखती है। यद्यपि, पिछले वर्षों में चीनी के लिए जूट बैग्स मे मूल्यों में वृद्धि हुई है, किन्तु यह सामान्यत: खाद्यान्नों के लिए खरीदे गए जूट बैग्स के लिए सरकारी मूल्य के अनुरूप है।

(घ) और (ङ) 83 कंपोजिट जूट मिलों में से 6 मिल भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत हैं, 1 मिल (त्रिपुरा) राज्य सरकार के अधीन है, 2 मिल (असम को-आपरेटिव तथा न्यू सैंट्रल) सहकारी क्षेत्र में हैं और 74 मिल निजी स्वामित्व में हैं। आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसार 6 सरकारी जूट मिलों में से 3 का आधुनिकीकरण किया जाना है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निजी मिलों के आधुनिकीकरण किया जाता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निजी मिलों के आधुनिकीकरण किया जाता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निजी मिलों के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी उनके मालिकों की है। तथापि, जूट टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत जूट मिलों/जूट इकाईयों को आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए सब्सिड़ी दी जाती है। सब्सिड़ी की अधिकतम सीमा मौजूदा इकाइयों के लिए 3.50 करोड़ रुपये प्रति जूट मिल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित मिलों और नई इकाईयों की स्थापना के लिए 4.00 करोड़ रुपये प्रति मिल है। दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आधुनिकीकरण के लिए किए गए 283.06 करोड़ रुपये के निवेश के प्रति 57.71 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज

557. श्री नारायण सिंह अमलाबे:
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत मधय प्रदेश सहित विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रें में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए अपेक्षित मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इन मेडिकल कॉलेजों को खोलने के निर्धरित लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (च) मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन और विनियामक अनुमति के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षित हैं:–

(i) राज्य सरकार तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनियामक प्रमाणन

(ii) भूमि (क्रियान्वित क्षेत्र में उपयुक्त स्थान)

(iii) चालू अस्पताल सहित वास्तविक अवसंरचना

(iv) शैक्षिक संकाय सहित स्टाफिंग

(v) उपस्कर

(vi) 300 बिस्तरों वाला चालू अस्पताल जहां प्रारंभ से ही 60% अधिभोगिता हो।

कराबी, निगम द्वारा खोले जाने के लिए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन कालेजों को अपेक्षित अवसंरचना के सृजन एवं सभी विनियामक शर्तों के पूर्ण होने के पश्चात खोला जाएगा।

विवरण

कराबी निगम द्वारा प्रस्तावित मेडिकल कालेजों की सूची

क्रम सं.	राज्य	परियोजना स्थल	मेडिकल कालेज परियोजना की स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निर्माण कार्य प्रगति पर है
2.	बिहार	पटना	निर्माण कार्य प्रगति पर है
3.	गुजरात	नरोदा	प्रस्तावित
4.	हरियाणा	फरीदाबाद	निर्माण कार्य प्रगति पर है
5.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	निर्माण कार्य प्रगति पर है
6.	कर्नाटक	गुलबर्गा	निर्माण कार्य प्रगति पर है
		राजाजीनगर, बंगलुरु	2012-13 से एमबीएस पाठ्यक्रम शुरु किया गया
7.	केरल	परिपल्ली, कोल्लम	निर्माण कार्य प्रगति पर है
8.	महाराष्ट्र	मुलुंद	प्रस्तावित
9.	मध्य प्रदेश	इंदौर	योजनाधीन
10.	नई दिल्ली	बसईदारापुर	निर्माण कार्य प्रगति पर है
11.	ओडिशा	भुवनेश्वर	योजनाधीन
12.	राजस्थान	अलवर	निर्माण कार्य प्रगति पर है
13.	तमिलनाडु	चैन्नई	निर्माण कार्य प्रगति पर है
		कोयम्बटूर	निर्माण कार्य प्रगति पर है
14.	उत्तराखंड	हरिद्वार	निर्माण कार्य प्रगति पर है
15.	पश्चिम बंगाल	जोका	प्रस्तावित
		बाल्टीकुरी	योजनाधीन

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं

558. **श्री हरि मांझी:**
श्री राम सुन्दर दास:
श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण योजनाओं के लिए बिहार सहित राज्य सरकारों को आवंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने एस.सी./एस.टी. और ओबीसी के कल्याण के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं, विहार सहित राज्य सरकारों को इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों के संदर्भ में, उपयोग प्रमाण-पत्रों, लेखा परीक्षित लेखों, प्रगति रिपोर्टों, विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श आदि के माध्यम से की जाती है और समय-समय पर समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं, विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित राज्य सरकारों को इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां तथा लाभार्थियों की संख्या

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की सं.	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की सं.	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुसूचित जाति विकास							
1.	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	101596	4018192	209721	4112466	271134	4819436
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	7974	704578	5848	614143	6365	686237
3.	बाबू जगजीवन छात्रावास योजना						
	लड़कियों के लिए छात्रावास	2536	1421	4391	2506	3831	2300
	लड़कों के लिए छात्रावास	620	735	3428	3244	2760	2656

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन	6866	*	6983	*	7204	*
5.	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना**	400	**	9700	**	10000	**
6.	अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	45896	3773865	58728	3632502	65640	456493
अन्य पिछड़ा वर्ग विकास							
1.	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	17297	1758000	35332	1800000 (अनन्तिम)	52799	1700000 (अनुमानित.)
2.	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3173	1300000	4471	2300000 (अनन्तिम)	4069	1700000 (अनुमानित.)
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास	2051	4000	2579	4035	1607	2578

*इस योजना का आशय प्रशासनिक, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र सुदृढ़ करने, प्रचार, राहत और प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करके दोनों अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना हैं इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारणीय नहीं है।

**यह योजना मार्च, 2010 में आरी की गई थी तथा इसका उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चुनिंदा 1000 ग्रामों का "आदर्श ग्राम" के रूप में समेकित विकास करना है। यह योजना इस समय बिहार, राजस्थान, असम, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है।

सीमेंट की कीमतें

559. श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री जोस के. मणि:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट के वार्षिक उत्पादन/उपभोग और आयात/निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सीमेंट कंपनियों द्वारा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद सीमेंट की कीमतों में लगातार वृद्धि को नोट किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके विभिन्न प्रयोक्ताओं को उचित कीमत पर सीमेंट की पर्याप्त उपलब्धता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कुछ सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की कीमतों में नियमित आधर पर वृद्धि करके भारी लाभ कमाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों पर क्या कार्रवाई की गई?

वणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट उत्पादन एवं खपत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सीमेंट के आयात एवं निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) 1989 से सीमेंट के मूल्य एवं संवितरण के नियंत्रण हटा दिया गया है। आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत 1991 में इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। सीमेंट को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से भी हटा दिया गया है। सीमेंट के मूल्य मांग एवं आपूर्ति की बाजार ताकतों द्वारा संचालित होते हैं।

(घ) और (ङ) इस विभाग द्वारा यह सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण I

राज्य-वार सीमेंट उत्पादन एवं खपत (2009-10 से 2011-12)

(आंकड़े टन में)

	2009-10		2010-11		2011-12	
उत्तराखंड	784323	762511	2086143	2082954	2840369	2833834
हरियाणा	2030784	2030845	1932411	1916633	1933787	1942924
पंजाब	5236160	5230090	4690025	4703179	4987639	5005112
राजस्थान	32873409	32737604	34156664	34077033	37274821	37402029
हिमाचल प्रदेश	5835047	5776629	7023585	6564093	7653331	6967672
दिल्ली	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	162528	163639	136982	137041	176935	177693
असम	150101	151099	133265	134110	103335	105109
मेघालय	1536754	1534649	1549450	1535779	1602396	1612383
बिहार	675744	672402	760629	759444	627565	628902
झारखंड	5145702	5144162	5346010	5324557	6249048	6220130
ओडिशा	4926952	4922909	5826221	5780889	5496236	5530212
पश्चिम बंगाल	5386926	5382598	6244994	6243267	6886319	6904516
छत्तीसगढ़	11275312	11248398	12195304	12152845	12787063	12752018
आंध्र प्रदेश	29440657	29372665	29174233	29091799	29746746	29709329
तमिलनाडु	21806979	21721656	21501186	21364363	21867697	21753911
कर्नाटक	13129458	13071126	14588670	14568746	15697544	15697610
केरल	416930	421883	581600	580495	528680	530122
गुजरात	16741647	15665067	17307120	16378816	19802735	18717623
महाराष्ट्र	13547418	13537494	13622560	13611478	15242542	15271217
उत्तर प्रदेश	8526130	8509019	10626101	10600356	10225870	10252298
मध्य प्रदेश	21428884	20374363	21387173	20475409	22749148	22033765
अखिल भारत	**201057845**	**198430808**	**210870326**	**208083286**	**224479806**	**222048409**

स्रोत: सीमेंट विनिर्माता संघ, एसीसी लि. तथा अंबुजा सीमेंट्स लि.

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सीमेंट का आयात एवं निर्यात

	2008-09		2009-10		2010-11		अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012	
	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपये)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपये)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपये)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपये)
आयात	1025830886	3451142630	2111997972	5683270064	1095623799	3526385571	850021236	3238677337
निर्यात	3260263884	8809435819	2689487977	6657266106	3494854056	9184336631	3101487109	9609123721

[अनुवाद]

ईपीएफ अंशदाताओं को अंशदान कार्ड

560. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएओ) के अभिदाताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ईपीएफ के न्यासियों का ईपीएओ के अभिदाताओं को अंशदान कार्ड देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन की कट ऑफ तारीख क्या है तथा अंशदान कार्ड के आपूर्ति की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या उक्त लागत का वहन ईपीएफओ या कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार अंसगठित क्षेत्र के अभिदाताओं को पास बुक जारी करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) 07.08.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास 11.18 करोड़ सदस्य खाते हैं।

(ख) ईपीएफओ अभिदाताओं को ई-पासबुक सुविधा, जो अंशदान कार्ड का काम कर सकती है, उपलब्ध करायी गई है। सदस्य अपनी खाता विवरणी का प्रिंटआउट लेने की सुविधा के साथ अपने खाते की सभी प्रविष्टियों को देख सकते हैं।

(ग) 20.07.2012 में ई-पासबुक सुविधा ईपीएफओ में पहले से ही क्रियान्वित है। चूंकि यह सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करायी जा रही है, ईपीएफ अभिदाताओं के लिए यह निःशुल्क है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त ई-पासबुक सुविधा संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग पर रुपए का प्रभाव

561. श्रीमती रमा देवी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में परिवर्तन के कारण वस्त्र उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वस्त्र निर्यात और वस्त्र उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रचनात्मक कदम उठाए गए तथा इसके परिणामत: क्या सफलता प्राप्त हुई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) हाल ही के महीनों में अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यातों पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस क्षेत्र में आयात की मात्रा बहुत कम है और अमरीकी डालर मजबूत होने के कारण निर्यातक अर्जित किए गए प्रत्येक डालर के लिए अधिक रुपये प्राप्त कर रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

562. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत शुरू की जा रही परियोजनाओं की लागत का वर्तमान अनुपात क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरसीपी के अंतर्गत निधि जारी करने या निधि में वृद्धि एवं कुछ परियोजनाओं को शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें विशेषकर पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार विशेषकर पश्चिम बंगाल को एनआरसीपी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए जारी और उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में की गई समीक्षा का क्या परिणाम रहा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विभिन्न नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र और राज्यों के बीच 70:30 की लागत भागीदारी के अनुपात पर राज्यों को निधियां प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों हेतु लागत भागीदारी का अनुपात 90:10 हैं जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) द्वारा यमुना नदी के साथ-साथ वाराणसी में गंगा नदी हेतु वित्त पोषित परियोजनाओं के संदर्भ में वित्त पोषण पैटर्न 85:15 है।

(ख) से (घ) नदियों का संरक्षण केन्द्रीय और राज्य सरकारों का सतत और समूहिक प्रयास है और यह मंत्रालय, एनआरसीपी के अंतर्गत अभिज्ञात नदी क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बना रहा है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों, प्रदूषण की मात्रा आदि के आधार पर योजना के अंतर्गत अतिरिक्त नदियों/कस्बों का समावेशन तक सतत प्रक्रिया है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नदियों के संरक्षण हेतु पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को केन्द्र द्वारा जारी की गई निधियां और राज्य के अंश सहित राज्यों द्वारा सूचित व्यय, संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। इस अवधि के दौरान प्राप्त और स्वीकृत की गई परियोजनाओ का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए स्वतंत्र मानीटरन के आधार पर प्रमुख नदियों हेतु बीओडी मान (बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमान्ड) की दृष्टि से जल गुणवत्ता में एनआरसीपी के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्य प्रारंभ करने से पहले की जल गुणवत्ता की तुलना में सुधार आने की सूचना है। तथापि, विभिन्न मानीटरन स्थानों पर केवल कॉलीफार्म के संदर्भ में बैक्टीरियल संदूषण के स्तर अधिकतम अनुमेय सीमा से अधिक पाये जाने की सूचना है।

विवरण I

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष हेतु जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	कुल व्यय (राज्य के अंश सहित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	36.89	128.77
2.	बिहार	35.37	6.62
3.	दिल्ली	184.67	369.90
4.	गुजरात	0.39	0.62
5.	गोवा	-	2.57
6.	हरियाणा	19.00	44.82
7.	कर्नाटक	0.96	0.95
8.	महाराष्ट्र	19.20	4.67
9.	मध्य प्रदेश	0.90	4.63
10.	ओडिशा	5.00	9.82

1	2	3	4
11.	पंजाब	93.28	119.40
12.	राजस्थान	40.00	22.41
13.	सिक्किम	56.30	59.34
14.	तमिलनाडु	3.10	32.56
15.	उत्तर प्रदेश	492.82	766.42
16.	उत्तराखंड	49.82	57.07
17.	पश्चिम बंगाल	251.21	207.69
	कुल	1288.91	1838.26

विवरण II

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत नदियों के प्रदूषण उपशमन हेतु गत तीन वर्षों औरा और चालू वित्त वर्ष में प्राप्त और स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियाजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	1	-	-
2.	बिहार	5	4	441.86
3.	दिल्ली	3	3	1662.69
3.	गुजरात	2	-	-
4.	हरियाणा	3	3	221.97
5.	महाराष्ट्र	7	1	74.29
6.	मध्य प्रदेश	1	1	6.20
7.	पंजाब	17	12	501.64
8.	राजस्थान	1	1	149.59
9.	सिक्किम	3	2	84.91
10.	उत्तर प्रदेश	9	8	1353.81
11.	उत्तराखंड	13	13	143.73
12.	पश्चिम बंगाल	29	28	673.90

एक रैंक एक पेंशन

563. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री महाबल मिश्रा:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री ए. सम्पत:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री जगदीश शर्मा:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केबिनेट सचिव की अधयक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधर पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में भूतपूर्व सैनिकों की बहुत सी मांगों के संबंध में निर्णय अभी भी लंबित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के वेतन और पेंशन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए पुनः एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) सरकार को रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी और सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिशों पर 'एक रैंक एक पेंशन तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए जून, 2009 में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् समिति ने मांग को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) तथा कमीशन्ड अधिकारियों के पेंशन संबंधी लाभों में पर्याप्त सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा सिफारिशों के कार्यान्वयन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) सरकार ने रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों से संबद्ध वेतन और पेंशन संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, रक्षा सचिव, व्यय सचिव, सचिव (ईएसडब्ल्यू) तथा सिचव, कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग को शामिल करके एक समिति का गठन किया है। समिति की पहले ही कई बैठकें हो चुकी हैं तथा 08.08.2012 तक समिति की सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की जानी है। समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई किए जाने तथा इसे सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात ही सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

564. श्री राम सुन्दर दासः
श्री कपिल मुनि करवारियाः
श्रीमती कमला देवी पटलेः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को श्रमिकों/कामगारों को ठेके के आधार पर लेने सहित सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित कुछ कंपनियों, विद्युत संयंत्रों और उद्योगों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ के जॉजगीर और चंपा-क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों में विभिन्न श्रम कानूनों के क्रियान्वयन पर श्रम निरीक्षकों के कार्य निष्पादन के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सैनिक स्कूल

565. श्री महाबल मिश्राः
श्री पी.के. बिजूः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार और स्थान-वार चल रहे सैनिक स्कूलों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल सहित विभिन्न राज्यों में कुछ नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सैनिक स्कूल स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त विद्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) इस समय देश में रक्षा मंत्रालय के तहत 24 सैनिक स्कूल हैं। उनकी राज्यवार अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सैनिक स्कूलों की स्थापना किसी भी राज्य सरकार से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर की जाती है। इसे बुनियादी अवसंरचना, उपस्करों और सुविधाओं के सृजन तथा रख-रखाव के लिए निधियों सहित भूमि और उस राज्य के कैडेटों के लिए छात्रवृत्तियां मुहैया कराने हेतु भी रजामंद होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा वर्ष इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

जहां तक नए सैनिक स्कूल खोलने का संबंध है, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों से क्रमशः सम्बलपुर, सागर और चित्तूर जिलों में नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् इन राज्यों में नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य सरकारों से भूमि का हस्तांतरण करने, बुनियादी अवसंरचना बनाने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) से (च) सैनिक स्कूल सोसाइटी सैनिक स्कूलों के कार्यकरण और अकादमिक कार्य-निष्पादन और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा में उनकी सफलता की समीक्षा करती है। अकादमिक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिणामों में प्रगति का रुख दिखाई देता है। ऐसी समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्णयों के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) सेनाओं और व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं/शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) ओर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) जैसे निकायों के विशेषज्ञों की सहायता से शिक्षकों तथा प्रशासनिक स्टाफ को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने और कैडेटों को प्रतियोगितान्मुखी प्रशिक्षण देने का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) व्यावसायिक संसाधन कार्मिकों का उपयोग करते हुए कैडेटों को सेवा चयन बोर्ड उन्मुखी प्रशिक्षण भी मुहैया कराया जा रहा है।

(iii) सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भारतीय प्रबंधन संस्थानों और एनयूईपीए के सहयोग से सीबीएससी द्वारा चलाए जाने वाले सशक्तीकरण कार्यक्रमों में भेजा जा रहा है।

(iv) रक्षा मंत्रालय प्रशिक्षण अवसंरचना और दक्षता को उन्नयित करने की दृष्टि से प्रत्येक सैनिक स्कूल को वार्षिक रूप से प्रशिक्षण अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

एनयूईपीए द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश नीति, कैडेटों के चयन मानदंड और उनके समग्र विकास के संदर्भ में सैनिक स्कूलों के कार्य-संचालन का विश्लेषण करने के लिए सैनिक स्कूलों के अध्ययन करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	राज्य	सैनिक स्कूलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	सैनिक स्कूल कोरुकोंडा
2.	असम	सैनिक स्कूल गोलपाड़ा
3.	बिहार	1. सैनिक स्कूल गोपालगंज
		2. सैनिक स्कूल नालंदा
4.	छत्तीसगढ़	सैनिक स्कूल अंबिकापुर
5.	गुजरात	सैनिक स्कूल बालाचढ़ी
6.	हरियाणा	1. सैनिक स्कूल कुंजपुरा
		2. सैनिक स्कूल रिवाड़ी
7.	हिमाचल प्रदेश	सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा
8.	जम्मू और कश्मीर	सैनिक स्कूल नगरोटा
9.	झारखंड	सैनिक स्कूल तिलैया
10.	कर्नाटक	1. सैनिक स्कूल बीजापुर
		2. सैनिक स्कूल कोडागु
11.	केरल	सैनिक स्कूल कज़ाकूटम
12.	मध्य प्रदेश	सैनिक स्कूल रीवा
13.	महाराष्ट्र	सैनिक स्कूल सतारा
14.	मणिपुर	सैनिक स्कूल इम्फाल
15.	नागालैंड	सैनिक स्कूल पुंगलवा
16.	ओडिशा	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर
17.	पंजाब	सैनिक स्कूल कपूरथला
18.	राजस्थान	सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़
19.	तमिलनाडु	सैनिक स्कूल अमरावती नगर
20.	उत्तराखंड	सैनिक स्कूल घोड़ाखाल
21.	पश्चिम बंगाल	सैनिक स्कूल पुरुलिया

[अनुवाद]

रक्षा अधिनियम में संशोधन

566. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों जैसे आयुध डिपो, रडार स्टेशनों और संचार यूनिटों के आस-पास निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 में संशोधन करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह पाया गया है कि उक्त अधिनियम के मौजूदा प्रावधन देश के विभिन्न भागों में रक्षा प्रतिष्ठानों के निकट रहने वाले नागरिकों के लिए कष्टकारी हो गए हैं तथा यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार संशोधन को अंतिम रूप देने से पूर्व इस मामले में विभिन्न पणधारियों की राय लेने और उन पर विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग), (ङ) और (च) जी, हां। रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 में संशोधन लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस अधिनियम में संशोधन निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके किए जाएंगे।

(घ) रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के प्रावधानों द्वारा भू-स्वामियों पर भूमि के इस्तेमाल पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तथापि, यह रक्षा स्थापनाओं की सुरक्षा में राष्ट्रहित के लिए होगा। इसके अतिरिक्त, भू-स्वामी इसके लिए उपयुक्त मुआवज़े के हकदार होंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलना

567. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बार-बार यातायात जाम और बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए इलाहाबाद को लखनऊ से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक चार लेन में बदला जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) रारा-24 बी के लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद खंड का चार लेन में विकास दो पैकेजों में प्रस्तावित है। ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) पैकेज-I (लखनऊ से रायबरेली): यह खंड 4 लेन का बनाया जानज्ञ प्रस्तावित है और पूरा करने की निर्धारित तारीख 17.01.2015 है।

(ii) पैकेज-II (रायबरेली से इलाहाबाद): यह खंड 2 लेन का बनाया जाना प्रस्तावित है और पूरा करने की निर्धारित तारीख 17.01.2014 है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता

568. श्री निशिकांत दुबे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नशा करने वाले व्यक्तियों और नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) नशीली दवा व्यसनियों के पुनर्वास के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "मद्यपान औन नशीले पदार्थ (ड्रग्स) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए सहायता" की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करता है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं "दीप दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)" तथा "यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप)" हैं।

(ख) "मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग्स) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए सहायता" की योजना के अंतर्गत, स्वैच्छिक तथा अन्य पात्र संगठनों को शराब/नशीले पदार्थ (ड्रग) व्यसनियों की पहचान, परामर्श उपचार और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है 'दीन दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' के अंतर्गत, विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, हाफवे होम्स, समुदाय आधारित पुनर्वास केन्द्र, प्रारम्भिक हस्तक्षेप केन्द्र तथा कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास इत्यादि जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। "यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता की योजना (एडिप)" के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक यंत्र और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता निर्मुक्त नहीं की जाती है, अपितु संबंधित राज्य सरकारों की अनुशंसाओं की प्राप्ति के पश्चात् गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों तथा इसके साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निधियों की निर्मुक्ति दर्शाने वाले विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-I से संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण I

विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (08.08.2012 तक) के दौरान मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता की योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी सहायता अनुदान

(जारी अनुदान लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (8.8.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	76.82	133.63	156.81	7.86
2.	बिहार	47.19	105.37	150.11	0
3.	छत्तीसगढ़	12.66	7.8	35.61	0
4.	गोवा	8.89	7.5	10.46	0
5.	गुजरात	37.21	22.66	55.46	0
6.	हरियाणा	90.76	98.34	92.26	0
7.	हिमाचल प्रदेश	14.19	4.35	37.37	8.15
8.	जम्मू और कश्मीर	8.89	0	20.00	0
9.	झारखंड	0.00	1.4	4.91	0
10.	कर्नाटक	274.67	246.5	270.28	0
11.	केरल	176.44	190.73	164.10	0
12.	मध्य प्रदेश	66.28	38.6	143.73	0
13.	महाराष्ट्र	327.00	398.35	401.86	21.79
14.	ओडिशा	233.74	226.18	260.55	14.67

1	2	3	4	5	6
15.	पंजाब	53.40	283.12	151.04	55.91
16.	राजस्थान	64.32	124.65	103.80	24.36
17.	तमिलनाडु	279.00	253.12	234.70	0
18.	उत्तराखंड	31.26	43.38	30.16	10.40
19.	उत्तर प्रदेश	61.00	188.85	264.77	72.50
20.	पश्चिम बंगाल	65.09	62.42	161.76	0
21.	चंडीगढ़	0.77	0	ख़	0
22.	दिल्ली	60.55	80.91	140.43	0
23.	अरूणाचल प्रदेश	9.32	9.78	9.95	0
24.	असम	25.07	33.55	128.86	0
25.	मणिपुर	172.39	238.76	250.45	19.46
26.	मेघालय	6.35	11.25	20.06	3.84
27.	मिजोरम	43.77	48.97	145.80	0
28.	नागालैंड	21.94	65.75	74.99	4.19
29.	सिक्किम	9.95	4.98	14.93	0
	कुल	2278.92	2930.9	3533.41	243.13

विवरण II

विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (09.08.2012 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य	जारी राशि (लाख रुपये में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (9.8.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1586.81	2063.86	2500.72	110.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.72	3.36	9.66	0
3.	असम	87.40	184.57	174.00	0
4.	बिहार	45.48	100.57	137.67	15.98

1	2	3	4	5	6
5.	चंडीगढ़	10.50	0.00	0.00	0
6.	छत्तीसगढ़	31.52	20.07	54.68	0
7.	दिल्ली	170.24	249.67	188.78	13.31
8.	गोवा	18.30	14.05	0.00	0
9.	गुजरात	57.40	50.88	49.68	7.31
10.	हरियाणा	78.36	107.58	159.14	27.24
11.	हिमाचल प्रदेश	17.99	52.39	38.30	1.75
12.	जम्मू और कश्मीर	7.19	21.92	15.62	0
13.	झारखंड	12.01	24.02	0.00	1.02
14.	कर्नाटक	857.24	1057.62	1146.62	0
15.	केरल	386.96	789.99	1005.92	1.85
16.	मध्य प्रदेश	99.56	175.81	158.72	2.37
17.	महाराष्ट्र	150.51	217.50	228.91	0
18.	मणिपुर	130.14	305.91	191.06	1.09
19.	मेघालय	25.64	73.60	63.99	0
20.	मिजोरम	6.58	40.45	22.67	0
21.	ओडिशा	448.66	591.15	605.58	6.95
22.	पुदुचेरी	13.36	6.55	12.65	0
23.	पंजाब	35.38	130.28	97.64	0
24.	राजस्थान	168.81	179.45	144.45	0
25.	तमिलनाडु	366.18	421.49	405.10	21.51
26.	त्रिपुरा	21.36	6.20	10.66	0
27.	उत्तर प्रदेश	718.82	612.36	597.64	72.17
28.	उत्तराखंड	53.60	132.60	63.83	6.70
29.	पश्चिम बंगाल	543.22	591.74	544.52	30.57
	कुल	**6155.94**	**8225.64**	**8628.37**	**320.71**

विवरण III

विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (09.08.2012 तक) के दौरान सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य	जारी राशि (लाख रुपये में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (9.8.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	137.00	-	256.87	0
2.	बिहार	16.99	41.00	252.47	0
3.	छत्तीसगढ़	7.50	-	40.60	0
4.	गोवा	0.00	-	3.00	0
5.	गुजरात	85.45	101.70	140.09	0
6.	हरियाणा	23.50	14.00	39.50	0
7.	हिमाचल प्रदेश	25.00	43.00	32.06	0
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	76.00	34.50	0
9.	झारखंड	46.00	103.00	70.86	0
10.	कर्नाटक	73.00	21.00	121.00	0
11.	केरल	140.00	-	32.82	0
12.	मध्य प्रदेश	140.40	6.71	161.79	0
13.	महाराष्ट्र	129.25	179.34	124.36	0
14.	ओडिशा	97.00	198.79	124.00	0
15.	पंजाब	56.50	8.33	47.07	0
16.	राजस्थान	128.00	309.00	307.81	0
17.	तमिलनाडु	159.11	291.50	250.76	0
18.	उत्तर प्रदेश	240.25	333.01	403.75	0
19.	उत्तराखंड	17.75	45.00	34.93	0
20.	पश्चिम बंगाल	100.20	46.36	99.17	8.50
21.	अंडमान और निकोबार	0.00	6.00	3.83	0
22.	चंडीगढ़	0.00	-	1.93	0
23.	दादरा और नगर हवेली	2.00	3.00	3.00	0
24.	दमन और दीव	0.00	-	3.69	0
25.	दिल्ली	5.60	19.00	16.65	0
26.	लक्षद्वीप	2.00	3.00	1.91	0

1	2	3	4	5	6
27.	पुदुचेरी	0.00	13.00	8.29	0
28.	अरूणाचल प्रदेश	53.00	49.00	33.83	0
29.	असम	317.50	337.48	180.25	40.50
30.	मणिपुर	0.00	42.00	12.79	0
31.	मेघालय	40.00	40.00	-	0
32.	मिजोरम	34.00	34.00	10.35	0
33.	नागालैंड	37.00	-	11.27	0
34.	सिक्किम	0.00	-	-	0
35.	त्रिपुरा	71.00	-	11.87	0
	कुल	2185.00	2364.22	2877.07	49.00

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादों/दवाओं का पेटेंट

569. डॉ. भोला सिंह:
श्री भीष्मशंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंपनियां खाद्य उत्पादों/ दवाओं के पेटेंट पाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उत्पादों के लिए पेटेंट नियमों को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में खाद्य उत्पादों और दवाओं के लिए पेटेंट पाने के लिए लंबित पड़े आवेदनों का ब्यौरा क्या है तथा पेटेंट पाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य उत्पादों और औषधियों के नाम क्या हैं जिनके लिए पेटेंट दिए गए हैं तथा लंबित पेटेंट आवेदन के बैकलॉग को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) काफी समय से भेषज आविष्कारों/नवोचारों के पेटेंट के लिए लंबित प्रस्तावों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) लंबित प्रस्तावों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति अनुसार, खाद्य उत्पादों/दवाओं/भेषजीय (फार्मास्युटिकल) आविष्कारों के लिए पेटेंट के 12690 आवेदन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह का कार्यालय में लंबित हैं। पेटट आवेदनों के स्थान-वार लंबित रहने की स्थिति निम्न प्रकार से है:

स्थान	जांच हेतु लंबित पेटेंट आवेदन
दिल्ली	6386
मुम्बई	2669
कोलकाता	1862
चेन्नई	1773
योग	12690

इन आवेदनों का ब्यौरा महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न का कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ipindian@nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2009 से 2011 के दौरान खाद्य उत्पादों के लिए 94 पेटेंट तथा इसी अवधि में दवाओं/भेषजीय आविष्कारों के लिए 1810 पेटेंट प्रदान किए गए। खाद्य पदार्थों तथा दवाओं/भेषजीय आविष्कारों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए पेटेंटों का ब्यौरा महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न का कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ङ) पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें शामिल विभिन्न चरणों के कारण इसमें समय लग जाता है जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं आवेदन का प्रकाशन, जांच हेतु आवेदन दायर करना, आवेदन की जांच तथा प्रदानगी-पूर्व दायर किए गए किसी विरोध का निपटारा करना। इसके अलावा, पिछले दस वर्षों के दौरान पेटेंट आवेदन दायर किए जाने में 25% से भी अधिक की भारी वृद्धि तथा इसकी तुलना में पेटेंट जांचकर्ताओं की कमी, पेटेंट आवेदनों की संख्या लंबित होने के अन्य कारण हैं।

(च) सरकार ने 248 पेटेंट जांचकर्ताओं के अन्य चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें से, 30 अप्रैल, 2012 की स्थिति अनुसार, 135 ने कार्यग्रहण कर लिया है। वर्तमान में, पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण में शामिल सभी चरणों को एक इलेक्ट्रोनिक माड्यूल के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जो पेटेंट जांच प्रणाली में सटीकता, दक्षता और पारदर्शिता लाने तथा प्रसंस्करण के चरणों के दौरान विलंब को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

अमरीका के साथ रक्षा समझौते

570. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के साथ किए गए रक्षा खरीद समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका द्वारा आपूर्तित उपस्करों में बड़ी संख्या में दोषयुक्त चीनी कल-पुर्जे प्रयोग में लाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी सीनेट समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सूचित किया है कि इन उपस्करों में 10 लाख से भी अधिक चीनी कल-पुर्जे प्रयोग में लाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) विगत पांच वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) से विभिन्न रक्षा उपस्करों की खरीद के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक (एलपीडी)-भा.नौ.पो. जलाश्व, यूएच 3एच हेलिकाप्टर, हार्पून एएसएम, लंबी रेंज के ध्वनि श्रवण यंत्र, मॉडर्न हल पेनिट्रेटिंग पेरिस्कोप, साइड स्कैन सोनार, सी 130 जे परिवहन विमान, सेंसर फ्यूज हथियार, सी-17 ग्लोबमास्टर-III, सी-81 लंबी रेंज वाले समुद्री टोही विमान, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) नावें इत्यादि शामिल हैं।

(ख) से (ङ) इस संबंध में मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनको सत्यापित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों को रियायतें

571. श्री महेश जोशी:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित बड़ी और छोटी निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी अन्य इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य-वार सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) इन इकाइयों से किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इन ईओयू को सरकार द्वारा प्रदान की गई रियायत राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ईओयू से निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या इन ईओयू को प्रदान की गई रियायतों की निगरानी और इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ईओयू द्वारा निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातोन्मुख इकाइयों की आगे स्थापना हेतु प्राप्त तथा अनुमोदित आवेदनों की संख्या तथा निर्यातोन्मुख इकाईयों की संख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11	
	प्राप्ति	अनुमोदित	प्राप्ति	अनुमोदित	प्राप्ति	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	43	36	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	0	0	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	10	6	9	9	7	7
बिहार	0	0	-	-	-	-
झारखंड	0	0	-	-	-	-
ओडिशा	3	2	-	-	-	-
असम	0	0	-	-	-	-
त्रिपुरा	0	0	-	-	-	-
मिजोरम	0	0	-	-	-	-
मणिपुर	0	0	-	-	-	-
मेघालय	0	0	-	-	-	-
नागालैंड	0	0	-	-	-	-
अरूणाचल प्रदेश	0	0	-	-	-	-
सिक्किम	0	0	-	-	-	-
गुजरात	26	21	15	12	13	7
केरल	6	6	8	8	6	6
कर्नाटक	50	50	26	26	28	28
तमिलनाडु	41	33	34	28	35	32
पुदुचेरी	1	1	-	-	-	-
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	-	-	-	-
महाराष्ट्र	34	27	24	21	12	8
गोवा, दमन और दीव	9	9	2	2	2	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	3	2	2	1

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	2	2	2	1	0	0
हरियाणा	4	2	3	3	7	3
उत्तर प्रदेश	6	3	8	4	8	4
पंजाब	2	1	1	0	1	1
राजस्थान	4	2	5	2	2	1
हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	1	1	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	2	1	0	0	1	1
मध्य प्रदेश	3	2	1	1	1	0
कुल	269	221	172	141	146	119

दिनांक 31.3.2011 के अनुसार संचालनरत निर्यातोन्मुख इकाईयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इकाईयां
1	2
आंध्र प्रदेश	258
छत्तीसगढ़	1
पश्चिम बंगाल	63
बिहार	1
झारखंड	2
ओडिशा	20
असम	-
त्रिपुरा	-
मिजोरम	-
मणिपुर	-
मेघालय	1
नागालैंड	-
अरूणाचल प्रदेश	-
सिक्किम	-
गुजरात	266
केरल	77
कर्नाटक	463
तमिलनाडु	427
पुदुचेरी	26
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
महाराष्ट्र	395
गोवा, दमन और दीव	61
दादरा और नगर हवेली	23
दिल्ली	48
हरियाणा	95
उत्तर प्रदेश	92
पंजाब	21
राजस्थान	73
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू और कश्मीर	3
चंडीगढ़	3

1	2
उत्तराखंड	3
मध्य प्रदेश	15
कुल	2446

(ख) ईओयू स्कीम के तहत प्रदय लाभ मोटे तौर पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों और सीएसटी से छूट हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 से ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी स्कीम (डीटीए बिक्री तथा माने गए निर्यात लाभों हेतु प्रदत्त रियायतों को छोड़कर) के तहत अप्रत्यक्ष करों के माफ शुल्क का मूल्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	ईओयू से निर्यात (करोड़ रुपये में)	रियायत (करोड़ रुपये में)	
		शुल्क माफ	सीएसटी/डीबी के प्रतिपूर्ति
2008-09	176923.02	13399.09	527.10
2009-10	84135.66	8076.46	304.93
2010-11	76031.13	8579.87	305.51

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्यातोन्मुखी इकाईयों से निर्यातों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं रखा जाता है।

(घ) से (च) जी, हां। निर्यातोन्मुखी इकाईयों को स्वीकृत रियायत को मॉनीटर करने तथा दुरूपयोग रोकने के लिए एक तन्त्र है, जिसे वाणिज्य मंत्रालय (विकास आयुक्त) तथा वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त) द्वारा एक संयुक्त नियंत्रण के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा कानूनी प्रावधानों के माध्यम से ईओयू को मॉनीटर करने तथा दुरूपयोग रोकने के लिए एक सांविधिक ढांचा है। निर्यात दायित्व को पूरा न करने/कम पूरा करने, अत्यधिक तथा अस्वीकार्य आयातों, अनियमित तथा अनधिकृत डीटीए बिक्रियां, सीएसटी की अत्यधिक प्रतिपूर्ति, डीटीए बिक्री संबंधी खामी, निर्यात आगमों की गैर-वसूली, अनियमित डि-बांडिंग, पुनः भंडारण प्रमाण-पत्रों की गैर प्राप्ति आदि जैसे किसी मानक की किसी ईओयू द्वारा उल्लंघन करता पाये जाने की स्थिति में शुल्क छूट वापस ले लिये जाते हैं तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार दण्ड लगाए जाने के अतिरिक्त अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक वसूली भी की जाती है।

एनएच-8ए, एनएच-8ई और एनएच-8डी

572. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एनएच-8ए के जैतपुर सोमनाथ खण्ड को चार लेन का बनाना प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस खंड को छह लेन में परिवर्तित करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार की इस बात को देखते हुए कि संपूर्ण देशभर से लाखों श्रद्धालु एनएच-8ई पर स्थित धर्मिक स्थलों सोमनाथ और द्वारका जाते हैं, एनएच-8ई और 8डी को चौड़ा कर छह लेन बनाने हेतु क्या योजना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। रारा-8डी के जैतपुर-सोमनाथ खंड को 4-लेन का बनाए जाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया है और उसको पूरा किए जाने का समय सितम्बर, 2014 है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ङ) रारा-8ई के भावनगर-वरावल-द्वारका खंड का 4-लेन में उन्नयन कार्य एनएचडीपी-IV के अंतर्गत शामिल किया गया है। तथापि, इस समय रारा-8ई और रारा-8डी का 6-लेन में चौड़ीकरण किए जाने की कोई योजना नहीं है।

आरआईएनएल में दुर्घटना

573. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., विशाखापत्तनम संयंत्र में भीषण आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) इस घटना में कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई और कितने कर्मचारी घायल हुए;

(घ) क्या सरकार ने एक समिति से इसकी जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) सरकार ने समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों पर तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) क्या सरकार ने इस घटना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों के सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 13 जून, 2012 को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की इस्पात गलन शाला-2 के कनवर्टर-1 को चालू करते समय आक्सीजन प्रेशर रिडयूसिंग स्टेशन-3 में विस्फोट होने के कारण एक दुर्घटना हुई। इसमें 19 लोगों की जान चली गई। इनमें 9 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी जबकि 10 अन्य सभी घायल व्यक्तियों की चोटें लगने के कारण अंततः मृत्यु हो गई। गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान ऐसी कोई बड़ी आग विस्फोट दुर्घटना नहीं हुई।

(घ) और (ङ) इस दुर्घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. एस.आर. जैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति ने दिनांक 27 जुलाई, 2012 को इस्पात मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और आरआईएनएल को इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं।

(च) इस्पात मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की जांच करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए फैक्टरी एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (एफएएसएलआई) के अंतर्गत विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में एक सुरक्षा ऑडिट करवाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से अनुरोध किया है। तदनुसार, चेन्नई में रिजनल लेबर इंस्टीट्यूट के निदेशक (सुरक्षा) के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने एक विशेष सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विशाखापत्तनम का दौरा किया है।

इस्पात मंत्रालय ने ऐसी दुर्घटनाओं की पुरावृत्ति के जोखिम को न्यूनतम करने को ध्यान में रखते हुए इस जांच समिति के निष्कर्षों को देश में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के सभी इस्पात संयंत्रों को भी बताया है। जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति इस्पात मंत्रालय की बेबसाइट पर भी डाल दी गई है।

कच्चे माल का आयात

574. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात की खपत में कई गुना वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात उद्योग, विशेषकर लघु और मध्यम संयंत्र कच्चे माल, विशेषकर लौह अयस्क की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण नुकसान उठा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लघु और मध्यम इस्पात संयंत्र ई-नीलामी में कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण नुकसान उठा रहे हैं और उन्हें बंद किए जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है;

(ङ) लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा मद-वार और देश-वार आयातित कच्चे माल का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक गत तीन वर्षों के दौरान कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) आधार पर वास्तविक खपत में वृद्धि की दर 10.6% रही है। गत तीन वर्षों में संपूर्ण फिनिश्ड स्टील की वास्तविक खपत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	वर्ष	योग	गत वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
1	2009-10	59.34	13.3
2.	2010-11	66.42	11.9
3.	2011-12*	70.92	6.76

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का कुल उत्पादन, मांग और निर्यात नीचे दिया गया है:

वर्ष	लौह अयस्क का उत्पादन@	मांग/घरेलू खपत	निर्यात*
1	2	3	4
2008-09	212.96	86.7@	105.87
2009-10	218.55	96.3@	117.37
2010-11(पी)	208.00	111.4#	97.66
2011-12(पी)	169.66 (अनंतिम)	116.3#	61.80

@उत्पादन का स्रोत-आईबीएम, खान मंत्रालय *निर्यात हेतु-एमएमटीसी, वाणिज्य विभाग, #स्रोत-इस्पात मंत्रालय का अनुमान

भारत में लौह अयस्क का उत्पादन लोहा एवं इस्पात उद्योग की कुल अनुमानित घरेलू खपत से अधिक है। इसलिए, घरेलू लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए कुल मिलाकर लौह अयस्क की कमी नहीं है।

इस्पात उद्योग एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात संयंत्रों के लिए लौह अयस्क जैसी कच्ची सामग्रियों की कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कर्नाटक के तीन जिलों नामत: बेल्लारी, चित्रदुर्गा और तुमकुर में अवस्थित खानों से लौह अयस्क की अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री ई-नीमाली के जरिये की जा रही है।

(ङ) सस्ती कीमत पर घरेलू लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने दिनांक 30.12.2011 से लौह अयस्क के सभी ग्रेडों (पैलेट को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत से बढ़ाकर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है।

(च) वर्ष 2011-12 में सेल और आरआईएनएल दोनों द्वारा आयातित कच्ची सामग्री का ब्यौरा निम्नवत है:-

पीएसयू का नाम	मद	देश	मात्रा मिलियन टन में	कारण
1	2	3	4	5
सेल	कोकिंग कोल	आस्ट्रेलिया	7.88	कम राख की मात्रा वाले स्वदेशी कोकिंग कोल की
		न्यूजीलैंड	0.73	अनुपलब्धता
		यूएसए	1.81	
	लाइमस्टोन	यूएई	2.5	किफायती
	निकल	कोरिया, रूस, येके	1.5	भारत में यह गुणवत्ता उपलब्ध नहीं है
	फैरो नियोबियम	ब्राजील, यूएसए	0.360	भारत में उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
	सी वाटर मेगनेशिया	आयरलैंड, नीदरलैंड	23.02	भारत में उपलब्ध नहीं
	कोकिंग कोल	आस्ट्रेलिया	2.918	कम राख की मात्रा वाले
		यूएसए	0.603	स्वदेशी कोकिंग कोल की
		न्यूजीलैंड	0.155	अनुपलब्धता
आरआईएनएल	लो सिलिका लाइमस्टोन	यूएई	0.420	किफायती

[हिन्दी]

पथकर में संशोधन

575. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में राजमार्गों पर वसूले जा रहे पथकर में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पथकर में कितने प्रतिशत कमी किए जाने की सम्भावना है और उन राजमार्गों के नाम क्या हैं जहां इसका कार्यान्वयन किए जाने की सम्भावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आतिशबाजी और पटाखों का विनिर्माण

576. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु शिवकाशी में निर्मित आतिशबाजी और पटाखों का ब्यौरा और प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में आतिशबाजी अनुसंधन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किस स्थल की पहचान की गई है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान पटाखों और आतिशबाजी के निर्यात संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ङ) क्या सरकार ने आतिशबाजी और पटाखा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए कोई कल्याण-पैकेज निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में लगभग 90% पटाखों का विनिर्माण शिवकाशी, तमिलनाडु में तथा उसके आस-पास स्थिति पटाखा फैक्ट्रियों में होता है। लगभग 697 इकाइयां 800 करोड़ रुपये के पटाखों का उत्पादन करती हैं;

(ख) और (ग) अनइयूर गांव, शिवकाशी, तमिलनाडु में, जो पटाखा उद्योग का मुख्य केन्द्र है, पहले ही अतिशबाजी अनुसंधान और विकास केन्द्र (एफआरडीसी) की स्थापवना कर दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटाखों के निर्यात का देश-वार ब्यौरा तथा इससे अर्जित विदेशी मुद्रज्ञ निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	देश	मूल्य लाख रुपये में				मात्रा हजार किग्रा. में			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-2012 (अप्रैल-फरवरी 12)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-2012 (अप्रैल-फरवरी 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जर्मनी	0	0	0.01	0	0	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मालदीव	6.76	2.87	125.34	37.13	4.40	1.80	4.63	8.06
3.	नेपाल	0.17	0.60	3.94	0	0.12	1.50	3.00	0
4.	सिंगापुर	0	0	0.68	0	0	0	0.01	0
5.	सउदी अरब	1.24	0	0	0	0.04	0	0	0
6.	श्रीलंका डीएसआर	3.42	0	3.06	6.15	7.00	0	4.00	2.00
7.	उज्बेकिस्तान	0	0	0	60.37	0	0	0	8.00
	कुल	11.59	3.47	20.03	103.65	11.56	3.30	11.64	18.06

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ङ) और (घ) पटाखा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए कोई विशेष कल्याणकारी योजना नहीं है।

[अनुवाद]

रोजगार और बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण

577. **श्री संजय भोई:**
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री गणेश सिंह:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री पी. बलराम नायक:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में रोजगार की स्थिति/आंकड़े क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 2012 में रोजगार और बेरोजगारी संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सर्वेक्षण के परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या स्नातकों की तुलना में निरक्षरों में बेरोजगारी कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या का समाधन करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2009-10 के दौरान आयोजित किया गया था। रोजगार एवं बेरोजगारी पर तीन सबसे हालिया पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के अनुसार देश में सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित रोजगार 1999-2000 में 397. 0 मिलियन, 2004-05 में 459.10 मिलियन तथा 2009-10 में 465. 48 मिलियन था।

(ख) द्वितीय वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण (2011-12) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट 19 जुलाई, 2012 को जारी कर दी गई है।

(ग) सर्वेक्षण के परिणामों का ब्यौरा एवं नतीजा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों में अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2010-11 के दौरान स्नातकों में 9.4 प्रतिशत की तुलना में 1.2 प्रतिशत थी।

(ङ) सरकार ने देश में बेजरागारी कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनता के जीवनयापन की परिस्थितियों में सामान्य

रूप से सुधार लाने के लिए उसकी आय में बढ़ोतरी हेतु तीव्र गति से उत्पादक रोजगार सृजित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। भारत सरकार अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करती रही है।

विवरण

द्वितीय वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12 के ब्यौरे एवं नतीजे

- सर्वेक्षण के दौरान आंकड़े 1,28,298 परिवारों से एकत्र किए गए हैं, जिनमें से 81,430 परिवार ग्रामीण तथा शेष 46,868 परिवार शहरी क्षेत्र में हैं।
- कृषि वर्ष 2010-11 अर्थात जुलाई, 2010 से जून 2011 की निर्धारित संदर्भ अवधि सामान्य स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाती है।
- श्रम बल अनुमान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु लगाए जाते हैं।
- श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अखिल भारत स्तर पर 52.9 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- ग्रामीण क्षेत्र में, एलएफपीआर, शहरी क्षेत्र में 47.2 प्रतिशत की तुलना में 54.8 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- महिला एलएफपीआर, पुरुष एलएफपीआर की तुलना में अत्यधिक कम है। अखिल भारत स्तर पर, महिला एलएफपीआर, पुरुष श्रेणी में 77.4 प्रतिशत की तुलना में 25.4 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- अखिल भारत स्तर पर, कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 50.8 प्रतिशत होना अनुमानित है। ग्रामीण क्षेत्रों में, डब्ल्यूपीआर शहरी क्षेत्रों में 44.9 की तुलना में 52.9 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- अखिल भारत स्तर पर महिला डब्ल्यूपीआर, 75.1 प्रतिशत पुरुष डब्ल्यूपीआर की तुलना में 23.6 होना अनुमानित है।
- अखिल भारत स्तर पर बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, बेरोजगारी दर 3.4 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्रों में, यह 5.0 प्रतिशत है।
- तुलनात्मक रूप से निम्न एलएफपीआर के बावजूद, बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अत्यधिक उच्च हैं अखिल भारत स्तर पर, महिला बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत होना अनुमानित है जबकि पुरुषों में बेरोजगारी दर 2.9 प्रतिशत है।
- अखिल भारत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 12.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5.6 प्रतिशत होना अनुमानित है। बेरोजगारी की यही दरें पुरुषों हेतु शहरी क्षेत्रों में 3.4 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.7 प्रतिशत हैं।
- लाभवंचित माने जाने वाले सामाजिक समूहों के संबंध में बेरोजगारी दरें सामान्य श्रेणी के संबंध में बेरोजगारी दर की तुलना में कम हैं। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत होना अनुमानित है, अनुसूचित जनजातियों हेतु यह 2.6 प्रतिशत है, सामान्य श्रेणी हेतु यह 5.5 प्रतिशत है।
- नियोजित व्यक्तियों की अधिसंख्या स्वनियोजित पाई जाती है। सामान्य प्रमुख स्थिति दृष्टिकोण के तहत, अखिल भारत स्तर पर 48.6 प्रतिशत व्यक्ति स्वनियोजित अनुमानित हैं जिसके उपरांत 19.7 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी/वेतन अर्जक के रूप में तथा बाकी 31.7 प्रतिशत व्यक्ति नैमित्तिक श्रम श्रेणी से संबंधित हैं।
- अखिल भारत स्तर पर, नियोजित व्यक्तियों की अधिसंख्या अर्थात 52.9 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी एवं मछली पकड़ने) में, जिसके उपरांत 27.8 प्रतिशत तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र में तथा 19.3 प्रतिशत व्यक्ति विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्र अर्थात द्वितीयक क्षेत्र में नियोजित हैं।

खनन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव

578. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की कोयला खानों के भीतर और बाहर दोनों जगह कोयला-खनन से पर्यावरण और वन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के कतिपय भौगोलिक क्षेत्रें में कोयला-खानों की अधिकता और सघनता के मद्देनजर किसी एकल खनन-प्रस्ताव की बजाय सभी खानों व खनन-कार्य को व्यापक पर्यावरणीय और वनगत विपणन-प्रभाव आकलित करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (च) पर्याप्त निवारक और प्रशमन उपायों के अभाव में कोयला खनन सहित विकास परियोजनाएं पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2006 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना अधिसूचित की है। इस अधिसूचना के अंतर्गत कोयला खनन सहित अधिसूचित विकास परियोजनाओं हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व किसी कोयला खनन परियोजना का मूल्यांकन करते समय संभावित प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। किसी कोयला खनन परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करते समय, क्षेत्र में चल रही अन्य परियोजनाओं के प्रभाव पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाता है। खानों के समूहो के लिए समर्पित कोयला निकास प्रणाली जैसे कतिपय प्रशमन उपाय निर्धारित किए गए हैं।

सैनिकों के लिए थर्मल सेल्टर

579. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरजीओ) ने सैनिकों की हिमालयी क्षेत्र की विषम जलवायवी परिस्थितियों से रक्षा करने के लिए समेकित ताप विनियमित शेल्टर डिजाइन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये शेल्टर समेकित ताप नियंत्रकों, बायो-डाइजेस्टरों तथा वायु मॉनीटिरिंग प्रणाली से सुसज्जित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) लेह में फेयांग में दो एकीकृत ताप विनियमित शेल्टर प्रतिष्ठापित कर दिए गए हैं और 14 कोर को सौंप दिए गए हैं। इस शेल्टर के अंतर्गत सभी सेवाएं जैसे वैद्युत, प्लंबिंग तथा जल आपूर्ति, बायो-डाइजेस्टर, कैरोसीन जेनसेट तथा इंवर्टर सहित सौर ऊर्जा और बैटरी बैंक सुचारू रूप से एकीकृत की गई हैं। प्रत्येक शेल्टर में 10 कार्मिक आसानी से आ सकते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन शेल्टरों में एकीकृत ताप रेगुलेटर लगे हुए हैं जो आस-पास 25 डिग्री का तापमान बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण की सुविधानुकूल अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए बायो-डाइजेस्टर एकीकृत किए गए हैं।

वस्त्र निर्यात का संवर्धन

580. **श्री एम.के. राघवन:**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों को वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं और यूरोप एवं अमरीका सहित अन्य देशों की तुलना में भारतीय वस्त्र निर्यात का हिस्सा कितना है;

(ख) निर्यातकों को दी जा रही रियायतों या ब्याजगत सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कपास का कर-स्टॉक सृजित किया है और कपास-खरीद नीति की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वस्त्र उद्योग में बेरोजगार लोगों की संख्या के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान कोई अधययन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में और राज्य-वार वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.ए्.एस.) के अंतर्गत आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के तहत निधियां आबंटित करने हेतु क्या मापदण्ड हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) श्वि के वस्त्र एवं परिधान (टीएण्डसी) उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा क्रमश: 5.13% एवं 3.13% हैं भारत, वस्त्र एवं परिधान का यूएसए के लिए तीसरा एवं ईयू-27 देशों के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।

सरकार ने जून 2012 में अनुपूरित, 2009-14 की विदेश व्यापार नीति में टीएण्डसी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए हैं। इसमें फोकस बाजारों के लिए निर्यात तथा फोकस उत्पादों के निर्यात, प्री-शिपमेंट ऋण पर ब्याज सहायता, गारमेंटिंग उद्योग के लिए आवश्यक ट्रिमिंग्स का शुल्क मुक्त आयात तथा इस्तशिल्प उद्योग द्वारा उपकरणों के कर-मुक्त आयात के लिए सहायता शामिल है। इसे अतिरिक्त मौजूदा बाजारों में बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने एवं नए बाजारों की खोज करने के लिए निर्यातकों को बाजार विकास सहायता योजना एवं बाजार पहुंच प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) को तैयार परिधानों के संबंध में यूएसए एवं ईयू के लिए 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया है एवं फोकस बाजार योजना (एफएमएस) तथा विशेष फोकस बाजार योजना के अंतर्गत 7 अतिरिक्त नए बाजारों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास की 10 लाख गांठों का एक बफर स्टॉक तैयार करने के लए वाणिज्यिक अभियान प्रारंभ करेगा।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान वस्त्र क्षेत्र में बेरोजगार कामगारों की संख्या के विषय में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत राज्यों को निधियां जारी नहीं की गई हैं। योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-एसएसआई निजी वस्त्र मिलों के कामगारों को आबंटित एवं संवितरित सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(लाख में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	जारी राशि	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	वर्ष के दौरान भुगतान पाने वाले कामगार	संवितरित संचयी राशि	संचयी रूप से भुगतान पाने वाले कामगार	संचयी रूप से भुगतान पाने वाली मिलों की संख्या	संचयी रूप से नामावली पर कामगार
2009-2010	4000	2506	2445.35	6658	28646.61	109366	78	140834
2010-2011	1228.49	1228.49	1228.12	2854	29874.73	112219	83	143333
2011-2012	470	470	470	1288	30344.73	113507	88	144544
2012-2013 (30.6.12 को)	800	263	15.28	39	30360.01	113546	88	144544

भर्ती में अनियमितताएं

581. **श्री प्रबोध पांडा:**
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री पी. लिंगम:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सशस्त्र बलों के निचले सैनिक विन्यासों में नीचे के स्तर के स्टाफ की भर्ती में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार सरकार के संज्ञान में आया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए.) में असैनिक कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं सूचित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) ऐसे भर्ती रैकेट को चलाने के आरोपित अधिकारियों द्वारा इसके संचालन के लिए क्या तरीका अपनाया गया;

(च) क्या रक्षा अनुसंधन और विकास संगठन तथा निचले सैनिक विन्यासों द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सार्वजनिक नहीं किया जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार निचले सैनिक विन्यासों में नीचे के स्तर के स्टाफ की भर्ती हेतु एक भर्ती बोर्ड गठित करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) निचले स्तर के स्टाफ में कोई बड़ा भ्रष्टाचार सरकार की जानकारी में नहीं आया है। जब कभी सरकार की जानकारी में कोई अनियिमितता आती है तो शीघ्र ही उयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में विभिन्न समूह 'ग' पदों पर स्टाफ की भर्ती में गैरकानूनी परितोषण की कथित प्राप्ति से संबंधित एक मामला दर्ज किया है। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा हैं

(च) 2011 तक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक उनके अनुरोध पर प्रकट किए। डीआरडीओ प्रवेश परीक्षा-2012 से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक सार्वजनिक किए जाएंगे।

(छ) निचले स्तर के स्टाफ की भर्ती के लिए सुस्थापित भर्ती प्रक्रियाएं पहले से विद्यमान हैं।

बुलेट-प्रूफ जैकेट

582. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना के जवानों को पर्याप्त मात्र में बुलेट-प्रूफ जैकेटें उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जवानों द्वारा किस प्रकार की जैकेटों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सेना द्वारा खरीदी गईं बुलेट-प्रूफ जैकेटों का ब्यौरा क्या है और इन पर कितना व्यय किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सेना की आवश्यकताओं के आधार पर बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे) अधिप्राप्त किए जाते हैं। इस समय उपलब्ध बुलेट प्रूफ जैकेट सेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। संशोधित सामान्य स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता (जीएसक्यूआर) के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेटों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप चल रही है।

[हिन्दी]

जंगली इमारती लकड़ी की तस्करी पर रोक

583. श्री के.डी. देशमुख: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काष्ठ-तस्करों, माफियाओं और वनकर्मियों की मिलीभगत से वन-माफिया द्वारा जंगली इमारती लकड़ी की तस्करी के मामले सूचित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त वन-माफिया और वनकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वनकर्मियों की मिलीभगत से वन-माफिया द्वारा जंगली इमारती लकड़ी की तस्करी के संबंध में मंत्रालय में कोई सूचना नहीं हुई है।

सीमावर्ती सड़कों की स्थिति

584. श्री रेवती रमण सिंह:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन द्वारा देश की सीमा पर किए गए बृहत् अवसंरचनात्मक निर्माण का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा सड़क संगठन की सड़क-निर्माण परियोजनाएं काफी धीमी गति से चल रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निधियों की कमी कार्य की धीमी गति का एक प्रमुख कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सड़क-परियोजनाओं हेतु एक नई एजेन्सी बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन भारत की दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास कर रहा हैं इसमें रेल, सड़क तथा एयरपोर्ट सुविधाओं का विकास शामिल है। सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है।

(ग) जी, नहीं। सामरिक सीमा सड़कों के रूप में चिह्नित 73 सड़कों में से 61 सड़कें सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई हैं, जिनमे से 16 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, 26 सड़कें 2013 तक तथा शेष 19 सड़कें 2016 तक पूरी किए जाने का कार्यक्रम है। वन/वन्य जीवन संबंधी स्वीकृति मिलने में विलम्ब, कार्य अवधि की सीमितता तथा प्रतिकूल भू-परिस्थितियां वे प्रमुख कारक हैं जिनके कारण निर्माण-कार्य की गति प्रभावित हुई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

नौसेना का पनडुब्बी-बेड़ा

585. श्रीमती मीना सिंह:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के नौसेना-बेड़े में पनडुब्बियों की कमी को पूरा करने के लिए कितनी पनडुब्बियां खरीदी गईं/निर्मित की गईं और इन्हें किन-किन देशों से खरीदा गया है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में 'स्कॉर्पिन' पनडुब्बियां खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी विनिर्मात्री कंपनी ने इस वास्ते भारत के कुछ अधिकारियों को दलाली और मुफ्त में हेलिकॉप्टर मुहैया कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) परमाणु शक्ति वाली एक पनडुब्बी रूस से पट्टे पर अधिप्राप्त की गई है तथा इसे जनवरी, 2012 में नौसेना में शामिल कर दिया गया है।

(ख) मैसर्स डीसीएनएस फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत नौसेना के लिए 6 स्कार्पिन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अक्तूबर, 2005 में मैसर्स माझगांव डॉक लिमिटेड के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) से (च) 2006 में की गई एक शिकायत पर मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कार्रवाई की गई तथा अप्रैल, 2008 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसे बंद कर दिया गया।

बुनकरों को ऋण-माफी

586. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋणग्रस्त बुनकरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित बुनकरों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है तथा सरकार द्वारा देश के सभी बुनकरों को ऐसी योजना का लाभ पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में हथकरघा बुनकरों की कुल संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके अंतर्गत आबंटित/जारी और प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बुनकरों के कल्याण हेतु प्रारंभ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले बुनकरों और उनके परिवारों की संख्या कितनी है;

(ङ) देश में बुनकरों के कल्याण हेतु प्रारंभ की गई 'मिल-गेट प्राइस' योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा बुनकरों की स्थिति में सुधार और बुनकरों के लाभ हेतु जारी निधियों के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) सरकार ने 3884 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ दिनांक 24.11.2012 को "हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार तथा पुनर्गठन पैकेज" अनुमोदित किया है। इस 3884 करोड़ रुपये में से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रुपये है। इस पैकेज में पात्र बुनकरों और बुनकर सहकारी सेसाइटियों के संबंध में दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार जो ऋण राशि अतिदेय है उसके मूलधान का 100% और ब्याज का 25% माफ करना शामिल है। ऋाण माफी के लिए शामिल व्यक्तिगत बुनकरों और हथकरघा सहकारी समितियों को बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए नए ऋणों के लिए गारंटी के साथ 3 वर्षों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण, विकास बैंक (नाबार्ड) कार्यान्वयन एजेंसी है। बुनकरों और उनकी सोसाइटियों की संख्या का लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 2012-13 के दौरान 11वीं योजना की पांच योजनागत स्कीमें जारी रखी जा रही हैं ये हैं (i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना; (ii) हथकरघा बुनकर कल्याण योजना, (iii) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना, (iv) मिल गेट कीमत योजना; और (v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

(ख) भारत की हथकरघा संगणना (2009-10) के अनुसार देश में हथकरघा बुनकरों की संख्या संलग्न विवरण II में दी गई है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ क्षेत्र-वार और योजना-वार जारी की गई निधियां संलग्न विवरण III में दी गई हैं।

(ग) जी नही।

(घ) नीति वर्ष 2010-11 के दौरान समूचे देश में स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 17.66 लाख हथकरघा बुनकरों को शामिल किया गयाहै।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मिल गेट कीमत योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

2009-10		25010-11		2011-12		2012-13	
बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय (31.7.2012 तक)
25.00	30.60	54.00	65.00	55.60	54.27	385.00	66.55

मिल गेट कीमत योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम) को राशि जारी की जाती है और राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते है।

(च) हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के लिए 11वीं योजना की 5 योजना स्कीमें वर्ष 2012-13 के दौरान जारी रखी जा रही हैं। ये योजनाएं हैं (i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना, (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना; (iii) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना; (iv) मिल गेट कीमत योजना; और (v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

"हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पेकेज" के अलावा सरकार ने एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए समूचे देश में कुल 2362 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ से हथकरघा क्षेत्र के लिए एक व्यापक पैकेज का भी अनुमोदन किया है। इस योजना के अंतर्गत मिल गेट कीमत योजना के तहत 10% कीमत सब्सिडी के साथ रियायती यार्न भी प्रदान किया जाएगा।

राज्यों द्वारा धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। योजनाओं के संबंध

में सचिव (वस्त्र) द्वारा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठकों के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सभी राज्य सरकारों के आयुक्तों/निदेशक (हथकरघा और वस्त्र प्रभारी) के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों के अपने दौरे के दौरान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। योजनाओं का मूल्यांकन स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है। राज्य सरकारों को उस योजना के अंतर्गत अगली किस्त जारी करने से पूर्व उस योजना में पहले से जारी धनराशि के लिए देय समुचित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

विवरण I

राज्य-वार अनुमानित अतिदेय ऋण राशि की माफी तथा लाभार्थियों की संख्या

1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	506.64	1420	83841
2.	असम	72.93	2775	24752
3.	उत्तर प्रदेश	499.38	3860	3259
4.	तमिलनाडु	548.35	1224	21730
5.	केरल	557.16	758	7441
6..	ओडिशा	320.69	720	10345
7.	मेघालय	2.56	0	100
8.	अरूणाचल प्रदेश	2.09	0	167
9.	छत्तीसगढ़	34.7	270	243
10.	कर्नाटक	41.73	658	9449
11.	मध्य प्रदेश	66.91	531	56
12.	पश्चिम बंगाल	420.66	0	136521
13.	हिमाचल प्रदेश	2.03	193	78
14.	महाराष्ट्र	128.35	120	138
15.	बिहार	20.88	1089	462
16.	त्रिपुरा	17.92	9	297
17.	मिजोरम	1.76	162	289
18.	अन्य राज्य			
(i)	दिल्ली			23
(ii)	गुजरात			147
(iii)	हरियाणा			23

1	2	3	4	5
(iv)	झारखंड			27
(v)	जम्मू और कश्मीर			3783
(vi)	मणिपुर			1429
(vii)	नागालैंड			156
(viii)	पुदुचेरी	276.24	1528	565
(ix)	पंजाब			2
(x)	राजस्थान			770
(xi)	सिक्किम			9
(xii)	उत्तराखंड			183
	कुल	3520.98	15317	306285

विवरण II

हथकरघा संगणना के अनुसार हथकरघा बुनकरों की संख्या (2009-10)

1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	355838
2.	अरूणाचल प्रदेश	33041
3.	असम	1643453
4.	बिहार	43392
5.	छत्तीसगढ़	8191
6.	दिल्ली	2738
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	11009
9.	हरियाणा	7967
10.	हिमाचल प्रदेश	13458
11.	जम्मू और कश्मीर	33209
12.	झारखण्ड	21160
13.	कर्नाटक	89256
14.	केरल	14679
15.	मध्य प्रदेश	14761
16.	महाराष्ट्र	3418
17.	मणिपुर	218753
18.	मिजोरम	13612
19.	मेघालय	43528
20.	नागालैंड	66490
21.	ओडिशा	114106
22.	पुदुचेरी	2803
23.	पंजाब	2636
24.	राजस्थान	31958
25.	सिक्किम	568
26.	तमिलनाडु	352321
27.	त्रिपुरा	137177
28.	उत्तर प्रदेश	257783
29.	उत्तराखंड	15468
30.	पश्चिम बंगाल	779103
	कुल	4331876

विवरण III

विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12 तथा वर्तमान वर्ष 2012-13 (31.07.2012 तक) के दौरान जारी राशि (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एकीकृत हथकरघा विकास योजना				विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11.11	13.93	9.58	0.55	2.10	2.04	3.26	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.76	1.88	4.72	0.00	0.00	1.75	0.39	0.00
3.	असम	4.54	10.25	10.97	0.00	4.11	5.73	4.60	0.98
4.	बिहार	0.00	1.78	1.05	0.00	0.05	0.04	0.39	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	2.59	0.94	0.00	0.37	1.12	2.06	0.00
6.	दिल्ली	0.16	3.01	0.16	0.20	0.61	0.16	0.09	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.97	0.77	2.00	0.00	0.76	0.27	0.89	0.00
9.	हरियाण	0.43	0.47	0.08	0.00	0.28	0.33	0.15	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1.39	2.44	3.43	0.02	0.51	0.61	0.58	0.16
11.	जम्मू और कश्मीर	1.32	1.92	0.71	0.00	0.00	0.28	0.35	0.00
12.	झारखंड	4.11	3.84	8.90	0.00	0.02	0.18	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	0.74	1.73	5.62	0.50	1.20	1.37	1.86	0.00
14.	केरल	2.30	1.24	9.17	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.54	3.09	2.80	0.29	0.68	0.93	0.74	0.71
16.	महाराष्ट्र	0.16	3.10	2.22	0.00	1.37	0.99	1.84	1.22
17.	मणिपुर	0.00	6.17	19.16	0.00	0.47	1.64	1.72	0.18
18.	मेघालय	3.42	2.61	5.46	0.00	0.89	0.42	0.58	0.00
19.	मिजोरम	0.90	1.97	0.60	0.50	0.00	0.05	0.14	0.00
20.	नागालैंड	10.58	8.02	19.19	0.00	3.73	2.33	2.37	1.29
21.	ओडिशा	5.27	7.12	14.10	0.00	0.74	1.09	0.59	0.00
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	राजस्थान	0.15	1.72	0.50	0.00	0.73	0.38	0.11	0.45
25.	सिक्किम	0.00	0.47	0.67	0.00	0.04	0.13	0.52	0.03
26.	तमिलनाडु	50.15	48.68	44.56	10.58	0.80	1.44	1.70	0.00
27.	त्रिपुरा	0.85	2.98	7.05	0.00	0.36	0.44	1.10	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	3.06	13.06	12.01	0.00	1.73	2.09	2.49	0.16
29.	उत्तराखंड	0.15	3.06	1.10	0.21	0.45	0.43	0.38	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	2.94	9.02	15.94	2.77	0.60	1.80	0.46	0.00
	कुल	107.00	156.92	202.84	15.62	22.60	28.04	29.57	5.18
अन्य संगठन		8.57	11.08	16.65	5.96	27.00	30.57	24.57	6.23
	सकल योग	115.57	168.00	219.49	21.58	49.60	58.61	54.14	11.41

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना और मिल गेट कीमत योजना के मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। अत: राज्य-वार जारी राशि का ब्यौरा संभव नहीं है।

विमान का आधुनिकीकरण

587. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना ने अपने युद्धक और परिवाहक विमान-बेड़े को वर्ष 2015 तक आधुनिकीकृत और स्तरोन्नत करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लड़ाकू विमान मिग-21, मिग-29, जगुआर और फ्रेंच मिराज-2000 विमानों को स्तरोन्नत करने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय वायुसेनज्ञ के बेड़े का आधुनिकीकरण/मध्य कार्यकाल उन्नयन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो भारतीय वायुसेना की दीर्घकालीन योजना के अनुसार चलाई जाती है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, मिग-21 तथा मिग-27 का उन्नयन किया गया है। मिग-29, मिराज-2000 जगुआर तथा एएन-32 विमान उन्नयन की प्रक्रिया में है।

[अनुवाद]

कच्छ-वनस्पति का संरक्षण

588. श्री एंटो एंटोनी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कच्छ-वनस्पति वाले अनुमानित कुल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कच्छ-वनस्पति वाले क्षेत्र के घटने को संज्ञान में लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा कच्छ-वनस्पति के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) 'भारतीय वन स्थिति रिपोट (2011)' शीर्षक वाली भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) रिपोर्ट के अनुसार, देश में कच्छ वनस्पति आवरण 4,662.56 वर्ग कि.मी. है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14 प्रतिशत है। नीचे के तालिका में उपर्युक्त 2011 मूल्यांकन में यथा अनुमानित कच्छ वनस्पति आवरण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति और पूर्व मूल्यांकन में हुए परिवर्तन की स्थिति भी दी गई है।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मूल्यांकन वर्ष 1987	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2009	2011	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	495	405	399	378	383	383	397	333	329	354	353	352	−1
2.	गोवा	0	3	3	3	3	5	5	5	16	16	17	22	5
3.	गुजरात	427	412	397	419	689	901	1031	911	916	991	1ए046	1058	12
4.	कर्नाटक	0	0	0	0	2	3	3	2	3	3	3	3	0
5.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5	6	1
6.	महाराष्ट्र	140	114	113	155	155	124	108	118	158	186	186	186	0
7.	ओडिशा	199	192	195	195	195	211	215	219	203	217	221	222	1
8.	तमिलनाडु	23	47	47	21	21	21	21	23	35	36	39	39	0
9.	पश्चिम बंगाल	2,076	2,109	2,119	2,119	2,119	2,123	2,125	2,081	2,120	2,136	2,152	2155	3
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	686	973	971	966	966	966	966	789	658	635	615	617	2
11.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1.56	0.56
12.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	कुल	4,046	4,255	4,244	4,256	4,533	4,737	4,871	4,482	4,448	4,581	4,639	4662.56	23.56

(ख) जी, नहीं। उपर्युक्त भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोट (2011) के अनुसार, देश के कच्छ वनस्पति आवरण में वर्ष 2009 के मूल्यांकन की तुलना में 23.56 वर्ग कि.मी. की निबल वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार, विनियामक और संवर्धन उपायों द्वारा देश में कच्छ वनस्पवतियों का अनुरक्षण और वृद्धि चाहती है। विनियामक उपायों में वन (संरक्षण (अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील माना गया है और उन्हें सीआरजेड-I की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि इन क्षेत्रों को पर्याप्त संरक्षण दिया गयाहैं इस अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट कार्य-कलापों से भिन्न कार्य-कलापों के लिए कच्छ वनस्पतियों को नष्र्ष्ट करने को निषिद्ध किया गया है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने की भी व्यवस्था की गई है।

संवर्धन उपायों के अंतर्गत, देश में कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मंत्रालय में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राष्ट्र-वार आधार पर, कच्छ वनस्पतियों के रोपण, संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए 38 स्थलों की उपयुक्त स्थलों के रूप में पहचान की गई है। कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण एवं प्रबंधन की योजना के अंतर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुरोध पर, 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता उन्हें उनकी अनुमोदित प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी जाती है जिनके सर्वेक्षण और सीमांकन, वनीकरण और कच्छ वनस्पतियों की बहाली, वैकल्पिक और पूरक आजीविकाएं, संरक्षण उपाय और शिक्षा तथा जागरूकता जैसे घटक शामिल हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण

और प्रबंधन हेतु प्रदत्त तटीय राज्य-वार वित्तीय सहायता का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	10.00	10.00
2.	आंध्र प्रदेश	-	-	-
3.	गोवा		-	-
4.	गुजरात	241.794	295.04	176.5179.11*
5.	कर्नाटक	10.90	15.00*	43.80
6.	केरल	-	37.305*	-
7.	ओडिशा	83.406	30.25	54.80 7.50*
8.	तमिलनाडु	168.10289	157.190	181.2835.375*
9.	पश्चिम बंगाल	120.79711	147.90	237.60
10.	लक्षद्वीप	10.00	-	-
	कुल	635.00	640.38	694.00

[हिन्दी]

सीमापार से घुसपैठ

589. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों द्वारा सीमा पर घुसपैठ की हरकतों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी सेना द्वारा देश में घुसपैठ और उसके हेलिकॉप्टरों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने और बंकरों को नष्ट करने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) भारतीय सेना द्वारा सीमा पर चौकसी बढ़ाने और चीनी सेना द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सुरक्षा-परिदृश्य को देखते हुए सीमा पर पर्याप्त सैनिकों की तैनाती करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) स (ङ) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सीमाओं से संबंधित सभी गतिविधियों पर गहन नजर रखती है। सरकार ने सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चौबीस घंटे निगरानी एवं गश्त तथा निगरानी चौकियों की स्थापना; सीमा पर चारदीवारी का निर्माण एवं फ्लड लाइट लगाना; आधुनिक निगरानी उपकरणों का प्रयोग शुरू करना; आसूचना संकलन का उन्नयन तथा राज्य सरकारों/संबंधित आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल है।

भारत और चीन के बीच कोई साझा रेखांकित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं है। सीमा के साथ-साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अलग-अलग अवधारणाएं हैं। दोनों तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अपनी-अपनी अवधारणाओं के स्थान तक गश्त की जाती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के दावों में भिन्नता के कारण घुसपैठ की विनिर्दिष्ट घटनाओं को चीन के समक्ष स्थापित तंत्र जैसे

कि हॉट लाइन, ध्वज बैठकें, सीमा कार्मिक, बैठकें, तथा सामान्य कूटनीतिक माध्यम से उठाया जाता है। निगरानी तथा नियमित गश्त के माध्यम से प्रभावकारी सीमा प्रबंधन किया जाता है।

प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना

590. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड राज्य में विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विलुप्त हो चुकीं दुर्लभ प्रजातियों और विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों की राज्य-वार और प्रजाति-वार प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) देश में बाघों के संरक्षण हेतु कितनी बाघ परियोजनाएं शुरू की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वन्यजीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की उपयुक्त अनुसूचियों के अंतर्गत शामिल करके, सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पयावरण एवं वन मंत्रालय, "वन्यजीव पर्यावरणों का एकीकृत विकारा" केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है जिसमें अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए बहाली कार्यक्रम शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल हैं। झारखंड राज्य में विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान अब तक ऐसा कोई बहाली कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

भारत सरकार, झारखंड राज्य में दो प्रजातियों बाघ और गिद्ध के संराण में सहायता कर रही है जिन्हें संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। "बाघ परियोजना" की केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पलामू बाघ रिज़र्व को वित्तीय सहायता दी जा रही है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरझा द्वारा झारखंड राज्य में भारतीय गिद्ध (जिप्स इंडीकरा) के स्थान बाह्य संरक्षण के लिए एक गिद्ध प्रजनन केन्द्र की स्थापना को भी सहायता प्रदान की गई है। भारत सरकार "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" (आईडीडब्ल्यूएच) "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत झारखंड राज्य को उसके वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण और प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान झारखंड राज्य को जारी की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:–

वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई वित्तीय सहायता (लाख रुपयों में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
आईडीडब्ल्यूएच	80.267	63.64	64.2615	-
बाघ परियोजना	117.1386	130.6160	156.3465	-
हाथी परियोजना	80.00	80.00	105.87	59.51
गिद्ध प्रजनन केन्द्र	-	10.61	31.00	-

(ग) संकटग्रस्त प्रजातियों का राज्य-वार विवरण मंत्रालय में संकलित नहीं किया जाता है। तथापि, आईयूसीएन रेड लिस्ट 2008 में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 1 पशु प्रजाति और 7 पादप प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के पास उपलब्ध प्रजातियों की सूची के अनुसार, वर्ष 2010 तक भारत में 184909 जीव-जंतु प्रजातियों की मौजूदगी की सूचना है। आईयूसीएन रेड लिस्ट 2008 के अनुसार, स्तन धारियों, पक्षियों, सरीसृपों, अभयचरों, मछलियों, मोलस्कों सहित 413 प्रजातियों और अन्य अकशेरूकी को अलग-अलग सीमा तक संकटापन्न श्रेणी (अत्यधिक संकटपन्न: 51, संकटापन्न: 105, संवेदनशील: 257) में रखा गया है।

(घ) सरकार ने देश में बाघों के संरक्षण के लिए अब तक 41 बाघ रिज़र्वों को अधिसूचित किया है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय प्रदूषण

591. श्री अधीर चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले विषाक्त अपशिष्ट के जर्मनी में निपटान हेतु मध्य प्रदेश सरकार को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड (यूसीआईएल), भोपाल में पड़े 350 मीट्रिक टन विषाक्त अपशिष्ट को भस्मीकरण के लिए जर्मनी में भेजकर उसका निपटान किए जाने के लिए जर्मन एजेंसी जीआईजेड आईएस से प्राप्त एक प्रस्ताव संस्तुत किया था। मंत्रिमंडल ने भी अपशिष्ट के रासायनिक विश्लेषण के परिणाम, इसके सही-सही अंतिम भार और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर मामूली अंतरों के अध्यधीन लगभग 24.56 करोड़ रुपये, उस पर लगने वाले करों सहित, के लागत अनुमान का अनुमोदन किया हैं

[हिन्दी]

बिहार में इस्पात संयंत्र

592. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008 में बिहार के वैशाली, पश्चिमी चंपारण और गया जिलों में तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना की आधरशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जिलों में संयंत्रें की स्थापना के प्रयोजन से भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो चार वर्ष बाद भी संयंत्रें का प्रचालन प्रारंभ न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन संयंत्रों को शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें कितना समय लगने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) बोर्ड द्वारा सिद्धांत रूप से परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात्, बिहार में तीन स्थानों पर अर्थात नवम्बर, 2007 में बेतिया (जिला पश्चिमी चम्पारण) में, अप्रैल, 2008 में महनर (जिला वैशाली) में और दिसम्बर, 2008 में गया में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई थी।

(ग) जी, हां। बिहार में उपर्युक्त तीनों स्थानों पर इस्पात प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए सेल द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) बेतिया में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट स्थापित हो गया है। इस्पात प्रसंस्करण यूनिट, बेतिया में पाइप प्लांट और कोरूगेश्यान येनिट के एकीकृत परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और पाइपों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ), सेल से आर्डर प्राप्त हो गए हैं। गया में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट के मामले में, राज्य सरकार से भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। महनर में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट के मामले में, भूमि निचली है और उसमें काफी अधिक भराव करना अपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है और इसकी समीक्षा की जा रही है।

इस्पात प्रसंस्करण यूनिटों का क्रियान्वयन/प्रचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कार्य क्षेत्र के अधीन आता है, तथापि, मंत्रालय द्वारा इसके क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समय-सयम पर समीक्षा की जाती है। जब कभी सेल इस्पात प्रसंस्करण यूनिटों से संबंधित मुद्दे मंत्रालय को भेजता है, तब वे मुद्दे संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

तेल और गैस-ब्लॉकों को स्वीकृति में विलंब

593. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रलय ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत अनेक तेल और गैस-ब्लॉकों पर उत्खनन की स्वीकृति को रोक रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) ओडिशा और आध्र प्रदेश में डीआरडीओ मिसाइल फायरिंग रेंज, भारतीय वायुसेवा

फायरिंग रेंज, नौसेना बेस क्षेत्र और नौसैनिक अभ्यास क्षेत्र के साथ ओवरलैपिंग के कारण 46 ब्लॉकों (पूर्वी तट पर 38 और पश्चिमी तट पर 8) को रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 को चौड़ा करना

594. श्री रमेन डेका: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 को चौड़ा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 को चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी हां। सरकार द्वारा दिया गया अनुमोदन और रारा-52 के चौड़ीकरण की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को चौड़ा करने की स्थिति

क्र.सं.	खंड	लंबाई (किमी)	स्थिति
1	2	3	4
क. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण 'क'			
1.	उत्तरी लखीमपुर से जोनई और दीरक से रूपई	196	रारा-52 के इन खंडों का दो लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। 196 किमी संपूर्ण लंबाई में कार्यों के लिए मंत्रालय द्वारा 514 करोड़ रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गई है। अभी तक 96.65 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है और इन कार्यों को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
2.	जुमूरीघाट से गोहपुर	82	रारा-52 के इस खंड का चार लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत सैद्धान्तिम रूप से अनुमोदित किया गया है। इस खंड के सुधार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट असम लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की जा रही हैं चूंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और निवेश संबंधी अनुमोदन सरकार से अभी प्राप्त किया जाना है, इसलिए यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि प्रस्तावित चार लेन का कार्य कब तक पूरा होगा।
ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के सड़कों एवं राजमार्ग का अरूणाचल प्रदेश पैकेज			
3.	पासीघाट से नवसाई	140	रारा-52 के इस खंड का दो लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के सड़कों एवं राजमार्गों के अरूणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। लगभग 11 किसी लंबाई को छोड़कर संपूर्ण खंड पर कार्यों के लिए मंत्रालय द्वारा 1355 करोड़ रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गई है। अभी तक 35. 81 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है औन इन कार्यों को दिसम्बर, 2016 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4
ग.	रारा (मूल)		
4.	जानई से पासीघाट और नमसाई से दीरक	53	रारा-52 के इन खंडों का दो लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण मंत्रालय की रारा (मूल) योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। 53 किमी संपूण्र लंबाई में कार्यों के लिए मंत्रालय द्वारा 154 करोड़ रुपये की धनराशि संस्वीकृति की गई है। अभी तक 69.42 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है और इन कार्यों को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

नदियों में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक

595. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की नदियों में मूर्तियों का विसर्जन किए जाने से पर्यावरण पर हानिकारक संकट उत्पन्न होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विषैले रंगों और अघुलनशील सामग्री से सज्जित मूर्तियों के जल-विसर्जन को रोकने के लिए मानक जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में हाल ही में इन मानकों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या देश में इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार का त्यौहारों के दौरान चौकसी बढ़ाने और उल्लंघनकर्ताओं पर भारी अर्थदण्ड लगाने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) मूर्तियों को राजाने के लिए धातुओं, तेल पदार्थों, सिंथेटिक रंगों, रसायनों आदि का प्रयोग किया जाता है। जब इन मूर्तियों को नदियों और जलाशयों में विरार्जित किया जाताह तो जल गुणवत्ता प्रभावित होती है। मूर्तियों को विसर्जित करने से गोद जमती है और मूर्तियां बनाने में प्रयुक्त विषैले रसायन पानी में घुल जाते हैं जिससे नदी तटाग्रों की सुंदरता में कमी आती है तथा नदी प्रवाह बाधित होता है।

(ग) और (घ) पीआईएल डब्ल्यूपी (सी) 1325/2003 के मामले में दिए गए माननीय बंबई उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जलाशयों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जून, 2010 में मूर्तियों और अन्य पूरा सामग्री को विसर्जित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मूर्ति बनाने और पूजा के दौरान प्रयुक्त अन्य सामग्री के प्रबंधन के संबंध में मूर्ति विसर्जित करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश;

(ii) मूर्ति विसर्जन की घटनाओं के दौरान स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य दिशा-निर्देश; और

(iii) जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की भूमिका;

(ङ) और (च) ये दिशा-निर्देश राज्य स्तर पर कार्यान्वित किए जाने हैं जहां ऐसी घटनाएं होती हैं। स्थानीय निकाय, विशेष रूप से नगर पालिकाएं, विसर्जन प्रक्रिया के दौरान कार्य-कलापों को मॉनीटर करती हैं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां जल गुणवत्ता को मॉनीटर करती है।

(छ) और (ज) नदियों में मूर्ति विसर्जन के मामले में इन दिशा-निर्देशों में यह सुझाव दिया गया है कि नदी तट के किनारे मिट्टी के बांध बनाकर अस्थाई तालाब बनाए जाएं ओर उन्हें मूर्ति विसर्जन स्थल के रूप में प्रयोग किया जाए। इस तालाब की तली में अग्रिम रूप से हटाने योग्य सिंथेटिक लाइनर डाला जाए। मूर्तियों के मलबे सहित उपर्युक्त लाइनर को मूर्ति सिर्जन के 48 घंटे के भीतर उस स्थल से हटा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

माल उतारने की सुविधाओं की कमी

596. **श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत के कुछ बंदरगाहों, जैसे मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता पत्तनों पर माल उतारने की सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर इन सुविधाओं के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता पत्तनों सहित महापत्तनों में कार्गो की उतराई के लिए सुविधाओं को उन्नत करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) घाटों का यंत्रीकरण।

(ii) अतिरिक्त घाटों का निर्माण।

(iii) रेल-सड़क सम्पर्कत में सुधार; और

(iv) कार्गो सम्भलाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की शुरूआत।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों के लिए विद्यालयों को बंद कर देना

597. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः**
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाल श्रमिकों के लिए देश में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे विशेष विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त निधियों का वर्ष-वार, राज्य-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि सहित देश के विभिन्न भागों में बाल श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े विद्यालयों को बंद करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे कुछ जाली विद्यालय केवल कागज-पत्रों में ही चलाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) बाल श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) तथा सहायता अनुदान (जीआईए) योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। एनसीएलपी योजना के अंतर्गत 266 जिलों में लगभग 7311 बाल श्रमिकों, विशेष विद्यालय चल रहे हैं, जो सामान्यतः गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाते हैं। जहां भी एनसीएलपी योजना नहीं चल रही है, वहां जीआईए योजना कार्यान्वित है। जीआईए योजना के अंतर्गत बाल श्रमिक विशेष विद्यालय चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं। अब तक जीआईए योजना के अंतर्गत बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में सभी बच्चों को मुख्य धारज्ञ में लाया जा चुका है तथा इस वित्तीय वर्ष में नए विद्यालय प्रारम्भ किए जाने हैं।

(ख) बाल श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार सीधे राज्य सरकार को कोई निधि जारी नहीं करती। तथापि, निधियां जिलाधीश की अध्यक्षता वाली एनसीएलपी परियोजना समिति को जारी की जाती है जो बाद में बाल श्रम विशेष विद्यालयों को निधियां जारी करती है। गत तीन वर्षों में एनसीएलपी तथा जीआईए के अंतर्गत जारी निधियों से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, लगातार अनियमितताओं तथा बच्चों की कम उपस्थिति के कारण बिहार के नालंदा जिले में एक विशेष विद्यालय बंद किया गया था।

(ङ) जी नहीं। मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधि एनसीएलपी योजना के अंतर्गत जारी अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	25011-12
1	आंध्र प्रदेश	399.52	705.69	1013.61
2.	असम	616.68	378.55	891.57
3.	बिहार	1661.44	727.43	1338.49
4	छत्तीसगढ़	293.99	364.82	620.44
5.	गुजरात	169.64	165.01	67.12
6.	हरियाणा	63.28	186.77	99.10
7.	जम्मू और कश्मीर	0	25.66	50.60
8.	झारखंड	155.95	47.78	391.63
9.	कर्नाटक	447.03	64.47	220.74
10.	मध्य प्रदेश	560.92	608.25	1332.28
11.	महाराष्ट्र	419.39	433.32	973.17
12.	नागालैंड	21.43	40.87	36.55
13.	ओडिशा	862.56	1167.78	1374.26
14.	पंजाब	127.22	130.59	208.82
15.	राजस्थान	371.58	395.64	436.53
16.	तमिलनाडु	449.53	504.28	854.26
17.	उत्तर प्रदेश	1627.43	1772.83	1585.40
18.	उत्तराखंड	0	0	26.40
19.	पश्चिम बंगाल	1015.35	1537.63	2204.98

2009-2010 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदान

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम	जारी अनुदान की राशि (रुपये)
1	2	3
1.	नेशनल डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, 146, विधाता नगर, भटिंडी रोड, नेरवाल, जम्मू	4,57,650
2.	ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान, 6, शुभम अपार्टमेंट, नागपुर	3,55,444
3.	सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था, नजदीक कमल टाकीज, नागपुर-440017	4,95,787

1	2	3
4.	सोशियो ओरियेंटल फास्ट इंडस्ट्रीयल (सोफिया) फोडेन, जिला-थोबल, मणिपुर-795138	6,08,382
5.	ऑल मणिपुर वूमेन्स वालेन्ट्री सर्विस, सगलबंध, एनएमलेन, इम्फाल (पश्चिम), मणिपुर-1	5,72,062
6.	रुरल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स डिवलेपमेंट एसोसिएशन (रेस्दा), वांगबल-1, जिला थोबल, मणिपुर	6,40,764
7.	अर्बन वैलफेयर एसोसिएशन, नजदीक एमएम गैस गोदाम, इम्फाल (पश्चिमी), मणिपुर	76,275
8.	हैंगुल यूनाइटेड डिवलेपमेंट एसोसिएशन (हुडा) मयंग, इम्फाल, मणिपुर	4,06,800
9.	अर्बन एवं रुरल डिवलेपमेंट एजेंसी (उर्डा) इम्फाल मणिपुर	6,48,336
10.	रविन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्था, एस-14, मंडी कैंपस, बिजयपुर, जिला-श्योपुर	4,57,650
11.	महिला समाज शिक्षा समिति-थातीपुर, जिला-ग्वालियर	1,52,550
12.	अलोंगमेन मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सोसाइटी, अलोंगमेंन वार्ड, मोकोचुंग, नागालैंड	62,829
13.	अंचालिका युवा परिषद, लक्ष्मीनारायण हाट, डाकखाना-संकेश्वर, जिला-जगतसिंहपुर, ओडिशा	1,52,550
14.	नारायणी महिला मंडल, पदनपुर, डाकखाना-भीमपुर, वाया जतना, जिला-खुर्दा-752050	2,41,538
15.	इंस्टीट्यूट फॉर कम्यूनिकेशन एण्ड डिवलेपमेंट एक्शन (आईसीडीए), नारीपुर, जिला भद्रक-756100	3,04,600
16.	एसोसिएशन फॉर वोलेंट्री एक्शन (एवीए) जिला-ओडिशा	3,78,325
17.	एसोसिएशन फॉर हैल्थ एजुकेशनल एण्ड डिवलेपमेंट (अहिड) प्लीट 216, अरीलारन, भुवनेश्वर-751020	4,32,225
18.	नेचुरल रूरल डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआरडीसी), निदादरी, भुवनेश्वर, ओडिशा	4,57,649
19.	एमएम मालवीय विक्लांक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	1,89,902
20.	कर्मा बाल विद्या निकेतन समिति, 2एफ-43, महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान	25,425
21.	अकादमी ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी, नगरपालिका कालोनी, नजदीक क्लोथ माता मंदिर, जिला-बाइन	3,02,700
22.	हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 1/35, बजारिया अलीगंज, फतेहगढ़, जिला-फरूखाबाद	3,04,791
23.	जागृति फाउंडेशन, बंजारिया रोड, खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश)	3,05,100
24.	हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति, 18/32, जज कालोनी, इलाहाबाद	2,28,825
25.	सरदार हमीदी तालिमी व समाजी मिशन, 196, चिल्ला, अमरोहा, जेपीनगर, उत्तर प्रदेश	2,91,809
26.	शांति महिला एवं बाल विकास परिषद, गांव नागवाल, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश	6,86,475
27.	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, जेपीनगर, उत्तर प्रदेश	1,27,950
28.	मानव समाजोत्थान संवा संस्थान, अमबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	2,28,825
29.	प्रोजेक्ट स्वराज्य, गणेशघाट, कटक, ओडिशा	3,30,507
30.	दयानंद सरस्वती शिक्षा समिति, शीशवली, जिला-बाडन, राजस्थान	76,275
	महायोग	1,00,00,000

2010-11 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदान

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम	जारी अनुदान की राशि (रुपये में)
1	2	3
	2010-11 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदान	
1.	सरदार हमीदी तालीमी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	3,05,100
2.	निस्सा, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा	3,81,375
3.	वैशाली जनजागरण समिति, हाजीपुर, बिहार	50,100
4.	समाज कल्याण शिक्षण संस्था, बस्ती, उत्तर प्रदेश	1,14,413
5.	इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिवलेपमेंट ओन इंटेगरल असिस्टेंस, ओडिशा	1,65,262
6.	आदर्श शिक्षा केन्द्र, खुर्दा, ओडिशा	3,47,792
7.	गणपत राव निम्बालकर एस. मुक्ति आश्रम, लातूर, महाराष्ट्र	2,93,100
	10-11 में कुल पुनर्वैधीकृत	16,57,142
8.	वैशाली जनजागरण समिति, हाजीपुर, बिहार	3,22,900
9.	एनआरडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा	4,85,789
10.	रेसदा, मणिपुर	7,62,750
11.	सोफिया, थोबल, मणिपुर	7,64,568
12.	ब्राइटवेज, बिष्णुपुर, मणिपुर	10,29,712
13.	ओरसा, नयागढ़, मणिपुर	6,86,475
14.	आदर्श शिक्षा केन्द्र, जिला खुर्द, ओडिशा	3,38,683
15.	बहुजन हिताय बहुजन मंडल, लातुर, महाराष्ट्र	6,86,475
16.	तेराखोंग मनिंग महिला मंडल मणिपुर	8,50,000
17.	क्रस, थोबल, मणिपुर	6,86,475
18.	सोरदेव, थोबल, मणिपुर	2,03,401
19.	निस्सा, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा	3,05,100
20.	नेशनल डिवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, जम्मू, जम्मू और कश्मीर	1,14,412
	2010-11 में राशि जारी	88,93,882

1	2	3
	2011-12 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदान	
1.	सरदार हमीदी तालीसी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	88,989
2.	सरजूबाई गोस्वामी मैमोरियल, ग्वालियर (+क्रम संख्या 13)	6,10,200
3.	उर्दा, मणिपुर	4,95,789
4.	आजाद नवयुवक मंडल, राजस्थान	4,57,650
5.	हूडा, हंगुल, मणिपुर	2,79,775
6.	मानव सेवा सर्ति, राजस्थान	4,50,000
7.	सीईडीओ, मणिपुर (+क्रम संख्या 10)	5,33,925
	2011-12 में पुनर्वेधीकृत	29,16,328
	रविंद्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्थान, मंडी, विजयपुर	
8.	जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश	3,43,337
9.	महिला समाज शिक्षा समिति	5,33,925
10.	सीईडीओ, मणिपुर (+क्रम संख्या 10)	4,95,787
11.	रेसदा, मणिपुर	3,12,674
12.	पीपल डिवलेपमेंट सोसाइटी मणिपुर	4,06,800
13.	सरजूबाई गोस्वामी मौमोरियल, ग्यालियर (+क्रम संख्या 2)	3,00,000
14.	हितेश्या ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	79,284
15.	वैशाली जनजागरण समिति, वैशाली, बिहार	2,49,913
16.	ऑल मणिपुर वूमेन्स वोलेंट्री सर्विसज, मणिपुर	9,53,438
17.	जन हितकारी संस्थान, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	6,10,200
18.	तेरा खोंग, मणिपुर	1,71,712
		73,73,398

तीस्ता नदी पर पुल

598. श्री महेन्द्रकुमार राय: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेवोक के निकट तीस्ता नदी पर एक नए वैकल्पिक पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सेवोक के निकट तीस्ता नदी पर एक नए वैकल्पिक पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव वार्षिक योजना 2012-13 में शामिल कर लिया गया है। डीपीआर के लिए परामर्शदाता को रखने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी है जिसके लिए वार्षिक योजना 2012-13 में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

एसईजेड्स का कार्य-निष्पादन

599\. **श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड्स) की संख्या कितनी है जिन्हें अनुमोदित किया गया, अधिसूचना जारी की गई और जिन्हे कार्यशील बनाया गया तथा उन एसईजेड्स की राज्य-वार संख्या कितनी है जो देशभर में अनुमोदन बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन एसईजेड्स को दी गई वित्तीय सहायता, कर छूट और अन्य रियायत के संबंध में दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है, साथ ही उक्त अवधि के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सहित वर्ष-वार, मूल्य-वार और राज्य-वार इन एसईजेड्स से निर्यात किए गए सामान और सृजित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार सृजन और टर्न ओवर के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में एसईजेड्स के कार्यनिष्पादन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन एसईजेड्स का ब्यौरा क्या है जो अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं रहे हैं और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या हाल ही के दौरान एसईजेड्स की संख्या वृद्धि में कमी आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एसईजेड्स की संवृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) होसुर में एसईजेड्स की स्थापना के लिए काफी समय से लंबित पड़ी मांग की स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एसईजेड अधिनियम 2005 के अधिनियम से पूर्व स्थापित केन्द्र सरकार के सात एसईजेडों और बारह राज्य/निजी क्षेत्र के एसईजेडों के अलाा 588 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से वर्तमान में 386 एसईजेड अधिसूचित हैं। कुल 158 एसईजेडों ने निर्यात प्रारंभ कर दिया है। औपचारिक रूप से अनुमोदित, अधिसूचित तथा प्रचालनरत एसईजेडों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है। एसईजेड की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के पास लंबित नहीं है।

(ख) एसईजेडों को अनुमत वित्तीय रियायत एवं शुल्क लाभ के प्रावधान एसईजेड अधिनियम 2005 में किए गए हैं। यह छूट निर्यात के लिए प्रोत्साहन स्वरूप है और उन सिद्धांतों के अनुरूप है जो सामान्यतया सरकार की निर्यात पहलों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। गत पांच वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एनईजेड) से निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल एसईजेड निर्यात (मूल्य करोड़ रुपये में)	% वृद्धि
1.	2007-08	66,638	93%
2.	2008-09	99,689	50%
3.	2009-10	2,20,712	121%
4.	2010-11	3,15,867.85	43.11%
5.	2011-12	3,64,477.73	15.39%
6.	2012-13(अप्रैल-जून 2012)	1,18,321.56	64%

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 (अप्रैल-जून) की प्रथम तिमाही में एसइजेडों से निर्यात दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में एसईजेडों से 920 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है जिनमें से 7.85 लाख व्यक्तियों को प्रदत्त रोजगार फरवरी 2006 अर्थात एसईजेड अधिनियम के प्रवर्तित होने के पश्चात सृचित वृद्धिकारी रोजगार है। यह अवसंरचना कार्यकलापों हेतु एसईजेड विकासकर्ताओं द्वारा सृजित लाखों की संख्या में सृजित दैनिक रोजगारों के अतिरिक्त है। विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) के लिए रोजगार सृजन संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। एसईजेड स्कीम के प्रमुख उद्देश्यों में अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों का सृजन, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार अवसरों का सृजन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास शामिल है।

(ङ) नए एसईजेडों की स्थापना हेतु आवेदनों की संख्या में कमी आई है। वित्त वर्ष 2009-10 के अंत तक 364 एसईजेड अधिसूचित किए गए है। वर्ष 2010-11 के दौरान 16 नए एसईजेड अधिसूचित किए गए थे तथा वर्ष 2011-12 के दौरान केवल 9 नए एसईजेडों को अधिसूचित किया गया था। इसी प्रकार एसईजेडों में स्थापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या में भी गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वित्त वर्ष 2009-10 के अंत तक एसईजेडों में 2850 इकाइयां प्रचालनरत थी। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में इस संख्या में क्रमश: 440 तथा 110 इकाईयों का मामूली इजाफा हुआ है। अनौपचारिक रूप से प्राप्त फीडबैक के अनुसार इस प्रवृति के प्रमुख कारण वैश्विक मंदी के कारण कमजोर निवेश परिवेश, बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया न मिलना, कुशल श्रमशक्ति का अभाव, आईटी/आईटीईएस हेतु स्थान की सीमित मांग आदि है। सरकार, एसईजेड स्कीम में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त निशिष्टियों/सुझावों के आधार पर एसईजेडों की नीति तथा प्रचालनात्मक कार्यढ़ांचे की आवधिक समीक्षा करती है और एसईजेडों के त्वरित तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती है।

(च) एसईजेड अधिनियम 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक जोन की स्थापना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से वस्तुओं के उत्पादन या सेवा उपलब्ध कराने अथवा दोनों के लिए अथवा मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र के रूप में की जा सकती है। विशेष आर्थिक जोन मुख्यत: निजी निवेश प्रधान होते हैं। संबंधित राज्य सरकार से संस्तुति प्राप्त हुए के पश्चात ही अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेडों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा होसूरे में एसईजेड की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के पास लंबित नहीं है।

विवरण I

अनुमोदित एसईजेडों का राज्यवार वितरण (दिनांक 08.08.2012 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	प्रचालनरत (निर्यात कर रहे) एसईजेड
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	109	76	37
चंडीगढ़	2	2	2
छत्तीसगढ़	2	1	0
दिल्ली	3	0	0
दादरा और नगर हवेली	2	1	0
गोवा	7	3	0
गुजरात	47	32	17
हरियाणा	46	35	3

1	2	3	4
झारखंड	1	1	0
कर्नाटक	62	41	20
केरल	29	20	6
मध्य प्रदेश	19	6	1
महाराष्ट्र	103	64	18
नागालैंड	2	1	0
ओडिशा	10	5	1
पुदुचेरी	1	0	0
पंजाब	8	2	1
राजस्थान	10	10	5
तमिलनाडु	69	53	33
उत्तर प्रदेश	34	21	8
उत्तराखंड	2	1	0
पश्चिम बंगाल	20	11	6
महायोग	588	386	158

विवरण II

प्रचालनरत एसईजेडों का ब्यौरा और वर्ष 2012-13 के दौरान उनके निर्यात (दिनांक 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार)

केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एसईजेडों से निर्यात

क्र.सं.	एसईजेड का नाम	अवस्थिति	प्रकार	अधिसूचना की तारीख	वास्तविक निर्यात			
					आईटी/ आईटीईएस	व्यापार	विनिर्माण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कांडला विशेष आर्थिक जोन	कांडला गुजरात	बहुउत्पाद	1.11.2000	0	21.45	748.4571	769.9071
2.	सीप्ज विशेष आर्थिक जोन	मुम्बई, महाराष्ट्र	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रत्न एवं आभूषण	1.11.2000	0.86	162.15	2413.18	2576.19
3.	नोएडा विशेष आर्थिक जोन	उत्तर प्रदेश	बहुउत्पाद	1.1.2003	210	0	1658.03	1868.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	एनईपीजेड विशेष आर्थिक जोन	चेन्नई, तमिलनाडु	बहुउत्पाद	1.1.2003	751.31	0.04	2057.44	2808.79
5.	कोचीन विशेष आर्थिक जोन	कोचीन, केरल	बहुउत्पाद	1.11.2000	128.03	14.19	7883.3	8025.52
6.	फाल्टा विशेष आर्थिक जोन	फाल्टा, पश्चिम बंगाल	बहुउत्पाद	1.1.2003	0	27.11	145.51	172.62
7.	विशाखापटनम विशेष आर्थिक जोन	विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	बहुउत्पाद	1.1.2003	21.18	98.37	498.84	618.39
	कुल				1111.38	323.31	15404.757	16839.4471

एसईजेड अधिनियम से पूर्वस्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के विशेष आर्थिक जोनों से निर्यात

क्र.सं.	एसईजेड का नाम	अवस्थिति	प्रकार	अधिसूचना की तारीख	वास्तविक निर्यात			
					आईटी/आईटीईएस	व्यापार	विनिर्माण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सूरत विशेष आर्थिक जोन	सूरत, गुजरात	बहुउत्पाद	01.11.2000	0	13692.86	2274.88	15967.74
2.	मणिकंचन विशेष आर्थिक जोन, पश्चिम बंगाल	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	रत्न एवं आभूषण	12.6.2003	0	0	2147.22	2147.22
3.	जयपुर विशेष आर्थिक जोन	जयपुर राजस्थान	रत्न एवं आभूषण	1.7.2003	0	0	196.49	196.49
4.	इंदौर विशेष आर्थिक जोन	सेक्टर पीतमपुर जिला, धार (मध्य प्रदेश)	बहुउत्पाद	01.08.03	0	0	447.54	447.54
5.	जोधपुर विशेष आर्थिक जोन	जोधपुर, राजस्थान	हस्तशिल्प	1.7.2003	0	0	12.36	12.36
6.	सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक सिटी-विप्रो, पश्चिम बंगाल	कोलकाता पश्चिम बंगाल	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं आईटीईएस	12.8.2005	234.11	0	0	234.11
7.	महिन्द्रा सिटी विशेष आर्थिक जोन (आईटी), तमिलनाडु	तमिलनाडु	आईटी/हार्डवेयर तथा बायो इन्फॉरमेटिक्स	26.12.2004	1297.06	0	0	1297.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	महिन्द्रा सिटी विशेष आर्थिक जोन (ऑटो अनुषंगी), तमिलनाडु	तमिलनाडु	ऑटो	26.12.2004	0	0	196.12	196.12
9.	महिन्द्रा सिटी विशेष आर्थिक जोन (वस्त्र), तमिलनाडु	तमिलनाडु	अपैरल तथा फैशन संबंधी सहायक सामग्री	26.12.2004	0	0	45.95	45.95
10.	नोकिया विशेष आर्थिक जोन	श्री पैरूम्बुदूर तमिलनाडु	दूरसंचार उपकरण/ अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	17.8.2005	0	0	3307.49	3307.49
11.	मुरादाबाद विशेष आर्थिक जोन	मुरादाबाद उत्तर प्रदेश	हस्तशिल्प	30.9.2003	0	0	72.101	72.101
12.	सूरत अपैरल पार्क	सूरत, गुजरात	अपैरल	31.01.2005	0	0	18.98	18.98
	कुल निर्यात				1531.17	13692.86	8719.131	23943.161

एसईजेड अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेडों से निर्यात

क्र.सं.	एसईजेड का नाम	अवस्थिति	प्रकार	अधिसूचना की तारीख	वास्तविक निर्यात			
					आईटी/ आईटीईएस	व्यापार	विनिर्माण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश							
1.	एपीआईआईसी लि.	नानक रामगुडा	आईटी/आईटीईएस	25.7.2007	324.42	0	0	324.42
2.	एपीआईआईसी लि. जेद छारला	पॉलीपल्ली ग्राम जेद छारला मंडल	फार्मा	13.6.07	0	0	60.778	60.778
3.	एपीआईआईसी	अच्यूतपुरम विशाखापटनम	बहुउत्पाद	12.4.2007	0	0	141.86	141.86
4.	एपीआईआईसी	मधुरबाडा हिल सं. 3 विशाखापटनम	आईटी/आईटीईएस	11.4.2007	45.27	0	0	45.27
5.	एपीआईआईसी	मधुरबाडा हिल सं. 2 विशाखापटनम	आईटी/आईटीईएस	28.12.06	84.79	0	0	84.79
6.	एपीआईआईसी लि. (केसरापल्ली)	नाकापल्ली केसरापल्ली विशाखापटनम	आईटी/आईटीईएस	15.1.2007	6.74	0	0	6.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लि.	अच्यूतपुरम विशाखापट्नम	वस्त्र	10.4.07	0	0	90.77	90.77
8.	राम्की फार्मा सिटी प्रा.लि.	मण्डल विशाखापटनम	भेषज	10.5.07	0	0	36.953	36.953
9.	सीएमसी लि.	रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	5.12.2006	341.12	0	0	341.12
10.	दिव्यश्री एनएसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	रंगा रेड्डी जिला हैदराबाद आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	18.5.2007	301.52	0	0	301.52
11.	डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लि.	रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	26.4.2007	665.43	0	0	665.43
12.	हैदराबाद जैम्स एसईजेड लि.	रंगा रेड्डी जिला हैदराबाद आंध्र प्रदेश	रत्न एवं आभूषण	14.8.2006	0	1565.28	1303.74	2869.02
13.	फैब सिटी एसपीवी (इंडिया) प्रा. लि.	आरएस जिला आंध्र प्रदेश	सेमीकन्डक्टर्स	15.1.2007	0	0	1.83	1.83
14.	विप्रो लि. (गोपन्नापल्ली)	गोपन्नापल्ली, आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	7.12.2007	26.26	0	0	26.26
15.	दिवी लैबोरेट्रीज लि.	छिप्पडा ग्राम विशाखापटनम आंध्र पद्रेश	भेषज	7.12.2007	0	0	636.68	636.68
16.	अपाची एसईजेड डेवलपमंट बंडिया प्रा.लि.	मण्डल टाडा, नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश	फुटवियर	8.8.2006	0	0	72.43	72.43
17.	एलएनटी फिनिक्स इन्फो पार्क्स प्रा.लि.	मण्डल, आध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	11.8.2006	197.92	0	0	197.92
18.	लेन्को हिल्स टैक्नॉलॉजी पार्क प्रा.लि.	मणिकोन्डा ग्राम, राजेन्द्र नगर मण्डल	आईटी/आईटीईएस	10.4.2007	18.38	0	0	18.38
19.	मायतास इन्टर प्राइजेज एसईजेड प्रा.लि.	गोपन्नापल्ली, आंध प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	20.4.2007	0	0	0	0
20.	सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि. (मधापुर)	मधापुर सेरीलिंगम एल्ली, मंडल, हैदराबाद	आईटी/आईटीईएस	20.6.2006	203.27	0	0	203.27
21.	सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि. बहादुर पल्ली	बहादुर पल्ली ग्राम, आरआर जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	11.9.2006	14.02	0	0	14.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	सिरीन प्रोपर्टीज प्रा.लि.	पोछरम ग्राम हयाथनागार, तालुक घटकेसर मंडल	आईटी/आईटीईएस	6.1.2007	10.49	0	0	10.49
23.	सन्डयू प्रोपर्टीज प्रा.लि.	मधापुर, आरआर जिला	आईटी/आईटीईएस	16.10.06	276.12	0	0	276.12
24.	विप्रो लि.-मणिकोन्डा	मणिकोन्डा, मंडल, आरआर	आईटी/आईटीईएस	1.8.2006	782.34	0	0	782.34
25.	इंदु टैक्जोन प्रा.लि. (ब्रह्माणी इन्फ्राटैक)	मामिडी पल्ली	आईटी/आईटीईएस	10.4.2007	0	0	0	0
26.	हिटेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	नाक्कापल्ली	फार्मा	11.1.07	0	0	18.34	18.34
27.	नवयुग लीगल एस्टेट प्रा.लि. जिला आंध्र प्रदेश	सेरिलिंगम पल्ली ग्राम, रंगा रेड्डी	आईटी/आईटीईएस	20.9.2007	15.16	0	0	15.16
28.	पेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्रा.लि.	काकीनाडा आंध्र प्रदेश	खाद्य प्रसंस्करण	20.12.2007	0	0	294	294
29.	एपीआईआईसी लि. इब्राहीम पट्टनम आरआर जिला	रंगा रेड्डी जिला हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	ऐरोस्पेस तथा प्रिसिजन इंजीनियरिंग उद्योग	24.12.2008	0	5.03	4.21	9.24
30.	श्री सिटी प्रा.लि.	गोलावेरीपालेम, आंध्र प्रदेश	बहुउत्पाद	20.9.2007	0	1.28	22.87	24.15
31.	एनएसएल एसइजेड उप्पल (हैदराबाद) प्रा.लि. (पूर्ववर्ती टॉपनॉच इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.)	आईडीए उप्पल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	18.5.2007	33.33	0	0	33.33
32.	इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीज लि.	पोछरम रंगा रेड्डी जिला आंध्र प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	1.8.2006	280.41	0	0	280.41
33.	एपीआईआईसी नायडुपेटा	नैल्लौर आंध्र प्रदेश	बहुउत्पाद	16.2.2010	0	0	2.01	2.01
34.	एपीआईआईसी	मडीपाडु तथा कोरिस पाडु, प्रकाशम आंध्र प्रदेश	निर्माण उत्पाद	8.9.2009	0	1.04	52.68	53.72
35.	जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि.	ग्राम मामेडी पल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्रप्रदेश	विमानन	20.10.2009	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	इन्फोटेक इंटरप्राइजेज लि.	एपीआईईसीआईटी/ आईटीएस ईजेड, रूश्यीकोण्डा	आईटी/आईटीईएस		2.27	0	0	2.27
	चंडीगढ़							
37.	राजीव गांधी टैक्नॉलॉजी पार्क फेस-I	चण्डीगढ़	इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर तथा आईटी/आईटी-ईएस	19.5.2006	133.67	0	0	133.67
38.	राजीव गांधी टैक्नॉलॉजी पार्क फेज-II	चण्डीगढ़	इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर तथा आईटी/आईटीईएस	12.9.07	15.71	0	0	15.71
	गुजरात							
39.	मुंद्रा पतन तथा विशेष आर्थिक जोन	गुजरात	बहुउत्पाद	23.6.2006 एवं 3.7.2006	0	234.28	95.86	330.14
40.	साइनफ्रा इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लि. कंस्ट्रक्श्यान लि. (सुजलॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.)	बडोदरा	हाइटैक इंजीनियरिंग उत्पाद तथा संबंधी सेवाएं	3.7.07	0	0	7.92	7.92
41.	गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (अपैरल) (जीआईडीसी)	अहमदाबाद गुजरात	अपैरल	10.4.2007	0	0	2.0186	2.0186
42.	ई-कॉम्पलैक्स प्रा.लि.	अमरेली	इंजीनियरी उत्पाद	2.1.2008	0	0	0	0
43.	रिलायंस जाम नगर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	जाम नगर	बहुउत्पाद	19.4.06, 4.6.07 और 29.8.07	0	0	42592.24	42592.24
44.	जायडस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	सानन्द अहमदाबाद	भेषज	28.9.06	17.5942	0	110.1085	127.7027
45.	दाहेज एसईजेड लि.	वाहेज	बहुउत्पाद	20.12.2007	0	0	270.98	270.98
46.	लार्सन एण्ड टुब्रो लि.	अंखोल एण्ड बापड़, जिला बडोदरा	आईटी/ आईटीईएस	18.11.2008	9.56	0	0	9.56
47.	एक्वालाइन प्रोपर्टीज प्रा.लि.	गांधी नगर	आईटी/आईटीईएस	23.7.2008	86.317	0	0	86.317
48.	गांधी नगर इलैक्ट्रॉनिक पार्क एसईजेड (जीआईडीसी)	गांधी नगर	ईएचटीपी/ आईटीईएस	13.12.2006	0.49	0	2.32	2.81
49.	जुबलिएंट इन्फ्रास्टैक्चर लि.	जिला भरुच गुजरात	रसायन	11.2.2008	0	0	69.279	69.279

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	युरोमल्टीविजन प्रा.लि.	शिक्रा तालभचाऊ गुजरात	गैर पारम्परिक ऊर्जा	23.4.2009	0	0	0	0
51.	टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि.	गांधी नगर	आईटी/आईटीईएस	30.9.2008	0.421	0	0	0.421
52.	गिफ्ट एसईजेड लि.	ग्राम फिरोजपुर एवं रतनपुर जिला गांधी नगर गुजरात	बहुसेवाएं	18.8.2011	0	0.0285	0	0.0285
	हरियाणा							
53.	डीएलएफ साइबर सिटी गुडगांव	गुडगांव हरियाणा	आईटी/आईटीईएस	13.4.2007	360	0	0	360
54.	डीएलएफ लि. गुडगांव	गुडगांव हरियाणा	आईटी/आईटीईएस	6.12.2006	243.96	0	0	243.96
55.	गुडगांव इन्फोस्पेस लि. गुडगांव	गुडगांव हरियाणा	आईटी/आईटीईएस	3.12.2007	435	0	0	435
	कर्नाटक							
56.	मान्यता एम्बैसी बिजनैस पार्क	बंगलौर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	16.11.2006	273.28	0	0	273.28
57.	विप्रो लि.	वरथूर होबली इलैक्ट्रॉनिक सिटी बंगलौर कर्नाटक	आईटी	7.7.2006	1108.11	0	0	1108.11
58.	विप्रो लि. (एसआर)	वरथूर होबली सरजापुर रोड कर्नाटक	आईटी	7.7.2006	970.87	0	0	970.87
59.	इन्फोसिस टैक्नोलॉजीज एसईजेड मंगलौर	बंटवाल तालुक दक्षिण, जिला कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	27.6.2007	1548.16	0	0	1548.16
60.	इन्फोसिस टैक्नोलॉजीज एसईजेड मैसूर	हैबल इन्डस्ट्रियल एरिया जिला मैसूर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	26.4.2007	457.35	0	0	457.35
61.	वृंदावन टैक विलेजज एसइजेड	बंगलौर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	8.9.2006	502.57	0	0	502.57
62.	आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	देवराबीसनहल्ली, बोगनाहल्ली तथा दोडाकनाहल्ली कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	28.9.2006	269.08	0	0	269.08
63.	श्याम राजू एण्ड कम्पनी (इंडिया) प्रा.लि. (दिव्यश्री)	ग्राम कुंडलाहल्ली, कृष्ण राजापुरम कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	16.10.2006	2219.18	0	0	2219.18
64.	सेस्ना गार्डन डवलपर्स प्रा.लि.	बंगलौर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	16.11.2006	463.91	0	0	463.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.	टैंगलिन डेवलपमेंट लि. (ग्लोबल विलेज एसइजेड)	पेटनगिर/माइला सेंड्रा गांव कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	5.10.2006	369.15	0	0	369.15
66.	बायोकॉन लि.	अनेकल तालुक बंगलौर कर्नाटक	जैव प्रौद्योगिकी	28.9.2006	0	0	170.03	170.03
67.	एचसीएल टैक्नॉलॉजी लि.	जिला बंगलौर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	24.8.2006	219.22	0	0	219.22
68.	केआईएडीबी (वस्त्र)	हसन कर्नाटक	वस्त्र	5.10.2006	0	0	102.16	102.16
69.	इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी पाके लि.	बंगलौर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	10.4.2007	20.43	0	0	20.43
70.	प्राइमल प्रोजेक्टस प्रा.लि. (प्राइटैक)	बंगलौर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	29.8.2007	112.78	0	0	112.78
71.	बेगमैन कांस्ट्रक्शन प्रा.लि.	बंगलौर उत्तर, कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	7.1.2008	253.05	0	0	253.05
72.	क्वेस्ट एसईजेड डेवलपमेंट प्रा.लि.	जिला बेलगाम कर्नाटक	प्रिसिजन इंजीनियरी उत्पाद	4.8.2008	0	0	1.6	1.6
73.	साइनफ्रा इंजी. एण्ड कंस्ट्रक्शन (सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.)	उडुप्पी तालुक कर्नाटक	हाईटेक इंजीनियरी उत्पाद तथा संबद्ध सेवाएं	7.9.2007	0	0	148.03	148.03
74.	केआईएडीबी (खाद्य)	समुद्र बल्गी संकवल्ली पुरा	खाद्य प्रसंस्करण	12.4.2007	0	0	1.7	1.7
75.	गोपालन इंटरप्राइजेज (इंडिया प्रा.लि.)	केआरपुरम व्हाइट फील्ड बंगलौर कर्नाटक	आईटी/आईटीईएस	16.2.2009	35.79	0	0	35.79
	केरल							
76.	इन्फो पार्क एसइजेड	कोच्ची	आईटी/आईटीईएस	28.9.2006	277.65	0	0	277.65
77.	इलैक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी पार्क एसईजेड-I	त्रिवेन्द्रम	आईटी/आईटीईएस	30.11.2006	2.26	0	0	2.26
78.	इलैक्ट्रॉनिक टैकनॉलॉजी पार्क एसईजेड-II	त्रिवेन्द्रम	आईटी/आईटीईएस	13.12.2006	156.98	0	0	156.98
79.	कोचीन पत्तन न्यास	वल्लपदम केरल	पत्तन आधारित	2.11.2006	0	0	0	0
80.	किन्फ्रा फिल्म एण्ड विडियो पार्क	त्रिवेन्द्रम केरल	एनिमेशन एवं गेमिंग	12.4.2007	0	0	0	0
	महाराष्ट्र							
81.	हीरानन्दानी बिजनेस पार्क	पवई, महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	13.4.2007	419.65	0	0	419.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	इन्फोसिस टैक्नॉलॉजीज लि.	राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-I, ग्राम मान ताल्लुक मल्शी जिला पुणे	आईटी/आईटीईएस	26.4.2007	993.83	0	0	993.83
83.	सिरम बायो फार्मा पार्क	पुणे महाराष्ट्र	भेषज एवं जैवप्रौद्योगिकी	19.7.2006	0	0	647.88	647.88
84.	इयोन खर्दी	तालुक हवेली जिला पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	28.9.2006	597.5	0	0	597.5
85.	विप्रो पुणे	हिंजेवाडी पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	28.12.2006	144.97	0	0	144.97
86.	डीएलएफ आकृति	हिंजेवाडी फेज-II जिला पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	14.12.2007	400.82	0	0	400.82
87.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन	मिहान, नागपुर महाराष्ट्र	बहुउत्पाद	29.5.07	3.53	0	0	3.53
88.	पुणे एम्बेसी इंडिया प्रा.लि.	पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	19.11.2007	56.26	0	0	56.26
89.	द मंजरी स्टड फार्म प्रा.लि.	पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	11.4.2007	71.64	0	0	71.64
90.	महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलैपमेंट का. लि.	हिंजेवाडी पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	6.7.2007	373.76	0	0	373.76
91.	सिन्टैल इंटरनेशनल प्रा.लि.	पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	10.4.2007	0	0	0	0
92.	मगरपट्टा टाउनशिप डेवलेपमेंट एण्ड कुंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.	पुणे महाराष्ट्र	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सहित ईएच एण्ड एस	20.7.2007	65.96	0	0	65.96
93.	एमआईडीसी औरंगाबाद	जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र	इंजीनियरी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स	22.12.06	0	0	81.97	81.97
94.	सिरीन प्रोपर्टीज प्रा.लि.	कलवा ट्रांस थाणे क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी जिला थाणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	2.11.2007	151.63	0	0	151.63
95.	फ्लैगशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	ग्राम हिंजेवाडी जिला पुणे महाराष्ट्र	आईटी/आईटीईएस	3.10.2008	5.22	0	0	5.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.	वर्धा पावर कम्पनी प्रा.लि.	जिला चन्द्रपुर महाराष्ट्र	विद्युत क्षेत्र	3.9.2008	0	0	0	0
97.	अर्शिया इंटरनेशनल लि.	ग्राम साही तालुक एनवेल जिला	एफटीडब्ल्यूजेड	4.5.2009	0	12.63	0	12.63
	ओडिशा							
98.	ओडिशा इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन आईटी एसईजेड	भुवनेश्वर	आईटी/आईटीईएस	18.5.2007	0	0	0	0
	पंजाब							
99.	रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि.	प्लॉट सं. ए-41, फोकल प्वांइट, मोहाली, पंजाब	भेषज	10.4.2007	0	0	51.61	51.61
	राजस्थान							
100.	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	ग्राम कल्वारा जयपुर, राजस्थान	आईटी/आईटीईएस	10.4.2007	116.818	0	0	116.818
101.	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	जयपुर राजस्थान	ऑटोमोटिव/ ऑटोमोटिव संघटकों सहित लाइट इंजीनियरी	6.1.2009	0	0	9.8	9.8
102.	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	जयपुर राजस्थान	हस्तशिल्प	6.1.2009	0	0	0.8	0.8
	तमिलनाडु							
103.	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लि.	सिरूसेरी तथा इगत्तूर चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	17.7.2006	2036.64	0	0	2036.64
104.	आईजी3 इंफ्रा लि. (ईटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि.)	ताम्बरम तालुक कांचीपुरम, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	11.8.2006	563.5	0	0	563.50
105.	हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लि.	एसआईपीसीओ पीआईटी पार्क, ओल्ड महाबलिपुरम रोड, सिरूसेरी, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	31.9.2006	128.02	0	0	128.02
106.	डीएलएफ इंफोसिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लि.	कांचीपुरम जिला तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	16.11.2006	1171.7	0	0	1171.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.	(एलएंडटी) अरूण एक्सेलो इंफ्रांस्ट्रक्चर प्रा.लि.	कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	1.5.2007	8.35	0	0	8.35
108.	ईटीए टेक्नोपार्क प्रा.लि.	ओल्ड महाबलिपुरम रोड, ग्राम नवल्लुर, चेंगलपेट, जिला	आईटी/आईटीईएस	7.9.2007	307.92	0	0	307.92
109.	इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु	कोयम्बटूर तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	11.4.2007	4.84	0	0	4.84
110.	कोयम्बटूर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	कोयम्बटूर	आईटी/आईटीईएस	9.11.2006	579.67	0	0	579.67
111.	फ्लेक्सट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्रा.लि.	श्री पेरंबुदुर कांचीपुरम, तमिलनाडु	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा संबंधित सेवाएं	25.4.2006	0	0	16.6	16.6
112.	सीआईपीसीओपी	श्री पेरंबुदूर तमिलनाडु	व्यापार एवं संभार तंत्र कार्यकलापों सहित टेलिकॉम हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सहायक सेवाएं	22.12.2006	0	11.71	675.72	687.43
113.	श्रीराम प्रापर्टीज एंड इंफ्रा. प्रा.लि.	ग्राम पेरंगलथूर चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	28.9.2006	142.67	0	0	142.67
114.	एसआईपीओटी	ओरगदम	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर	18.10.07	0	0	783.53	783.53
115.	एसआईपीओटी	गंगई, कोंडार तिरूनेलवेल्ली	परिवहन उपस्कर	15.5.2008	0	0	1.75	1.75
116.	एसआईपीओटी	पेरूदुराई	इंजीनियरी	23.4.2008	0	0	26.75	26.75
117.	सिनफेरा कंस्ट्रक्शन लि. (सुजलॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लि.)	कोयम्बटूर	हाई-टेक इंजीनियरी क्षेत्र	10.8.2007	0	0	44.55	44.55
118.	चेय्यार एसईजेड	चेय्यार	फुटवियर	13.4.07	0	0	111.84	111.84
119.	कॉगनिजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स इंडिया प्रा.लि.	सिपकॉट आईटी पार्क, ग्राम सिरूसेरी तथा काझीपट्टूर चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	17.12.2007	108.29	0	0	108.29
120.	ईएलसीओटी	शोलिंगनल्लूर, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	11.4.2007	2459.98	0	0	2459.98
121.	ईएलसीओटी	त्रिची, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	12.2.2008	1.9	0	0	1.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122.	ट्रिल इंफोपार्क लि., चेन्नई	चेन्नई	आईटी/आईटीईएस	23.1.2009	64.22	0	0	64.22
123	सिंटेल इंटरनेशनल प्रा.लि.	कांचीपुरम, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	11.8.2006	103.91	0	0	103.91
124.	न्यू चेन्नई टाउनशिप प्रा.लि.	ग्राम सीकीनकुप्पम चेय्यार तालुक जिला कांचीपुरम तमिलनाडु	ऑटो सहायक सामग्रियों सहित इंजीनियरी क्षेत्र	28.9.2007	0	0	10.09	10.09
125.	न्यू चेन्नई टाउनशिप प्रा.लि.	ग्राम सीकीनकुप्पम चेय्यार तालुक जिला कांचीपुरम तमिलनाडु	बहु-सेवाएं	23.11.2007	0	0	0.03	0.03
126.	एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लि.	नंगुनेरी तालुक जिला-तिरूनेलवेली तमिलनाडु	बहु-उत्पाद	18.11.2008	0	0.07	3.24	3.31
127.	स्पैन वेंचर प्रा.लि.	ग्राम कुरीचि इचानारी, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु	आईटी/आईटीईएस	10.7.2007	0.95	0	0	0.95
128.	पर्ल सिटी (सीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एसईजेड)	तूतीकोरिन	खाद्य प्रसंस्करण	23.4.2009	0	0	0	0
129.	जी माताजी	मन्नूर	एफटीडब्ल्यूजेड	21.5.2009	0	3.3	0	3.3
130.	स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु उत्तर प्रदेश	रानीपेट, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु	चर्म क्षेत्र	27.11.2007	0	0	0.67	0.67
131.	एचसीएल टेक्नोलॉजीज	नोएडा	आईटी/आईटीईएस	15.12.06	291.18	0	0	291.18
132.	मोजर बेयर एसईजेड, ग्रेटर नोएडा	ग्रेटर नोएडा	सौर/ऊर्जा उपकरणों/सेल सहित अपारंपरिक ऊर्जा	18.8.2006	0	0	22.74	22.74
133.	विप्रो लि.	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस	18.6.2007	121.71	0	0	121.71
134.	सीव्यू डेवलपर्स लि.	सेक्टर-135 नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	12.7.07	269.41	0	0	269.41
135.	एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लि. एसईजेड	प्लॉट सं. टीजेड-02 सेक्टर-टेक जोन आईटीईएस पाक ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	आईटी/आईटीईएस	29.5.2007	54.36	0	0	54.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136.	आचविस सॉफ्टेक प्रा.लि. पश्चिम बंगाल	सेक्टर-144 नोएडा, उत्तर प्रदेश	15.5.2008	आईटी/आईटीईएस	109.65	0	0	109.65
137.	यूनिटेड हाईटेक स्ट्रक्चर्स लि.	राजघाट कोलकाता, पश्चिम बंगाल	आईटी/आईटीईएस	28.11. 07	514.81	0	0	514.81
138.	एमएल डालमिया एंड कम्पनि लि.	कोलकाता	आईटी/आईटीईएस	8.8.2006	209.88	0	0	209.88
139.	डीएलएफ लि.	राजरघाट कोलकाता, पश्चिम बंगाल	आईटी/आईटीईएस	3.8.2010	54.38	0	0	54.38
	कुल				26901.33	1834.649	48802.97	77538.9458

भिखारियों का पुनर्वास

600. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर बड़े शहरों में भिखारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार डाटाबेस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भिक्षावृत्ति विरोधी अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो अब तक किए गए प्रयासों की असफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस कानून को अधिनियमित किया है और भिखारियों का पुनर्वास किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) इस समय, देश में भिक्षावृत्ति के संबंध में कोई विश्वसनीय और प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20 राज्यों तथा 2 संघ राज्यक्षेत्रों ने भिक्षावृत्ति विरोधी कानून अधिनियमित किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपने मौजूदा भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का संलग्न विवरण में दर्शाया गया है जिनमें भिक्षावृत्ति विरोधी कानून हैं। भिक्षुओं के लिए आश्रम गृह/संस्थाएं गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कार्यरत हैं।

विवरण

मौजूदा राज्य भिक्षावृत्ति विरोधी कानून

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रभावी विधान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश भिक्षावृत्ति रोकथाम, अधिनियम, 1977
2.	असम	असम भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1964
3.	बिहार	बिहार भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1951

1	2	3
4.	छत्तीसगढ़	अंगीकृत मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973
5.	गोवा	दि गोवा, दमन और दीव भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1972
6.	गुजरात	अंगीकृत बाम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959
7.	हरियाणा	हरियाणा भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1971
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1960
10.	झारखंड	अंगीकृत बिहार भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1951
11.	कर्नाटक	कर्नाटक भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1975
12.	केरल	राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मद्रास भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1945, त्रावणकौर भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1945, त्रावणकौर भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1120 और कोचीन भिक्षावृत्ति अधिनियम, 1120 लागू हैं।
13.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973
14.	महाराष्ट्र	बाम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959
15.	पंजाब	पंजाब भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1971
16.	सिक्किम	सिक्किम भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 2004
17.	तमिलनाडु	मद्रास भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1945
18.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम, 1972
19.	उत्तराखंड	अंगीकृत उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम, 1972
20.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल भिक्षावृत्ति अधिनियम, 1943
	संघ राज्यक्षेत्र	
21.	दमन और दीव	दि गोवा, दमन और दीव भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1972
22.	दिल्ली	अंगीकृत बाम्बे भिक्षावृत्ति रोकथान अधिनियम, 1959

टेट्रा ट्रक डील में घूसखोरी

601. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
श्री इन्दर सिंह नामधरी:
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के लिए टेट्रा ट्रकों की खरीद में घूसखोरी के मामले हाल ही में प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मामलों में लिप्त पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) जब कभी भी रक्षा सौदों में कोई अनियमितताएं सरकार के सामने आती हैं,

शीघ्र ही उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है। हाल ही में, ऐसे ही एक मामले में टेट्रा ट्रक की खरीदारी में कथित अनियमितता में जांच के आदेश दिएस जा चुके हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से सेनाध्यक्ष को रिश्वत देने के आरोप की व्यापक जांच करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय जाूच ब्यूरा द्वारा 11.4.2012 को एक प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कराई गई है। तत्पश्चात, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यू.के. स्थित कंपनी के एक मालिक और अज्ञात व्यक्यिों, सार्वजनिक क्षेत्र के एक रक्षा उपक्रम, रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय सेना के अज्ञात कार्मिकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 120ख तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13 (आई) (डी) के साथ गठित धारा 12(2) के अंतर्गत मामना दर्ज किया है।

एनएच-23 और एनएच-75

602. **श्री सुदर्शन भगत:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव एन.एच. 23 और एन.एच. 75 को चार लेन का बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। रारा-23 और रारा-75 सहित देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उनकी अवस्था और कार्य की परस्पर प्राथमिकता के आधार उपलब्ध संसाधनों की सीमा में यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के चौड़ीकरण का कार्य उपलब्ध संसाधनों और परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। रारा-23 के बीरमित्रपुर-राजमुंडा खंड और रारा-75 के ग्वालियन-झांसी, सीधी सिंगरौली और सतना-बेला खंडों के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे

603. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसमार्ग परियोजना एक्सप्रेमार्ग के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत शामिल है। सरेखण, डिजाइन, सुपुर्दगी की विधि, शामिल की जाने वाली सड़कों आदि सहित इसके निर्माण की विधियों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

एसएआरडीपी

604. **श्री खगेन दास:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर में स्पेशल एक्सीलिरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम (एसएआरडीपी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधनियों को पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में बनाए जाने वाले चार लेन वाले खंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धरित समय-सीमा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता और इस समय त्रिपुरा में कोई भी खंड 4 लेन का बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी जनगणना

605. **श्री चार्ल्स डिएस:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र और यर्थाथवादी तरीके से अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही/कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के तहत संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के बीच अधिक साकल्यवादी और व्यवहारिक रीति में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:–

1. **अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले पात्र अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

2. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना के अंतर्गत, एमफिल, पीएचडी करने वाले तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थाओं में समकक्ष पाठयक्रमों में पढ़ने वाले पात्र अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक वर्ष 2000 नई अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

3. **अनुसूचित जाति इत्यादि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अंतर्गत, मास्टर स्तरीय पाठ्यक्रमों तथा पीएचडी कार्यक्रमों के विशिष्टिकृत क्षेत्रों में विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए अधिकतम 30 मेधावी विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा योजना:** इस योजना का उद्देश्य समस्त देश में फैली हुई उत्कृष्टता की चुनिंदा संस्थाओं में 12वीं कक्षा से आगे अध्ययन करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके पात्र अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के बीच गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ष 1250 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान है।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत, निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों के बीच अधिक साकल्यवादी और व्यवहारिक रीति से उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत, निर्मुक्त/उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:–

(i) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संस्वीकृति राशि	निर्मुक्त/उपयोग की गई राशि
2009-10	750.00	1015.96
2010-11	1700.00	2097.21
2011-12	2218.00	2711.34
2012-13 (8.8.2012 तक)	1499.50	342.96

(ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्यार्थी अध्येतावृत्ति:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संस्वीकृति राशि	निर्मुक्त/उपयोग की गई राशि
2009-10	79.00	105.00
2010-11	160.00	144.00
2011-12	125.00	103.69
2012-13 (8.8.2012 तक)	125.00	0.00

(iii) अनुसूचित जाति इत्यादि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संस्वीकृति राशि	निर्मुक्त/उपयोग की गई राशि
2009-10	5.00	3.10
2010-11	6.00	4.60
2011-12	6.00	3.71
2012-13 (8.8.2012 तक)	6.00	1.56

(iv) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा योजना:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संस्वीकृति राशि	निर्मुक्त/उपयोग की गई राशि
2009-10	10.00	8.26
2010-11	16.00	14.15
2011-12	15.00	14.82
2012-13 (8.8.2012 तक)	24.00	4.14

अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट्स

606. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट्स (यूएमएसपी) की स्थापना के लिए किसी अंतरमंत्रालयीय समूह (आईएमजी) की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूएमएसपी की स्थापना करने के लिए आईएमजी की सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो यूएमएसपी की स्थापना के संबंध में अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूत की कीमत

607. श्री हर्षवर्धन:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कपास और सूत की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण पावरलूम/हैंडलूम और अन्य कपड़ा मिलों को काफी घाटा हुआ है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले कुछ वर्षों में देश में कपास की कुल खपत में वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खपत की गई कपास सहित चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान कपास के अनुमानित उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कपास की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्किट ने वस्त्र उद्योग में दबाव पर अपनी आकलन रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वस्त्र उद्योग को दिया गया कुल निधि आधारित ऋण (टीयूएफएस सहित) 155,809 करोड़ रुपये है। 15,542 करोड़ रुपये के अनुमानित गैर निधि ऋण को जोड़ने से वस्त्र उद्योग को बैंकों का कुल ऋण 171,351 करोड़ रुपये हो जाता है। वित्तीय वर्ष 12 के लिए 303 कंपनियों के राजस्व और लागत पूर्वानुमान के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्किट लि. की ईबीआईटी 13,311 करोड़ रुपये हो गई है। इस ईबीआईटी पर प्रति वर्ष देय 17,942 करोड़ रुपये के ऋण+ब्याज पर 25.8% (अथवा 4,630 करोड़ रुपये) का घाटा हो रहा है। उनकी गणनाओं के आधार पर यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 12 के अंत में बकाया ऋण 100,617 करोड़ रुपये होगा जिसमें से 25.8% को पुर्ननिर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। यह 25,967 करोड़ रुपये बैठता है और यदि 10,000 करोड़ रुपये और जोड़े जाने हैं, जिससे इनवेंटरी के मूल्य में हानि होगी, तो कुल ऋण का पुर्नगठन किए जाने की आवश्यकता होगी जो लगभग 36,000 करोड़ रुपये होगा।

(ग) जी, हां। 12वीं पंचर्षीय योजना के कार्यसमूह ने खपत में 8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है जैसा कि मसौदा राष्ट्रीय फाइबर नीति में दर्शाया गया है।

(घ) चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष के दौरान कपास का अनुमानित उत्पादन और खपत निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठ में)	खपत (लाख गांठ में)
2011-12	347.00	252.00

•स्रोत: 18 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार कपास सलाहकार बोर्ड का तुलन-पत्र।

कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक 23 अगस्त, 2012 के लिए निर्धारित है जिसमें बोर्ड कपास मौसम 2012-13 के लिए कपास के उत्पादन और खपत का अनुमान लगाएगा।

पिछले 3 वर्षों के दौरान कपास की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

2009-10	259.00 लाख गांठ
2010-11	267.40 लाख गांठ
2011-12	252.00 लाख गांठ

(18.04.2012 को कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार)

(ङ) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कपास प्रौद्योगिकी मिशन को कार्यान्वित किया है और इसे 12वीं पंचवर्षीरू योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है।

महात्मा गांधी सेतु

608. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** महात्मा गांधी सेतु के बारे में 21 मई, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस कंसल्टेंट/कंपनी का नाम क्या है जिसने इसका डिजाइन तैयार किया था और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्या है तथा इसके लिए कितनी राशि दी गई;

(ख) उस समय अन्य कोई तकनीक उपलब्ध थी या नहीं और क्या अन्य तकनीक के साथ बनाए गए पुल भी इसी दशा में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कंपनी ने कोई गारंटी प्रदान की;

(ङ) यदि हां, तो उस गारंटी की समय-सीमा कितनी थी और इस पर खर्च की गई कुल राशि सहित इसकी मरम्मत में कितना समय लगा तथा मरम्मत कार्यों के परिणामस्वरूप पुल की टन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पुल की संभावित जीवनावधि क्या है और दोषी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मै. गैमन इंडिया लि. ने तैयार की थी। पुल का निर्माण सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने से पूर्व एकमुश्त ठेका आधार पर किया गया था। निर्माण, डिजाइन और डीपीआर के लिए प्रदत्त राशि 87.22 करोड़ रुपये है। चूंकि ठेका एकमुश्त आधार पर था इसलिए डिजाइन और परियोजना रिपोर्ट को तैयार किए जाने के संबंध में प्रदत्त राशि का पृथक-पृथक नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) निर्माण और संरचनागत संरेखण के समय प्रौद्योगिकी की अन्य विधियां भी उपलब्ध थीं। महात्मा गांधी सेतु के लिए अपनाया गया प्रकार उस समय उपयुक्त समझा गया था।

(घ) से (च) जी नहीं। वर्ष 2001 से अब तक, मरम्मत पर किया गया कुल व्यय 104.88 करोड़ रुपये है। ठेके में पुल का जीवनकाल विनिर्दिष्ट नहीं था। तथापि, आशा की जाती है कि आमतौर पर पुलों की जीवन अवधि 50 वर्ष तक होती है। उस समय प्रचलित मानकों के समरूप पुल संघटकों के डिजाइन वर्तमान में सफल सिद्ध नहीं है।

[अनुवाद]

रक्षा फर्मों को काली सूची में डाला जाना

609. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में काली सूची में डाली गई दो रक्षा कंपनियों को अपने उपकरण के फील्ड ट्रायल के लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए थे;

(ग) क्या सरकार का अपने निर्णय की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प का निर्यात

610. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प के विकास के लिए बनाई गई स्कीमों और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प, हैंडलूम और रेशमी कपड़ों के निर्यात और इन उत्पादों के विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सहित देश-वार अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों सहित सरकार द्वारा इन उत्पादों के निर्यातकों को प्रदत्त रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जूट को कपड़े के रूप में और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार जूट से बने हस्तशिल्प और हाथ से बने सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) हस्तशिल्प के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं तथा पिछले 3 वर्षों अर्थात 2009-10 से 2011-12 के दौरान आबंटित की गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	2009-10 ब.प्रा.	2010-11 ब.प्रा.	2011-12 ब.प्रा.
बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	60.09	72.82	65.00
डिजाइन एवं तकनीकी विकास	14.00	16.73	16.00
विपणन सहायता एवं सेवा	52.96	75.00	65.00
हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना	71.60	84.11	69.00
अनुसंधान एवं विकास	9.13	12.00	8.25
मानव संसाधन विकास	6.22	19.34	17.75
जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज	0.00	0	0.00
अवसंरचना (पूंजी)	6.00	6.00	4.00
कुल	220.00	286.00	245.00

(ख) पिछले 3 वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान हस्तशिल्प (हाथ से बने गलीचों, रेशम के गलीचों और रेशम के अलावा अन्य गलीचों सहित) की मुख्य वस्तुओं, हथकरघा उत्पादों और रेशम के आरएमजी के निर्यातों तथा ऐसे निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

	2009-10	2010-11	2011-12
रेशम के आरएमजी	292.46	241.98	264.50
हथकरघा उत्पाद*	264.85	371.13	554.01
हस्तशिल्प	961.67	1311.61	1079.44

*हथकरघा उत्पादों को 2009-10 में पहली बार वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है।

(ग), (ङ) और (च) निर्यातकों को दी गई रिआयतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। हस्तशिल्प, हाथ से बने गलीचों और अन्य फ्लोर कवरिंग्स के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में विदेशों में मेलों/प्रदर्शनी में भागीदारी; विदेशों में प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प की थीमेटिक डिसप्ले और सजीव प्रदर्शन, भारत तथा विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना; संगोष्ठियों एवं प्रचार के माध्यम से विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प की ब्रांड छवि का संवर्धन; प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता कार्यक्रम; निर्यातकों के लिए भारत में पैकेजिंग एवं निर्यात नीतियां; भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों का आयोजन; निर्यातक सदस्यों को वाणिज्य मंत्रालय की बाजार विकास सहाता तथाबाजार प्रवेश पहल योजनाओं के तहत सहायता देते हुए उत्पाद विशिष्ट शे और मेड इन अंडिया शो शमिल है।

(घ) भारत सरकार ने देश में पटसन उद्योग का समग्र विकास करने और देश्या तथा विदेश में पटसन एवं पटसन उत्पादों का संवर्धन करने हेतु छह वर्ष की अवधि के लिए पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) शुरू किया है जिसकी अवधि 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो रही हैं जेटीएम को मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है और जेटीएम के लघु मिशन-IV के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेपबी) उत्तरदायी है।

विवरण

- निर्यातक, निर्यात आयात नीति में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रियायतों/सुविधाओं तथा समय-समय पर किए गए उपायों का लाभ उठा सकते हैं।
- निर्यातक, टूल्स, ट्रीमिंग्स, सजावटी सामानों पर शुल्क मुक्त आयात का लाभ उठा सकते हैं जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के एफओबी मूल्य का 5 प्रतिशत है। हकदारी काफी व्यापक है और सहायक विनिर्माताओं से संबद्ध मर्चेंट निर्यातकों के लिए भी लागू है।
- हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की ओर से ट्रिमिंग्स, सजावटी सामान और उपभोज्य वस्तुओं का आयात करने के लिए प्राधिकृत है जिनके लिए सीधे आयात करना व्यवहार्य न हो।
- हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएआई और एमडीए योजनाओं के तहत विशिष्ट निधियां उदिष्ट हैं।
- ट्रिमिंग्स, सजावटी सामान और उपभोज्य वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात पर सीवीडी से छूट है।
- 150 करोड़ रुपये की घटी हुई थ्रैसहोल्ड सीमा के साथ निर्यात उत्कृष्टता के न्यू टाउन्स अधिसूचित किए जाएंगे।
- बहिस्राव उपचार संयंत्रों के लिए मशीन एवं उपकरणों का सीमा शुल्क से छूट है।
- समस्त हस्तशिल्प निर्यातों को विशेषा फोकस उत्पाद माना जाएगा और वे उच्च प्रोत्साहनों के हकदार हैं।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त पंजीकृत निर्यातक हस्तशिल्प निर्यातों के लिए फोकस उत्पाद योजना के तहत 2% बोनस लाभ और सामानों के निर्यातों पर प्रयोज्य शुल्क वापसी के लिए पात्र हैं।
- प्रिशिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण पर 2% की ब्याज सहातया।
- मेलों एवं प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठक में भागीदारी के लिए एमडीए।
- भारत एवं विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठक में भागीदारी के लिए एमएआई।
- भारत एवं विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठक में भागीदारी के लिए वस्त्र निधि से सहायता।

जहरीली गैसों से प्रदूषण

611. **श्री राजीव रंजन सिंह** उर्फ **ललन सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का पर्यावरण विभिन्न गैसों से प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन जहरीली गैसों के स्रोत क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) वायु प्रदूषण के औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, वाणिज्यिक कार्य-कलाप आदि जैसे अनेकानेक स्रोत हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषकों के तीन मानकों अर्थात् सल्फर डाईऑक्साईड (एसओ2), नाईट्रोजन डाईऑक्साईड (एनओ2) तथा पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 10) की नियमित मॉनीटरिंग की जाती है। परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठास गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रदूषण में कमी लाने के लिए एक व्यापक नीति बनाई गई है जिसमें प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण दोनों पहलुओं पर जोर दिया गया है।

(ii) नगर विशिष्ट कार्य योजनाएं भी बनाई गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(iii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक तथा नए वाहनों के लिए वृहद उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किया जाता है।

(iv) एक फरवरी 2000 से पूरे देश में शीशा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2010 में नए चार

पहिया वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 13 बड़े शहरों में भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। 1 अप्रैल, 2010 से पूरे देश में दुपहिया वाहनों तथा कृषि कार्य हेतु डीजल से चलने वाले ट्रेक्टरों के लिए भारत स्टेज-III मानक लागू किए गए हैं।

(v) कंप्रैस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहनों की जरूरतों के लिए दिल्ली और मुंबई में अनेक रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से ऑटोमोबाइल्स को सीएनजी की आपूर्ति की जाती है।

(vi) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों हेतु बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं।

[अनुवाद]

चिड़ियाघरों का कार्यनिष्पादन

612. **श्री वैजयंत पांडा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस देश में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में चिड़ियाघरों के कार्यनिष्पादन के आकलन के लिए किसी ग्रेडिंग प्रणाली को तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) देश में 198 मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर हैं।

(ख) जी हां, देश में चिड़ियाघरों के कार्य निष्पादन के आकलन के लिए ग्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक योजना है।

(ग) और (घ) आकलन फार्मेट, जिसमें चिड़ियाघरों के आकलन के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शमिल है, की समीक्षा के लिए एक उप-समिति का गठन कियाहैं यह उप-समिति चिड़ियारों के आकलन के लिए ग्रेडिंग प्रणाली बनाए जाने की जांच कर रही है। इस उप-समिति द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्हें अनुमोदन के लिए तकनीकी समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

एफडीआई अन्तर्वाह

613. **श्री भक्त चरण दास:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में गत दो लगातार महीनों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अन्तर्वाह में कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो एफडीआई अन्तर्वाह में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों सहित डॉलर और रुपयों में मूल्य-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) अप्रैल-मई, 2011 के दौरान प्राप्त 34,792 करोड़ रुपयें (7,785 मिलियन यूएस डालर) के एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की तुलना में अप्रैल-मई, 2012 के दौरान 16,849 करोड़ रुपये (3,184 मिलियन यू.एस. डालर) की राशि का एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त किया गया था।

(ख) अप्रैल, 2011, मई, 2011, अप्रैल, 2012 और मई, 2012 के माह के लिए क्षेत्र-वार तथा माह-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को और अधिक निवेशक अनुकुल बनाने के उद्देश्य से इसकी सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने एफडीआई संबंधी निवेशक अनुकूल नीति बनाई है जिसके तहत ज्यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 एफडीआई की अनुमति है। हाल ही में एफडीआई नीति व्यवस्था में काफी बदलाव किए गए हैं, ताकि भारत उत्तरोत्तर आकर्षक तथा निवेशक अनुकूल बना रह सके।

भारत सरकार में निवेश के वातावरण और अवसरों के संबंध में जानकारी का प्रसार करके तथा संभावित निवेशकों को निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं एवं अवसरों के बारे में सलाह प्रदान करके, निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाती है। औद्योगिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाता है। यह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों पहलों के माध्यम से औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा

देने से संबंधित कार्यकलापों में फिक्की, सीआईआई और एसोचेम जैसे शीर्ष उपद्योग संघों के साथ भी समन्वय करती है।

सरकार ने भावी विदेशी निवेशकों के लिए एक गैर-लाभप्रद, एकल खिड़की सुविधा प्रदायक के रूप में तथा निवेश आकर्षित करने के लिए ढांचागत तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए आद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा फिक्की के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी 'इन्वेस्ट इंडिया' भी स्थापित की है।

विवरण

अप्रैल, 2011 माह में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाह की राशि	
		(करोड़ रुपये में)	(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1	2	3	4
1.	सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आऊटसोर्सिंग, आरएंडडी, कोरियर, तकनीक, परीक्षण तथा विश्लेषण, अन्य)	2,792.81	629.44
2.	औषध एवं भेषज	2,376.29	535.56
3.	विद्युत	1,218.28	274.57
4.	आटोमोबाइल उद्योग	1,167.35	263.10
5.	औद्योगिक मशीनरी	933.66	210.43
6.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप तथा वाणिज्य कांपलेक्स, आदि,	785.41	177.01
7.	निर्माण कार्यकलाप	714.72	161.08
8.	विविध उद्योग	664.82	149.84
9.	होटल तथा पर्यटन	496.62	111.93
10.	खनन	392.55	88.47
11.	समुद्री परिवहन	356.56	80.36
12.	दूरसंचार	205.02	46.21
13.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	204.94	46.19
14.	परामर्श सेवाएं	186.48	42.03
15.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	181.20	40.84
16.	व्यापार	150.63	33.95
17.	धातुकर्मी उद्योग	131.83	29.71
18.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	121.75	27.44

1	2	3	4
19.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	100.23	22.59
20.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	95.55	21.53
21.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	80.66	18.18
22.	विद्युत उपकरण	69.49	15.66
23.	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	68.97	15.54
24.	कृषि सेवाएं	56.08	12.64
25.	शिक्षा	47.31	10.66
26.	इलेक्ट्रोनिक्स	44.52	10.03
27.	(विद्युत जनरेटर के अलावा) प्राइम मूवर्स	43.45	9.79
28.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	33.60	7.57
29.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	21.07	4.75
30.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	21.00	4.73
31.	अर्थ मूविंग मशीनरी	16.27	3.67
32.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	12.88	2.90
33.	मशीन औजार	11.28	2.54
34.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	8.81	1.99
35.	रबड़ की वस्तुएं	5.62	1.27
36.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	4.99	1.13
37.	साबुन, कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	4.85	1.09
38.	कांच	4.49	1.01
39.	खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड)	3.99	0.90
40.	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय तथा कॉफी और रबड़)	2.50	0.56
41.	वैज्ञानिक उपकरण	2.30	0.52
42.	काष्ठ उत्पाद	1.84	0.41
43.	हीरे, सोने के आभूषण	1.82	0.41
44.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	1.14	0.26
45.	सिरेमिक	0.78	0.17
46.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	0.01	0.00
	कुल	13,846.42	3,120.67

मई, 2011 माह में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाह की राशि	
		(करोड़ रुपये में)	(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1	2	3	4
1.	औषध एवं भेषज	10,805.60	2,406.35
2.	विद्युत	1,381.22	307.59
3.	विविध उद्योग	1,365.66	304.13
4.	सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आरएंडडी, कोरियर, तकनीक परीक्षण तथा विश्लेषण, अन्य)	1,333.19	296.89
5.	होटल तथा पर्यटन	881.21	196.24
6.	इलेक्ट्रिकल उपकरण	761.52	169.59
7.	आटोमोबाइल उद्योग	667.95	148.75
8.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	508.18	113.17
9.	निर्माण कार्यकलाप	406.01	90.42
10.	व्यापार	394.53	87.86
11.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	352.15	78.42
12.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप तथा वाणिज्य कॉम्पलेक्स, आदि	321.35	71.56
13.	औद्योगिक मशीनरी	285.42	63.56
14.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	241.28	53.73
15.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	193.14	43.01
16.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	109.38	24.36
17.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	102.26	22.77
18.	दूरसंचार	98.08	21.84
19.	(विद्युत जनरेटर के अलावा) प्राइम मूवर्स	84.97	18.92
20.	परामर्शी सेवाएं	53.57	11.93
21.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	53.44	11.90
22.	धातुकर्मी उद्योग	48.36	10.77
23.	खनन	44.06	9.81

1	2	3	4
24.	फर्मेंटेंशन उद्योग	42.23	9.40
25.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	41.84	9.32
26.	हीरे, सोने के आभूषण	39.26	8.74
27.	काष्ठ उत्पाद	31.28	6.97
28.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	29.65	6.60
29.	कृषि सेवाएं	29.58	6.59
30.	सिरेमिक	28.28	6.30
31.	इलैक्ट्रोनिक्स	26.70	5.94
32.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	24.75	5.51
33.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	19.28	4.29
34.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	17.06	3.80
35.	अर्थ मुविंग पुर्जे	15.41	3.43
36.	चीनी	15.20	3.38
37.	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय तथा कॉफी और रबड़)	14.37	3.20
38.	रबड़ की वस्तुएं	13.01	2.90
39.	शिक्षा	12.26	2.73
40.	उर्वरक	9.95	2.22
41.	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	9.64	2.15
42.	मशीन औजार	8.69	1.93
43.	खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड)	7.50	1.67
44.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	5.72	1.27
45.	औद्योगिक उपकरण	5.00	1.11
46.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3.99	0.89
47.	वैज्ञानिक उपकरण	1.60	0.36
48.	चिकित्सा एवं सर्जनी उपकरण	0.65	0.14
49.	कागज एवं लुग्दी (कागज उत्पादों सहित)	0.33	0.07
50.	समुद्री परिवहन	0.22	0.05
51.	साबुन, कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	0.09	0.02
52.	लेदर, लेदर गुड्स एंड पिकर्स	0.01	0.00
	कुल योग	20,946.07	4,664.58

अप्रैल, 2012 माह में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाह की राशि	
		(करोड़ रुपये में)	(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1	2	3	4
1.	सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आऊटसोर्सिंग आरएंडडी, कोरियर, तकनीक, परीक्षण तथा विश्लेषण अन्य)	2,325.59	448.85
2.	औषध एवं भेषज	1,859.06	358.81
3.	धातुकर्मी उद्योग	1,255.67	242.35
4.	निर्माण कार्यकलाप	620.09	119.68
5.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	500.94	96.68
6.	विद्युत	354.59	68.44
7.	शिक्षा	354.12	68.35
8.	व्यापार	290.42	56.05
9.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप तथा वाणिज्य कांपलेक्स, आदि,	284.93	54.99
10.	औद्योगिक मशीनरी	271.19	52.34
11.	विविध उद्योग	180.00	34.74
12.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	128.35	24.77
13.	होटल तथा पर्यटन	115.12	22.22
14.	आटोमोबाइल उद्योग	110.62	21.35
15.	विद्युत उपकरण	110.44	21.32
16.	रबड़ की वस्तुएं	105.19	20.30
17.	बॉयलर एवं स्टीम जनरेटिंग संयंत्र	103.89	20.05
18.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	83.42	16.10
19.	उर्वरक	75.54	14.58
20.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	72.85	14.06
21.	लेदर, लेदर गुड्स एंड पिकर्स	54.67	10.55
22.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	51.43	9.93
23..	(विद्युत जनरेटर के अलावा) प्राइम मूवर्स	46.55	8.98

1	2	3	4
24.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	40.96	7.91
25..	खनन	37.04	7.15
26.	गणितीय, माप एवं रेखाचित्र उपकरण	34.74	6.71
27.	परामर्शी सेवाएं	33.39	6.44
28.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	30.18	5.83
29.	कांच	30.00	5.79
30.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	14.88	2.87
31.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	11.81	2.28
32.	साबुन, कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	8.61	1.66
33.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	6.87	1.33
34.	इलेक्ट्रोनिक्स	6.52	1.26
35.	हीरे, सोने के आभूषण	5.83	1.13
36.	दूरसंचार	1.06	0.20
37.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	1.00	0.19
38.	समुद्री परिवहन	0.75	0.15
39.	सिरेमिक	0.50	0.10
40.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	0.43	0.08
41.	अर्थ मूविंग मशीनरी	0.40	0.08
	कुल योग	9,619.62	1,856.63

मई, 2012 माह में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्वाह की राशि	
		(करोड़ रुपये में)	(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1	2	3	4
1.	सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आऊटसोर्सिंग, आरएंडडी, कोरियर, तकनीक, परीक्षण तथा विश्लेषण, अन्य)	1,661.24	304.96
2.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	641.67	117.79
3.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, इंटीग्रेटेड, टाउनशिप तथा वाणिज्य कॉम्पलेक्स, आदि	419.87	77.08

1	2	3	4
4.	आटोमोबाइल उद्योग	402.08	73.81
5.	धातुकर्मी उद्योग	391.57	71.88
6.	वैज्ञानिक उपकरण	349.90	64.23
7.	निर्माण कार्यकलाप	331.30	60.82
8.	विविध उद्योग	292.40	53.68
9.	(विद्युत जनरेटर के अलावा) प्राइम मूवर्स	229.59	42.15
10.	औषध एवं भेषज	229.45	42.12
11.	व्यापार	211.89	38.90
12.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	207.92	38.17
13.	होटल तथा पर्यटन	186.93	34.32
14.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	175.74	32.26
15.	विद्युत	172.80	31.72
16.	शिक्षा	170.09	31.22
17.	कांच	165.24	30.33
18.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	150.81	27.68
19.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	121.89	22.38
20.	कृषि सेवाएं	93.18	17.11
21.	फर्मेटेशन उद्योग	90.60	16.63
22.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	86.20	15.82
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	61.36	11.26
24.	इलेक्ट्रिक उपकरण	59.39	10.90
25.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	57.20	10.50
26	मशीन औजार	41.86	7.69
27.	औद्योगिक मशीनरी	37.09	6.81
28.	मरामर्शी सेवाएं	36.87	6.77
29.	दूरसंचार	31.52	5.79
30.	इलैक्ट्रोनिक्स	24.46	4.49
31.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	20.33	3.73

1	2	3	4
32.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	18.95	3.48
33	लेदर, लेदर गुड्स एंड पिकर्स	12.71	2.33
34.	खनन	10.12	1.86
35.	रबड़ की वस्तुएं	8.71	1.60
36.	चिकित्सा एवं सर्जरी उपकरण	6.62	1.21
37.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	5.04	0.93
38.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	3.22	0.59
39.	औद्योगिक उपकरण	3.19	0.58
40.	रक्षा उद्योग	2.21	0.41
41.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	1.46	0.27
42.	कागज एवं लुग्दी (कागज उत्पादों सहित)	1.18	0.22
43.	हीरे, सोने के आभूषण	0.65	0.12
44.	समुद्री परिवहन	0.59	0.11
45.	साबुन, कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	0.56	0.10
46	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	0.50	0.09
47.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गेस	0.21	0.04
48.	काष्ठ उत्पाद	0.18	0.03
	कुल योग	7,228.53	1,326.98

विदेशी एयरलाइनों के परिचालन की अनुमति

614. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विदेशी एयरलाइनें, जिन्होंने चंडीगढ़ से अपने उड़ान परिचालन के लिए समय हेतु आवेदन किया है, रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारणों और एयरलाइनों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके अनुरोध पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बालक श्रम संरक्षण अधिनियम

615. श्री उदय सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू और आतिथ्य क्षेत्रों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में लगाने से रोकने के लिए वर्ष 2006 में अधिनियमित बाल मजदूर संरक्षण और विनियमन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू क्षेत्र में बाल श्रम अब भी मौजूद है और इस पर प्रतिबंध केवल कागजी प्रतीत होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अधिनियम को अक्षरशः लागू नहीं किए जाने के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संबंध में क्या सुधार के कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1988 में अधिनियमित किया गया था जो 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है तथा बच्चों के लिए कार्य करने से निषिद्ध न किए गए नियोजनों में उनकी कार्य-दशाओं का विनियमित करता है। 10.10.2006 से बच्चों के घरेलू नौकर के रूप में तथा ढाबों, रेस्तरां, चाय स्टालों इत्यादि में नियोजन को निषिद्ध किया गया है। 2007 से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत 13,60,117 निरीक्षण किए गए हैं तथा 49092 अभियोजन चलाये गये और 4774 नियोक्ताओं पर दोष सिद्ध किया गया जिसमें घरेलू बाल श्रम संबंधी प्रवर्तन आंकड़े भी शामिल हैं। बाल श्रम 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में शामिल गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन तथा निरक्षता जैसी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। इस नीति के अंतर्गत कार्य योजना बहुआयामी है तथा मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं:

* विधायी कार्य योजना
* बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभ हेतु सामान्य विकास कार्यक्रमों पर फोकस; और
* बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई।

इस नीति के अनुसरण में कार्य से बचाये गये/हटाये गये बच्चों के पुनर्वास हेत सरकार देश के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्य से बचाये गये/हटाये गये बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाये जाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि उपलब्ध कराये जाते हैं।

डीआरडीओ परियोजनाओं में समय और लागत अधिक लगना

616. श्री जोस के. मणि: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधन और विकास संगठन (डीआरडीओ) की कई परियोजनाओं में समय अधिक लग रहा है और इनकी लागतों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीआरडीओ द्वारा विकसित कुछ तकनीकें हमारी सशस्त्र सेनाओं के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डीआरडीओ की स्थापना जिसे रक्षा उत्पादों के देशीकरण के लिए किया गया था, के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत अपने रक्षा उपकरण जरूरतों के 70% हिस्से का आयात करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा मंजूर की गई चालू परियोजनाएं निम्नानुसार हैं जिनके पूर्ण होनें की संभावित तारीखें (पीडीसी) बढ़ा दी गई हैं तथा लागतों में वृद्धि कर दी गई है:–

* हल्के युद्धक विमान (एलसीए) चरण-II
* एलसीए का नौसेना रूपांतरण चरण-I
* एयरबोर्न पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (एईडब्ल्यूएंडसी)
* एयरो इंजन कावेरी

इन परियोजनाओं की पूर्ण होने की संभावित तारीखों तथा लागत को विभिन्न कारणों की वजह से संशोधित किया गया है जैसे विषय-क्षेत्र में बदलाव, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का नए सिरे से विकास, तकनीकी/प्रौद्योगिकीय जटिलताएं, परीक्षण सुविधाओं का निर्माण, मुख्य संघटकों/उपस्करों/सामग्रियों की गैर-उपलब्धता और तकनीकी रूप से उन्नत देशों द्वारा प्रौद्योगिकी देने से मना करना, व्यापक परीक्षण, सामग्री ओर जनशक्ति की लागत में वृद्धि, इत्यादि।

(ग) डीआरडीओ ने काफी संख्या में प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिसमें मिसाइल; मानव-रहित एरियल वाहन; रडार; इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम; सोनार; टारपीडो; युद्धक वाहन; ब्रिजिंग सिस्टम; युद्धक विमान; सेंसर; एन.बी.सी. प्रौद्योगिकी; पैराशूट; प्रोपेलेंट्स तथा विस्फोटक; डेटोनेटर; संचार प्रणाली; इत्यादि शामिल हैं। डीआरडीओ द्वारा काफी संख्या में विकसित प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों का उत्पादन शुरू हो चुका है और सशस्त्र सेनाओं में इन्हें शामिल किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना रक्षा मंत्रालय, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आयुध निर्माणी, निजी उद्यम और डीआरडीओ का एक संयुक्त प्रयास है। रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण के सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

* शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य वैज्ञानिक निकायों के साथ रक्षाअनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत अनुसंधान एवं विकास की पहल करने के लिए उच्च स्तर का दृष्टिकोण अपनाना।
* घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से भविष्य के अनुसंधान एवं विकास का निर्माण।
* डीआरडीओ द्वारा "बनाओ" तथा उद्योग द्वारा "बनाओ" के माध्यम से स्वदेशी रूप से प्रणालियों के पूर्वानुमान एवं विकास के लिए तीनों सेवाओं के साथ समन्वित रूप से कार्य करना।

आईएनओ को इस्पात की आपूर्ति

617. **श्री एम. आनंदन:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का प्रस्ताव भारत में अवस्थित न्यूट्रीनों ओबजरवेट्री (आईएनओ) के लिए सीईआरएन जैसे भूमिगत डिटेक्टर के निर्माण के लिए 50,000 टन विशेष इस्पात की आपूर्ति करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईएनओ में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में सीईआरएन में कॉम्पेक्ट मून सोलेनोआइड (सीएमएस) में स्थित 12,500 टन चुम्बक से लगभग चार गुना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा चुम्बक स्थापित होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेल द्वारा इस परियोजना के लिए विशेष इस्पात की कब तक आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। भाभा परणमु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) के अनुरोध पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का भारत में अवस्थित न्यूट्रीनो ओबरजवेट्री (आईएनओ) परियोजना के लिए 50,000 टन सॉफ्ट आयरन प्लेट की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, सेल और बीएआरसी द्वारा संयुक्त रूप से निश्चित बनावट और प्रक्रिया पैरामीटरों के अनुसार, भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएआरसी द्वारा संयुक्त रूप से निश्चित बनावट और प्रक्रिया पैरामीटरों के अनुसार, भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में सॉफ्ट आयरन प्लेटों के उत्पादन का परीक्षण किया गया था। ये प्लेटें स्वीकार्य पाई गई हैं।

(ग) और (घ) भारत अवस्थित न्यूट्रीनो ओबजरवेट्री (आईएनओ) चुम्बक जब निर्मित हो जाएगा तब वह 50,000 टन का होगा। भारत अवस्थित न्यूट्रीनो ओबररवेट्री (आईएनओ) डिटेक्टर चुम्बकित आयरन प्लेटों की 150 परतों का स्टेक होगा। प्रत्येक प्लेट 4 मी. X 2 मी. आकार की होगी और उसकी मोटाई 5.6 सें.मी. होगी। आईएनओ डिटेक्टर को पूरा करने के लिए ऐसी कुल 15000 प्लेटों की आवश्यकता होगी।

(ङ) जब बीएआरसी द्वारा निश्चित रूप से आदेश दिया जाएगा तब सेल ओर बीएआरसी द्वारा संयुक्त रूप से समय-अनुसूची तय की जाएगी।

'वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि'

618. **श्री एम.बी. राजेश:**
श्री ए. सम्पत:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में, राज्य-वार और राष्ट्रीय औसत-वार वन आच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या वर्ष 2000 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आच्छादित क्षेत्र में कोई वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान देश के समग्र जीडीपी में इस क्षेत्र के वनीय क्षेत्र का योगदान कितना है;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनों और वन्यजीव के संरक्षण के लिए बजटीय आबंटन और व्यय कितना है; और

(च) उक्त व्यय के लिए मानकों और मानदंडों सहित उक्त आवंटन का उद्देश्य क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पूर्वोत्तर राज्यों में कुल वनावरण 173.219 वर्ग किमी. है, जो कि 21.05% के राष्ट्रीय वनावरण की तुलना में इसके भौगोलिक क्षेत्र का 66.07% है। पूर्वोत्तर राज्यों में वनावरण के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। वन स्थिति रिपोट 2001 तथा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के वनावरण में 3,853 वर्ग किमी. की समग्र वृद्धि हुई है। वनावरण की स्थिति में बदलाव के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) देश की जीडीपी में वानिकी क्षेत्र का योगदान लगभग 1% है जबकि वन संसाधनों पर अधिक निर्भर होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों कती जीडीपी में वानिकी क्षेत्र का योगदान बहुत ही अधिक, 10-15% तक है।

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वनों और वन्यजीव की सुरक्षा और संरक्षण हेतु बजटीय आबंटन और व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) उक्त आबंटन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में वन और वन्यजीव की सुरक्षा और संरक्षण करना था। व्यय के लिए मानदण्ड उस स्कीम के लिए स्थापित विशिष्ट मानकों के अनुसार थे जिसमें से आबंटन सीएसएस और योजना स्कीम के तहत किए जाते हैं।

विवरण I

पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार वनावरण

क्षेत्र वर्ग किमी. में

राज्य	भौगोलिक क्षेत्र	वनावरण 2011	भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता (%)
अरूणाचल प्रदेश	83,743	67,410	80.50
असम	78,438	27,673	35.28
मणिपुर	22,327	17,090	76.54
मेघालय	22,429	17,275	77.02
मिजोरम	21,081	19,117	90.68
नागालैंड	16,579	13,318	80.33
सिक्किम	7,096	3,359	47.34
त्रिपुरा	10,486	7,977	76.04
कुल योग	262,179	173,219	66.07

स्रोत: भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2011

विवरण II

पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार वनावरण

क्षेत्र वर्ग किमी. में

राज्य	भौगोलिक क्षेत्र	वनावरण 2001 आकलन	वनावरण 2011 आकलन	2001 और 2011 के बीच वनावरण में बदलाव
1	2	3	4	5
अरूणाचल प्रदेश	83,743	68,045	67,410	-635
असम	78,438	27,714	27,673	-41

1	2	3	4	5
मणिपुर	22,327	16,926	17,090	164
मेघालय	22,429	15,584	17,275	1,691
मिजोरम	21,081	17,494	19,117	1,623
नागालैंड	16,579	13,345	13,318	-27
सिक्किम	7,096	3,193	3,359	166
त्रिपुरा	10,486	7,065	7,977	912
कुल योग	262,179	169,366	173,219	3,853

स्रोत: वन स्थिति रिपोर्ट 2001 और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2011

विवरण III

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनों और वन्यजीवन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बजटीय आबंटन और व्यय

(लाख रुपये में)

वर्ष	सीएसएस तथा योजना स्कीमों में बजटीय आबंटन	किया गया व्यय
2007-2008	3318.27	3077.87
2008-2009	6198.31	5323.632
2009-2010	6700.68	5401.851
2010-2011	7265.59	6968.119
2011-2012	6626.10	6438.464 (अनंतिम)

बाल दुर्व्यापार

619. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार घरेलू नौकरों के लिए पंजीकृत और गैर-पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अल्प राशि देकर खरीदे गये तुलनात्मक रूप से गरीब राज्यों यथा झारखंड, ओडिशा, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से लाए जा रहे बच्चों के मामलों को सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बचाए गए ऐसे बाल घरेलू नौकरों की राज्य-वार व वर्ष-वार संख्या कितनी है जिन्हें बलात् काम कराया जा रहा था; और

(घ) ऐसे संकट को रोकने के लिए ऐसी एजेंसियों के विनियमन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) घरेलू कार्य राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है। घरेलू सहायता के लिए पंजीकृत एवं अपंजीकृत एजेंसियों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) नागरिक रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अक्तूबर, 2006 से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अनुसार घरेलू सहायता के लिए बच्चों के नियोजन को निषिद्ध किया गया है। संबंधित राज्य सरकारें अव्यस्कों/बच्चों के शोषण के मामले का पता लगाने पर आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

विवरण

बचाये गये/हटाये गये बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	असम	शून्य	3685	274	227
2.	आंध्र प्रदेश	10779	13689	1858	13202
3.	बिहार	1126	7998	8552	19673
4.	छत्तीसगढ़	1674	1063	5164	4914
5.	गुजरात	485	1437	2129	609
6.	गोवा	-	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	1164	1354	1293	1895
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	43	184
9.	झारखण्ड	4785	1816	1015	2216
10.	कर्नाटक	4549	3217	135	3761
11.	महाराष्ट्र	3495	5150	5113	4532
12.	मध्य प्रदेश	9582	9692	13344	17589
13.	ओडिशा	10283	10585	14416	13196
14.	पंजाब	428	1023	123	168
15.	राजस्थान	11630	12326	4415	1020
16.	तमिलनाडु	7950	6321	6325	5127
17.	उत्तर प्रदेश	26390	40297	28243	29947
18.	पश्चिम बंगाल	3127	13187	2215	7456
19.	दिल्ली*	356	426	632	605
20.	केरल	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	लक्षद्वीप	शून्य	छ।	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	मिजोरम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	97803	133266	95289	126321

*दिल्ली के आंकड़े क्रमशः कलैंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसम्बर) 2008, 2009, 2010 एवं 2011 के हैं।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकाल

620. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलवायु परिवर्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता तथा क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या समृद्ध देश कार्बन उत्सर्जन में कमी करने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जलवायु संबंधी वार्ता के आलोक में नई परिस्थितियों और उभरती चुनौतियों के मद्देनजर सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) दिसम्बर, 2011 में डरबन में आयोजित पक्षकारो ' के सत्रहवें सम्मेलन (सीओपी-17) में पक्षकार पांच या आठ वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2013 से शुरू होने वाले क्योटो नयाचार की द्वितीय वचनबद्धता अवधि कार्यान्वित करने पर सहमत हुए। वचनबद्धता अवधि की सीमा संबंधी निर्णय, दोहा, कतर में नवम्बर-दिसम्बर, 2012 में होने वाले अगले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लिया जाएगा। डरबन में एक नयाचार, अन्य कानूनी दस्तावेज या कन्वेंशन के तहत कानूनी बल से एक सहमत निष्कर्ष जोकि सभी पक्षकारों पर लागू हो, को विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। वर्ष 2015 तक समाप्त की जाने वाली इस प्रक्रिया में 2020 के पश्चात की अवधि में अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी व्यवस्था करना शामिल है।

(ख) और (ग) डरबन में, कन्वेंशन के तहत वित्तीय कार्यतंत्र को परिचालन एनटीटी के रूप में हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए थे। इस निधि का उद्देश्य विकासशील देशों में उपशमन और अनुकूलन कार्यों में सहायता करने के लिए वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना और उन्हें प्रदान करना है। निधि का एक अंतरिम सचिवालय तथा एक बोर्ड गठित किया गया है। दीर्घावधि वित्त के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक उच्च-स्तरीय पैनल भी गठित किया गया है। डरबन में विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए 30 बिलियन अमेरिकी डालर का फास्ट-स्टार्ट वित्त प्रदान करने के आश्वासन को पूरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की। एनएपीसीसी की रूपरेखा जलवायु परिवर्तन के अनुसार सह-लाभ से सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। एनएपीसीसी में राष्ट्रीय संवद्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारि-प्रणाली मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन तथा राष्ट्रीय कार्यनीतिक ज्ञान मिशन नामक आठ मिशन शामिल हैं, जोकि जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित विस्तृत योजनाओं के आधार पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया है। जलवायु परिवर्तन 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी एक मुख्य मुद्दा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-75 और राष्ट्रीय राजमार्ग-100

621. श्री इन्दर सिंह नामधरी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में रा.रा.-75 और रा.रा.-100 सहित देश में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घटिया निगरानी के कारण सड़कों की गुणवत्ता अत्यंत घटिया स्तर की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई तंत्र विकसित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। झारखंड राज्य में रारा-75 और रारा-100 सहित देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उनकी अवस्था के आकलन और कार्य की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों की सीमा में यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

'वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निधियां जारी करना'

622. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निधियां जारी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं के लिए अभी तक कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) निधियां जारी किए जाने हेतु कितने प्रस्ताव अभी लंबित है तथा उनके लंबित रहने के क्या कारण है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों के कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी करने के संबंध में कोई उपबंध नहीं है।

(ख) से (घ) भाग (क) के उपर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

राजमार्ग परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु ईजीओएम

623. प्रो. रामशंकर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों की अत्यंत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह (ईजीओएम) गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजमार्ग परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषण के लिए कोई मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजनाओं का निष्पादन किए जाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कार्य योजना में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों सहित आगे की कार्रवाई के लिए वर्ष 2010-11 से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना हेतु वित्तीय योजना पर विचार किए जाने के लिए माह अक्तूबर, 2009 में अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह (ईजीओएम) गठित किया था। अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) में वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पर्यावरण और वन राज्य मंत्री शामिल थे। अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) ने वर्ष 2011-12 तक के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वर्ष-दर वर्ष आधार पर कार्य-योजना को अनुमोदित किया था। चालू वित्तीय वर्ष के लिए एनएचडीपी कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए संसाधनों का पर्याप्त प्रावधान उपकर, पथकर राजस्व और बाजार उधार/बांड से किया गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग

624. श्री जगदानंद सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी के इलाहाबाद-पटना-हल्दिया खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 घोषित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंगा नदी में गर्मी के मौसम में पर्याप्त जल प्रवाह और दबाव बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि इसे नौवहन हेतु उपयुक्त और नौगम्य बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जलमार्ग के इस भाग को बड़े जलयानों के लिए नौवहन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए भविष्य की क्या योजनाएं है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में 1620 कि.मी. लंबी इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज. 1) घोषित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह जलमार्ग एक जलोढ़ नदी है जिसमें मानसून तथा ग्रीष्म ऋतु के महीनों के दौरान इसके पथ के बटने और घुमावदार

तथा भारी तलछटीय दबाव के साथ-साथ जल प्रवाह में आने वाली बड़ी भिन्नताओं जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। इसलिए, हालांकि मानूसन के महीनों के दौरान जलमार्ग की पूरी लंबाई में यांत्रिकृत नौचालन के लिए पर्याप्त गहराई रहती है, ग्रीष्म ऋतु के महीनों में कहराई कुछ स्थानों में, खासतौर पर ऊपरी सिरों पर, काफी कम हो जाती है। पूरे वर्ष जलमार्ग को नौचालन योग्य बनाए रखने के लिए जलमार्ग के विभिन्न खंडों में इसकी जलीय/रूपात्मक विशेषताओं के अनुसार इष्टतम गहराई बनाए रखना आवश्यक है।

(ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विभिन्न खंडों में लक्षित गहराई का विकास करने और उसे बनाए रखने के प्रयोजन से प्रत्येक वर्ष नदी संरक्षण उपाय करता है। इनमें शामिल हैं अंतर्देशीय जलयानों द्वारा नौचालन को सुकर बनाए जाने के लिए बंहालों का निर्माण और/अथवा उथले क्षेत्रों में ड्रैजिंग, नियमित रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, दिन और रात के समय नौचालन के लिए नौचालनात्मक सहायता उपस्कर आदि। इसके अलावा, भा.अ.ज.प्रा. ने जलयानों को घाट पर लगाए जाने तथा उनकी लदाई/उतराई को सुकर बनाए जाने के लिए कई स्थानों पर स्थिर एवं प्लवमान टर्मिनलों की स्थापना भी की है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर मंदी का प्रभाव

625. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर (एसईजैड) हालिया विश्वव्यापी मंदी के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन/मूल्यांकन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी से देश के विशेष रूप से एसईजैडों से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एसईजैड हेतु नियत लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा वर्तमान आर्थिक माहौल में एसईजैडों की व्यवहार्यता की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) यद्यपि विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) पर हाल की वैश्विक मंदी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किए गए है; तथापि विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) से निर्यातों में वृद्धि की वार्षिक दर वर्ष 2009-10 में 121% से घटकर वर्ष 2011-12 में 15.39% रह गई है। तथापि वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में एसईजेडों से कुल निर्यात लगभग 1,18,321.56 करोड़ रुपये के रहे है जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समनुरूपी अवधि के निर्यातों की तुलना में 64% की वृद्धि दर्ज की गई है। गत पांच वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में एसईजेडों से निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार रहे हैं:

क्रसं.	वित्तीय वर्ष	कुल एसईजेड निर्यात (मूल्य करोड़ रुपये में	% वृद्धि
1.	2007-08	66,638	93%
2.	2008-09	99,689	50%
3.	2009-10	2,20,712	121%
4.	2010-11	3,15,867.85	43.11%
5.	2011-12	3,64,477.73	15.39%
6.	2012-13 (अप्रैल-जून, 2012)	1,18,321.56	64%

(ङ) और (च) विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) हेतु कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, एसईजेडों में इकाइयां सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अर्जन प्राप्त करने के दायित्व के अध्यधीन होती है जिसे उत्पादन शुरू होने से 5 वर्षों की अवधि के लिए संचयी तौर पर परिकलित किया जाना होता है।

(छ) सरकारी नीति और प्रक्रिया की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं सुधार सार्वजनिक नीति का अभिन्न अंग है।

[अनुवाद]

हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग पर पथकर

626. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग पर भारी मात्रा में पथकर वसूले जाने के समाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) इस समय भारी मात्रा मे पथकर संग्रहण की कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हैं। वर्तमान में प्रश्नाधीन खंड पर, शुल्क अधिसूचना के अनुसार किमी 231.000 पर पथकर प्लाजा पर एक रियायतग्राही शुल्क संग्रहीत किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-28

627. डॉ. संजय जायसवालः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-28 के रक्सौल से भारत-नेपाल सीमा तक जाने वाले 5 कि.मी. लम्बे खंड को 2 लेन का बनाने संबंधी कार्य रोक दिया गया है और राजमार्ग के इस 5 कि.मी. खंड के लिए एक अन्य मार्ग चुन लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सीमा तक उक्त राजमार्ग को रक्सौल कस्बे से गुजरना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) बिहार राज्य में दो लेन लिंक सड़क से आईसीपी रक्सौल (7.33 किमी लंबाई) सहित रारा-28ए के पिपराकोठी-रक्सौल खंड को दो लेन बनाने (किमी 0.600 से किमी 62.064) का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (बीओटी) पथकर आधार पर शुरू किया गया है।

यातायात आवश्यकताओं, ज्यामितीय सुधार, न्यूनतम भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनर्निर्धारण परियोजना और लागत को ध्यान में रखते हुए आईसीपी रक्सौल से रारा-28ए को जोड़ने वाले संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है। तदनुसार, परियोजना में आईसीपी रक्सौल से जुड़ने वाली एक नई लिंक रोड शामिल कर दी गई है जो रक्सौल के भीड़भाड़ वाले नगर क्षेत्र से परे होगी।

[अनुवाद]

मसालों का उत्पादन

628. श्री एस. आर. जेयदुरईः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो में तथा चालू वर्ष में देश में नारियल, हल्दी, काली मिर्च, काजू और अन्य मसालों वर्ष-वार, जिंस-वार उत्पादन, इनकी खपत और निर्यात/आयात का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में इन जिंसों की गुणवत्ता, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इनके मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का मसालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टूटिकोरिन में एक प्रयोगशाला खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोगशाला कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार ने इन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इनके व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) नारियल, हल्दी, काली मिर्च काजू तथा अन्य प्रमुख मसालों के उत्पादन खपत एवं निर्यात/आयात का योग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मसालों सहित बागवानी उत्पादों की कीमतों को स्थिर बनाने का सबसे प्रभावी उपाय देश में अच्छी फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना करना है जिसके लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएन) तथा पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के तहत सहायता उपलब्ध कराती है। इनमें उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर बागवानी उत्पाद की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए शीतागारों की स्थापना, टर्मीनल बाजारों, थोक बाजारों तथा ग्रामीण प्राथमिक बाजारों/अपनी मंडियों की स्थापना शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी" स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

निर्यात हेतु गुणवत्ता युक्त मसालें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु मसाला बोर्ड मसालों के फसलोत्तर सुधार एवं जैविक खेती के लिए अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इलायची के मामले में मसाला बोर्ड नीलामी कर्ता एवं डीलर लाइसेंस जारी करता है और घरेलू बाजार को विनियमित करने के लिए ई-नीलामी को सुकर बनाता है।

नारियल विकास बोर्ड भी नारियल से गुणवत्ता युक्त प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के उत्पादन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। उपजकर्त्ताओं को कीमतों अत्यधिक गिरावट के दौरान सहायता प्रदान करने और कीमतों में आगे और गिरावट को रोकने के लिए प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नैफेड के तत्वाधान में कीमत समर्थन स्कीम के तहत अधिप्राप्ति की जाती है।

(ग) और (घ) टूटिकोरिन में मसाला बोर्ड के गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है। उपकरणों की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है और प्रयोगशाला का प्रचालन सितम्बर 2012 से शुरू होने की संभावना है।

(ङ) भारत से निर्यातित मसालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा अवैध रंजक सूडान I-IV तथा एफ्लाटॉक्सिन हेतु हल्दी, मिर्च, अदरक जायफल तथा शुगर-कोटेड सौंफ के मामले में अनिवार्य लदान-पूर्व सैंपलिंग एवं जांच शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त मसाला बोर्ड दिनांक 01.09.2012 से कीटनाशकों अर्थात इथियोन, आइप्रोबेनफॉस, ट्रायाजोफॉस तथा निर्यात परेषणों की अनिवार्य सैंपलिंग तथा जांच भी शुरू करने वाला है। मसाला बोर्ड से स्वीकृत विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही देश से इन मसालों के नौवहन की अनुमति दी जाती है। बोर्ड ने कोच्ची, मुम्बई, चेन्नई तथा गुंटूर में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। नई दिल्ली एवं टूटिकोरिन में नई प्रयोगशालाओं का प्रचालन शुरू किया जाना है। इसी प्रकार, सीईपीसी ने काजू की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयोगशाला तथा तकनीकी प्रभाग की स्थापना की है।

जहां तक नारियल का संबंध है, नारियल के विभिन्न उत्पादों हेतु बीआईएस/एगमार्क के तहत गुणवत्ता प्रमाणन तथा टीएमओसी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों हेतु उत्पाद एवं विनिर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों को आईएसओ प्रमाणन प्रदान करने के अतिरिक्त बोर्ड नारियल प्रसंस्करण कार्य करने वाली इकाइयों को बाजार संवर्धन सहायता उपलब्ध कराता है।

विवरण

मद	वर्ष	उत्पादन हजार मी.टन में	निर्यात मात्रा (टन)	निर्यात मूल्य (करोड़ रुपये)	आयात मात्रा (टन)	आयात मूल्य (करोड़ रुपये)	अनुमानित घरेलू खपत (टन)
नारियल	2009-10	10824	98071.08	219.76	84510.27	107.17	परिपक्व गिरिया: 50% जिसमें से 92% घरेलू खपत (7236 मिलियन गिरियां) और 8% औद्योगिक खपत (629 मिलियन गिरियां)
	2010-11	10840	87947.93	270.15	36583.12	36.38	
	2011-12	14006 (अनंतिम)	57599.5 अक्तूबर तक	255.45 अक्तूबर तक	23567.37 अक्तूबर तक	42.21 अक्तूबर तक	
हल्दी	2009-10	793	50,750	381.23	4450	20.87	705290
	2010-11	993	49,250	702.85	3900	42.20	758072
	2011-12	1062	79,500	734.34	2325	30.60	लागू नहीं
काली मिर्च	2009-10	51	19,750	313.93	18100	234.66	44000
	2010-11	52	18,850	383.18	16100	270.11	44000
	2011-12	42	26,700	720.78	17565	533.49	40000
काजू	2009-10	613	129218	2829.22	755959	3047.50	लागू नहीं
	2010-11	675	117806	2853.16	529370	2649.56	लागू नहीं
	2011-12	720	145335	4450.14	809371	5337.76	लागू नहीं
अन्य मसाले	2009-10	3172	432250	4865.34	84150	844.93	देश में मसाला उत्पादन के लगभग 90 प्रतिशत की खपत होती है।
	2010-11	4305	457650	5754.68	66775	863.20	
	2011-12	4622	469070	8328.30	91246	1530.39	

नशा मुक्ति हेतु योजनाएं

629. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में नशा मुक्ति हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जा रही योजनाओं सहित कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं के नाम क्या है;

(ख) क्या नशा-मुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना और उन्हें चलाने के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र तथा असम सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नशा-मुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना तथा उनके प्रचालन हेतु चालू वर्ष में राज्य-वार सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित है और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "मद्यपान तथा नशीले (ड्रग) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए तथा समाज रक्षा सेवाओं के लिए सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना" को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि को व्यसनियों के पुनर्वास हेतु संयुक्त/समेकित सेवाएं प्रदान करने हेतु समेकित व्यसनी पुनर्वास केन्द्रो के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान पात्र संगठनों के लिए निर्मुक्त राज्य-वार सहायता अनुदान दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (ङ) दिनांक 6.08.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य से नशामुक्ति-सह-पुनर्वास केन्द्रों के रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र तथा असम सहित किसी अन्य राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (ड्रग) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18	156.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	9.95
3.	असम	16	128.86
4.	बिहार	12	150.11
5.	छत्तीसगढ़	2	35.61
6.	दिल्ली	11	140.03
7.	गोवा	1	10.46
8.	गुजरात	3	55.46
9.	हरियाणा	11	92.26
10.	हिमाचल प्रदेश	3	37.37
11.	जम्मू और कश्मीर	1	20.00
12.	झारखंड	2	4.91
13.	कर्नाटक	29	270.28
14.	केरल	21	164.10
15.	मध्य प्रदेश	15	143.73
16.	मणिपुर	21	250.45
17.	महाराष्ट्र	40	401.09
18.	मेघालय	2	20.06
19.	मिजोरम	10	145.80
20.	नागालैंड	6	74.99
21.	ओडिशा	27	260.55
22.	पंजाब	14	151.04

1	2	3	4
23.	राजस्थान	12	103.80
24.	सिक्किम	1	14.93
25.	तमिलनाडु	27	234.70
26.	उत्तर प्रदेश	26	264.77
27.	उत्तराखंड	3	30.16
28.	पश्चिम बंगाल	11	161.76
	कुल	348	3533.45

नरीमन प्वाइंट पर हेलीपैड

630. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सुरक्षा कारणों का ब्यौरा क्या है जिनके चलते केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के नरीमन प्वाइंट, मुम्बई में हेलीपैड बनाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की है;

(ख) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) दक्षिणी मुंबई में संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों और इससे संबंधित सुरक्षा संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए, नरीमन प्वाइंट में हेलीपैड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

सैनिकों के लिए वस्त्र तथा उपकरण

631. श्री भूदेव चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए पर्याप्त मात्र में वस्त्र तथा उपकरणों की आपूर्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या व्यवस्थाएं की हैं; और

(ग) सैनिकों के समाने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भविष्य में सामग्री के स्टोरहाउस स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की उनके प्राधिकार के अनुसार वस्त्र और अन्य उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से सभी फार्मेशनों में सामग्री के लिए स्टोर हाउस पहले ही मौजूद हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजनाएं

632. श्री पकौड़ी लाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भवन निर्माण में लगे कामगारों, थोक विक्रेताओं, घरेलू नौकरों, बीड़ी कामगारों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले कामगारों के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या उक्त योजनाएं उपयुक्त रूप से लागू नहीं की जा रहीं;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इनके लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में कितनी राशि जारी की गई और उक्त राशि किन सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यय की गई?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में परिवार फ्लोटर आधार पर बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई वाले) को प्रतिवर्ष 30,000/- रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 01 अक्तूबर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की है। यह योजना 01.04.2008 से लागू हुई।

आरएसबीवाई को अब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों {भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत}, फेरी वलों, बीड़ी कामगारो, घरेलू कामगारों तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 15 से अधिक दिन कार्य कर चुके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) लाभग्राहियों को विस्तारित कर दिया गया है।

31.07.2012 की स्थिति के अनुसार आरएसबीवाई के अंतर्गत 3.21 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आरएसबीवाई के अंतर्गत प्रीमियम केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है तथा जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के मामले में, प्रीमियम 90:10 के अनुपात में वहन की जाती है। तथापि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के मामले में 100 प्रतिशत प्रीमियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत गठित कल्याण बोर्डों द्वारा अदा की जाती है। राज्य नोडल एजेंसियों को प्रीमियम आगे भुगतान करने हेतु बीमा कंपनियों को जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के संबंध में जारी की गई प्रीमियम का राज्यवार विवरण दर्शाने वाला केन्द्रीय अंश संलग्न विवरण-I में है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में बीड़ी कामगारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन और आवास प्रदान करने के लिए बीड़ी कामगार कल्याण निधि भी गठित की है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के संबंध में कल्याण आयुक्तों को बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत जारी निधि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

31.07.2012 तक आरएसबीवाई के अंतर्गत जारी प्रीमियम

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	8.77	34.31	112.02	23.93
2.	पंजाब	5.94	5.88	4.87	3.38
3.	तमिलनाडु	2.69	0.00	0.00	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	1.64	6.81	5.58	0.70
5.	हरियाणा	27.10	18.10	27.30	7.03
6.	बिहार	31.98	55.86	150.19	76.22
7.	केरल	18.34	52.69	65.93	0.00
8.	पश्चिम बंगाल	20.08	50.63	164.28	54.93
9.	महाराष्ट्र	37.18	33.93	59.69	13.81
10.	उत्तराखंड	2.43	3.67	6.92	6.07
11.	उत्तर प्रदेश	69.10	162.34	191.70	0.65
12.	झारखंड	8.91	11.49	23.66	31.94
13.	चंडीगढ़	0.20	0.20	0.00	0.00
14.	दिल्ली	1.47	7.46	3.90	0.00
15.	छत्तीसगढ़	16.06	22.52	69.28	16.65
16.	असम	0.76	7.43	12.82	0.00

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	2.40	2.30	3.86	0.00
18.	त्रिपुरा	6.68	6.80	6.36	7.58
19.	मेघालय	0.77	1.24	4.43	0.00
20.	गोवा	0.00	0.15	0.00	0.00
21.	कर्नाटक	0.00	4.92	0.96	16.15
22.	ओडिशा	0.00	20.44	3.64	10.78
23.	मिजोरम	0.00	0.00	3.52	1.10
24.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.53
25.	मणिपुर	0.00	0.00	2.06	0.00
		262.50	509.17	922.97	271.45
	कुल	262.51	509.17	922.97	271.45

विवरण II

बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गयी धनराशि

(रुपये लाख में)

योजना का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रशासन	730.12	979.09	833.19	869.06
स्वास्थ्य	6854.60	7558.44	6971.59	7092.81
शिक्षा	9551.30	13523.76	8188.51	8573.95
मनोरंजन	21.98	25.88	24.88	25.13
आवास	6100.00	7205.83	5248.83	5249.05
कुल	23258.00	29293.00	21267.00	21810.00

[अनुवाद]

नौसेना में सी हैरियर विमान

633. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना के अधिकांश सी हैरियर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं अथवा बेकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामग्री संबंधी त्रुटि के कारण इस विमान की दुर्घटना दर अधिक रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मिग-29 के विमान आईएनएस विराट से नहीं उड़ाया जा सकता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नौसेना की हवाई लड़ाकू क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) वर्ष 1983 से 15 सी हैरियर लड़ाकू विमान और 3 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाओं में नष्ट हो चुके हैं। इनमें से केवल 3 विमान दुर्घटनाएं सामग्री संबंधी त्रुटि के कारण हुई हैं।

(घ) मिग-29के विमान को भारतीय नौसेना पोत विराट से नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि इसमें शॉर्ट टेक ऑफ बट अरैस्टिड रिकवरी (स्टोबार) तकनीक प्रयुक्त होती है जबकि भारतीय नौसेना पोत विराट एक शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग (एसटीओवीएल) सुविधायुक्त वाहक है।

(ङ) नौसेना की हवाई समाघात क्षमता को मौजूदा नौसेना परिसम्पत्तियों के उन्नयन और अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के अर्जन के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

गोपनीय सूचना की हैकिंग

634. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री उदय सिंह:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री कामेश्वर बैठा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि चीनी हैकरों ने पूर्वी नौसैनिक कमान के मुख्यालय विशाखापत्तनम में तथा इसके आस-पास संवेदनशील नौसैनिक कम्प्यूटर प्रणाली को भेद दिया था और इसमें बम प्लांट कर दिए थे जिसमें गोपनीय सूचना चीन स्थित आई एड्रेसी को भेज दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की व्यापक जांच की है कि चीनी हैकरों ने हमारे नौसैनिक कम्प्यूटरों को केसे हैक करके हमारी सुरक्षा को भेद लिया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि हमारे रक्षा सेनाओं के कम्प्यूटर पूर्णतया सुरक्षित रहें तथा त्रुटियां दूर की जा सकें?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) हैकिंग साइबर क्षेत्र में एक सतत और वास्तविक विश्वव्यापी खतरा है। विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान के कम्प्यूटरों की संभावित हैकिंग होने के बारे में नवम्बर, 2011 में खुफिया रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। मामले की जांच की गई है और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

राजमार्ग निर्माण के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य

635. **श्री कामेश्वर बैठा:**
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री जगदानंद सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिदिन के आधर पर निर्माण किए जा रहे/किए जाने वाले सड़कों की किमी लंबाई एवं इस पर खर्च की गई राशि तथा गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित सड़कों की कुल लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 20 किमी. प्रतिदिन सड़क निर्माण के अपने लक्ष्य को संशोधित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सड़क निर्माण के संबंध में भागीदारी से संबंधित यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसका ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार इन परियोजनाओं की निगरानी वेब आधरित और जीआईएस आधरित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं और लंबित राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति क्या है तथा इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्ष 2009-10 से लक्षित और पूरी की गई लंबाई निम्नलिखित है:-

(लंबाई किमी में)

वर्ष	एनएचडीपी		गैर-एनएचडीपी		प्रति दिन निर्मित
2009-10	3165	2693	2458	2315	13.72
2010-11	2500	1780	2468	2157	10.79
2011-12	2500	2248	2254	1531	10.35
2012-13	3000	610*	1592	439*	11.53

*जून, 2012 तक

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आबंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां।

(च) इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं नियत तिथि से पीछे चल रही हैं। यह विलंब अनेक कारणों से हुआ है जैसे कि भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण स्वीकृति, वन स्वीकृति और रेलवे अनुमोदन में विलंब, ठेकेदार का अल्प निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था की समस्या। सभ परियोजनाओं को पूरा किए जाने में होने वाले विलंब को न्यूनत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं-शक्तियों के पर्याप्त प्रत्यायोजन सहित मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जाना, विशेष भूमि अधिग्रहण इकाईयां स्थापित किया जाना, जन सुविधाओं के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण मुद्दों आदि से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्चाधिकार-प्राप्त समितियां गठित किया जाना। इसके अलावा, विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए मुख्यालय और फील्ड इकाईयों पर सघन अनुवीक्षण और आवधिक समीक्षा की जाती है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार लंबाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पूरी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई (किमी)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	423.83	247.81	306.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.43	32.00	9.64
3.	असम	229.70	268.41	199.11
4..	बिहार	241.51	219.91	292.09
5.	छत्तीसगढ़	188.87	99.30	58.10
6.	दिल्ली	2.90	29.80	7.95

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	163.48	112.82	190.41
8.	हरियाणा	196.23	173.80	167.19
9.	हिमाचल प्रदेश	28.34	61.84	113.90
10.	जम्मू और कश्मीर	221.07	125.82	76.06
11.	झारखंड	88.12	113.36	56.00
12.	कर्नाटक	323.71	291.00	321.93
13..	केरल	19.90	20.20	12.95
14.	मध्य प्रदेश	449.62	223.81	183.92
15.	महाराष्ट्र	190.85	343.84	296.68
16.	मणिपुर	14.20	36.50	56.58
17.	मेघालय	0.00	0.00	59.00
18.	मिजोरम	18.63	1.85	12.53
19.	नागालैंड	74.00	67.98	34.85
20.	ओडिशा	293.99	238.03	154.96
21.	पंजाब	185.86	134.69	95.57
22.	राजस्थान	134.30	163.48	255.61
23.	तमिलनाडु	513.19	265.43	283.84
24.	त्रिपुरा	5.46	14.00	10.58
25.	उत्तर प्रदेश	721.93	523.63	234.18
26.	उत्तराखंड	84.50	41.16	48.71
27.	पश्चिम बंगाल	158.84	91.15	239.65

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधि और व्यय की गई राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12^	2009-10	2010-11	2011-12^
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	348.39	254.77	113.99	348.39	254.77	119.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	206.29	177.64	213.43	206.29	177.64	200.18
4.	बिहार	245.45	199.15	247.54	245.45	199.15	232.31

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	चंडीगढ़	2.95	8.81	1.00	2.95	8.81	0.81
6.	छत्तीसगढ़	79.65	53.53	56.05	79.65	53.53	52.95
7.	दिल्ली	17.21	52.58	6.50	17.21	52.58	5.70
8.	गोवा	33.16	30.14	5.00	33.16	30.14	4.79
9.	गुजरात	150.26	111.60	95.96	150.26	111.60	88.82
10.	हरियाणा	152.16	143.69	100.00	152.16	143.69	98.16
11.	हिमाचल प्रदेश	80.46	95.72	110.26	80.46	95.72	121.15
12.	झारखंड	117.90	112.70	92.00	117.90	112.70	97.14
13.	कर्नाटक	305.43	276.65	328.31	305.42	276.65	313.06
14.	केरल	141.23	109.00	165.82	141.23	109.00	153.66
15.	मध्य प्रदेश	150.16	134.24	101.69	150.16	134.24	76.07
16.	महाराष्ट्र	326.18	265.53	286.52	326.18	265.53	304.90
17.	मणिपुर	19.65	63.88	50.28	19.65	63.88	47.09
18.	मेघालय	61.54	79.08	85.05	61.54	79.08	82.76
19.	मिजोरम	5.52	24.23	40.00	5.52	24.23	40.81
20	नागालैंड	30.46	26.94	21.00	30.46	26.94	19.63
21.	ओडिशा	333.70	230.71	293.28	333.70	230.71	272.94
22.	पुदुचेरी	9.22	3.93	4.50	9.22	3.93	4.73
23.	पंजाब	188.49	115.00	115.11	188.49	115.00	117.23
24.	राजस्थान	140.24	147.31	119.63	140.23	147.31	116.93
25.	तमिलनाडु	168.40	182.13	158.37	168.40	182.13	159.99
26.	उत्तर प्रदेश	433.21	452.55	313.21	433.21	452.55	323.75
27.	उत्तराखंड	160.91	130.83	83.46	160.91	130.83	51.72
28.	पश्चिम बंगाल	147.00	120.61	292.00	147.00	120.61	282.93
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.89	2.13	0.00	1.89	2.13
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण*	11744.70	17918.94	23442.89	9017.96	12563.94	21379.89
	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)*	756.00	760.00	540.00	723.49	694.49	515.00
	एसएआरडीपी-एनई*	1200.00	1500.00	1950.00	667.60	1046.71	1939.98
	एलडब्ल्यूई*	125.00	750.00	1200.00	5.00	718.05	1166.68

*राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है

^अनंतिम

निर्यात लक्ष्य

636. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री के. सुगुमार:
श्रीमती रमा देवी:
श्री निशिकांत दुबे:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री अर्जुन राय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस वर्ष और गत दो वर्षों के दौरान वस्त्र उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य निर्धरित किया है/उसमें वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान मद-वार तथा देश-वार कितने वस्त्र उत्पादों का निर्यात किया गया तथा सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग में गिरते रुझान/मंदी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) भारत तथा विश्व में हाल की मंदी के कारण देश में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं तथा सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग और निर्यात के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हाल में घोषित विदेश व्यापार नीति में निर्यातकों को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने वर्ष के दौरान देश में वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है/उसमें वृद्धि की है। वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2010-11	25485	26980
2011-12	32350	33310

2012-13 के लिए निर्यात लक्ष्य आरंभ में 38.31 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए गए थे और 5 जून, 2012 की विदेश व्यापार पूरक नीति की घोषणा के बाद उसे संशोधित कर 40.50 मिलियन अमरीकी डालर किया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र और क्लोदिंग निर्यातों के ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर)

मदें	2009-10	2010-11	2011-12 (अनन्तिम*)
सिले सिलाए परिधान	10064.73	10656.58	13072.95
सूत्री वस्त्र	5711.41	8366.19	11321.49
मानव-निर्मित्त	3970.88	4634.54	5630.83
ऊन तथा ऊनी वस्त्र	470.20	417.24	508.13
रेशम	596.05	611.11	473.00
हथकरघा उत्पाद	264.83	371.13	554.01
वस्त्र (हस्तशिल्प, पटसन तथा कयर)	21078.12	25056.80	31560.40
हस्तशिल्प	961.67	1311.61	1079.44
कयर और कयर उत्पाद	160.60	152.61	213.05
पटसन	218.40	458.57	457.33
कुल वस्त्र निर्यात (हस्तशिल्प, कयर और पटसन सहित)	22418.79	26979.59	33310.21

स्रोत: डजीसीआईएंडएस *अनन्तिम

वस्त्र और क्लोदिंग (टीएंडसी) उत्पादों के देश-वार निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2009-14, जून 2012 में पुन: अनुपूरित में अनेक प्रावधान आरंभ किए हैं। इसके अंतर्गत गार्मेंटिंग उद्योग द्वारा अपेक्षित फोकस बाजारों को निर्यातों तथा फोकस उत्पादों के निर्यातों, शिपमेंट ऋण पर ब्याज सहायता, ट्रिमिंग्ए आदि के शुल्क-मुक्त आयात तथा हस्तशिल्प उद्योग द्वारा उपकरणों के शुल्क-मुक्त आयात के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा, विद्यमान बाजारों में बाजार शेयर में वृद्धि करने तथा नये बाजारों का पता लगाने के लिए बाजार विकास सहायता योजना और बाजार प्रवेश प्रोत्साहन योजना के अधीन निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) भारत में मंदी के कारण इस उद्योग में रोजगार की हानि की कोई सूचना नहीं है। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, एकीकृत कौशल विकास योजना, विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत योजना और साथ ही हथकरघा कलस्टर ओर हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना नामक विभिन्न योजना स्कीमों के माध्यम से वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार और निर्यातों के संबंध में कार्रवाई की जा रही हैं

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 और 5 जून, 2012 की इसकी पूरक नीति में विभिन्न उपायों से वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में वृद्धि करना अभिप्रेत है। विदेश व्यापार नीति के कुछ प्रावधान इस प्रकार है:

इस नीति में 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक एक वर्ष के लिए सिलेसिलाए परिधान क्षेत्र के लिए पैकिंग ऋण में 2% ब्याज के रियायत की घोषणा की गई है।

बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) को अब 31 मार्च, 2013 तक सिलेसिलाए परिधानों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय यूनियन के निर्यातों के लिए बढ़ा दिया गया है और फोकस बाजार योजना (एफएमएस) और विशेष फोकस बाजासर योजना प्रत्येक के अंतर्गत अतिरिक्त सात नये बाजारों को शामिल किया गया है।

शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण

भारत के निर्यात आंकड़े

मदें: वस्त्र तथा क्लोदिंग, अध्याय 50 से 63

मिलियन अमरीकी डालर

भागीदार देश	कैलेंडर वर्ष		
	2009	2010	2011
1	2	3	4
विश्व	21787	27188	32642
संयुक्त राज्य अमरीका	4226	4946	5780
चीन	868	2325	2929
संयुक्त अरब अमीरात	1625	1798	2162
यूनाइटेड किंगडम	1708	1667	2088
जर्मनी	1604	1528	1960
बांगलादेश	500	1105	1101
इटली	743	778	1030
फ्रांस	916	810	1017
स्पेन	676	667	813
टर्की	399	667	731
नीदरलैंड	512	523	728
बेल्जियम	386	474	615
ब्राजील	288	497	557
सऊदी अरब	429	473	541
श्रीलंका	307	397	502
मिस्र	192	338	492
कनाडा	358	347	431
जापान	240	261	397
डेनमार्क	279	281	381
पाकिस्तान	565	657	381
ईरान	102	174	318
दक्षिण कोरिया	211	378	314
मलेशिया	136	279	285
आस्ट्रेलिया	184	205	285
दक्षिण अफ्रीका	169	199	255
हांगकांग	218	369	255
पुर्तगाल	135	229	245
अफगानिस्तान	252	206	241
स्वीडन	168	189	240
मैक्सिको	110	159	226
इंडोनेशिया	112	228	206

1	2	3	4
वियतनाम	102	238	196
पोलैंड	90	128	188
सिंगापुर	142	192	187
सीरिया	78	99	178

आंकड़ों का स्रोत: जीटीआईएस के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय

[अनुवाद]

परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

637. **श्री हरिन पाठक:**
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राज्य प्राधिकरणों की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण सहित विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए फास्ट ट्रेक तंत्र लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित कुल कितने पर्यावरणीय प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(ङ) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(च) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार इसकी अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य है। कार्य को विकेन्द्रीकृत करने के लिए, श्रेणी 'ख' परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां अधिसूचना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएस)/राज्य पर्यावरण आकलन समिति (एसईएसी) को प्रत्यायोजित की गई हैं। एसईआरएए/एसईएसी 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में गठित की गई हैं शीघ्रता से पर्यावरणीय प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं:–

(i) विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की नियमित बैठकें।

(ii) सभी पणधारियों के हितार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी परियोजनाओं की स्थिति को मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन करना।

(iii) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईआरए/ईएमपी रिपोर्टें तैयार करने के सहायतार्थ क्षेत्र विशिष्ट नियमावलियां तैयार की गई हैं तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली गई हैं।

(iv) संपूर्ण संगत सूचना सहित ईआईए/ईएमपी रिपोर्टें तैयार करने में परियोजना प्रस्तावकों के सहायतार्थ ईआईए अधिसूचना, 2006 संबंधी कई परिपत्र तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली गई है।

(v) एसईआईएए/एसईएसी के गठन हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के साथ नियमित अनुवर्तन।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों औश्र चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदत्त विकास परियोजनाओं के गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) आज की तारीख तक कुल 593 प्रस्तावों की पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित है। ईआईए अधिसूचना, 2006 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु संपूर्ण सूचना प्राप्ति की तारीख से 105 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने के बाद ही परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदत्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार परियोजना

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5
आंध्र प्रदेश	230

1	2
अरूणाचल प्रदेश	12
असम	56
बिहार	36
छत्तीसगढ़	115
चण्डीगढ़	2
दादरा और नगर हवेली	8
दमन और दीव	9
दिल्ली	4
गोवा	38
गुजरात	273
हरियाणा	28
हिमाचल प्रदेश	23
जम्मू और कश्मीर	11
झारखण्ड	112
कर्नाटक	114
केरल	63
मध्य प्रदेश	90
महाराष्ट्र	200
मणिपुर	1
मेघालय	12
मिजोरम	1
ओडिशा	156
पंजाब	48
पुदुचेरी	4
राजस्थान	118
सिक्किम	3
तमिलनाडु	111
त्रिपुरा	1
उत्तराखण्ड	36
उत्तर प्रदेश	33
पश्चिम बंगाल	87
कुल	2040

अभ्यारण्य में भूमि का अन्यत्र उपयोग

638. **श्रीमती दर्शना जरदोश:**
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गडुली-सन्तालपुर सड़क के निर्माण हेतु कच्छ, थार वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य गम्या अभ्यारण्य में भूमि के अन्यत्र उपयोग हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक मंजूरी ले ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को गडौली से हाजीपुर-ओडमा-खावदा-कुनेरिया-धोलावीरा-माओवाना-गडाकबेट-संतालपुर रोड (एसएच रोड) तक के निर्माण हेतु कच्छ मरूस्थल वन्यजीव अभ्यारण्य में 79.474 हे. वन भूमि के अपवर्तन हेतु गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस प्रस्ताव में सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ) की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमा सड़कों का विकास शामिल है। चूंकि इस प्रस्ताव में वन्यजीव अभ्यारण्य से भूमि का अपवर्तन शामिल है, इसलिए यह प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को आयोजित बैठक में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें मुद्दे पर विचार करने से पूर्व स्थल निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की दिनांक 13 जून, 2012 को हुई 25वीं बैठक में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया गया था। निरीक्षण दल तथा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विचार सुनने के बाद स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि स्थायी समिति की अगली बैठक में इस कार्यसूची पर बीएसएफ द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाए ताकि समिति इस मुद्दे पर अंतिम विचार कर सके।

रक्षा बजट

639. श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री मनीष तिवारीः
श्री आर. थामराईसेलवनः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत, पाकिस्तान और चीन ने अपने रक्षा बजट पर अपने सकल घरेलू उत्पाद की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की है;

(ख) क्या पाकिस्तान और चीन के द्वारा अपने रक्षा बजट के रूप में घोषित राशि उनके रक्षा संबंधी खर्चे का सही-सही प्रतिबिम्ब है और यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के रक्षा बजट के लिए आवंटित राशि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हमारे वर्तमान रक्षा व्यय में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती ('ड्रा-डाऊन') के मद्देनजर पश्चिमी क्षेत्र (वेस्टर्न थिएटर) में बदलती हुई सुरक्षा संबंधी स्थिति और भारत-अफगान सामरिक भागीदारी जिससे हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों से और अधिक अपेक्षा की जा सकती है को भी ध्यान में रखा गया है; और

(ङ) क्या हमारे वर्तमान और अनुमानित रक्षा बजटों में दक्षिण चीन सागर में तेजी से बदलती सुरक्षा संबंधी स्थिति और हिन्द महासागर की समुद्री वास्तविकताओं पर इसके प्रभावों को भी ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार 2011-12 के दौरान 1,70,913.28 करोड़ रुपये का कुल रक्षा खर्च, सकल घरेलू उत्पाद (अग्रिम अनुमान) का 1.92 प्रतिशत आकलित होता है। बजटीय अनुमान 2012-13 के अंतर्गत अनुमोदित 1,93,407.29 करोड़ रुपये का रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद था 1.90 प्रतिशत होगा, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा दर्शाया गया हैं उपलब्ध अप्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि पाकिस्तान और चीन में जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट निम्नवत् है:–

देश	2010	2009	20082	2007
चीन	1.4	1.43	1.39	1.38
पाकिस्तान	3.1	2.4	2.56	3.21

(ख) विदेशों के सरकारी रक्षा बजटों के सही आकलन को निर्धारित करने के लिए सरकार के पास कोई आधार नहीं है। अन्य देशों की तुलना में रक्षा खर्च पर आंकड़ों की तुलना करना व्यय के विभिन्न भागों में एकरूपता की कमी तथा सटीक और अद्यतन प्रकाशित आंकड़ों की गैर उपलब्धता के कारण मुश्किल होता है। यद्यपि, सरकार लगातार निकटतम और विस्तारित पड़ोस में हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) से (ङ) बजटीय अनुमान 2012-13 के अंतर्गत रक्षा बजट के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

सेवा	बजटीय अनुमान 2012-13		
	राजस्व	पूंजी	कुल
थलसेना	77327.03	19237.80	96564.83
नौसेना	12548.02	24766.42	37314.44
वायुसेना	17705.81	30514.45	48220.26
उप-योग सेवा	107580.86	74518.67	182099.53
डीजीओएफ	-535.09	399.96	-135.13
आरएंडडी	5995.56	4640.00	10635.56
डीजीक्यूए	787.33	20.00	807.33
उप-योग विभाग	6247.80	5059.96	11307.76
कुल योग	113828.66	79578.63	193407.29

यह बजटीय प्रावधान सशस्त्र सेनाओं की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को पूरा करने की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए आबंटित किया गया है। निधियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को यथावश्यक आबंटन की उपयोगिता, चालू तथा नई आधुनिक स्कीमों की प्रगति ओर अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

निकटतम तथा विस्तारित पड़ोस में भू-रणनीतिक वातावरण के सभी पहलुओं को, जो देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालते है, रक्षा बजट तथा व्यय संबंधी निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाता है।

'पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल'

640. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री पी.टी. थॉमसः

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री अब्दुल रहमान:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से टिप्पणियां मिली हैं तथा उसने देश में डब्ल्यूजीईईपी की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। पश्चिम घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ, (i) पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों का सीमांकन, (ii) इन पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु उपाय, (iii) इस पर्यावरणीय संवेदी और पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के परिरक्षण, संरक्षण और नवीकरण हेतु उपाय और (iv) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, *1986* के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण स्थापित करने हेतु रूपरेखा शामिल हैं।

(ग) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तीन राज्यों अर्थात् केरल, गोवा और महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट की आगे और जांच कर9ने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का विचार कर रहा है।

तटीय सुरक्षा

641. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
श्री गणेश सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तटीय और अपतटीय सुरक्षा तथा तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्थापित विद्यमान सुरक्षा और निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है तथा तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) हमारे सभी तटों की तटीय सुरक्षा भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और मैरीन पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तटीय सुरक्षा तंत्र की पुनरीक्षा और मानीटरी करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें निगरानी प्रणाली में सुधार करना और एकीकृत दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए गश्त बढ़ाना शामिल है। नौसेना, तटरक्षक, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग और अन्य विभागों द्वारा नियमित रूप से संयुक्त आपरेशनल अभ्यास किए जाते हैं ताकि द्वीप क्षेत्रों सहित तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अपनाई गई इस प्रणाली की कारगरता का पता लगाया जा सके। संयुक्त आपरेशन केन्द्रों और बहुत एजेंसी समन्वय प्रणाली के सृजन से आसूचना प्रणाली को भी कारगर बनाया गया है। देश्या के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों और द्वीपों को कवर करने के लि लगाए गए रेडार इस प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है।

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों का उन्नयन

642. **श्री सोहन पोटाई:**
श्री गणेश सिंह:
श्री अर्जुनराम मेघवाल:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री लालजी टंडन:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री महेश जोशी:
श्री रामसिंह कस्वां:
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने/उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मधय प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत/घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन/नवीकरण के लिए कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर खर्च हुई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धरित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यीय सड़कों/राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने/उन्नयन करने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नए घोषित/उन्नयन किए गए नए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर कार्यों को किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधि का प्रावधान राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग-वार नहीं किया जाता है।

विवरण I

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़क/खंड का विवरण	लंबाई किमी में
1	2	3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1. नेल्लौर-अत्माकुर-बडवेल-मेदुकुर-गूटी	314
		2. हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		*3. हैदराबाद-श्रीसैलम-दोरनाला-आत्माकुर-नांदयाल	353.18
		4. गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क	83
		5. कृष्णापटनम पत्तन-नेल्लौर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6. हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट	395
		*7. काकीनाड़ा-द्वारपुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरावपेटा-खम्माम-सूर्यापेटा	310
		8. राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंटुरू-भूपालपटनम	400
		9. कूरनूल-अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10. कोडेड-मिरयालागुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिंचोली	240
		11. बैल्लारी-अदोनी-रायचूट-महबूबनगर-जदचेरला	200
		12. कलिंगापटनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक	120
		*13. सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चलकुर्थी-मचेरला-परागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटगिरी-एरपेडु-रेनिगुंटा	725

1	2	3	4
		14. अंकापल्ली-अनाद्पुरम	50
		15. कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा 219 तक	70
		16. कोडेड-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगतयाल	290
		17. अनंतपुर-नायडुपेट सड़क	78
		18. पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क	117
		19. कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
		20. ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंडा सड़क	146.17
		*21. गुंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ओंक-ताड़पत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530
		22. आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरूतला-वेमूलवाडा-सिद्दिपेट-जानागांव-सूर्यापेट-मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसारावपेटा-वोदारेवू	630
		23. निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनापल्ली-ऑक-ताडपत्री-धर्मावरम-काडूर	625
		24. कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गुटी	
		25. विशाखापटनम-तल्लापलम-नरसीपटनम-चिंतापल्ली-सिलेरू- उप्पेरसिलेरू-उप्पेरसिलेरू-दोनकरई-मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूरू	353 238
		26. विशाखापटनम-पेंदुर्थी-श्रुगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्टा-अराकु-ओडिशा राज्य सीमा	126
		27. निर्मल-खानपुर-लूक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)	
		28. राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंदूर, भद्राचलम-चरला, वेंकटपुरम	108
		29. गोलांव-आसिफाबाद-मांचेरल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम-कोडाड	390
		30. कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोंडा-कलवाकुर्ती-महबूबनगर-रायचूर-मंत्रालयम-अदोनी-अलूरू-उर्वाकोंडा-अनंतपुरम	580
		31. टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुंटा-कुडप्प	
		32. गुडुर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा	208
		33. पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर	356
		34. संगारेड्डी-नरसापुर-भौगोर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी	133
		35. पमारू-चल्ला पल्ली सड़क	367

1	2	3	4
		36. संगारेड्डी-नांदेड-अकोला	27
		37. हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान	141
		38. तिरूपति-नायडूपेटा सड़क	156
		39. हैदराबाद, बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल	59
		40. कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क	132.26
		41. मंगलौर (कर्नाटक) से तिरूवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि	24
		42. श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	31.60
		43. विशाखापटनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	9.0
		44. विशाखापटनम जिले में विशाखापटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	12.50
		45. विशाखापटनम जिले में गंगावरम पोर्ट से रारा-5 (रारा सं. 16) तक	3.80
		46. काकिंदा से राजनगरम (एडबी) नई राष्ट्रीय राजमार्ग (नई रारा सं. 16) तक	55.80
		47. मछलीपट्टनम पतन से हनमन जंक्श्यान (नई रारा सं. 16) तक	60.14
		48. नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटूर सड़क	94.09
		49. वाडरेचू पतन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक सड़क का उन्नयन	44.73
		50. ऑगोले से कोठपटनम	17.17
		51. कृष्णापटनम पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 61) तक	19.25
		52. गुडुरू से कृष्णापटनम पत्तन तक	33.20
		53. रायाचोटी-चिन्नामंडेम-गुर्ककोंडा-कुराबलकोकटा	58
		उप जोड़	11219.89
II	अरूणाचल प्रदेश	1. चांगलांग-मरघेरिटा सड़क	44
		2. बामे-किकाबाली-अकजन सड़क	114
		3. सगली-मेंगिया-दीड-जिरो सड़क	200
		4. नामपोंग-मोतोंग्सा-देबान-नामचिक-जगुन सड़क	110
		उप जोड़	468

1	2	3	4
III	असम	1. धोदर अली	250
		2. बदरपुरघाट-अनीपुर-पनिसार रोड (असम त्रिपुरा) वाया अंगला बाजार-आदरकोना-भैराब नगर-दुल्लैचेरा-चरांगी-कोटामोनी-दमवहेड़ा-पानीसागर राष्ट्रीय राजमार्ग (दिनांक 5.6.12 को सूचीबद्ध)	
		उप जोड	250
IV	बिहार	1. दरभंगा कामतोला-मधवापुर सड़क	-
		2. रारा-107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा-57 तक	58
		3. सोनबरसा-बैजनाथपुर	20
		4. सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज	11
		5. सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज-गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक	120
		6. मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरूराज-मोतीपुर	56
		7. मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर	47
		8. क्योतसा-कटरा-रूनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी	61
		9. झापा-मीनापुर-श्योहर	47
		10. दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशेसवर अस्थान	65
		11. दरभंगा-बहेड़ा-सिंघिया-रोसेरा-नरहन-चेरिया-बरियारपुर-बेगुसराय	110
		12. हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बछवाडा	75
		13. मांझी-दरौली-गुथनी	55
		14. गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा	90
		15. मिरवा-कुचईकोट	70
		16. दरोंडा-महाराजगंज-तरवारा-बरहरिया-गोपालगंज	47
		17. मिरगंज-भगीपट्टी	39
		18. सिवान-पैगम्बरपुर	52
		19. चपरा-खैरा-सलेमपुर	70
		20. मांझी-बरौली-सरपाडा	115
		21. बेतिया-चंपतिया-नरकतियागंज-थोरी	70

1	2	3	4
		22. सीतामड़ी-रिगा-धेंग-बैरगनिया	31
		23. अमौर-बायसी-बहादुरगंज	56
		24. आरा-सासाराम रोड	97
		25. भोजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन	83
		26. बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा(	155
		27. बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवघर	175
		28. शेखपुरा-लखीसराय-जमुई	63
		29. सुलतानगंज-देवघर	110
		30. भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक	63
		31. घोघा-बाराहट	84
		32. जमुई-लक्षमीपुर-खड़गपुर-बरियारपुर	59
		33. अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका	30
		34. गया-पंचनपुर-बौदनगर	70
		35. बाराहट-पंजवाडा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड	55
		36. मेहंदिया रारा-98 हसपुरा-पचरूखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद	49
		37. बरियारपुर-खड़गपुर-कुदास्थान	35
		38. सासाराम-चौसा वाया कोचस	65
		39. पहाड़ी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)	38
		40. मगध मेडिकल कॉलिज से रफीगंज, गोह, औरंगाबाद	70
		41. वजीरगंज (रारा 82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर, अमरपुर, धडहाडा	60
		42. रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जीटी रोड (रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली-मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा	50
		43. विश्वनाथपुर चौक-कोईली-नानपुर-खड़कसंत-जाले	35
		44. गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला	53
		45. रूनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर	26
		46. मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत	59
		उप जोड़	2949

1	2	3	4
V	छत्तीसगढ़	1. बिलासपुर से पंडारिया, पौंदी, क्वार्दा, राजनंदगांव, अंतागढ़, नारायणपुर, बरसूर, गीदम, दंतेवाडा, बैलाडिला, चिंतलनार, मरियागुंदा से भद्राचलम	684
		2. गडचिरोली (महाराष्ट्र) से मानपुर-भानुप्रतापपुर-कांकेड़-दुधावा-सिहावा-नगरी-बरदुला-मैनपुर से खरियार सड़क (ओडिशा)	234
		3. अम्बिकापुर से वडरफनगर से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक नए रारा सं. 130 का विस्तार	111
		4. रायपुर से बलोदाबाजार-कसदोल-भटगांव-सारंगढ़-सरिया-सोहेला सड़क	238
		उप जोड	1267
VI	दादरा और नगर हवेली	1. दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रियंबकेश्वर	190
		2. वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क	50
		3. गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एवं वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में) से तलसारी तक सड़क खंड, वाया महाराष्ट्र में सुत्राकर	33
		उप जोड़	273
VII	दमन और दीव	1. रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रासिंग से प्रारंभ होकर जरी-कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भेंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते रारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रासिंग (गुजरात में) तक	29
VIII	गुजरात	1. भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक	170
		2. वदोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सापूतारा-नासिक सड़क	245
		3. मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क	165
		4. राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क	109
		5. पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क	150
		6. राजपिपला-वापी सड़क	339
		7. वसाद-पडरा-कर्जन सड़क	40
		8. नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा 8 को जोड़ते हुए	135
		9. अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		10. भावनगर-कर्जन सड़क	210
		11. पोरबंदर-पोरबंदर पतन सड़क	05.50
		12. जामनगर-बेडी पोट रोड	04.20
		13. त्राप्ज-अलंग पोर्ट रोड	08.00

1	2	3	4
		14. ज्खाऊ पोर्ट रोड	13.00
		15. गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आयु रोड	170
		16. हिम्मतनगर-वीजापुर-विसनगर-उंजा सड़क	120
		17. अहमदाबाद-वीरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क	151
		18. पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क	65
		19. भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क	200
		20. भाभर-देवदर-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क	130
		21. भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क	130
		22. चितरोड-रापड़-धोलावीरा सड़क	120
		23. सुईगम-सिधादा सड़क	40
		24. जामनगर-जूनागढ़ सड़क	130
		25. राजकोट-अमरेली सड़क	72
		26. बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुरा-धासा-अमरेली सड़क	180
		27. वदोदरा-दभोई-छोटाउदयपुर सड़क	125
		28. भरूच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क	9.00
		29. हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रह्म-अम्बाजी से आबु गुजरात सीमा सड़क	130
		30. जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदाला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सामी-राधनपुर सड़क	440
		31. वलसाड-परदी-कपरादा सड़क	60
		32. गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाड़ा-संतरामपुर सड़क	200
		33. ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क	11.00
		34. वापी-मोतापोंधा सड़क	09.00
		35. वापी-सिलवासा सड़क	11.80
		36. बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क	130
		37. वाणकबारा-कोटड़ा सड़क-रारा-8ई तक	30.00
		38. शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	165
		39. वदोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा तक	506
		40. गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक	125

1	2	3	4
		41. बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद	220
		तटवर्ती सड़कें:	200
		42. नारायण सरोवर-लखपर	37.00
		43. नालिया-द्वारका	340
		44. नारा 8 पर भावनगर-वातामन-पडारा-कारजन	200
		उप जोड़	6211.50
IX	गोवा	1. कारसवाड़ा-बिचोलिम-साखली-सुरला-उसगाव-खांदेपर	45
		2. सैक्विलिम-केरी-चोरलम	35
		3. मडगांव-पडोदा-क्विपेम-चरचोरेम-सवोरडेम-धरबंदोरा	40
		4. मोपा-बिचोलिम-सैक्विलिम-उसगाव	-
		5. कुरती से बोरिम	4
		6. असनोरा से डोडामार्ग	10
		उप जोड़	134
X	हरियाणा	1. अम्बाला कैंट (रारा 1) से साहा (रारा 73)	15
		2. साहा (रारा 73) से शाहबाद (रारा 10	16
		3. उकलाना (रारा 65)-सेरेवलचल से टोहना-पटरन (रारा 710	29.40
		4. रोहतक शहर में रारा-71 और रारा 71ए के बीच	2.60
		5. गुडगांव-झज्जर-बेरी-कालानौर-मेहम (रारा-8 और रारा-10 के बीच)	-
		6. रोहतक-भिवानी-लोहानी-पिलानी-राजागढ़ (रारा-10 और रारा-65 के बीच0	-
		7. कैथल-जींद-मुंडल (रारा 65 और रारा 10 के बीच)	-
		8. बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुतली- (रारा 10 और रारा 8 के बीच)	-
		9. कैथल (तितरम मोड)-जींद (एसएच-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)	-
		10. कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए	-
		उप जोड़	63.00
XI	हिमाचल प्रदेश	1. होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-ऊना-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड	180.00
		2. यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क	352.00

1	2	3	4
		3. कीरतपुर-साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड	207.50
		4. स्लप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैंज सड़क	120.00
		5. चंडीगढ़ (पीजीआई)-बड्डी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
	*क्र.सं. 10 पर बोल्ड खंड पुनर्सरेखित भाग है	6. तारादेवी (शिमला)-जुब्बारहट्टी-कुनीहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली-(एसएच सं. 6) (हि.प्र.सीमा) सड़क	106.400
		7. भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क	133.00
		8. हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क	60.00
		9. ब्रह्मपुरखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर	111.80
		10. स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तट्टापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क	300.00
		11. किश्तवाड़ (जेएंडके)-तंडी (हि.प्र.)	-
		12. सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवलसर-नरचोवा-जयदेवी-टाटापानी-धल्ली	-
		13. भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरू-नुरपुर	142
		14. किरतपुर-नांगल-भावडा-भनकलान-बंगाना-तुतरू-भैम्बली-मंडियार-नदौन-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया-चौक रोड	250
		15. धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-टाटापानी-धल्ली	180
		16. नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरू-हटकोटी रोड	115
		उप जोड	2384.90
XII	जम्मू और कश्मीर	1. मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड	164
		2. दुनेरा (पंजाब) से पुल डाडा वाया बसोली-बानी-भदेरबाह-डोडा से जुड़ने वालारारा-1बी	212
		3. सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड	38
		4. श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड	138
		5. बारामुला-रफियाबाद-कुपवाडा-तंगधार रोड	126
		6. कारगिल-जांस रोड	234
		7. डोडा और अनंतनांग जिले में पुल डोडा एग्जिट (पुल डोडा) डेसा-गई-कपरान-वेरोमग सड़क	-
		8. जवाहर टनल एग्जिट (इमोह) वेरीनाग-अचबल-मट्टन-पहलगाव सड़क	-
		उप जोड़	912

1	2	3	4
XIII	झारखंड	1. गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क	310
		2. चक्रधरपुर-जरईकेला-पंपोश सड़क	140.55
		6. एसएच-3 [रारा 23 कामदारा पर कोलेबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा 75 विस्तार)-अरकी-रारा 33 पर तामर]	125
		7. एसएच-16 [देवघर (मोहनपुर)-चौपा मोड-हंसदिहा-गोड्डा-महागामा-महरमा-रारा 80 पर साहेबगंज]	139
		उप जोड़	714.55
XIV	कर्नाटक	1. मैसूर-चन्नारायापटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकलेश्यापुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप	187
		2. बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होन्नाली-एच.पी.हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर	612
		3. रारा 48-हसन-गोरूर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुंडलुपेट सड़क	249
		4. बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गोरीबिदनौर-सी.बी. पुरा-चिंतामणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	194
		5. बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलुर-मगडी-रामनगरम-कणकपुरा-अनेकल-अतीबनेले-सरजापुरा	385
		6. बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	679
		7. बीदर-हुमनाबाद गुलबर्ग-सिरिगुप्पा-बेल्लारी-हिरियूर-चिक्कानायकनाहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपटना	140
		8. कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुलियूरदुर्ग-मद्दूद-मालावल्ली सड़क	144
		9. बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद	336
		10. बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश	
		11. चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	250
		12. पडुबिदरी-करकला-श्रीगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुप्पा-हुबली-बागलकोट-हुमनाबाद	665 45
		13. मालवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	167
		14. गिनिगेरे (कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क	140
		15. कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क	115

1	2	3	4
		16. आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 तक	248
		17. जेवारगी-बेल्लारी-हलीगुडुर-लिंगासुगुर-सिंधनूर-सिरिगुप्पा	82
		18. डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल	245
		19. कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा	480
		20. औड़द-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटकरवादीन महाराष्ट्र	95
		21. हेबसुर-धारवाड़-रानगरम-पणजी सड़क	130
		22. बागलकोट-गुलेदागुड्डा-गजेन्द्रगढ़-कुकुनूर-भानपुर	80
		23. बंगलौर-रारा-7 (सोमनदेनापल्ली) को जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक	190
		24. कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग सं. 64	165
		25. बेलगांव-बागलकोट-हुन्गुन्ड सड़क	216
		26. कोप्पाला-जेवारगी सड़क	97
		27. नवलकुंड-कुश्तागी सड़क	197
		28. मानदवाडी-एचडी कोटे जयुपरा-कोल्लेगल-सलेम सड़क	
		29. वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग-15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिदर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105	109 186
		30. टाडस-मुंडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिरालकोप्पा-सिकरारीपुरा-सिमोगा	240
		31. कुमटा-सिरसी-हावेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी	38
		32. नंजनगुडु-कामराजनगर	151
		33. रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्जैनी	
		34. कलपेट्टा-मनंतवाड़ी-कुट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क	180
		35. देवनहल्ली-विजयपुरा-एच. क्रास-वेमागल-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा	96
		36. एसएच-51 गुलबर्गा से मंत्रालय वाया शाहबाद-वाडी-यादगिर और रायचूर	189
		उप जोड	8020
XV	केरल	1. तिरुर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क	164
		2. तिरुवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पोंकून्नम-पलई-थोडुपुझा-मुवतुपुझा	246

1	2	3	4
		3. चलकुड़ी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु (राज्यीय सीमा) पोल्लाची	70
		4. कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरिनजालकुड़ा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरुतुरुथी-शोरनुर-पट्टाम्बी-पेरिनतलमन्ना-मेलातूर-पट्टीकाडु-पंडीकाडु-वंदडूर-वाद्पुरम-कालीगवु-निलाम्बुर राज्यीय सीमा (31.6 किमी) गुडलुर एच (22, 23, 28, 29, 73)	181
		5. कोझिकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7 किमी) गुडलूर-ऊटी (60 किमी)	97.7
		6. वाडकरा-नादपुरम-कुट्टीयाडी-थोट्टीपालम-पाकरमतलम-तरुवन्ना-नालम्मिली-मानतवड़ी-काट्टीकुलम-बावेली (राज्यीय सीमा) मैसूर	90.95
		7. केरल में तलसेरी (रारा-17) कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरुट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टाह-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा 212)	54
		8. तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी	124
		उप जोड़	1027.65
XVI	मध्य प्रदेश	1. हरई-लोतिया-तामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशापुर (शापुर-खंडवा खंड को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खारगांव-जुलवानिया	462.00
		2. जबलपुर-खुदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तीसगढ़ सीमा	222.00
		3. भंडारा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक)	344.00
		4. दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया-मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर-सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्	430.00
		उप जोड़	1458.00
XVII	महाराष्ट्र	1. तटवर्ती सड़क	733.87
		2. अकोला-नांदेड़-दुगुलुर-रायचूर	
		3. कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड-नांदेड-यंतोडल-वर्धा-नागपुर	457.00
		4. धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1	190
		5. वापी पेठ नासिक निफड नेवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जिंतूर औंध वासमथ नांदेड बिलोली राज्यीय सीमा, एमएसएच-2	620
		6. श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएसएच-3	77
		7. इन्दौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरुर पुणे रोहा मुरुद एमएसएच-5	610

1	2	3	4
		8. रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ वारंगा नांदेड़ लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-6	870
		9. अकोला हिंगोली नांदेड नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएसएच-7	258
		10. गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथरई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगर तेम्भूरनी मंगलवेध उमडी बोबलाद से राज्यीय सीमा एमएसएच-8	644
		11. नागपुर उमरेर मुल गोंदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9	359
		12. नांदेड मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुल सावली धन्नौरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10	419
		13. राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गड़चिरोली अश्ति एमएसएच-11	240
		14. घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालना मेहकर तालेगांव वर्धा एमएसएच-12	522
		15. मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदरी एमएसएच-13	223
		16. बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखलदारा खंडवा एमएसएच-14	429
		17. बानकोट मंदरगड भोर लोनंद नोटेपुटे पंदरपुर एमएसएच-15	317
		18. जेएनपीटी से एसएच 54 (किमी 6.400 से किमी 14.550) का गावन फाटा खंड	8
		19. आमरा मार्ग (किमी. 0.00 से किमी 6/200)	6
		20. अंकलेश्वर-बुरहनपुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4	243
		21. मिसिंग लिंग (एसएच-106) जयगड से रारा-17 (एनएचओ कार्यक्रम के अंतर्गत*)	43
		22. अहमदनगर-बीड-परभानी सड़क से विद्यमान एमएसएच-2 तक सड़क	287
		23. एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क	30
		24. नागर-बीड-नांदेड लिंक	20
		उप जोड़	7605.870
XVIII	मेघालय	1. फुलबारी से नांगस्टोइन वाया तुरा सड़क	334
		2. अगिया-मेधिपाड़ा-पुलवाबरी-बारेंगापाड़ा सड़क	224
		3. अगिया-मेधिपारा-फुलवाबडी-तुरा सड़क	-
		4. बिश्नपुर से हाफलांग रोड वाया रेंगपांग* (दिनांक 20.6.2012 को सूचीबद्ध)	
		उप जोड़	558

1	2	3	4
XIX	मणिपुर	1. कांगपोकपी से तमेंगलोंग वाया तमेई	120
		उप जोड	120
XX	मिजोरम	1. कीमत से जोखावतर वाया खाउबंग सड़क	179
		उप जोड़	179
XXI	नागालैंड	1. असम में बोकाजन-नागालैंड में रेंगमापानी-किफिरे	278
		2. नागालैंड में हाफलौंग-माहुर-लायके-कोहिमा	182
		3. नागालैंड में त्वेनसांग-असम में नांगिनी मोरा-शिवसागर (सिमुलगुडी)	265
		4. मोकुकचुंग ओर चारे के बीच सड़क जो रारा-61 को रारा-155 के साथ जोड़ती है	18
		5. त्वेनसांग से तुली वाया मोन-तिजिट	308
		6. दीमापुर से किफिरे	256
		उप जोड़	1307
XXII	ओडिशा	1. कटक-पारादीप	82.00
		2. सम्बलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3. जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क	152.18
		4. फुलबनखरा-चारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5. बरहामपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6. काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क	92.50
		7. जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरिंगी सड़क	40.49
		8. करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा	37.00
		9. राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10. कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क	31.00
		11. जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क	35.60
		12. ढेंकनाल-नारनपुर सड़क	100.00
		13. जयपोर-मल्कानगिरी-मोतु सड़क	323.00
		14. माधपुर-केराडा-सरंगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-	292.60
		कोम्टेलपेटा-रायागाडा	1877.47
		उप जोड़	

1	2	3	4
XXIII	पुदुचेरी	1. करईकल-नेंदुनगंदु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क	
		2. करईकल-पेरालम-मईलादुतुरई-सिरकाली सड़क	
		3. करईकल-पेरालम-तिरूवरूर सड़क	
		4. सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंग	
		5. चैन्नै से पुदुच्चेरी तक पूर्वी तटीय सड़क	
XIV	पंजाब	1. एसएच-25 अमृतसर-राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर	
		2. एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आनंदपुर साहिब-नंगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होशियारपुर	
		3. तखत श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुजूर साहिब (नांदेड) तक गुरु गोबिंद सिंह मार्ग	2480
		उप जोड़	2480
XXV	राजस्थान	1. बूंदी (रारा-12) बिजोलिया	50
		2. मथुरा (रारा-2) भरतपुर-हिंडन-बयाना-भदौती-सवाईमाधोपुरा-पालीघाट-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)	332
		3. मंगली-भनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौसिंग-कुम्भलगढ़-चारभुजा (एसएच-49)	130
		4. जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)	366
		5. मंदसौर (रारा-79) प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड़ा-सलुमबेर-डूंगरपुर-बिचिवाड़ा (रारा-8)	226 474
		6. श्री गंगानगर-हनुमानगढ़-टडलका मुंडा-नौहार-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-उदयपुरवटी-अजीतगढ़-शहपुरा (रारा-8)	164
		7. फतेहपुर (रारा-11) झुंझुनू-चिड़ावा-सिंघना-पचेरी (हरियाणा सीमा) नारनौल-नमोल-रेवाड़ी (रारा-8)	301
		8. भरतपुर (रारा-11)-डीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)	139 343
		9. कोसी (रारा-2) कामा-डीग-भरतपुर	40
		10. स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवान-बलोतरा (रारा-112) फलोदी	95
		11. मथुरा-भरतपुर सड़क	125
		12. नसीराबाद-देवली सड़क	147

1	2	3	4
		13. कोटपुतली-सीकर सड़क	140
		14. स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-ख्वोरवाड़ रोड	115
		15. फलोदी-नागोर रोड	44
		16. श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर	306
		17. सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	176
		18. गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाड़मेर	146
		19. नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर	202
		20. किरकी चौकी-भिण्डर-सेलमबूर-आसपुर-दुर्गापुर	171
		21. होडल-पुन्हाना-भरतपुर-रूपवास-धौलपुर	68
		22. रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु	248
		23. सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)	446
		24. गुडगांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधौपुर	
		25. बाड़मेर (रारा-15)-लाजोर-अहोर-सदरी-'देसुरी-गौमती का चौराहा-वंकरौली-भीलवाड़ा-मंडलगढ़	123 -
		26. जयपुर (रारा-12)- दिग्गी-केकरी-शाहपुरा-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)	45
		27. पाली-उदयपुर रोड	
		28. गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67	
		29. भरतपुर-मथुरा सड़क (एसएच-24, शेष एसएच-1)	15
		30. बाघेर से तीनधार वाया मांडावाड़	16
		*31. खंडेल से मावली वाया रेलमागरा फतेहनगर	51
	*दिनांक 25.5.2012 को सूचीबद्ध	*32. कोटा से गुना (वाया कथून, संगोड, बपावर, कवई, छाबड़ा, धरनावाडा और रूथियाई	162.80
		उप जोड़	5406.80
XXVI	सिक्किम	1. नाथुला से सिलीगुड़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	-
		2. सिंगथम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी	-
		3. रांगपो और रोराथंग से गुजरते हुए रोंगली	-
		4. रानीपुल और रोराथंग से गुजरते हुए पाकयोंग	-
		उप जोड़	

1	2	3	4
XXVII	तमिलनाडु	1. सत्ती-अथनी-भावनी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं. 82)	52.80
		2. अविनाशी-तिरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क	99.60
		3. त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		4. करुईकुडी-डिंडीगुल सड़क	86
		5. तिरूचिरापल्ली-लालगुडी-कल्लागुडी-ड़ानपालया-गंजईकोंडा-चालपुरी-मी-कट्टुमन्नागडी-चिदंबरम	140.00
		6. तंजावूर-अदनाक्कोट्टई-पुडुकोट्टई	60.00
		7. डिंडिगुल-नाथम-सिंगमपुनारी-तिरूपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क	120.40
		8. कुडलोर-चित्तूर सड़क	203
		उप जोड़	839.20
XXVIII	त्रिपुरा**	कुकीताल से सबरुम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-अमरपुर-जतनबाड़ी-सिल्चर-रूपईचारी	310
XXIX	उत्तर प्रदेश**	1. कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2. सिरसागंज-करहल्-किशनी-विधुना-चौबेपुर सड़क	161.53
		3. बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4. लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		5. लखनऊ-बांदा	148.52
		6. पीलीभीत-बरेली-बदायूं-कासगंज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		7. पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क	128
		8. दिल्ली-यमनोत्री सड़क	206
		9. फतेहपुर-मुजफ्फराबाद-कलसिया सड़क	20.725
		उप जोड़	1394.803
XXX	उत्तराखंड	1. हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुल-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)	706
		2. बाडवाला से जुड्डू (हरबरतपुर-बाडकोट बैंड)	18
		3. बौखल-घुरदौरी-देवप्रयाग	49
		उप जोड़	773
XXXI	पश्चिम बंगाल	1. पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया तक	102

1	2	3	4
		2. तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरूलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर-आरामबाग- वर्धमान मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट-रारा-35 पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल-बंगला देश सीमा) तक	390.90
		3. राधामोनी (रारा-41 पर) पांसकुरा-घातल-आरामबाग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कुली-मोरेग्राम (रारा 34 पर)	275
		4. गजोले-बुनियादपुर-ओस्लीराम-त्रिमोहिनी-हिल्ली	100
		5. नयाग्राम (ओडिशा सीमा) फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोनिया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगा-बांकुड़ा-दुर्गपुर (एसएच-9)-पानागढ़ दुबराजपुर (एसएच-14)	327
		उप जोड़	1194.90
		जोड़	61203.733

विवरण II

घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग

(2009-10)

राज्य	रारा सं.	खंड	लगभग लंबाई (किमी)
दिल्ली/हरियाणा	236	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महरौली से प्रारंभ होकर अंधेरिया मोड़-छतरपुर टी प्वाइंट को जोड़ते हुए हरियाणा में रारा-8 पर गुडगांव में समाप्त होने वाला राजमार्ग	13.45
मध्य प्रदेश	69ए	मध्य प्रदेश में विद्यमान रारा-69 पर मुल्तई से प्रारंभ होकर चिखली, दुनावा, छिंदवाडा, चौरई को जोड़ते हुए और रारा-7 पर शिवनी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	154.21
मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	26बी	मध्य प्रदेश में विद्यमान 26 पर नरसिंहपुर से प्रारंभ होकर हरारी, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए और महाराष्ट्र में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सिवनेर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	मध्य प्रदेश में 202.593 महाराष्ट्र में 15.17

(2010-11)

राज्य	रारा सं.	खंड	अनुमानित लंबाई (किमी)
		..........कोई नहीं..........	

(2011-12)

राज्य	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग	पुरानी रारा संख्या
राजस्थान और उत्तर प्रदेश	123	राजस्थान में धौलपुर में रारा 23 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर राजस्थान में सेपउ को, उत्तर प्रदेश्या में सरेंधी को, राजस्थान में घटोली, रूपवास, खनुआवा (खनुआ) को जोड़ते हुए ऊंचा नंगला में समाप्त होने वाला राजमार्ग	3ए
राजस्थान	148डी	राजस्थान राज्य में भीम में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रारा 48 पर परसौली, गुलाबपुरा को, शाहपुरा, जहाजपुरा, हिंडोली, नैनवा को जोड़ते हुए रारा-552 पर उनियारा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	116ए
राजस्थान और गुजरात	रारा 58 का विस्तार	राजस्थान राज्य में उदयपुर से प्रारंभ होकर कुमदल, नया खेडा, झाडोल, सोम, नालवा दैया को जोड़ते हुए गुजरात में ईदर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	76ए
राजस्थान	458	राजस्थान राज्य में लाडनू में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खाटू, डेगाना, मेड़ना सिटी, लांबिया, जैतरन, रायपुर को जोड़ते हुए रारा 58 पर भीम में समाप्त होने वाल राजमार्ग	65ए
राजस्थान	758	राजस्थान राज्य में राजसमंद में रारा-58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गंगापुर, भीलवाड़ा को जोड़ते हुए लाडपुरा में रारा 27 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	76बी

क्र.सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग
1	2	3
45ए	315ए	असम राज्य में रारा-15 पर तिनसुकिया से प्रारंभ होकर नहरकटिया को जोड़ते हुए अरूणचल प्रदेश में हुकनजूरी को जोड़ते हुए रारा-215 पर खोंसा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
87ए	187बी	असम राज्य में रारा-27 पर श्रीरामपुर से प्रारंभ होकर धुबरी को जोड़ते हुए मेघालय में फुलबाड़ी, तुरा रोंगरांग, रोंजेग को जोड़ते हुए रारा-106 पर नोंगस्टोइन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
114बी	333	बिहार राज्य में रारा-33 पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोडत्ते हुए झारखंड में देवगढ़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग
91ए	527सी	बिहार राज्य में रारा-27 पर मझोली से प्रारंभ होकर कटरा, जजुआर, पुपरी को जोड़ते हुए रारा-227 पर चरौट में समाप्त होने वाला राजमार्ग
88ए	327 विस्तार	बिहार राज्य में रारा-327 (प.बं./बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, बहारदुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ते हुए रारा-231 पर बनगांव (बरियाही बाजार) में समाप्त होने वाला राजमार्ग
105ए	131ए	बिहार राज्य में रारा-31 पर मकटिहार से प्रारंभ होकर रारा-27 पूर्तिया में समाप्त होने वाला राजमार्ग

1	2	3
142ए	343	छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-43 पर अंबिकापुर से प्रारंभ होकर समरसोट, रामानुजगंज को जोड़ते हुए झारखंड रारा-39 पर गढ़वा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
156ए	947	गुजरात राज्य में रारा-47 पर सरखेज से प्रारंभ होकर रारा-51 पर वीरमगांव, मलिया, धरोल जामनगर, वादीनर, द्वारका को जोड़ते हुए ओखा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
189ए	360	महाराष्ट्र राज्य में रारा-60 पर चांदवाड़ से प्रारंभ होकर वाणी, सरद को जोड;ते हुए गुजरात राज्य में सापूतारा, वघाई, वंसदा, चिखिली को जोड़ते हुए गणदेवी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
179ए	953	गुजरात राज्य में रारा-53 पर व्यारा से प्रारंभ होकर नेतांग, राजपिपला को जोड़ते हुए बोडेली में समाप्त होने वाला राजमार्ग
32ए	रारा 709 का विस्तार	हरियाणा राज्य में रारा-9 पर रोहतक से प्रारंभ होकर भिवानी, लोहानी, लोहारू को जोड़ते हुए राजस्थान में पिलानी को जोड़ते हुए रारा-52 पर राजगढ़ में समाप्त होने वाला राजामार्ग
15ए	305	हिमाचल प्रदेश राज्य में रारा-5 पर सेंज से प्रारंभ होकर लुहरी, अनी, जलोरी, बंजार को जोड़ते हुए रारा-3 पर औट में समाप्त होने वाला राजमार्ग
40ए	114ए	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-14 पर रामपुरघाट से प्रारंभ होकर सुनरिचुआ को जोड़ते हुए झारखंड में शिकारीपाड़ा, दुमका, लकरा पहाड़ी, जामा, जर मुंडी, चौपा मोड़, देवगढ़, सारथ, मधुपुर, गिरीडीह को जोड़ते हुए रारा-19 पर डुमरी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
6ए	502ए	मिजोरम राज्य में रारा-2 पर लांग तलई से प्रारंभ होकर म्यांमार सीमा (कलादान सड़क) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
192ए	रारा-162 का विस्तार	राजस्थान राज्य में रारा-62 पर पाली से प्रारंभ होकर मारवाड़, नाडोल, देसुरी, कुंबलगढ़, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, मावली, को जोड़ते हुए रारा-27 पर भाटेवाड़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग
186ए	158	राजस्थान राज्य में रारा-58 पर मेड़ता से प्रारंभ होकर लांबिया, रास, ब्यावर, बडनूर, आसिंद को जोड़ते हुए रारा-48 पर मंडल में समाप्त होने वाला राजमार्ग
94ए	927ए	राजस्थान राज्य में रारा-27 पर स्वरूपगंज से प्रारंभ्ज्ञ होकर कोटड़ा, खेरवाड़, डुंगरपुर, सांगवाड़ा बांसवाड़ा को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश राज्य में रतलाम में समाप्त होने वाला राजमार्ग
34ए	310	सिक्किम राज्य में रारा-10 पर रानीपौल से प्रारंभ होकर बरदुख (प्रस्तावित मंगटोक बाइपास पर), मेनला को जोड़ते हुए नथुला में समाप्त होने वाला राजमार्ग
113ए	532	तमिलनाडु राज्य में रारा-32 पर कुड्डालूर से प्रारंभ होकर बृद्धाचलम को जोड़ते हुए रारा-79 पर सलेम सड़क पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
50ए	116बी	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-116 पर नंदकुमार से प्रारंभ होकर कोंटई, दिघा को जोड़ते हुए चंदनेश्वर में समाप्त होने वाला राजमार्ग

07 मार्च, 2012

क्र.सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग
4बी	102बी	मणिपुर राज्य में रारा-2 पर चूड़ाचांदपुर से प्रारंभ होकर सिंघाट, सिंजोल, तुईवई सड़क को जोड़ते हुए म्यांमार सड़क पर समाप्त होनें वाला राजमार्ग
4ए	102ए	मणिपुर राज्य में रारा-2 पर तदुबी से प्रारंभ होकर पोमाता को जोड़ते हुए रारा-2 पर उखरुल में समाप्त होने वाला राजमार्ग
129ए	137	मणिपुर राज्य में रारा-37 पर रिंगपांग से प्रारंभ होकर खोंसांग को जोड़ते हुए तामेंगलांग (तैंगलांग) में समाप्त होने वाला राजमार्ग
101ए	330ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर रायबरेली से प्रारंभ होकर जगदीशपुर को जोड़ते हुए रारा-27 पर फैजाबाद में समाप्त होने वाला राजमार्ग
102ए	730	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर पीलीभीत से प्रारंभ होकर पूरणपुर, कुट्टर, गोला गोरखनाथ, लखीमपुर, ईशानगर, ननपाड़ा (रारा-927 पर) बहराइच (रारा-927 पर) बलरामपुर, महाराजगंज को जोड़ते हुए रारा-927 पर पडरौना में समाप्त होने वाला राजमार्ग
102बी	730ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर मलकानगंज से प्रारंभ होकर पवायन को जोड़ते हुए रारा-730 पर पूरणपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
110ए	931	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-31 पर प्रतापगढ़ से प्रारंभ होकर अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना को जोड़ते हुए रारा-731 पर जगदीशपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
110बी	931ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-31 पर सलोन से प्रारंभ होकर जायस को जोड़ते हुए रारा-731 पर जगदीशपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग

(2012-13) आज तक

कुछ नहीं

[अनुवाद]

राजमार्ग परियोजनाएं

643. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री पी. कुमार:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री के. सुगुमार:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री नीरज शेखर:
श्री संजय भोई:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री पी. लिंगम:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास हेतु नियत लक्ष्यों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धरित लक्ष्यों और सड़क निर्माण के प्रतिदिन के लक्ष्य को हासिल कर पायी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विलंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा इन परियोजनाओं के मामले में लागत-वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने विलंबित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों का स्कीम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए लक्ष्य राज्य वार निर्धारित नहीं किए जाते।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आबंटित निधि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और परियोजनाओं को आम तौर पर पूरा किए जाने का लक्ष्य 12 माह से 36 माह होता है जो कि परियोजना के स्वरूप और आकार पर निर्भर करता है।

(ग) से (छ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यों को हासिल किए जाने में विभिन्न कारणों से कुछ कमियां रही हैं जिनमें शमिल हैं-भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, पर्यावरण, वन स्वीकृति और रेलवे अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब, ठेकेदारों का अल्प निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति जिनसे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की विलंब से चल रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। चूंकि ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, इसलिए वास्तविक लागत वृद्धि का पता परियोजनाओं के पूरा होने पर ही लगाया जा सकता है। विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए मुख्यालय में माननीय मंत्री और सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) स्तर पर और फील्ड इकाईयों में सघन अनुवीक्षण और आवधिक समीक्षा की जाती है।

विवरण I

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए निर्धारित स्कीमवार लक्ष्य

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य
1.	**राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)**	
(i)	चार लेन चौड़ीकरण (किमी)	3000
(ii)	पुलों का निर्माण (संख्या)	1
(iii)	बाइपासों का निर्माण (संख्या)	6
2.	**गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना**	
(i)	निम्न ग्रेड खंडों का सुधार (किमी)	13
(ii)	चार लेन चौड़ीकरण (किमी)	32
(iii)	दो लेन चौड़ीकरण (किमी)	795
(iv)	कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (किमी)	745
(v)	सड़क गुणता सुधार (किमी)	1475
(vi)	पुलों की मरम्मत/निर्माण (संख्या)	130
(vii)	बाइपासों का निर्माण (संख्या)	7
(viii)	मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी)	9

विवरण II

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आबंटित/राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन (अनंतिम)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	193.26
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.00

1	2	3
3.	असम	228.58
4.	बिहार	324.18
5.	छत्तीसगढ़	80.97
6.	गोवा	23.26
7.	गुजरात	148.93
8.	हरियाणा	56.96
9.	हिमाचल प्रदेश	188.82
10.	झारखंड	113.64
11.	कर्नाटक	301.57
12.	केरल	167.46
13.	मध्य प्रदेश	133.79
14.	महाराष्ट्र	213.43
15.	मणिपुर	61.88
16.	मेघालय	103.13
17.	मिजोरम	107.51
18.	नागालैंड	85.15
19.	ओडिशा	165.23
20.	पंजाब	111.69
21.	राजस्थान	210.48
22.	तमिलनाडु	180.64
23.	उत्तर प्रदेश	255.16
24.	उत्तराखंड	84.00
25.	पश्चिम बंगाल	177.76

विवरण III

दिनांक 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार विलंब से चल रही राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्ग परियाजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	6
2	अरूणाचल प्रदेश	2
3	असम	31
4	बिहार	19
5	छत्तीसगढ़	6
6	गुजरात	7
7	हरियाणा	1
8	हिमाचल प्रदेश	6
9	जम्मू और कश्मीर	5
10	झारखंड	25
11	कर्नाटक	3
12	केरल	1
13	मध्य प्रदेश	12
14	महाराष्ट्र	10
15	मणिपुर	3
16	मेघालय	12
17	मिजोरम	4
18	ओडिशा	10
19	पंजाब	4
20	राजस्थान	10
21	तमिलनाडु	5
22	उत्तर प्रदेश	22
23	उत्तराखंड	13
24	पश्चिम बंगाल	6

[हिन्दी]

वृद्धाश्रम

644. श्री इज्यराज सिंह:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितने ओल्ड ऐज होम्स संचालित हैं और कितने ओल्ड ऐज होम्स ऐसे हैं जो सरकार से सहायता/निधियां प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में नए ओल्ड ऐज होम्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को संस्वीकृत/आवंटित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन ओल्ड ऐज होम्स को चलाने के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) इस समय, वृद्धाश्रमों की स्थापना/निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना नहीं है। मंत्रालय की वृद्धजन समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत, उपर्युक्त गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा नेहरू युवा केन्द्र जैसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को राज्य स्तरीय सहायता अनुदान समिति की सिफारिश के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, वृद्धाश्रमों के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले वृद्धाश्रमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या की तुलना में निर्मुक्त धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की संख्या			जारी राशि		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	87	77	112	347.81	280.68	403.93
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	1	0	0	1.49	0
3.	असम	16	17	11	71.78	67.08	46.65
4.	बिहार	1	1	1	4.88	1.42	2.44
5.	छत्तीसगढ़	2	3	2	5.08	7.76	9.03
6.	हरियाणा	9	7	7	34.25	25.67	18.74
7.	हिमाचल प्रदेश	0	3	1	0	9.51	3.66
8.	कर्नाटक	45	48	50	207.86	216.36	208.75
9.	केरल	0	6	2	0	16.03	5.72
10.	मध्य प्रदेश	5	2	4	9.23	6.13	14.79
11.	महाराष्ट्र	8	15	16	27.69	47.06	76.28
12.	मणिपुर	15	18	15	56.80	76.20	66.35
13.	ओडिशा	44	38	44	173.17	168.15	157.97
14.	पंजाब	4	2	5	9.29	3.76	9.98

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	राजस्थान	4	4	2	11.77	13.48	7.48
16.	तमिलनाडु	54	49	42	220.70	207.60	178.85
17.	त्रिपुरा	3	3	4	10.85	13.75	10.81
18.	उत्तर प्रदेश	21	22	15	65.31	71.96	25.11
19.	उत्तराखंड	0	3	2	0	11.03	5.87
20.	पश्चिम बंगाल	27	18	26	111.41	86.35	84.90
	संघ राज्य क्षेत्र						
21.	दिल्ली	0	1	1	0	1.15	1.17
	कुल	345	338	362	1367.88	1332.62	1338.48

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

645. श्री संजय धोत्रे:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री के. सुगुमार:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विस्तारित अवधि के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित/प्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है और मिल, विद्युत करघा, और हथकरघा क्षेत्र कों को आबंटित राशि की प्रतिशतता कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी वस्त्र-परियोजनाओं को निर्दिष्ट तथा स्तरोन्नत किया गया है;

(घ) क्या सरकार का देश के विद्युत करघा उद्योग के अंतर्गत सभी लघु इकाइयों को टीयूएफएस का लाभ देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने टीयूएफएस के अन्तर्गत निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने 15866 करोड़ रुपये के आबंटन से टीयूएफएस को समग्र 12वीं योजना के लिए जारी रखने की सिफारिश की है। योजना आयोग की प्रतीक्षा है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13784.55 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन की तुलना में 12383.35 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। संशोधित टीयूएफएस आबंटनों में कताई, विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 11वीं योजना में कताई क्षेत्र में 34347 करोड़ रुपये तथा विद्युतकरघा एवं हथकरघा सहित विविध क्षेत्र में 9750 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

(घ) और (ङ) यह योजना विद्युतकरघा लघु उद्योग सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू है। अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार ने पुनर्गठित टीयूएफएस के तहत लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम पूंजी सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये और पूंजी सब्सिड़ी को 15 लाख से बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दिया है।

सड़क-परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

646. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार माधयमों में प्रकाशित खबरों के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में कफी सारी सड़क परियोजनाओं को पर्यावरण और वन संबंधे मंजूरी मिलनी शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय से बात की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) इस मंत्रालय का प्राथमिक दायित्व राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुछ परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण और वन-स्वीकृतियों की प्रतीक्षा की जा रही है। स्वीकृतियों के लंबित मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ सतत रूप से उठा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ परियोजनाओं में स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

विवरण

अनुमति के लंबित राज्यवार मामले

क्र.सं.	राज्य	अनुमति संबंधी मामलों की सं.
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	29
2.	बिहार	3
3.	छत्तीसगढ़	11
4.	गुजरात	2
5.	झारखंड	2
6.	केरल	1
7.	मध्य प्रदेश	9
8.	महाराष्ट्र	4
9.	मिजोरम	3
10.	ओडिशा	1
11.	राजस्थान	5
12.	उत्तर प्रदेश	7
13.	सीमा सड़क संगठन-एस$	270

$अन्य सड़कें भी शामिल।

विश्व बैंक की रिपोर्ट

647. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से निर्माणाधीन राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक ने उसके द्वारा वित्तपोषित की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के मामले में ठेकेदारों द्वारा धोखाधड़ी बरतने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे इन परियोजनाओं के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में तथा उक्त वैश्विक संगठन के द्वारा की गई अन्य ऐसी शिकायतों पर कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष रहा तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(च) भविष्य में ऐसा भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्तमान में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना विश्व बैंक वित्तपोषण से निर्मित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने विश्व बैंक की संस्थागत इंटीग्रेटी यूनिट की एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें तथाकथित यह आरोप लगाया गया है कि विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं का निष्पादन करने वाली कुछ कंपनियों ने सैंक्शनेबल प्रैक्टिसें की हैं।

(घ) से (च) मंत्रालय ने इस मामले में जांच करने के लिए एक समिति गठित की है।

श्रम-कानूनों के अंतर्गत घरेलू नौकर

648. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू सहायकों संबंधी कृतक बल ने अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू नौकरों को विद्यमान श्रम-कानूनों के दायरे में लाने और घरेलू सहायक संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफ़ारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त नीति/प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) सरकार द्वारा स्थापित घरेलू कामगारों संबंधी कृतक बल ने, अन्य बातों के साथ-साथ कृतक बल द्वारा निर्मित घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति को अंगीकार करने की सिफारिश की है। यह नीति घरेलू कामगारों के लिए श्रम अधिकार फ्रेमवर्क स्थापित करेगी और घरेलू कामगारों के लिए कतिपय न्यूनतम कार्य दशाएं निर्धारित करेगी जिससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यह नीति अंततः घरेलू कामगारों के लिए विशिष्ट विधायी तंत्र की ओर अग्रसर करेगी।

(ग) और (घ) घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बाल श्रम

649. श्री अब्दुल रहमान:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री मानिक टैगोर:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और देश के विभिन्न भागों से कितने बाल श्रमिक छुड़ाए गए;

(ग) दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों की विभिन्न पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और योजना-वार कितनी राशि आवंटित/जारी और व्यय की गई; और

(ङ) सरकार ने देश में बाल श्रम पर अंकुश रखने तथा इसे मिटाने के लिए क्या कठोर उपाय किये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 5.14 वर्ष के बीच की आयु समूह के कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 1.6 करोड़ थी। तथापि, एनएसएसओ द्वारा 2004-05 में किए गए सर्वेक्षण में कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 90.75 लाख थी।

एनएसएसओ सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार, कामकाजी बच्चे अनुमानित 49.84 लाख है जो कमी का रुझान दर्शाता है।

(ख) देश में एनसीएलपी योजना के माध्यम से मुक्त कराये गये/हटाये गये और पुनर्वासित किए गए बच्चों की संख्या 3,54,877 है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली से मुक्त कराये गये 1663 बच्चे शामिल हैं।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध 25,006 अभियोजन शुरु किए गए तथा 3394 नियोक्ता दोषसिद्ध पाये गये।

(घ) एनसीएलपी, योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ङ) बाल श्रम नीति के अंतर्गत, भारत सरकार निम्नलिखित तीन मुख्य घटकों के साथ बहुसूत्री कार्यनीति अपनाती है:

- विधिक कार्रवाई योजना
- बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान संकेन्द्रण; और
- बाल श्रमिकों की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यवाय अथवा प्रक्रिया में किसी बच्चे को नियोजित करता है जाहां बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया गया है, कम से कम तीन माह और अधिकतम एक वर्ष की करावास की सजा अथवा 101,000/- से 20,000/- रुपये के जुर्माने का भागी होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार कार्य से मुक्त कराये गये/हटाये गये बच्चों के पुनर्वास हेतु देश के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यान्वित कर रही है। परियोजना के अंतर्गत, कार्य से मुक्त कराये गये/हटाये गये बच्चों को विशेष विद्यालयों में दाखिल किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाए जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीएलपी योजना के अंतर्गत जारी राज्य-वार अनुदान (लाखों में अगले दशमलव तक पूर्ण की गयी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1.	आंध्र प्रदेश	399.52	705.69	1013.61
2.	असम	616.68	378.55	891.57
3.	बिहार	1661.44	727.43	1338.49
4.	छत्तीसगढ़	293.99	364.82	620.44
5.	गुजरात	169.64	165.01	67.12
6.	हरियाणा	63.28	186.77	99.10
7.	जम्मू और कश्मीर	0	25.66	50.60
8.	झारखण्ड	155.95	47.78	391.63
9.	कर्नाटक	447.03	64.47	220.74
10.	मध्य प्रदेश	560.92	608.25	1332.28
11.	महाराष्ट्र	419.39	433.32	973.17
12.	नागालैंड	21.43	40.87	36.55
13.	ओडिशा	862.56	1167.78	1374.26
14.	पंजाब	127.22	130.59	208.82
15.	राजस्थान	371.58	395.64	436.53
16.	तमिलनाडु	449.53	504.28	854.26
17.	उत्तर प्रदेश	1627.43	1772.83	1585.40
18.	उत्तराखंड	0	0	26.40
19.	पश्चिम बंगाल	1015.35	1537.63	2204.98

[अनुवाद]

दुग्ध-उत्पादों का आयात

650. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादों के आयात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादों के निर्यात में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दुग्ध उत्पादों के आयात और निर्यात मूल्य निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल 11-फरवरी 12)*
आयात	328.5	831.7	1114.4
निर्यात	653.6	918.3	292.5

*नवीनतम उपलब्ध आंकड़े

देश में इनकी कमी अथवा घरेलू कीमतों में अपेक्षाकृत वृद्धि के कारण इनका आयात किया जा रहा है।

स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) के निर्यात पर विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध है। घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) का निर्यात 18.02.2011 से 07.06.2012 तक निषिद्ध था। इसे 08.06.2012 से मुक्त किया गया था। इसी प्रकार छेना और छेने के उत्पादों का निर्यात 18.02.2011 से 30.04.2012 तक निषिद्ध थ्ना, इसे 01.05.2012 से लाइसेंस के तहत अनुमत किया गया है।

जातियों को अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी में शामिल करना

651. श्री जगदीश ठाकोर:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
योगी आदित्यनाथ:
श्री खगेन दास:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों ने कुछ विशिष्ट/अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए निर्धरित मानकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन जातियों की सूची क्या है जो अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क), (ख) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में विशिष्ट जातियों/जनजातियों आदि को शामिल करने के लिए, केन्द्र सरकार के पास इस समय विचाराधीन राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी समुदाय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने पर विचार करने के लिए अपनाए गए मानदंड इस प्रकार है:—

अनुसूचित जातियां:

अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा से होने वाला अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजातियां:

विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय के साथ सम्पर्क में अत्यधिक शर्म तथा पिछड़ापन।

(ङ) विशिष्ट प्रस्तावों पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) के संसद के अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है तथा संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

(i) अनुसूचित जातियों (ii) अनुसूचित जनजातियों की सूची में विशिष्ट जातियों/जनजातियों आदि को शामिल करने के लिए, केन्द्र सरकार के पास इस समय विचाराधीन राज्य-वार प्रस्ताव

(i) अनुसूचित जाति

क्र.सं.	राज्य	जाति
1	2	3
1.	बिहार	1. *तांति (तातवा)
		2. *कानू
		3. *प्रजापति (कुम्हार)
		4. *बढ़ई
2.	छत्तीसगढ़	5. महरा, महारा
		6. चिक गंदा, चिक चीक
		7. *औधेलिया, अधोलिया, अधोरिया, अधोलिया
3.	हरियाणा	8. कबीरपंथी जुलाहा
4.	कर्नाटक	9. बोवी (नन-बेस्ता) कल्लू वाद्दर, मन्नू वाद्दर
5.	केरल	10. मदिगा
		11. कोप्पलन
		12. पेरूवन्नाम
6.	मध्य प्रदेश	13. सखवार
7.	ओडिशा	14. चिक, चिक बादयक
		15. तायर, ताइर
		16. सितुरिया
		17. जयन्त्र पानो, जन पानो
		18. पुंडरा, पोड आदि (बंगाली शरणार्थी)
		19. खडल, खोडल
		20. गडिया केला
		21. अधूरिया डोम्ब, अधूरिया डोम
		22. रजक, राजक
		23. बेत्रा
		24. खटिया
		25. अघेरी केला, सिंदुरिया केला
		26. गोदिया केला
		27. पाना बैश्नब, पानो बैश्नब
		28. कालांदी, कालांदी वैश्नव, कालिंदी वैश्नव
		29. कंदर वैश्नव, कंदरा वैश्नव
		30. बौरी वैश्नव
		31. धोबा वैश्नव
		32. गोखा वैश्नव, गोख वैश्नव
		33. केसूरिया
		34. भिना, तुला भिना
		35. महेन्तर, मेहेन्तर
		36. सितारा
8.	उत्तराखंड	37. *नामशुद्र, पोड, पुंडरा

(ii) अनुसूचित जनजाति

क्र.सं.	राज्य	जनजाति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. मंडुला
		2. कोंडा कुम्मारी

*पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्ताव

1	2	3
2.	असम	3. मैदानी जिलों के करबीस तथा दिमसास
		4. हलाम
		5. तमांग
		6. फाक्स (फाकेश), खामयांग, तुरंग तथा आईटोन अंडर मैन (तई) बोलने वाली जनजातियां
		7. आदिवासी (चाय जनजाति) अहोम, माटक, मारण छुटिया
		8. अमरी कर्बी
		9. "मिरी" से "मिसिग" के नामरूप में परिवर्तन तथा "थेंगल काचरी" को शामिल करना
		10. सारानिया काचरी
		11. बोडो काचारी
3.	बिहार	12. कामकर, (खारवार)
		13. गौर, गोनर
		14. बाखो
		15. कृषि वैश्या, चासत, किसान के पर्याय के रूप में
4.	छत्तीसगढ़	16. अभुज मरिया तथा हिल कोरबा
		17. संवारा, सावर, सावारा के पर्याय के रूप में सोनरा
		18. प्रधान के पर्याय के रूप में पठारी (प्रविष्टि सं. 35)
		19. सावर, सावारा के पर्याय के रूप में सोरा, सहारा तथा सौरा तथा साउंडरा
		20. सौरा/सांवरा और बंजारा समुदाय सौर-संवारा सौनरा-संवारा
		21. पनिका
		22. महरा
		23. "भरिया भूमिया" के पर्याय के रूप में भूईया
		24. हलबा हलबी के पर्याय के रूप में नेकाह हलबा/तेलांगा (प्रविष्टि सं. 17), गडबा के पर्याय के रूप में गंडा प्रविष्टि सं. 15
		25. धानूहर धनुवार, धनवर के पर्याय के रूप में (प्रविष्टि सं. 14)
		26. रौतिया
		27. बिंझिया
		28. सबरिया
		29. रौतिया, मोवर, बंजारा, राजवर
5.	हिमाचल प्रदेश	30. बराड़, बंगला, हाटी (गिरीपर), डुडरा-कवारू
		31. हाटी (ट्रांस-गिरी क्षेत्र के लोग)
6.	जम्मू और कश्मीर	32. अरगोंस समुदाय (लद्दाख क्षेत्र)
		33. चोपन
		34. पहाड़ी बोलने वाले लोग
		35. सिप्पी के पर्याय के रूप में कोली
7.	झारखंड	36. खागर, बेर कोलह (तेली) खेतारू तथा कुर्मी/कुंडूमी (महतो) तथा घाटवर्ग
		37. पुरान
		38. तमरिया (तमडिया)
		39. रोतिया
		40. मुडारी
8.	कर्नाटक	42. गंगामाता (39 पर्याय)
		43. गोंदा (गोवड़) (हेलवा/येंडी/पिचगुतलु और गौवाली)
		44. हलाकी वोकालू

1	2	3
		45. नाईकडा के पर्याय के रूप में तलवाडा तथा पेरीवाड़ा
9.	केरल	46. मराती का पुनः समावेशन (कन्नौर जिले के ओसदुर्ग तथा कसारगौड़ में)
		47. पठियान
		48. वेतन तथा नयादी
10.	मध्य प्रदेश	49. कीर, मीना तथा परधी का पुर्न समावेशन
		50. मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में मांझी तथा मझावर के पर्याय के रूप में धीमर, केवल, कहार, भोई, कल्हा तथा निषाद
11.	महाराष्ट्र	51. बिंझवार के पर्याय के रूप में इंझवार
		52. महाराष्ट्र की जनजाति में धोबा के पर्याय के रूप में धोबी, पारित, वार्थी, राजक समुदाय
12.	ओडिशा	53. अमन्तिया
		54. भटाडा
		55. भोट्टार
		56. बोडो भोटाडा
		57. बंदा पराजा
		58. बोंडा पराजा
		59. बेलदार गोड
		60. बुडु कोंध
		61. बुढा कोंद
		62. बुरी कोंध
		63. बुडा कांधा
		64. बुरी कांधा
		65. बुढा कांधा
		66. बोडा सावरा

1	2	3
		67. बोडा सावर
		68. भीमा
		69. बाभिली साओरा
		70. भुक्ता
		71. भोगता
		72. भोकता
		73. भगता
		74. भागता
		75. भाघता
		76. भुनिया
		77. भुमिजा
		78. बोज गदाबा
		79. बारंग झोदिया परोजा
		80. चेरांगा कोल्हा
		81. चापुआ कमार
		82. धूर्व
		83. धुराव
		84. देसिया कोंध
		85. दोगंरिया कोंध
		86. डेसवा कन्धा
		87. देसी कंधा
		88. दादू कंधा
		89. दगूरिया कंधा
		90. दोंगरिय कंधा
		91. देसवा कोंध
		92. दादिया
		93. दुधा खरिया
		94. दालकी खारिया

1	2	3
		95. धंगारा
		96. इरंगा मुंडा
		97. इंरगा कोल्हा
		98. गम्पा कोया
		99. गुम्पा कोया
		100. गोंटार सौरा
		101. जादू सावर
		102. जुरई सावर
		103. जाटी सौरा
		104. जोडा सौरा
		105. जाुद सौराा
		106. जाठी सावर
		107. जोदिया कंध
		108. कौर
		109. कुमार
		110. कोटिया कोंध
		111. कंध गौड़ा
		112. कंध परोजा
		113. कुटिया कांधा
		114. खोंड परोजा
		115. कापू सौरा
		116. किदल सावर
		117. कम्पा सेऔरा
		118. काम्पो सौरा
		119. कुम्बी सौरा
		120. कुरूम्बा सौरा
		121. कनोहर सौरा
		122. कुडुबा सौरा

1	2	3
		123. कम्पा सौरा
		124. कोल्हा लुहार
		125. खांदियत भुनिया
		126. कोरा
		127. कोयटौर
		128. कलांगा
		129. कादर कौलंगा
		130. कांदिया
		131. कोंडा परोजा
		132. कोल कामर
		133. लुहुरा
		134. लोहार
		135. लबन
		136. लबाना
		137. लाहरा
		138. लौर
		139. लुहार
		140. लोधा खादिया
		141. मेरिया गोड
		142. मलुआ कंधा
		143. मुली कंधा
		144. मानो सावर
		145. मुथा सावर
		146. मुथा सौरा
		147. माना सौरा
		148. मसारा कोया
		149. मल्लाह सौरा
		150. मल्ला सावर

1	2	3
		151. मनकिडिया
		152. नागेश्वर
		153. नागाबंश्यीमुंडा
		154. ओलेरा गाडबा
		155. ओरिया सौरा
		156. ओरिया कंधा
		157. पेंगा परोजा
		158. पेगू परोजा
		159. पोरजा
		160. परजिया
		161. परोजा भुयन
		162. पौरी भायन
		163. पोडी भुयन
		164. पैक भुयन
		165. पैडी भुयन
		166. पराजा भुयन
		167. प्रजा भुयन
		168. पुरान
		169. पहाडी खरिया
		170. पेंगू कांधा
		171. पत्रा सावरा
		172. पाबा
		173. राजकुली भुयन
		174. रौताली भुयन
		175. राजकोली भुयन
		176. राजोडी भुयन
		178. राजा कंधा
		179. रोतिया

1	2	3
		180. सुधो सौरा
		181. सुना सौरा
		182. सुधा सावर
		183. सुधा सौरा
		184. साना भोटाडा
		185. सना गडाब
		186. सतारा खारिया
		187. सैलिया परोजा
		188. सिंगलाल भूमिहा
		189. सारा
		190. सरा
		191. तंकला सावर
		192. तंकला सौरा
		193. तमोडिया भूमिजा
		194. तमुडिया भूमिजा
		195. तमंदिया भूमिज
		196. तमरिया
		197. तमुलिया भूमिजा
		198. तमडिया भूमिज
		199. ताली भूमिजा
		200. टिकिरिया कंधा
		201. तिकरी कांच
		202. उराम
		203. दोरू
		204. नकाशिया/नकशिया
		205. कंधा कुम्हार
		206. तंला गोडा
		207. झोदिया

1	2	3
		208. उराम/उरोन
		209. आंति दोरा/इंटी दोरा
		210. मुरिया
		211. पैयका भुयन/पैक भुयन
		212. पहाडिया (कामर)
		213. ओरन मुदी
		214. सौलगीरि/स्वागीरि (साबर)
		215. मणि दोरा/माना दौरा/माने दौरा
		216. पराजा भुयन
		217. कोंदा रेड्डी/कोंदा रेद्दी
		218. भिल
		219. पुरान/भूंजा पुरान/तामदिया पुरान/तामुदिया पुरान/तामूरिया पुरान/तामरिया पुरान
		220. "कुई" के स्थान पर "कुई खांडा" का समावेशन
13.	पुदुचेरी	221. (i) इरूलर (विल्ली तथा वटईकरण सहित) (ii) कुटुनायाकन (iii) मलईपुरावन (iv) येरूकुला (v) कुरूमन
14.	राजस्थान	222. गुर्जर
15.	तमिलनाडु	223. मलायाली गौंडोर (क्षेत्र प्रतिबंध बिना)
		224. कुरावन, सिधानर तथा 26 अन्य कौरावर
		225. नारीकूरावर
		226. "कुर्मन" अनुसूचित जनजाति के पर्याय के रूप में कुर्मा, कुर्मन, कुरूम्बा, कुरम्बा, गोडेर, कुरूम्बान तथा कुरूम्बार समुदाय
		227. अनुसूचित जातियों (20 अनुसूचित जनजातियों) के मौजूदा नाम में परिवर्तन
		228. वेटईकरण तथा वेटईकरणायाकन
16.	त्रिपुरा	229. डारलोंग
17.	उत्तराखंड	230. भोटिया ब्राह्मण तथा भोटिया राजपूत
		231. पिथौरागढ़ तहसील के मुन्सियारी तथा धार चूला निवासियों का समावेशन
18.	उत्तर प्रदेश	232. निशाद
		233. कोल तथा बंजारा
		234. गुज्जर, बनमानुष, धाांगर/औरान, रावत, डंका, बेर, पराचिनर, सपेरा, काहर, गोडला, पथन, दीमर, सोसिया, रायकवर, बोटे, डांगरी, तवर, सिंघानिया, गुसाई/जोगी, बरूवा माघ, मीणा, मैना, बजानिया
		235. रवलता तथा जौनपुरी के रूप में ज्ञात रवलता-जौनपुरी
		236. नायक तथा चमार मंगता (घुमंतु)
19.	पश्चिम बंगाल	237. खोम्बु (राय), गुरूंग
		238. देशवाली माझी
		239. भटारा, धीमल, मुडी कोरा (कोरा के पर्याय के रूप में) मल पहारिया, मेच, औरोन-धाांगर, लेपचा के पर्याय के रूप में रोंग, कुमारभाग, बोडो।
		240. थामी
		241. खास
		242. धीमल
		243. गोरखा

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का स्थिति परिवर्तन

652. **श्री देवजी एम. पटेल:**
श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजस्थान सहित राज्य-वार एक-लेन/दो-लेन/चार-लेन/छह-लेन/आठ-लेन वाली कुल कितनी लम्बाई की सड़कें/राजमार्ग हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों की ओर से देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के अल्पविकसित और पिछड़े जिलों में, राजमार्गों को चार/छह/आठ-लेन वाले राजमार्ग में बदलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में परिवर्तन करने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा, विशेषकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र के संदर्भ में क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) विलंबित/लंबित परियोजनाओं, यदि कोई हों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं एवं इन परियोजनाओं के प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का रख-रखाव निर्धरित मानकों के अनुसार कर रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) इस मंत्रालय का प्राथमिक दायित्व राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण करना है। 2-लेन से कम, 2-लेन और 4-लेन और अधिक लेनों के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का राजस्थान राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता ओर परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यद्यपि इस मंत्रालय ने क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जैसे कि अरूणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम जिसमें 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के 34 जिले शामिल हैं, तथापि देश के अल्प विकसित और पिछड़े जिलों में सड़क संपर्क विकास के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है।

विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार/छह/आठ लेनों में परिवर्तित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) बीओटी आधार पर 6-लेन का बनाए जाने वाले रारा-8 के गुडगांव-जयपुर खंड का अनुरक्षण रियायतग्राही द्वारा रियायत करार के प्रावधानों के अंतर्गत उनके दायित्व के रूप में किया जा रहा है।

विवरण I

राजस्थान राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 लेन से कम, 2 लेन और 4 लेन तथा अधिक लेन की लंबाई

(लंबाई किमी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल लंबाई	2 लेन से कम	2 लेन	4 अथवा अधिक लेन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4,537	318	1,849	2,370
2.	अरूणाचल प्रदेश	2,027	1,811	216	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2,940	505	2,007	428
4.	बिहार	4,106	1,537	1,812	756
5.	चंडीगढ़	24	0	0	24
6.	छत्तीसगढ़	2,289	370	1,758	160
7.	दिल्ली	80	0	0	80
8.	गोवा	269	42	201	26
9.	गुजरात	4,032	140	2,032	1,859
10.	हरियाणा	1,633	31	826	776
11.	हिमाचल प्रदेश	1,506	842	646	18
12.	जम्मू और कश्मीर	1,245	353	779	113
13.	झारखंड	2,170	792	1,133	245
14.	कर्नाटक	4,396	820	2,316	1,260
15.	केरल	1,457	298	1,039	120
16.	मध्य प्रदेश	5,064	1,126	2,986	952
17.	महाराष्ट्र	4,257	51	2,524	1,682
18.	मणिपुर	1,317	850	444	23
19.	मेघालय	1,171	665	506	0
20.	मिजोरम	1,027	784	243	0
21.	नागालैंड	494	291	203	0
22.	ओडिशा	3,704	676	2,494	534
23.	पुदुचेरी	53	0	49	4
24.	पंजाब	1,557	0	891	666
25.	राजस्थान	7,130	1,422	3,668	2,040
26.	सिक्किम	149	149	0	0
27.	तमिलनाडु	4,943	60	2,637	2,245
28.	त्रिपुरा	400	362	38	0
29.	उत्तर प्रदेश	7,818	358	5,366	2,095
30.	उत्तराखंड	2,042	1,564	464	14
31.	पश्चिम बंगाल	2,681	478	1,593	610
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	300	300	0	0

मार्च, 2012 के अनुसार स्थिति।

विवरण II

पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के 4/6/8 लेन में परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त और अनुमोदित प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	2	1
4.	गुजरात	7	4
5.	हरियाणा	7	7
6.	कर्नाटक	1	1
7.	महाराष्ट्र	9	2
8.	मणिपुर	2	2
9.	मेघालय	1	0
10.	पंजाब	4	4
11.	राजस्थान	5	3
12.	उत्तर प्रदेश	6	6
13.	उत्तराखंड	1	1

[अनुवाद]

'आकाश' मिसाइल का परीक्षण

653. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ) ने परमाणु अस्त्रसस्त्र ले जाने में सक्षम 'आकाश' मिसाइल का ओडिशा के बालासौर जिले में चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण-रेंज से सफलतापूर्वक दोहरा परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार कने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली आकाश परमाणु शस्त्र ले जाने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है। दो आकाश प्रक्षेपास्त्रों के ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से 01 जून, 2012 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। ये परीक्षण उत्पादित लॉट का इस्तेमाल करते हुए भू-प्रणालियों के हार्डवेयर और साफ्टवेयर की अभिपुष्टि के लिए किए गए थे।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन

654. श्री पी.सी. मोहन:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री सुदर्शन भगत:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में, वर्तमान तिमाही के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कमी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी माह-वार और क्षेत्र-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और औद्योगिक उत्पादन कम होने का क्या कारण है तथा इसका सकल घरेलू उत्पाद एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रें में औद्योगिक वृद्धि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रुपये के लगातार अवमूल्यन/उच्च मुद्रास्फीति और यूरोप के देशों में हाल की मंदी के कारण औद्योगिक क्षेत्र को काफी घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हाल की मंदी के कारण कौन-कौन से क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा सरकार ने देश में औद्योगिक विकास/वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सुधरात्मक कदम उठाये हैं;

(च) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने इस वर्ष के दौरान भारत के विकास संबंधी पूर्वानुमानों में कमी की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विकास संबंधी पूर्वानुमानों में कटौती के क्या कारण हैं; और

(ज) क्या सरकार अनेक तिमाहियों के आई.आई.पी. आंकड़ों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसके प्राधिकृत आंकड़े प्रकाशित करने के लिए क्या सुधरात्मक कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की विकास दर 2011-12 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.0 प्रतिशत से घटकर वर्तमान वर्ष अर्थात 2012-13 की अप्रैल-जून तिमाही में -0.1 प्रतिशत हो गयी है।

(ख) वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए अप्रैल-जून तिमाही का क्षेत्र-वार तथा माह-वार आईआईपी विकास अनुबंध-I की तालिका-1 में दिया गया है। विनिर्माण तथा खनन क्षेत्रों से आईआईपी विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में किरावट के लिए मुख्य कारणों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कम घरेलू मांग, ब्याज दरों में वृद्धि आदि शामिल है जबकि विनियामक तथा पर्यावरणात्मक मुद्दे, न्यायालय आदेश, धात्विक खनिजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी आदि खनन क्षेत्र के उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। अत: इन क्षेत्रों में मंदी से संभवतया सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान औद्योगिक विकास का क्षेत्र-वार तथा कोर क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण की क्रमश: तालिका-2 तथा तालिका-3 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र की हानियों तथा रुपये में गिरावट अथवा मुद्रास्फीति अथवा यूरोपीय देशों में हाल की गिरावट के बीच परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है फिर भी ये कारक देश के औद्योगिक विकास से संबंध रखते हैं। रुपये की गिरावट उन उद्योगों के उत्पादन की लागत को बढ़ा सकती है जो कच्ची सामाग्रियों के आयात, कैपिटल गुड्स आदि पर निर्भर है; मुद्रास्फीति का दबाव विनिर्माण लागत को बढ़ाता है तथा घरेलू मांग को भी कम करता है; तथा यूरोपीय देशों में मंदी निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

सरकार ने देश में औद्योगिक वातावरण और विनिर्माण में सुधार के लिए विश्वास बहाली के उपाय शुरू कर दिए हैं। सरकार ने 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने तथा 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को मंजूरी दी। एनएमपी के साधनों में से एक साधन योजनाबद्ध एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) का निर्माण करना है। नौ एनआईएमजेड की घोषणा की गई है जिनमें से आठ दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ हैं। अन्य उपायों में प्रेस नोटों को एक दस्तावेज में समेकित करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संवर्धन सहित औद्योगिक निवेश का संवर्धन तथा सरलीकरण; उद्योग से संबंधित कुशलता का विकास; औद्योगिक परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उद्योग संघों और हितधारकों के साथ नियमित बैठकें शामिल हैं।

तेल और गैस के उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन तथा ऐसी संबद्ध गतिविधियों के लिए जो पूंजी गहन हैं तथा जिनमें महंगी अत्याधुनिक प्रौद्योगिक के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है, विदेशी कंपनियों समेत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दे रही है।

धात्विक खनिजों (लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने दिसम्बर, 2011 में संसद में पेश किए गए खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) विधेयक, 2011 के रूप में विधायी सुधारों; पर्यावरण एवं वन मंजूरी के लंबित मामलों की तिमाही समीक्षा आदि द्वारा निवेश के लिए आकर्षण वातावरण तैयार किया है।

(च) और (छ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट 16 जुलाई, 2012 ने कमजोर बाहरी वातावरण, घरेलू मांग में मंदी, क्षमता संबंधी बाधाओं और नीतिगत कठोरता के कारण 2012 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत (अप्रैल 2012 में अनुमानित) से कम करके 6.1 प्रतिशत (जुलाई 2012 के अनुमान के अनुसार) दर्शायी है।

(ज) किसी विशेष माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा त्वरित अनुमान (क्यूई) के रूप में छह माह पश्चात जारी किया जाता है। इसके बाद एक माह पश्चात क्यूई की पहली समीक्षा की जाती है तथा क्यूई जारी करने के तीन महीने बाद इस अवधि के दौरान प्राप्त अतिरिक्त/संशोधित उत्पादन आंकड़ों को शामिल करते हुए अंतिम समीक्षा की जाती है। आईआईपी आंकड़ों की उन महीनों/तिमाहियों के लिए पुन: समीक्षा करने का कोई एजेंडा नहीं है जिन्हें उपर्युक्त के अनुसार पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

औद्योगिक उत्पादन की संरचना और संयोजन में गति हासिल करने के लिए आईआईपी के आधार वर्ष में नियमित अंतराल पर संशोधन किए जाते हैं। तदनुसार आईआईपी के समेकन में इस्तेमाल की जाने वाली मौजूदा पद्धति की समीक्षा और नये आधार वर्ष के प्रतिस्थापन के लिए, नये धारिता आरेख को अंतिम रूप देने, उचित मदों और उनके लिए आंकड़े एकत्रित करने की पद्धति के चुनाव तथा इस संबंध में अपनी सिफारिशें देने के लिए डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन किया गया है।

विवरण

तालिका-1: 2011-12 और 2012-13 की पहली तिमाही के लिए आईआईपी की क्षेत्र-वार और माह-वार वृद्धि दर (% में)

(आधार: 2004-05)

	अवधि	खनन	विनिर्माण	विद्युत	कुल
	2011-12				
पहली तिमाही	अप्रैल	1.6	5.7	6.5	5.3
	मई	1.8	6.3	10.3	6.2
	जून	-1.4	11.1	8.0	9.5
	2012-13				
पहली तिमाही	अप्रैल	-3.2	-1.2	4.6	-0.9
	मई	-0.6	2.6	5.9	2.5
	जून	0.6	-3.2	8.8	-1.8

तालिका-2: आईआईपी के संबंध में उद्योग की वृद्धि (% में)

(आधार: 2004-05)

क्षेत्र	भारिता	2009-10	2010-11	2011-12
खनन एवं उत्खनन	14.2	7.9	5.2	-2.0
विनिर्माण	75.5	4.8	9.0	3.0
विद्युत	10.3	6.1	5.5	8.2
कुल	100	5.3	8.2	2.9

तालिका-3: मुख्य क्षेत्र उद्योगों की वृद्धि (% में)

(आधार: 2004-05)

क्षेत्र	भारिता	2009-10	2010-11	2011-12
कोयला	4.38	8.1	-0.2	1.2
कच्चा तेल	5.22	0.5	11.9	1.0
प्राकृतिक गैस	1.71	44.6	10.0	-8.9
रिफाइनरी उत्पाद	5.94	-0.4	3.0	3.2
उर्वरक	1.25	12.7	0.0	0.4
स्टील	6.68	6.0	13.2	7.0
सीमेंट	2.41	10.5	4.5	6.7
विद्युत	10.32	6.2	5.6	8.1
समग्र सूचकांक	37.90	6.6	6.6	4.4

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण

655. **श्री नामा नागेश्वर राव:**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वायुसेना सहित सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) तीनों सेनाओं के किन-किन क्षेत्रों तथा ढांचे को उभरती सुरक्षा-चुनौतियों से निपटने के मद्देनजर मजबूत किया जाना है; और

(ङ) पड़ोसी देशों से उत्पन्न किसी खतरे से निपटने के लिए तीनों सशस्त्र सेनाओं को कब तक आधुनिकीकृत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) वायुसेना सहित सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों, प्रौद्योगिकी परिवर्तनों

तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। यह प्रक्रिया एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), पंचवर्षीय सेना पूंजीगत अर्जन योजना (एससीएपी) तथा वार्षिक अर्जन योजना (एएपी) पर आधारित है।

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत अर्जन हेतु बजट आबंटन इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

सेवा	बजट प्राक्कलन (बीई) 2012-13
सेना	13724.14
नौसेना	23252.71
वायुसेना	28533.00
संयुक्त स्टाफ	522.39
तटरक्षक	1640.00
योग	67672.24

(घ) और (ङ) सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों, उभरती प्रौद्योगिकी तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है। आधुनिकीकरण व्यापक होता है और इसमें सशस्त्र सेनाओं के सभी बड़े भागों को शामिल किया जाता है।

एन.एम.डी.सी. द्वारा निविदा मंजूर करने में अनियमितता

656. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा निविदा मंजूर करने में अनियमितता बरतने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निविदाओं को मंजूरी देने में हुई तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) एनएमडीसी द्वारा निविदा की मंजूरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और इसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (छ) नागरनार में स्थित एकीकृत इस्तपात संयंत्र के लिए रोलिंग मिल तथा हॉट स्ट्रिप मिल हेतु थिन स्लैब कास्टर की स्थापना करने के लिए एनएमडीसी द्वारा निविदाएं मंजूर करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में कुछ अभयावेदन प्राप्त हुए थे। प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि कोई अनियमितता नहीं की गई थी। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), एनएमडीसी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह से इन अभ्यावेदनों की आगे जांच की जा रही है।

तथापि, निविदाएं मंजूर करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एनएमडीसी ने 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की खरीदारी के प्रत्येक मामले में और 20 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमान वाले सभी कार्यों के मामले में सत्यनिष्ठा समझौता शुरू किया है जिस पर एनएमडीसी ओर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होते हैं। 10 लाख रुपये से अधिक अनुमान वाले कार्य एनएमडीसी द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों, कंपनी की वेबसाइट क्रय पोर्टल में व्यापक प्रचार करके ख्चुली निविदाओं के आधार पर दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

कृषि-उत्पादों का निर्यात

657. श्री आर.के. सिंह पटेल:
श्री राम सुन्दर दास:
श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री जगदानंद सिंह:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री ए. सम्पत:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चावल, गेहुं, दालों, तिलहन और चीनी सहित कृषि उत्पादों का देश-वार, मूल्य-वार और मद-वार कितनी मात्र में निर्यात/आयात हुआ और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या इन कृषि उत्पादों के निर्यात का घरेलू मांग और आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारी पैदावार होने तथा भंडारण क्षमता में कमी होने की स्थिति में गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न का कितने प्रतिशत निर्यात करने की अनुमति है;

(ङ) सरकार का बासमती चावल, गेहूं और चीनी के अतिरिक्त, गैर-बासमती किस्मों के चावल के निर्यात की भी अनुमति देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने तथा बिहार सहित विभिन्न राज्यों में कृषि-आधरित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। यूनाइटेड कमॉडिटी ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डाटाबेस (यूएन कॉमट्रेड) 2010 के अनुसार वैश्विक कृषि व्यापार में भारत का हिस्सा केवल 1.48% है। विश्व कृषि व्यापार में भारत का हिस्सा अपेक्षिाकृत कम है। यह कम हिस्सा मुख्य रूप से लघु जोत आकार, कम उत्पादकता, वृहत घरेलू खपत, आपूर्ति शृंखला तथा बाजार संपर्कों में बाधा के साथ-साथ प्रसंस्करण के निम्न स्तर के कारण है।

(ख) भारत से कृषि वस्तुओं के निर्यात एवं आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निर्यात

(मात्रा टन में, मूल्य मिलियन अम. डा. में)

मद	2009-10		2010-11		2011-12	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
चाय	207532	623.29	238336	736.45	324799	859.66
कॉफी	157414	429.74	232627	661.77	278937	952.62
दालें	99915	86.75	208031	190.52	174205	227.58
चावल-बासमती	2016871	2289.35	2370681	2493.92	3211843	3217.13
चावल (गैर बासमती)	139546	76.38	100681	50.86	4099014	1725.14
गेहूं	30	0.01	397	0.15	741191	202.18
अन्य अनाज	2892416	625.71	3220093	803.61	4072369	1125.23
मसालें	663206	1301.60	762713	1768.08	931257	2741.12
चीनी	44736	23.20	1714372	1198.92	2747365	1841.06
काजू	117980	591.35	105755	619.23	131787	915.24
तिल	215733	316.15	398441	507.25	399411	553.18
मूंगफली	340256	302.42	433762	480.45	853080	1093.72
गवारगम खाद्य	218480	240.70	441612	646.08	706963	3321.61

1	2	3	4	5	6	7
तेल खाद्य	4671135	1658.83	6936933	2437.90	7436223	2413.68
केस्टर तेल	397997	461.63	424485	654.00	492595	971.76
रामतिल	6004	5.10	12863	9.85	28225	24.83
फल/सब्जियों के बीज	8883	30.57	11622	40.52	17655	59.39
ताजे फल		479.55		478.63		523.32
ताजी सब्जियां		621.82		559.53		597.60
प्रसंस्कृत सब्जियां		158.68		167.88		221.33
प्रसंस्कृत फल एवं रस		245.04		228.64		343.88
कुल कृषि निर्यात		10568.23		14734.24		23931.26

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस) प्रसंस्कृत।

यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, यूएसई, ईरान, बांग्लादेश, कुवैत, वियतनाम, अमेरिका आदि भारतीय कृषि उत्पादों के कुछ प्रमुख गंतव्य देश है।

आयात

(मात्रा टन में, मूल्य मिलियन अम. डा. में)

मद	2009-10		2010-11		2011-12	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
गेहूं	164383	50.37	185280	55.46	22	0.02
चावल	65	0.08	219	0.24	1080	1.21
अन्य अनाज	33691	16.38	30680	13.12	15356	6.42
अनाज विनिर्मितियां	40838	39.76	37095	50.26	46249	62.83
दालें	3509569	2077.90	2698657	1565.44	3307867	1821.95
चाय	34460	58.21	20823	44.32	22061	44.87
काजू	755956	639.58	529734	577.84	809372	1135.59
काजूगिरि को छोड़कर फल एवं मेवें		607.27		801.28		939.78
मसालें	153398	302.55	113332	342.16	124332	442.21

1	2	3	4	5	6	7
चीनी	2551416	1271.54	1198384	610.18	99696	65.01
तिलहन		38.92		25.47		20.32
वनस्पति तेल	8033924	5600.49	6905431	6551.04	8429076	9665.44
कुल कृषि आयात		10703.13		10636.83		14205.65

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)।

भारत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील और घाना से कृषि उत्पादों का आयात करता है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों का निर्यात कार्यनीतिक भण्डार सहित बफर स्टॉक की अपेक्षा घरेलू खाद्य सुरक्षा, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, आयातक देशों में गुणवत्ता मानक, व्यापार की जाने वाली किस्मों तथा कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के अतिरिक्त अधिशेष की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ङ) किसी मात्रात्मक प्रतिबंध या कीमत संबंधी प्रतिबंध के बिना 9 सितम्बर, 2011 से निजी रूप से रखे गए स्टॉकों से गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है।

(च) सरकार द्वारा वस्तु बोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषदों की योजनागत स्कीमों के अंतर्गत उपायों एवं प्रोत्साहनों के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) बाजार सहायता पहल (एमएआई), अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एसाइड) स्कीम विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना (वीकेजीवीवाई), फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता के शहर आदि जैसी विभिन्न स्कीमें लागू की हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापार शिष्टमंडलों को विदेश भेजा जाता है और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया जाता है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) समग्र कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अपने यहां पंजीकृत पात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है।

ऋण-पुनर्संरचना प्रस्ताव

658. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री सी. शिवासामी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री प्रदीप माझी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वस्त्र उद्योग को उबारने के लिए ऋण पुनर्संरचना प्रस्ताव विरचित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या तंत्र बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कपास के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण लघु और मध्यम स्तर की वस्त्र मिलें सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न वस्त्र मिलों की सहायता के लिए आवधिक ऋणों को दो वर्ष तक स्थगित करने सहित पुनर्संरचना प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा;

(ङ) क्या वस्त्र मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कर्ज से दबे वस्त्र उद्योग के लिए ऋण पुनर्संरचना करने हेतु अनुरोध किया है और इस संबंध में विभिन्न हितग्राहियों से चर्चा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चर्चा के दौरान कौन-कौन से उपाय निकाले गये हैं;

(छ) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग और बैंकों के बीच समन्वय के लिए कोई समिति गठित की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने बैंकों को वस्त्र उद्योग के ऋणों को मामला दर मामला आधार पर बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्संरचना को भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुनर्संरचित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

(ग) जी हां। बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्किट ने वस्त्र उद्योग में दबाव पर अपनी आकलन रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वस्त्र उद्योग को दिया गया निधि आधारित ऋण (टीयूएफएस सहित) 155,809 करोड़ रुपए है। 15,542 करोड़ रुपये के अनुमानित गैर-निधि ऋण को जोड़कर बैंकों का वस्त्र उद्योग को दिया गया ऋण 171,351 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 12 के लिए 303 कंपनियों के राजस्व एवं लागत अनुमान के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट लिमिटेड की ईबीआईटी 13,311 करोड़ रुपये हो गई है। इस ईबीआईटी के संबंध में 17,942 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के देय ऋण + ब्याज पर कुल 25.8% (अथवा 4,630 करोड़ रुपये) का घाटा हो रहा है। उनकी गणना के आधार पर यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 12 के अंत में कुल ऋण 100,617 करोड़ रुपये होगा जिसमें से 25.8% को पुननिर्पधारित किए जाने की आवश्यकता है। यह 25,967 करोड़ रुपये बैठता है, एवं यदि अन्य 10,000 करोड़ रुपये भी जोड़े जाते हैं जो कि इन्वैंट्री की कीमत में हानि होगी, तो कुल ऋण जिसे पुनर्निधारित किए जाने की आवश्यकता होगी वह 36,000 करोड़ रुपये होगा।

(घ) बैंकों के द्वारा आरबीआई के विस्तृत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्संरचना को बैंकों के पास आवेदनों के निर्धारित प्रपत्रों में जमा होने के बाद 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।

(ङ) और (च) जी हां। तत्कालीन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ऋण पुनर्संरचना पर एक बैठक आयोजित हुई जिसमें लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:

(क) बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्किट द्वारा विस्तृत अध्ययन एवं पुनर्संरचना प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक के विचारार्थ भेजा जाए।

(ख) प्रत्येक बैंक मामला दर मामला आधार पर वस्त्र मंत्रालय हेतु ऋणों की पुनर्संरचना के लिए एक विंडो उपलब्ध कराएगा।

(ग) प्रशासनिक मंत्रालय मामला दर मामला पुनर्संरचना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए उद्योग को गतिशील बनाएंगे।

(घ) उद्योग द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए एक अंतः मंत्रालयी अधिकारी समूह का गठन किया जाए।

अध्ययन रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित कर दी गई थी, जिसने 29 जून, 2012 को अपने उत्तर में कहा है

(i) दूसरी पुनर्संरचना में संपत्ति वर्गीकरण लाभ का मामला तर्कसंगत नहीं है।

(ii) प्रावधानीकरण के लिए मांगी गई छूट को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि प्रावधानीकरण संभावित घाटे के प्रति पहला रक्षात्मक उपाय होता है।

(iii) आरबीआई ने मूलधन के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध एवं 3 से 5 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी को कार्यशील पूंजी अवधि ऋण में परिवर्तित करने के संबंध में अपनी 'अनापत्ति' जाहिर कर दी है।

आरबीआई के परामर्श के परामर्श के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय ने बैंकों को मामलादर मामला आधार पर वस्त्र मंत्रालय के ऋणों की पुनर्संरचना हेतु एक विशेष विंडो बनाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

(छ) और (ज) सरकार द्वारा ऋणों की पुनर्संरचना हेतु बैंकों एवं वस्त्र उ़ोग के साथ समन्वय करने के लिए 13 जून, 2012 को अधिकारियों का एक समूह गठित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण

659. **श्री पी.के. बिजू:**
श्री भूपेन्द्र सिंह:
योगी आदित्यनाथ:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री महाबल सिंह:
श्री रवनीत सिंह:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी लम्बाई कितने किलोमीटर है;

(ख) सरकार द्वारा सड़कों की स्थिति/जर्जर राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में क्या सर्वेक्षण/अधयरन कराया गया है और जर्जर स्थिति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए विशेषकर महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब राज्यों हेतु, कितनी राशि जारी/आबंटित की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जिन राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों की मरम्मत की गई उनका राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत हेतु सरकार द्वारा नियत किए गए मानकों का अनुपालन नहीं होने के संबंध में शिकायतों, यदि कोई हों तो, राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है; और

(च) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है और इस संबंध में ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंधों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (च) इस मंत्रालय का प्राथमिक दायित्व राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास ओर अनुरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का आवधिक आकलन कार्यपालक एजेंसियों द्वारा क्षति के प्रकार ओर मात्रा को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक उपाय किए जाने के लिए किया जाता है। तदनुसार, देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को समय-समय पर उपलब्ध संसाधनों की सीमा में यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

इस मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि मंत्रालय के विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप पूर्व-अपेक्षित आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करना संभव नहीं होता। यह मंत्रालय अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग की अवस्था के आधार पर निधि आवंटित करके उपलब्ध निधि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय का महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हालत के बारे में प्राप्त शिकायतों का समाधान उपलब्ध संसाधनों की सीमा में किया जाता है।

विवरण I

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (किमी)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18I, 43, 63, 202, 205, 214, 214I, 219, 221, 222 और 234	4,537
2.	अरूणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी वि., 37 वि. और 315ए	2,027
3.	असम	31, 31सी, 31सी, 36, 37, 37I, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52सी, 53, 54, 61, 62, 127सी, 151, 152, 153, 154 और 315ए	2,940
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28सी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 131I, 327वि., 333 और 527सी	4,106
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111, 221 और 343	2,289

1	2	3	4
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	80
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-आई 6, 8, 8ए, 8सी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 76ए, 113 228, 360, 347 और 953	4,032
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए , 71सी, 236, 709 वि. और एनई-II	1,633
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21, 22, 22ए, 70, 72, 72सी, 88, 73ए और 305	1,506
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1सी, 1सी और 1डी	1,245
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114।, 333 और 343	2,170
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207,209, 212, 218 और 234	4,396
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213, और 220	1,457
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी 27, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92 और 927ए	5,064
17.	महाराष्ट्र	3, 3सी, 4, 4सी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26सी, 50, 69, 204, 211 और 222	4,257
18.	मणिपुर	39, 53, 102सी, 102सी, 137, 150, और 155	1,317
19.	मेघालय	40, 44, 51, 62 और 127बी	1,171
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54सी, 150, 154 और 502ए	1,027
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	ओडिशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3,704
23.	पुदुचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1,557
25.	राजस्थान	3, 3ए, 8, 11, 11ए, 11सी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 65ए, 71सी, 76, 76ए, 76सी, 79, 79।, 89, 90, 113, 112, 114 , 116, 116ए, 158, 162वि., 709 वि. और 927ए	7,130
26.	सिक्किम	31ए और 310	149
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45सी, 45सी, 46, 47, 47सी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230, 234 और 532	4,943
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400

1	2	3	4
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72सी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 वि. और 125	2,042
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 3ए, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24सी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28सी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56सी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93 ,96, 97, 119, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330ए, 730, 730ए, 931, 931ए और एनई-II	7,818
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2सी, 2बी वि., 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, 114ए, 116बी और 117	2,681
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300

विवरण II

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब राज्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित और किए गए व्यय

(धनराशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन[1]	व्यय[2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	56.25	63.89	67.06	64.13	68.92	62.33	101.24	0.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.91	2.73	26.53	27.07	6.00	4.89	54.05	0.00
3.	असम	78.85	67.19	111.36	99.04	62.90	43.91	81.66	0.00
4.	बिहार	69.51	50.92	93.84	79.06	78.09	50.60	60.97	1.01
5.	चंडीगढ़	0.75	0.67	0.66	0.31	0.46	0.37	0.98	0.00
6.	छत्तीसगढ़	33.40	31.94	22.66	22.66	15.97	12.65	62.04	0.00
7.	दिल्ली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	1.65	0.00
8.	गोवा	5.35	4.93	4.85	1.66	4.97	3.60	11.89	0.03
9.	गुजरात	43.03	41.68	82.74	82.21	66.20	61.88	69.90	15.47
10.	हरियाणा	18.97	18.61	30.06	28.15	22.58	21.60	18.39	1.65
11.	हिमाचल प्रदेश	31.37	26.43	22.25	21.69	37.95	35.79	82.78	7.00
12.	झारखंड	28.97	18.23	33.20	32.92	17.30	16.23	50.98	3.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	कर्नाटक	64.76	66.98	77.61	61.43	53.79	46.40	112.04	12.57
14.	केरल	28.50	60.45	52.08	41.88	34.62	22.27	50.99	0.00
15.	मध्य प्रदेश	57.15	59.53	45.39	43.30	33.01	19.04	55.60	0.00
16.	महाराष्ट्र	66.98	65.38	104.40	99.50	111.73	94.96	107.52	2.24
17.	मणिपुर	7.24	7.61	18.68	17.46	27.82	13.71	15.07	0.00
18.	मेघालय	14.78	17.79	48.92	44.93	58.85	34.70	25.09	0.65
19.	मिजोरम	3.58	2.22	39.69	37.44	24.42	17.98	41.97	1.71
20.	नागालैण्ड	12.30	10.72	14.57	12.77	55.53	49.51	28.36	1.71
21.	ओडिशा	59.50	61.83	80.77	80.77	35.81	32.18	90.11	8.75
22.	पुदुचेरी	1.63	0.89	3.46	1.64	0.77	0.30	2.30	0.00
23.	पंजाब	23.00	26.86	21.38	16.13	17.67	14.84	39.95	1.13
24.	राजस्थान	76.53	48.39	85.72	77.30	106.30	97.42	121.85	0.37
25.	तमिलनाडु	32.62	41.21	54.36	53.90	42.98	33.74	54.47	4.64
26.	उत्तर प्रदेश	73.93	84.83	97.50	97.11	100.28	84.20	120.19	4.27
27.	उत्तराखंड	25.31	23.40	73.59	59.46	64.79	34.80	60.01	2.22
28.	पश्चिम बंगाल	27.15	36.70	57.65	54.75	26.57	22.14	45.66	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	0.00
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)$	87.94	87.94	617.65	617.65	95.42	95.42	100.00	100.00
31.	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)$	24.00	23.73	65.00	44.50	55.00	55.00	70.00	7.12

ε-अनंतिम

1-जून, 2012 के अनुसार स्थिति

2-जुलाई, 2012 के अनुसार स्थिति

$भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

660. **श्री पी. बलराम नायक:**
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात की मांग में क्रमिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 'सेल' के संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना में विलंब हुआ है जिससे इन संयंत्रों में इस्पात उत्पादन की लागत बढ़ी है और उत्पादन में गिरावट आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। फिनिश्ड स्टील के राज्य-वार प्रेषण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उल्लेखित अवधि के दौरान सेल का क्रूड स्टील का उत्पादन निष्पादन निम्न प्रकार है:

सेल-उत्पादन में प्रवृत्तियां (मिलियन टन अथवा एमटी)

सेल	वर्ष		
	2009-10	2010-11	2011-12
क्रूड स्टील का उत्पादन	13.51	13.76	13.35
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	0.75	1.86	(-)2.9

वर्ष 2011-12 के दौरान क्रूड स्टील का कम उत्पादन मुख्यतया: बीएसपी पर ब्लॉस्ट फर्नेस/कोक ओवन बैटरियों की मरम्मत तथा बीएसएल पर विद्युत आपूर्ति में निरंतर व्यवधान के कारण हुआ।

(ङ) और (च) सेल ने वर्तमान चरण में अपनी क्रूड स्टील की उत्पादन क्षमता 12.8 एमटीपीए से बढ़ाकर से बढ़ाकर 21.4 एमटीपीए करने के लिए अपने 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर तथा बर्नपुर गांव सेलम स्थित विशेष स्टील प्लांट पर आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना शुरू की है। सेलम स्टील प्लांट के विस्तार को सितंम्बर, 2010 में पूरा किया जा चुका है। अन्य संयंत्रों के संबंध में सभी प्रमुख पैकेजों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं तथा ये पैकेज क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

इस्को स्टील प्लांट के विस्तार के मामले में कठिन एवं अप्रत्याशित मृदा स्थितियों, भूमिगत बाउल्डरों और बिलोकर्स आदि को हटाने से सिविल तथा स्ट्रक्चरल कार्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा अतिरिक्त समय एवं लागत भी लगी है।

विवरण

फिनिश्ड स्टील का राज्य-वार प्रेषण ('000 टन में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
छत्तीसगढ़	3550	3667	3787
दादरा और नगर हवेली	74	180	230
गोवा	447	460	435
गुजरात	2248	2433	2634
महाराष्ट्र	6783	7049	7327
मध्य प्रदेश	1220	1221	1222
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	3	2
अरूणाचल प्रदेश	4	18	82
असम	496	682	937
बिहार	525	567	612
झारखंड	2083	2261	2454
मणिपुर		2	2
मेघालय	146	177	215
मिजोरम		0	0
नागालैंड	0	59	59
ओडिशा	1611	1640	1670
पश्चिम बंगाल	3680	4010	4370
चंडीगढ़	934	1211	1570
दिल्ली	2332	2366	2400
हरियाणा	2770	2905	3047
हिमाचल प्रदेश	52	92	163
जम्मू और कश्मीर	388	410	432
पंजाब	4689	4929	5183
राजस्थान	1617	2312	3305
उत्तर प्रदेश	4999	6010	7225
उत्तराखंड	515	554	595

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3893	3906	3919
कर्नाटक	2482	2686	2907
केरल	793	839	887
पुदुचेरी	223	405	734
तमिलनाडु	4610	5954	7690

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति।

'प्रचालन-अनुरक्षण-पथकर वसूली' योजना के तहत ठेके

661. श्री संजय दिना पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रचालन, अनुरक्षण और पथकर वसूली (ओएमटी) योजना के तहत ठेके दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रीमियम-राशि और जिन कंपनियों को ठेका दिया गया है उनके नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर वर्षवार खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (ओएमटी) स्कीम के अंतर्गत 957 किमी. लंबाई के 6 ठेके सौंपे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त परियोजनाओं और परियोजनावार रियायत फीस का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए राज्य लोक निर्माण विभागों और ठेकेदारों को जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ओएमटी स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त परियोजना और रियायत फीस

क्र. सं.	ओएमटी पैकेज सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी.)	रियायत फीस* (करोड़ रुपये)
1.	1 (ईडब्ल्यू)	रारा-14 का पालनपुर-राधनपुर खंड (किमी. 340.0 से किमी. 340.0 से किमी. 458.00) और रारा-15 का राधनपुर-समख्याली खंड (किमी. 138.80 से किमी. 281.30)	260	65.00
2.	2 (ईडब्ल्यू)	रारा-8बी का पोरबंदर-भिलाड़ी-जैतपुर खंड (किमी.) 1.960 से किमी. 117.600)	116	4.50
3.	3 (ईडब्ल्यू)	रारा-76 का चित्तौड़गढ़-कोटा खंड (किमी. 199.929 से किमी. 360.429)	161	22.23
4.	4 (ईडब्ल्यू)	रारा-14 का स्वरूपगंज-पिंडवाड़ा खंड (किमी.) 264.000 से किमी. 248.7) और रारा-76 का पिंडवाड़ा-उदयपुर खंड (किमी.) 0.000 से किमी. 104.724)	120	5.67
5.	5 (ईडब्ल्यू)	रारा-76 का बरान-शिवपुरी खंड (किमी.) 492.322 से किमी. 613.087) और रारा-25 का शिवपुरी-झांसी खंड (किमी.) 15.000 से किमी. 90.300)	196	13.69
6.	8 (ईडब्ल्यू)	रारा-76 का कोटा से बरान खंड (किमी. 388.263 से किमी. 492.322)	104	9.90
		जोड़	957	

*रियायत फीस का आशय प्रथम वर्ष रियायत फीस से है/प्रीमीयम 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जाना।

विवरण II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण के लिए राज्य लोक निर्माण विभागों और ठेकेदारों को जारी की गई राशि

वित्तीय वर्ष	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
2007-2008	442.36
2008-2009	521.05
2009-2010	474.96
2010-2011	831.75
2011-2012	537.34

[हिन्दी]

'वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां'

662. **श्री विजय बहादुर सिंह:**
श्रीमती मीना सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री लालचन्द कटारिया:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे स्वास्थ्य को क्या-क्या संकट उत्पन्न हो सकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो संबंधित राज्यों/शहरों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस संकट के समाधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) (द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरिंग की जा रही है। सल्फार डाईऑक्साइड (SO_2), नाईट्रोजन डाईऑक्साइड (NO_2), और विविक्त पदार्थ (PM_{10}), के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जाती है। गत तीन वर्षों (2009-2011) के लिए महानगरों की परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा से पता चलता है कि (SO_2) का संकेन्द्रण घट-बढ़ रहा है परन्तु सभी महानगरों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) की सीमा के अन्तर्गत है। आसन सोल, दिल्ली, फरीदाबाद, जमशेदपुर, कोलकाता, मेरठ जैसें कुछ नगरों को छोड़कर एनएएक्यूएस की सीमा के अंतर्गत NO_2 का मान भी है। तथापि, कोची, कोची, मुदरै, मालापुरम एवं थ्रिसुर को छोड़कर सभी महानगरों में PM_{10} का संकेन्द्रण एनएएक्यूएस से अधिक है। सात महानगरों नामशः दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद बंगलौर, और लखनऊ में 35 स्थानों में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिवेशी ध्वनि की भी मानीटरिंग की जाती है। दिन और रात्रि पहन के दौरान सभी स्थानों में ध्वनि स्तर डाटा मानकों से अधिक है। कुछ मरक-विज्ञान अध्ययनों के अनुसार, श्वसन और ह्रदय संबंधी बीमारियां का आविर्भाव जैसे स्वास्थ्य प्रभावों को वायु प्रदूषण से जोड़ा जा सकता है। तथापि, इन आंकड़ों की पुष्टि के लिए कोई निर्णायक डाटा उपलब्ध नहीं है।, परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है।

i. प्रदूषण उपशमन हेतु समग्र नीति जो प्रदूषण नियंत्रण और निवारक पहलुओं दोनों पर बल देता है, को प्रतिपादित किया गया है;

ii. नगर विशिष्ट कार्य योजनाओं को भी तैयार किया गया है और ये क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

iii. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत ऑन-रोड वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों ओर नए वाहनों के लिए मास उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है और इसे राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किया जाता है।

iv. दिनांक 01.02.2000 से पूरे देश में सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जाती है। वर्ष 2010 में नए चार पहिए वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 13 महानगरों में भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानक लाए गए। पूरे देश में 1 अप्रैल, 2010 से दो, तीन पहिए और डीजल चालित कृषि ट्रैक्टरों के लिए भारत स्टेज-III मानक लाए गए।

v. सीएनजी वाहनों के प्रबंध के लिए दिल्ली और मुम्बई में अनेक खुदरा बाजारों के माध्यम से मोटर गाड़ियों हेतु सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति की जाती है।

vi. प्रदूषण की जांच हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए बहि:स्राव और उत्सर्जन मानकों ाके अधिसूचित किया गया है।

'प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण'

663. श्री अर्जुन राय:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को औद्योगिक व पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने हेतु धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में आबंटित निधियों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने प्रदूषण कम करने की योजना के अंतर्गत निधियों आबंटित करने के संबंध में कोई प्राथमिकता निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी हां, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देश में राज्य सरकारों सहित विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को औद्योगिक के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रदूषण उपशमन के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियां प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियों के स्कीम-वार ब्यौरे और इन स्कीमों के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशतता का भाग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रदूषण उपशमन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते समय कमजोर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

देश में औद्योगिक के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रदूषण उपश्यामन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों सहित विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को आबंटित राशि और इन स्कीमों के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशतता भाग

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्कीम की प्रकृति	2009-10 आबंटन	2010-11 आबंटन	2011-12 आबंटन
1	2	3	4	5	6
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी					
1.	पर्यावरणीय मानीटरिंग और शासन	सीएस	40.80	44.50	53.50
	1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड		34.50	40.00	40.00
	2. पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों एवं आयोग और प्राधिकरण की स्थापना		2.80	1.00	10.00
	3. ईआईए के अंतर्गत गतिविधियां		3.50	3.50	3.50
2.	प्रदूषण उपशमन	सीएस	32.07	49.76	49.76
	1. निवारक कार्य नीतियों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण उपशमन		1.50	1.50	1.50
	2. प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता		5.00	7.00	7.00

1	2	3	4	5	6
	3. स्वच्छ प्रौद्योगिकी		3.05	3.05	3.05
	4. सीईटीपी		5.02	5.71	5.71
	5. खतरनाक पदार्थ प्रबंधन		17.50	32.50	32.50
3.	संरक्षण एवं विकास हेतु अनुसंधान और विकास	सीएस	59.21	80.94	68.94
	1. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई)		14.19	23.00	15.00
	2. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेडएसआई)		14.07	25.49	16.49
	3. जीबीपीएचआईईडी		12.00	10.00	10.00
	4. वनस्पति उद्यानों को सहायता		2.20	2.20	2.20
	5. टेक्सोनॉमी क्षमता निर्माण		2.75	2.75	2.75
	6. जैव-विविधता संरक्षण		4.00	4.50	9.50
	7. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन स्कीम (एनएनआरएमएस)		4.00	3.00	3.00
	8. अनुसंधान और विकास		6.00	10.00	10.00
4.	प्राकृतिक संसाधनों और पारि प्रणालियों का संरक्षण	सीएसएस	75.00	80.00	80.00
	1. प्रवाल भितियों, कच्छ वनस्पतियों, नमभूमि का संरक्षण		19.00	19.00	19.00
	2. जैव मंडल रिजर्व		11.00	11.00	11.00
	3. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना		45.00	50.00	50.00
5.	पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता	सीएस	94.82	82.33	79.58
	1. पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता		53.50	49.00	46.25
	2. एनएमएनएच		17.30	12.50	12.50
	3. उत्कृष्टता का केन्द्र		8.50	8.33	8.33
	4. एनविस		6.50	7.50	7.50
	5. सूचना प्रौद्योगिकी		9.02	5.00	5.00
6.	अंतर राष्ट्रीय सहयोग गतिविधियां	सीएस	19.01	42.63	71.82
	1. आईसी गतिविधियां		4.28	11.81	13.00
	2. जीओआई-यूएनडीपी-सीसीएफ		7.47	3.82	1.82
	3. जलवायु परिवर्तन		7.25	7.00	7.00
	4. सिविल निर्माण यूनिट (सीसीयू)			20.00	50.00

1	2	3	4	5	6
7.	राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	सीएस	15.50	150.00	267.60
8.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)	सीएसएस	532.33	701.71	701.71
	1. एनआरसीडी		6.33	6.71	6.71
	2. एनआरसीपी		526.00	195.00	195.00
	3. एनजीआरबीए			500.00	500.00
कुल			868.75	1231.88	1372.92
वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद			6457352.00	7674148.00	8855797.00
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियां का प्रतिशत और परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशतता का भाग होना।			0.013%	0.016%	0.015%

सीएस-केन्द्रीय क्षेत्र
सीएसएस-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग

664. श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार का देश में लगभग 85,000 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गों को विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आंकड़े में देश के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया जाना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर कर्नाटक राज्य में व अन्यत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित या उन्नत किए जाने हेतु प्रस्तावित राज्यीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तद्नुसार अभी किसी ब्यौरे का उल्लेख करना समय पूर्व होगा।

पृथ्वी-II मिसाइल

665. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पृथ्वी-II मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) पृथवी-II प्रक्षेपास्त्र के कई सफल परीक्षण हुए हैं। सम्पूर्ण भू-प्रणाली सहित प्री-फ्रेगमेंटिड तथा कम्पोजिट वारहेड के साथ विकास का कार्य पूरा हो गया है। यह प्रणाली सेना और वायुसेना में तैनात कर दी गई है। प्रयोक्ताओं ने डीआरडी के सहयोग से 21 दिसम्बर, 2011 को एक प्रशिक्षण साल्वों उड़ान परीक्षण किया गया था।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

666. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के एक भाग के रूप में क्या रूप-रेखा तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार आई.टी.आई. संस्थाओं तथा अन्य कौशल विकास कोर्स में लोगों के प्रवेश के लिए सामान्य शैक्षिक मानकों में छूट देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) मिशन के एक भाग के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनपीएसडी) जोकि देश में कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, को फरवरी, 2009 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नीति ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग राज्य सरकारों के संबंधित विभागों तथा अन्य पणधारकों को शमिल करने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनी स्वयं की कार्यनीतियां तथा योजनाबना रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार सरकारी एवं निजी आईटीआई में लोगों के प्रवेश के लिए औपचारिक शिक्षा मानकों में छूट देने पर विचार नहीं कर रही हैं तथापि, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से कार्यान्वित कौशल विकास पहल योजना के तहत 5वीं कक्षा पास वाले व्यक्तियों हेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

विवरण

मंत्रालय/विभाग/संगठन	वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आकलित संख्या (मिलियन में)
1	2
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	150
श्रम एवं रोजगार	100
पयर्टन	5
वस्त्र	10
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	30
ग्रामीण विकास	20
महिला एवं बाल विकास	10
कृषि	20
एचआरडी उच्चतर शिक्षा एचआरडी व्यावसायिक शिक्षा	50
भारी उद्योग	10
शहरी विकास	15
सूचना प्रौद्योगिकी	10
खाद्य प्रसंस्करण	5
निर्माण उद्योग विकास परिषद् (योजना आयोग के अंतर्गत)	20
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10
अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम	15
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5
प्रवासी भारतीय कार्य	5
वित्त-बीमा/बैंकिंग	10
उपभोक्ता कार्य	10
रसायन एवं उर्वरक	5
अन्य (विद्युत, पेट्रालियम इत्यादि)	15
कुल	530

तोपखाने का आधुनिकीकरण

667. डॉ. रत्ना डे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सेना के तोपखाने के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) तोपखाने का आधुनिकीकरण नियमित आधार पर किया जा रहा हैं तोपखाने में निम्नलिखित उपस्करों को शामिल किया गया है/उन्नत बनाया गया है:-

(i) पिनाका राकेट प्रणाली;

(ii) स्मर्च राकेट प्रणाली;

(iii) ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली;

(iv) 130 मि.मी. की तोपों को 155 मि.मी./45 कैलिबर तक उन्नत बनाना।

निम्नलिखित तोप प्रणालियों के लिए अधिप्राप्ति कार्रवाई बराबर चलती रहती है:–

(i) 155 मि.मी./39 कैलिबर अल्ट्रा लाइट होवित्जर।

(ii) आयुध निर्माणी बोर्ड से 155/45 कैलिबर तोप।

(iii) 155 मि.मी./52 कैलिबर कर्षी तोप।

(iv) 155 मि.मी./52 कैलिबर ट्रैक्ड (सेल्फ प्रोपेल्ड) तोप।

(v) 155 मि.मी./52 कैलिबर माउन्टेड तोप प्रणाली।

(ग) सशस्त्र सेनाओं के लिए हथियारों और उपस्करों की अधिप्राप्ति एक जटिल कार्य है और यह अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति पद्धति के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। अधिप्राप्ति के लिए संविदाओं को अंतिम रूप देने में लगभग 2-3 वर्ष का समय लग जाता है परन्तु यह समय घट-बढ़ भी सकता है, जो उन मामलों में अंतर्ग्रस्त जटिलताओं पर निर्भर करता है।

ट्रेनर विमान की खरीद

668. श्री के. सुगुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 75 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई थी क्योंकि एचपीटी-32 दीपक कम से कम 17 दुर्घटनाओं में लिप्त पाये गये जिनमें 19 पायलटों की मृत्यु हुई और इसने वायुसेना को 2009 में इस बेड़े को इस्तेमाल में न लाने के लिए विवश कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी हां। 2895.63 करोड़ रुपये की लागत पर 75 आधारभूत प्रशिक्षण विमानों की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स पिलाटस एअरक्राफ्ट लिमिटेड, स्वीटजरलैंड के साथ 24 मई, 2012 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) जी हां। एचपीटी-32 भारतीय वायु सेना में जुलाई, 2009 तक आधारभूत प्रशिक्षक विमान था। इस एचपीटी-32 विमान में लगातार इंजन कट की समस्या आ रही थी। इंजन कट के कारण एक घातक दुर्घटना होने के बाद विमान को 31 जुलाई, 2009 को सुरक्षा कारणों से सेवा से हटा दिया गया था।

[हिन्दी]

पथकर के संबंध में शिकायतें

669. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री रतन सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के भारूच-सूरत खंड, उत्तर प्रदेश के संजय सेतु/घाघरा घाट तथा राजस्थान के भरतपुर-महुआ, आगरा-भरतपुर तथा महुआ-जयपुर के पथकर चालकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों की प्रकृति क्या थी तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इन पथकर चालकों द्वारा स्थानीय लोगों के शोषण को रोकने हेतु क्या ठोस उपाय किए गए;

(घ) क्या इन पथकर संग्रहण केन्द्रों के नजदीक कोई सर्विस लेन बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) शिकायतों की प्रकृति सामान्यत: सड़क प्रयोक्ताओं के साथ दुर्व्यहार की थी। शुल्क संग्रहण एजेंसी को सड़क प्रयोक्ताओं के साथ विनम्र रहने की सख्त चेतावनी दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) रियायत करार में प्रावधान नहीं है क्योंकि इससे पथकर राजस्व का लीकेज हो सकता है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति

670. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी लौह अयस्क आधरित उद्योगों को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा आपूर्ति की जा रही लौह अयस्क स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं एवं मांगों को पूरा करने में पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लौह अयस्क की पर्याप्त मात्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) एनएमडीसी लिमिटेड ने वर्ष 2011-12 के दौरान 27.3 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया और घरेलू उद्योगों को 26.91 मिलियन टन लौह अयस्क की आपूर्ति की। यह उत्पादन देश में कुल 169.66 मिलियन टन (अनंतिम) लौह अयस्क के उत्पादन का लगभग 16 प्रतिशत बैठता है और यह खपत घरेलू लोहा और इस्पात उद्योगों द्वारा कुल लगभग 116.3 मिलियन टन लौह अयस्क की अनुमानित खपत का लगभग 23 प्रतिशत बैठती है। एनएमडीसी के अलावा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बहुत-सी अन्य लौह अयस्क खनन कंपनियां हैं जो देश में लोहा और इस्पात उद्योगों को लौह अयस्क की आपूर्ति करती हैं।

(ङ) भारत में लौह अयस्क का उत्पादन लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा कुल अनुमानित घरेलू खपत से अधिक है। तथापि, घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग को उचित मूल्य पर लौह अयस्क की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 30.12.2011 से लौह अयस्क के सभी ग्रेडों (पैलेट्स को छोड़कर) निर्यात शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत से बढ़ाकर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है।

सड़क कर

671. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सड़क कर में वृद्धि पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक पूरे देश में दरों को संशोधित और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं। सड़क कर में वृद्धि किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक राज्यीय विषय है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गढ़पाढ़ा तथा बम्होरी के बीच सड़क का उन्नयन

672. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गढ़पाढ़ा तथा बम्होरी के बीच 188 वें से 212 (ए) वें किलोमीटर तक सड़क के उन्नयन के लिए मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा धनराशि के जारी करने की तिथि क्या है;

(ख) किस एजेंसी को उक्त कार्य हेतु ठेका दिया गया है;

(ग) उक्त सड़क के उन्नयन कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस पर कितनी ध्नराशि व्यय की गई;

(घ) क्या ठेकेदार/एजेंसी के विरुद्ध धीमे कार्य तथा घटिया कार्य संबंधी शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) रारा-26 पर मध्य प्रदेश में किमी. 188 से किमी. 212 (ए) तक गढ़पाढ़ा और ब्रह्योरी के बीच सड़क के उन्नयन का कार्य 30.12.2005 को 116.07 करोड़ रुपये के लिए संस्वीकृत किया गया था।

(ख) यह ठेका में संगयंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लि., दक्षिण कोरिया को सौंपा गया था।

(ग) इसकी अद्यतन वास्तविक प्रगति 99.2 प्रतिशत है और आज की तारीख तक 140.70 करोड़ रुपये का व्यय था।

(घ) और (ङ) ठेकेदार/एजेंसी द्वारा निम्न स्तर पर कार्य किए जाने के संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्य को द्रुत गति से किए जाने के लिए परियोजना का विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तटीय विनियामक जोन अधिसूचना

673. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिंद महासागर में मानव गतिविधियों से रमणीय प्रबाल को संरक्षित रखने के लिए समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक क्षेत्रधिकार बढ़ाने हेतु एक नई तटीय विनियामक जोन अधिसूचना जारी करके इसके क्षेत्रधिकार को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्षद्वीप द्वीपों के लिए विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है जहां भारत के अधिकतम प्रबाल रिजर्व पाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) इस मंत्रालय ने 6 जनवरी, 2011 को मुख्य भूमि हेतु तटीय विनियम जाने अधिसूचना और अंडमान और निकोबार के दो द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप के लिए द्वीप सुरक्षा जोन (आईपीजेड) अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अंतर्गत, 12 समुद्री मील तक का समुद्री जल क्षेत्र तटीय विनियम जोन के रूप में शामिल है।

(ख) से (घ) आईपीजेड अधिसूचना, 2011 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा एवं प्रस्तावित विकास के क्षेत्रों, संरक्षण तथा परिरक्षण स्कीमों, स्कूलों, बाजारों, अस्पतालों, जन-सुविधाओं और सदृश जैसी अवसंरचना परियोजनाओं सहित निवास इकाईयों का ब्यौरा देते हुए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं (आईआईएमपी) तैयार किया जाना अपेक्षित है। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, अगाट्टी और चेटलट द्वीप समूहों के लिए आईआईएमपी मसौदा तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

नए प्राणी उद्यानों की स्थापना

674. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नए वन्य जीव उद्यानों/प्राणी उद्यानों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में देश में वन्यजीव/प्राणी उद्यानों की स्थापना में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक इन लंबित प्रस्तावों पर अनुमति दे दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को देश में नए वन्यजीव/प्राणी उद्यानों की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए है:–

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित चिड़ियाघर	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	मध्य प्रदेश	मुकुन्दपुर, जिला सतना मध्य प्रदेश में चिड़ियाघर और बचाव केन्द्र	(i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 05.07.2010 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ज (1क) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया है। (ii) राज्य वन विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और चिड़ियाघर की स्थापना का कार्य चल रहा हैं

1	2	3	4
			(iii) चिड़ियाघर के दीर्घावधि विकास हेतु मास्टर (लेआउट) प्लान प्राप्त किया गया और चिड़ियाघर की रूप रेखा तैयार करने वाले विशेषज्ञ दल द्वारा सैद्धांतिक रूप से दिनांक 08.08.2012 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया है।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र, अहमदनगर में तेंदुआ बचाव केन्द्र	(i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 11.09.2008 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ज (1क) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त की।
			(ii) राज्य वन विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त किया है और चिड़ियाघर की स्थापना का कार्य चल रहा है।
3.	महाराष्ट्र	रोहा, जिला रायगढ़ में पैंथर सफारी	(i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 23.12.2008 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 एच (1ए) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान की
			(ii) सफारी ऑपरेटर ने माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
			(iii) चिड़ियाघर के दीर्घावधि विकास हेतु मास्टर (लेआउट) प्लान प्राप्त किया गया और चिड़ियाघर की रूप रेखा तैयार करने वाले विशेषज्ञ दल द्वारा सैद्धांतिक रूप से दिनांक 08.08.2012 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया है।
4.	महाराष्ट्र	नागपुर, गोरेवाड़ा में बचाव केन्द्र	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 5 जुलाई, 2012 को हुई अपनी तकनीकी समिति की बैठक में कोरेवाड़ा में बचाव केन्द्र की स्थापना रने के अनुमोदन की सिफारिश की। स्थापना हेतु मास्टर (ले आउट) प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है।
5.	महाराष्ट्र	गोरेवाड़ा, नागपुर में चिड़ियाघर	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हआ है, और केन्द्रीय चिड़ियघर के चिडियाघर की रूप रेा तैयार करने संबंधी विशेषज्ञ दल के सदस्यों द्वारा उसी की जांच की गई है। केन्द्रीय चिड़ियाघ्झार प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित होने पर, राज्य वन विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करना अपेक्षित होगा।
6.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा में रात्रि सफारी	(i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 09.08.2007 को विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ज (2) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया।
			(ii) ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। अभी चिड़ियाघर की स्थापना की जानी है।
			(iii) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रात्रि सफारी के दीर्घावधि विकास हेतु मास्टर प्लान प्राप्त नहीं हुआ है।

1	2	3	4
7.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश, इटावा में सिंह सफारी	(i) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 23.2.2006 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ज (1क) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया है। (ii) राज्य वन विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। अभी चिड़ियाघर की स्थापना की जानी है। (iii) सिंह सफारी की स्थापना हेतु मास्टर (लेआउट) प्लान सीजेडए के चिड़ियाघर की रूपरेखा तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह द्वारा 09.08.2012 को हुई बैठक में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है।
8.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर सिटी से रामगढ़ तल	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 29.1.2009 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच (1ए) के अंतर्गत इस शर्त के अधीन अनुमोदन प्रदान किया कि उत्तर प्रदेश राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों और रामगढ़, और रामगढ़, गोरखपुर के विनोद वन मिनी चिड़ियाघर के पशुओं को नए चिड़ियाघर पुन: बहाल किए जाएं और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के शर्त के अधीन हों।
9.	उत्तर प्रदेश	आगरा नया में चिड़ियाघर	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिनांक 04.08.2008 के अपने पत्र द्वारा आगरा और गुरादाबाद में नए चिड़ियाघरों की स्थापना की सिफारिश नहीं की, चूंकि प्रस्तावित स्थल क्रमश: यमुना और राम गगा नदियों के बाढ़ वाले मैदारों के अंतर्गत आते हैं और ये स्थल चिड़ियाघरों की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है।
10.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद में नया चिड़ियाघर	

(ग) और (घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के ध्यान में ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई है।

(ङ) इस संबंध में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सामाजिक-वानिकी कार्यक्रम का क्रियान्वयन

675. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक-वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशेषरूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम देश में संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) क्रियान्वित कर रहा है, जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक के रूप में परिकल्पित है। जीआईएम अपने कार्यावयन के प्रारंभिक चरण में है जिसमें सामाजिक वानिकी के

अंतर्गत गतिविधयां भी प्रस्तावित की गई हैं। शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों (0.2 मिलियन हेक्ट) और कृषि वानिकी तथा सामाजिक वानिकी (3 मिलियन हेक्ट) में वृक्षावरण को बढ़ाने हेतु जीआईएम के अंतर्गत दो प्रस्ताव प्राथमिक रूप से वनेतर क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं।

महाराष्ट्र राज्य में नियमित रूप से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। गत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 के दौरान महाराष्ट्र में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान महाराष्ट्र में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

क्र.सं.	स्कीम का नाम	हेक्ट. में वास्तविक उपलब्धि				हेक्ट. में वित्तीय उपलब्धि				अभ्युक्तियां
		2009-10	2010-11	2011-12	कुल	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	चयनित वाटर शेडों में सामुदायिक भूमि पर पौध रोपण	1738	694	619.9	3051.9	36.41	151.01	142.33	329.75	
2.	वनीकरण द्वारा तटीय क्षेत्र की सुरक्षा	44	114	76	234	58.71	55.8	52.61	167.12	
3.	सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण	29	29	29	87	435.41	0	127.44	562.85	
4.	विज्ञान और प्रचार-प्रसार					399.63	140.91	168.77	709.31	विज्ञापन, विस्तार गतिविधियां, किसानों एवं स्टाफ के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण, पोस्टरों की छपाई
5.	किसान नर्सरीज (लाखों में बीजारोपण को बढ़ाना)	42	0	54	96	55.9	0	51.19	107.09	
6.	पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम	1524.15	759.5	759.5	3043.15	105.99	32.79	9.51	148.29	
7.	राष्ट्रीय बांस मिशन	रख-रखाव कार्य	रख-रखाव कार्य	रख-रखाव कार्य		255.94	224.79	170.12	650.85	
8.	राष्ट्रीय हरित फसल	250	250	250	750	238.57	237.85	238.74	715.16	
9.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम					13374	15965	11957	41296	एसएफडी 60 वाटर शेडों में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से वाटर शेड विकास समितियों को केन्द्र सरकार की ओर से सीधे निधियां आबंटित की जारी हैं।
10.	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम					764.26	902.14	1212.43	2878.83	एसएफडी 67 वाटर शेडों में कार्य कर रहा है, जिाल ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से वाटर शेड विकास समितियों को सीधे रूप से केन्द्र सरकार की ओर से निधियां आबंटित की जाती हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	प्रौद्योगिकी विकास विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	पौधों को उगाना	पौधों को उगाना	पौधों को उगाना		235.41	0	0	235.41	
12.	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड									
i	औषधीय पौधों को उगाना					0	17	0	17	
ii	आंवला अभियान					18.33	8.53	0	26.86	प्रचार-प्रसार करना जागरूकता एवं किसानों को प्रशिक्षण देना, पोस्टरों की छपाई, आवंला पौधों को बढ़ाना और उनका रोपण करना।
iii	स्कूलों में जड़ी-बूटी वाले उद्यानों की स्थापना करना					0	14	0	14	100 स्कूलों में जड़ी-बूटी वाले उद्यानों की स्थापना करना।

राष्ट्रीय पार्कों में पर्यटक

676. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को देश में राष्ट्रीय पार्कों तथा बाघ संरक्षित क्षेत्रों में और पर्यटक आकर्षित करने के लिए राज्यों को सुविधाएं तथा खाने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(ग) ग्यारहवीं तथा बारहवीं योजनावधि के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान तथा व्यय की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) "संरक्षित क्षेत्रों में और आस-पास में पारि-पर्यटन हेतु दिशा-निर्देशों" को अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सतत पारि-पर्यटन के प्रोत्साहन के पहलू शामिल हैं।

(ग) ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बाघ परियोजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियन सहायता के ब्यौरे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहायता शामिल है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजना अवधि (2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13) के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "बाघ परियोजना" के अंतर्गत बाघ रेंज राज्यों को प्रदत्त निधियन सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी 2007-08	जारी 2008-09	जारी 2009-10	जारी 2010-11	जारी 2011-12	जारी 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	73.9175	56.9830	138.2540	155.6450	154.4060	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	110.2542	246.1710	64.7100	226.7020	236.7857	-
3.	असम	95.6140	1092.3790	194.2900	1509.4720	947.5088	-
4.	बिहार	98.3205	49.6730	8.8560	158.3550	172.1930	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	35.2250	169.8700	1383.5020	1813.7250	702.7260	55.56
6.	झारखंड	45.1600	115.3770	117.1386	130.6160	156.3465	-
7.	कर्नाटक	1159.7149	689.8390	657.0620	1660.0500	1830.6500	-
8.	केरल	153.2449	267.0900	311.4200	323.4600	429.7700	182.30
9.	मध्य प्रदेश	2975.9411	6998.5420	2582.4762	3962.730	5352.710	4132.7064
10.	महाराष्ट्र	295.7191	411.1250	373.5170	2789.0600	3622.3420	-
11.	मिजोरम	82.9000	241.4500	2171.000	187.6900	225.2880	-
12.	ओडिशा	43.2800	625.9900	221.7400	815.2900	555.0761	-
13.	राजस्थान	410.6800	2708.9500	10694.1700	2368.925	67.210	-
14.	तमिलनाडु	45.0000	690.8060	258.3540	520.9450	605.9640	77.744
15.	उत्तराखण्ड	202.0050	462.8500	246.2050	339.9450	399.7600	-
16.	उत्तर प्रदेश	134.8900	417.5130	431.5170	407.4600	446.1258	-
17.	पश्चिम बंगाल	308.6741	228.3940	298.7850	502.4800	157.6600	-
	कुल	6,270.5403	15,473.002	20,152.997	17,872.391	16,062.522	4,448.31

मर्चेन्ट शिप्स के लिए सशस्त्र गार्ड

677. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मर्चेन्ट शिप्स के लिए सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समुद्री दस्युओं से भारतीय मर्चेन्ट शिप्स की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोतों पर सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए दिशानिदेश जारी किए गए हैं। तदनुसार भारतीय पोत मालिक, सशस्त्र सुरक्षा गार्डो को तैनात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) अदन की खाड़ी मे पोतों के लिए नौसेना के मार्गरक्षी प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ-साथ, समुद्री दस्युता प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न देशों की नौसेना के पोत गश्त लगाते हैं, जो समुद्री दस्युता के खतरे का सामना करने हेतु विभिन्न बहु-राष्ट्रीय और द्विपक्षीय पहल के माध्यम से एक दूसरे के बीच समन्वय रखते हैं। भारतीय नौसेना भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र और पश्चिम की ओर 65 डिग्री पूर्व देशांतर तक वर्धित निगरानी कर रही है।

इसके अलावा, इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- सलालाह और माले को जोड़ने वाली रेखा के दक्षिण अथवा पश्चिम जल धारा में नौकायन जलयानों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाना।
- अंतरर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, सोमालिया तट पर समुद्री दस्युता पर सम्पर्क समूह (सीजीपीसीएस) और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी।
- समुद्र में भारतीय कर्मी दल वाले वाणिज्यिक जलयानों के अपहरण से उत्पन्न किसी बंधक की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों के एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन।

[हिन्दी]

विकलांगों को छात्रवृत्ति

678. श्री महाबली सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांगों को उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई छात्रवृत्ति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रदान की गई छात्र्वृत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कुल राशि कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) इस समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने सहित छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी निम्नलिखित दो योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:–

(i) विकलांग व्यक्ति राष्ट्रीय निधि नामक मंत्रालय की निधि से विकलांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(ii) विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु न्यास निधि से वित्त पोषित विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक वर्ष 2011-12 के आरंभ से प्रत्येक वर्ष कुल 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि) तथा वर्ष 2011-12 के लिए छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) के अंतर्गत दी गई छात्रवृत्ति के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः "क" और "ख" पर दिए गए हैं।

(ग) इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है:–

(i) छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि): 1.79 करोड़ रुपये

(ii) छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि): 5.04 करोड़ रुपये

विवरण क

राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान दी गई राज्य-वार छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2009-10=417				वर्ष 2010-11=470				वर्ष 2011-12=503 [492 (नई)+11 (नवीकरण)]			
		पुरुष	महिला	कुल	कुल राशि	पुरुष	महिला	कुल	कुल राशि	पुरुष	महिला	कुल	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	22	8	30	425657	14	15	29	456930	23	28	51	752064
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	0	1	1	17000	3	1	4	50445	7	6	13	165815
5.	बिहार	17	7	24	216408	15	6	21	316380	19	13	32	373175
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	2	2	4	43242	4	1	5	44530
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	2	4	6	70220	2	6	8	103985	3	6	9	97580
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	9	1	10	112260	11	6	17	182215	18	6	24	227515
13.	हरियाणा	5	1	6	70996	5	2	7	76018	3	4	7	110420
14.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	9450	3	1	4	61000	2	0	2	24100
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	2	1	3	29650	2	1	3	37908
16.	झारखंड	4	2	6	61587	5	1	6	74519	5	5	10	127520
17.	कर्नाटक	72	23	95	1ई+06	25	25	50	612473	16	25	41	618984
18.	केरल	12	6	18	212179	20	28	48	509008	14	35	49	599280
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	14	10	24	268662	13	9	22	282145	11	6	17	216285
21.	महाराष्ट्र	13	13	26	338127	17	10	27	346138	17	12	29	342580
22.	मणिपुर	1	0	1	6675	1	3	4	64500	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	1	1	6500	1	0	1	15700	0	0	0	0
26.	ओडिशा	10	3	13	158800	8	7	15	215597	9	5	14	207329
27.	पुदुचेरी	2	0	2	40000	1	0	1	20000	1	1	2	40000
28.	पंजाब	3	1	4	80000	2	1	3	54000	3	1	4	44955
29.	राजस्थान	7	3	10	149205	10	4	14	173915	8	4	12	138005
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	39	22	61	1म़06	22	43	65	883474	30	56	86	1316265
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	0	1	20000	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	34	15	49	626120	35	21	56	906605	38	24	62	881760
34.	उत्तराखंड	0	2	2	30500	2	1	3	41025	1	0	1	12500
35.	पश्चिम बंगाल	18	9	27	228092	30	27	57	476811	21	9	30	285954
	कुल	285	132	417	5281975	250	220	470	6015775	255	248	503	6664524

विवरण ख

न्यास निधि के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान दी गई राज्य-वार छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य	छात्रवृत्ति प्राप्त पुरुष+महिलाओं की कुल संख्या	प्रदान की गई कुल राशि (पुरुष+महिला)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	135	6995891
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	8	472080
5.	बिहार	62	4206472
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	7	426414
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	0	0
10.	दिल्ली	29	1601321
11.	गोवा	1	49500
12.	गुजरात	17	1021708
13.	हरियाणा	28	2008406
14.	हिमाचल प्रदेश	2	138950
15.	जम्मू और कश्मीर	7	475583
16.	झारखंड	15	1162895
17.	कर्नाटक	30	1792851
18.	केरल	79	3695819
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	33	2101195
21.	महाराष्ट्र	47	3101559
22.	मणिपुर	1	31000
23.	मेघालय	0	0
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	0	0
26.	ओडिशा	11	763520
27.	पुदुचेरी	0	0
28.	पंजाब	9	641424
29.	राजस्थान	25	1449339
30.	सिक्किम	0	0
31.	तमिलनाडु	78	4632656
32.	त्रिपुरा	1	42500
33.	उत्तर प्रदेश	212	11961204
34.	उत्तराखंड	12	603235
35.	पश्चिम बंगाल	21	1032441
	कुल	870	50407963

ठेका श्रमिकों हेतु मजदूरी में विषमता

679. **श्री बद्री राम जाखड़:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रेणी-वार ठेका श्रमिकों/श्रमिकों की सेवाएं लेने के लिए ठेकेदारों को विभिन्न सरकारी विभागों/निजी संगठनों द्वारा अदा की गई न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विभागों/संगठनों द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों/श्रमिकों को एक कार्य के लिए ठेकेदारों द्वारा विभिन्न मजदूरी अदा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे ठेकेदारों की पहचान करने हेतु सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण/जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) उक्त अवधि के दौरान दोषी पाए गए ठेकेदारों के विरुद्ध विभाग-वार तथा वर्ष-वार सरकार द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई की गई?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (च) विभिन्न सरकारी विभागों/निजी संगठनों द्वारा ठेकेदारों को ठेका श्रमिक काम पर लगाने के लिए अदा की गई न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, ठेका श्रमिकों/कामगारों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं हो सकती। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) नियम, 1970 के अंतर्गत, वहीं अथवा सदृश स्वरूप का कार्य निष्पादन करने वाले ठेका श्रमिक को मूल नियोक्ता द्वारा सीधे नियुक्त किए गए कामगारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य के लिए वही मजदूरी अदा की जानी होती है। कोई सर्वेक्षण अथवा जांच नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र में ज्योंही ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन का कार्यालय प्रतिष्ठान का निरीक्षण करता है तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर चूककर्ता नियोक्ता के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन दायर करके कार्रवाई की जाती है। अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के समक्ष दावा मामला भी दाखिल किया जाता है जो दावे पर निर्णय लेता है और कामगारों को मजदूरी के अंतर का मुआवजे के साथ भुगतान करने का निदेश देते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) नियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शुरू किए गए अभियोजन तथा दोषसिद्ध नियोक्ता/व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	विवरण	2008-2009	2009-2010	2010-11	2011-12*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6925	9428	7327	3886
2.	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	3573	5181	4908	2451
3.	दोषसिद्ध व्यक्ति				

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	विवरण	2008-2009	2009-2010	2010-11	2011-12*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	15671	14720	16780	8842
2.	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	4631	4382	5950	4497
3.	निपटाए गए दावों की संख्या	2237	2046	1964	1591

दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	विवरण	2008-2009	2009-2010	2010-11
1.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	3585	3415	4459
2.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996	680	622	894
3.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	738	2318	1528

[अनुवाद]

वन क्षेत्र के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण

680. श्री रामसिंह राठवा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के गिर वन क्षेत्र के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में एशियाई शेरों के संरक्षण तथा गिर सुरक्षित क्षेत्र (गिर राष्ट्रीय उद्यान तथा गिर, पनिया, मटियाला और गिरनार अभयारण्य) के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात्, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य सरकार ने गिर सुरक्षित क्षेत्र तंत्र हेतु एक संशोधित प्रस्ताव किया था, जिसमें 262.36 करोड़ रुपये की लागत से जैव-विविधता संरक्षण और अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय और राज्य निधियन के ब्यौरे इंगित किये गये थे। इस संशोधित प्रस्ताव में गिर सुरक्षित क्षेत्र तंत्र के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण शामिल नहीं है। तदनुसार, इस मंत्रालय ने रिंग रोड के निर्माण हेतु गुजरात सरकार को कोई अनुदान जारी नहीं किया है तथा इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

विवाद का निपटारा

681. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे हेतु विश्व व्यापार संगठन द्वारा हस्तक्षेप की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक देश के साथ विवादों के निपटारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

'इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट'

682. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'इंटेसिफिकेशन आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट' के अंतर्गत फ्रंटलाइन वाणिकी बल को हथियार एवं गोला-बारूद प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर गत पांच वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में फ्रंटलाइन वाणिकी बल को हथियार एवं गोला-बारूद के प्रापण हेतु 7 राज्यों (गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखण्ड, असम ओर अरूणाचल प्रदेश) को केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'इंटेसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट' के अंतर्गत 464.28 लाख रुपये प्रदान किये हैं। इसके राज्य-वार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान फ्रंटलाइन वानिकी बल को प्रदत्त हथियार और गोलाबारूद

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2007-08 वास्तविक	2007-08 वित्तीय	2008-09 वास्तविक	2008-09 वित्तीय	2009-10 वास्तविक	2009-10 वित्तीय	2010-11 वास्तविक	2010-11 वित्तीय	2011-12 वास्तविक	2011-12 वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम	-	0.00	छोटे अथियार-100 एवं गोला-बारूद	77.50	-	-	-	0.00	-	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	0.00	रिवाल्वर-20 एवं गोला-बारूद	11.00	गोला बारूद	3.00	गोला-बारूद	2.00	-	0.00
3.	गुजरात	हथियार (रिवाल्वर)-2 बंदूकें-4 एवं गोला बारूद	3.21	रिवाल्वर-20 बंदूक-10 एवं गोला बारूद	11.00	गोला बारूद बंदूकें-15 एवं गोला बारूद	3.00	गोला बारूद बंदूकें-20 एवं गोला बारूद	27.35	गोला-बारूद	4.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	केरल	-	0.00	-	0.00	-	0.00	राइफल (0.315)-6 पिस्तौल-12 एवं गोला-बारूद	14.40	-	0.00
5.	मध्य प्रदेश	हथियार (12 बोर बंदूक)-100	25.00	गोला-बारूद की खरीद-10000	5.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
6.	ओडिशा	हथियार एवं गोला-बारूद	10.00	राइफल-100 रिवाल्वर-70	79.00	रिवाल्वर-70	49.00	आग्नेयशास्त्र-30	21.00		0.00
7.	उत्तराखण्ड	विाल्वर-(32")-10 राइफल (315 बोर)-10 एवं गोला-बारूद	11.00	रिवाल्वर (32%)-15 राइफल (315 बोर)-25 राइफल/दमकल कार्रवाई बंदूक (12 बोर)-25 एवं गोला-बारूद	40.50	रिवाल्वर (32%)-10 राइफल (315 बोर)-20 राइफल/दमकल कार्रवाई बंदूक (12 बोर) -20 एवं गोला-बारूद	28.00	-	0.00		0.00
	योग		49.21		235.00		110.59		64.75		4.73
	कुल योग						464.28				

[हिन्दी]

चीन के साथ व्यापार

683. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान द्विपक्षीय आयातों एवं निर्यातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन ने भारत के साथ तम्बाकू एवं इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु चीन निर्मित वस्तुओं के आयात पर छूट देने की घोषणा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या चीन ने भी भारतीय उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई छूट प्रदान की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा चीन के बीच व्यापार का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

तालिका-1: द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े

(मूल्य मिलियन अम. डॉ. में)

क्र. सं.	निर्यात/ आयात	2009-10	2010-11	2011-12 (अ)*
1.	निर्यात	11,617.88	15,520.60	17,902.98
2.	आयात	30,824.02	43,479.75	57,554.44
3.	कुल द्विपक्षीय व्यापार	42,441.90	59,000.36	75,457.42

(अ)* अनंतिम (स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

भारत को चीन के निर्यात भारत में दूरसंचार और विद्युत जैसे तेजी से फैले रहे क्षेत्रों की मांग को पूरा करने वाली विनिर्मित मदों पर अत्यधिक निर्भर हैं। चीन की कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर संगत उपकरणों की आपूर्ति करती है। भारत के निर्यातों में विशेष रूप से प्राथमिक उत्पाद, कच्ची सामग्री और अंतर्वर्ती उत्पाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त चीन में कृषि उत्पादों के आयातों पर गैर-टैरिफ बाधाओं के साथ-साथ भारतीय उत्पादों की सीमित बाजार पहुंच है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत द्वारा सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली रियायतों और बैंकॉक करार जिसे अब एशिया प्रशांत व्यापार करार (आप्टा) कहा जाता है, के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चीन हेतु उपलब्ध रियायतों को छोड़कर भारत ने चीन के उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष रियायत नहीं दी है। भारत तथा चीन दोनों ही आप्टा के भागीदार देश हैं। भारत ने आप्टा के गैर-अल्पविकसित सदस्य देशों (एनएलडीसी) को 570 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायत की पेशकश की है। इसके बदले में चीन ने भी आप्टा के गैर-अल्पविकसित सदस्य देशों को 1,697 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायत को पेशकश की है।

सशस्त्र बलों में जासूसी के मामले

684. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सशस्त्र बलों में जासूसी गतिविधियों से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) किन भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जासूसी गतिविधियां जुड़ी हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए/दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) जासूसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आसूचना मशीनरी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कथित जासूसी गतिविधियों से संबंधित कुल 5 मामले दर्ज हुए हैं जिनका संबंध पाकिस्तान की जांच एजेंसियों से था। कुछ 8 सेना कार्मिक, 1 सिविल डिफेंस कर्मचारी और 3 भूतपूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। एक सेना कार्मिक को दोषी ठहराया गया और उसे दंडित किया गया है।

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए साथ ही उचित उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

समुद्री संग्रहालय

685. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में राष्ट्रीय धरोहर समुद्री संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चेन्नई में लाइट हाउस संग्रहालय स्थापित करने का तथा देश में विद्यमान लाइट हाउसेस को आधुनिकीकृत करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पता लगाए गए लाइट हाउसेस का आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) महाबलीपुरम दीपस्तंभ के निकट राष्ट्रीय धरोहर समुद्री संग्रहालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। उपयुक्त स्थल के लिए वयवहार्यता अध्ययन चल रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) चेन्नई में एक दीपस्तंभ संग्रहालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। देश में दीपस्तंभों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और दीपस्तंभों में नवीनतम प्रौद्योगिकियां सामाहित की जाती हैं। समाहित आधुनिक दीपस्तंभ उपकरण, ऊर्जा की बचत वाली प्रणालियां हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये अधिकतर सौर ऊर्जा से चलते है और अत्यधिक विश्वसनीय तथा कम ऊर्जा की खपत वाले हैं।

(ङ) दीपस्तंभ उपकरणों को अंतरर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप उन्नत किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

वायुमंडल में जहरीले धातु

686. श्री सी. शिवासामी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुमंडल में जहरीले धातु की उपस्थिति से दिल्ली तथा अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंक्रीमेंटल लाइफटाइम केंसर जोखिम मानकों से क्रोमियम तथा नीकेल की ज्यादा मात्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएएमपी) को कार्यान्वित कर रहे हैं जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषकों के तीन मानदण्ड नामश: सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन डाईऑक्साइड (NO_2) और पार्टिकुलेट मैटर (PM_{10}) का नियमित रूप से मॉनीटरन किया जाता है। वायुमंडल में लेड (Pb), नीकेल (Ni) और क्रोमियम (Cr) जैसी जहरीली धातुओं की भी मॉनीटरिंग की जाती है। जहां सीपीसीबी, दिल्ली की परिवेशी वायु में पार्टिकुलेट लेड की मॉनीटरिंग करता है, वहीं राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनसंधान संस्थान (एनईईआरआई) छह शहरों नामश: चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई और नागपुर में लेड, नीकेल और क्रोमियम की मॉनीटरिंग करता है। छह शहरों में वर्ष 2011 में नीकेल का संकेन्द्रण 0.001 से 0.018 $\mu gèkm^3$ तक रहा है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रदूषण के उपशमन हेतु एक व्यापक नीति बनायी गयी है जिसमें प्रदूषण के नियंत्रण तथा निवारण, दोनों पहलुओं पर बल दिया गया है।

(ii) शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं भी बनायी गई हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(iii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सड़क पर चल रहे वाहनों हेतु उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं तथा ये राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किए जाते हैं।

(iv) दिनांक 1.2.2000 से संपूर्ण देश में शीशारहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2010 में नए चौपहिया वाहनों के लिए एनसीआर सहित 13 बड़े शहरों में भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानदण्ड लागू किए गए हैं। देश भर में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों तथा डीजल से चलने वाले कृषीय ट्रैक्टरों के लिए भारत स्टेज-III मानदण्ड लागू किए गए हैं।

(v) सीएनजी वाहनों की आवश्यकता पूरी करने हेतु दिल्ली तथा मुंबई में अनेक रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से ऑटोमोबाइल्स को काम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति की जाती है।

(vi) प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए बहि:स्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण

687. श्री के.पी. धनपालन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17, 47 तथा 49 के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों के संरेखन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों तथा बाइपासों का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II और III के अंतर्गत रारा 17 और रारा 47 के चौड़ीकरण के संबंध में भूमि अधिग्रहण का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। रारा 49 के चौड़ीकरण के लिए साध्यता अध्ययन पहले ही शुरू कर दिया गया है। इसलिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

(घ) से (च) रारा 17 और रारा 47 पर निर्मित/निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित बाईपासों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। रारा 49 पर त्रिपूनीतुरा बाईपास की 3.8 किमी लंबाई के लिए संरेखण अनुमोदित कर दिया गया है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। निर्माण कार्य पूरा होने की समय सारिणी के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण I

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण

क्र.सं.	परियोजना	रारा सं.	लंबाई (किमी)	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण	अधिग्रहित की जानी वाली कुल अतिरिक्त भूमि (हेक्टेयर)	संचयी प्रगति 31.07.2012 तक				31.07.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित भूमि अधिग्रहण कार्य (हेक्टेयर)				मुआवजे के लिए संस्वीकृत राशि (सीएएलए के साथ संयुक्त खाते में प्रेषित) (करोड़ रुपए में)	टिप्पणी
						3ए (हेक्टेयर)	3डी (हेक्टेयर)	3जी (हेक्टेयर)	कब्जा (हेक्टेयर)	3ए (हेक्टेयर)	3डी (हेक्टेयर)	3जी (हेक्टेयर)	कब्जा (हेक्टेयर)		
1.	वालयर-वडककनचेरी (केएल2)	47	54.0	II	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	0.0	0.0	0.0.	0.0	79.73	संपूर्ण लंबाई उपलब्ध है। कार्य दिनांक 03.08.2012 को सौंपा गया है।
2.	वडककनचेरी-त्रिसूर (केएल3)	47	28.4	II	80.0	80.0	77.5	77.5	73.7	0.0	2.5	2.5	6.3	158.27	निर्माण के लिए 23.5/28.4 किमी. लंबाई उपलब्ध है।
3.	त्रिपुर-एडापल्ली (रारा-47-केएल1)	47	40.0	II	41.8	41.8	41.8	40.4	39.2	0.0	0.0	1.4	2.6	148.97	4-लेन कार्य पूरा हो चुका है। पीसीसी दिनांक 4.12.11 को जारी किया गया। शेष भूमि जंक्शन के सुधार, बेल माउथ, सर्विस रोड आदि के लिए अपेक्षित है।
4.	केरल/कर्नाटक सीमा से कन्नूर	17	126.6	III	303.3	303.3	0.0	0.0	0.0	0.0	303.3	303.3	303.3		प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 2009 में शुरू की गई। तथापि, केरल सरकार ने अप्रैल, 2010 में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यकलापों को निलंबित कर दिया जिसके कारण राजपत्र में पहले प्रकाशित की गई 3ए(1) अधिसूचनाएं व्यपगत हो गई क्योंकि 3डी अधिसूचना एक वर्ष की निर्धारित अवधि के अंदर प्रकाशित नहीं की जा सकी। यद्यपि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया राज्य में नवम्बर, 2011 में पुन: प्रारंभ हुई फिर भी प्रगति बहुत धीमी है।
5.	कन्नूर से वेंगलम	17	83.2	III	257.2	257.2	26.8	16.5	8.6	0.0	230.3	240.7	248.6	30.12	
6.	वेंगलम से कुट्टीपुरम	17	81.5	III	138.3	138.3	0.0	0.0	0.0	0.0	138.3	138.3	138.3		
7.	कुट्टीपुरम से एडापल्ली	17	159.7	III	282.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.0	282.0	282.0	282.0		
8.	चेरथलई से ओचिरा	47	83.6	III	114.0	114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.0	114.0	114.0		
9.	ओचिरा से तिरूवनंतपुरम	47	85.6	III	142.0	142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.0	142.0	142.0		
10.	तिरूवनंतपुरम केरल/ तमिलनाडु	47	43.0	III	95.9	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.9	95.9	95.9		
	जोड़				1524.7	1242.7	216.4	204.7	191.7	282.0	1308.3	1320.0	1333.0	417.1	

विवरण II

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों

क्र.सं.	रारा सं.	पैकेज	बाईपास		चैनेज		वर्तमान स्थिति
			नाम	लंबाई (किमी में)	प्रारंभिक	अंतिम	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	17	कर्नाटक/केरल सीमा से कन्नूर खंड को चार लेन का बनाया जाना	पय्यानूर	4.10	109/300	113/400	रियायत करार पर हस्ताक्षर 16.04.2012 को किए गए। वित्तीय व्यवस्था अभी की जानी है। भूमि अधिग्रहण की संबंधी कार्यकलाप प्रगति पर हैं।
			थालीपरंबा	5.65	128/500	134/200	
2.	17	कन्नूर-वेंगलम खंड को चार लेन का बनाया जाना	कन्नूर	18.6	148/000	166/600	रियायत करार पर हस्ताक्षर 24.2.2010 को किए गए। वित्तीय व्यवस्था भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सकी। भूमि अधिग्रहण कार्य 04.11.2011 को पुनः शुरू किया गया।
			थालासेरी माहे	18.15	170/150	188/300	
			कोईलंदे	11.00	214/9001	225/900	
3.	17	वेंगलम-कुट्टीपुरम खंड को चार लेन का बनाया जाना	कोझिकोड	27.90	232/100	260/000	रियायत करार पर हस्ताक्षर 24.2.2010 को किए गए। वित्तीय व्यवस्था भूमि उपलब्ध न होनें के कारण नहीं हो सकी। भूमि अधिग्रहण कार्य 04.11.2011 को पुनः शुरू किया गया।
			कोटेकल इदारिक्कोड	4.20	285/800	290/000	
			वालनचेरी	4.40	300/800	305/200	
4.	17	कुट्टीपूरम-एडापल्ली खंड को चार लेन का बनाया जाना (किमी 318 से किमी 438.600)	पोन्नानी	14.66	319/450	340/350	भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा किया जाना है और आरएफक्यू आमंत्रित किया जाना है।
			चवक्काड	2.45	363/200	365/400	
			वदनपल्ली	3.50	377/000	380/200	
			त्रिपरियार	3.20	383/850	387/310	
			चेन्द्राप्पिन्नी	1.95	390/000	391/900	
			मून्नुप्पीकिडा	2.14	395/300	397/250	
			मतिलाकाम खंड 1	4.49	398/700	403/000	
			मतिलाकाम खंड 2	0.47	405/500	406/060	
			कोडुंगल्लूर	3.03	407/700	411/800	
			परवूर	10.51	414/450	426/100	
			एडापल्ली मंजुमेलकवला पुनः संरेखण	3.32	435/000	438/600	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	47	चेरतलई से ओचिरा खंड को 4/6 लेन का बनाया जाना (किमी 379/100 से किमी 465.000)	अलपूझा बाइपास	6.70	408/100	414/800	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 03.08.2012 के पत्र द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केरल सरकार के बीच 50% लागत की भागीदारी के आधार पर 80.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अलपूझा बाइपास के दोनों ओर आरओबी के साथ अलपूझा बाइपास को दो लेन की उत्थापित संरचना का बनाए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। रारा 47 के चेरथला-ओचिरा खंड को चार लेन का बनाए जाने के लिए चेरथला से ओचिरा तक जिसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केरल सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी आधार पर दो लेन का बाइपास निर्मित किया गया था और जिसे बीओटी पैकेज के लिए एक स्वीटनर के रूप में समझा जा सकता है, चार लेन बनाए जाने के पैकेज के भाग के तौर पर बीओटी (पथकर) आधार पर बाइपास के अतिरिक्त बनाने के लिए पृथक डीपीआर बनाने का कार्य डीपीआर परामर्शदाताओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया जाना है।
6.	47	ओचिरा से त्रिवेन्द्रम तक (किमी 465/000 से किमी 551.900) 4/6 लेन बनाया जाना	कोल्लम	12.90	486/600	499/500	रारा 47 के ओचिरा-तिरूवनंतपुरम खंड को चार लेन का बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में गतिरोध के कारण 04.11.2011 को रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात्, यह प्रस्ताव किया गया कि कोल्लम बाइपास का कार्य का स्वतंत्र परियोजना के रूप में शुरू किया जाए जिसके लिए पृथक डीपीआर और लागत प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं और केरल राज्य के रारा प्रभाग को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण 4.11.2011 को पुनः शुरू किया गया।
			अटिंगल	10.90	523/500	534/400	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	47	त्रिवेन्द्रम (कझकुट्टम) से केरल/तमिलनाडु सीमा (कारोड) को 4/6 लेन का बनाया जाना	त्रिवेन्द्रम	43.00	000/000	043/000	रारा 47 के त्रिवेन्द्रम-केरल/तमिलनाडु सीमा को चार लेन का बनाने के लिए निविदाएं पहले वर्ष 2008 में बीओटी (पथकर) के अंतर्गत आमंत्रित की गई लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। मार्च, 2010 में आरएफक्यू बीओटी (वार्षिकी) के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। पीपीपीएसी प्रस्ताव भेज दिया गया है और भूमि अधिग्रहण के संबंध गतिरोध होने के कारण वापसि ले दिया गया है। भूमि अधिग्रहण कार्यकलाप 04.11.11 को पुनः शुरू हुए। चूंकि 43.0 किमी में से 26.5 किमी भूमि उपलब्ध है इसलिए 26/500 किमी तक चार लेन का बाइपास (किमी 0/0 से किमी 22/0 तक विद्यमान दो लेन की सड़क चौड़ीकरण सहित) का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार डीपीआर परामर्शदाताओं द्वारा पृथक डीपीआर और लागत प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। किमी 26/500 से किमी 43/000 तक शेष खंड को चार लेन का बनाने का कार्य, भूमि अधिग्रहण जो कि प्रगति पर है, का कार्य पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा।
8.	47	किमी 348.382 से किमी 358.750 तक रारा 47 के वित्तिल्ला-अरूर खंड को दो लेन का बनाना	कोचीन	16.75	342/000	358/750	कार्य पूर्ण

[हिन्दी]

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन

688. **श्री अर्जुनराम मेघवाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के क्रियान्वयन के बावजूद गत वर्ष के दौरान मरे हिरणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में कोई त्रुटि देखी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परिस्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, हां। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्तमान प्रस्तावित संशोधनों का आशय, इस अधिनियम में वन्य प्राणि-जात एवं वनस्पति-जात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) के उपबंधों को समाविष्ट करना तथा इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन हेतु दण्ड को बढ़ाना है।

(ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों का क्रियान्वयन संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का दायित्व है। देश में हिरणों की मृत्यु के ब्यौरे केन्द्र सरकार के स्तर पर समेकित नहीं किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्यजीव अभयारण्यों को आपस में मिलाना

689. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी:
श्री राधामोहन सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रत्येक राज्य में वन्यजीव अभयारण्यों को आपस में जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य से प्राप्त सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र बलों हेतु संदर्शी योजना

690. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नरेनभाई काछाड़िया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों की खराब स्थिति की व्यापक आलोचना को देखते हुए सरकार ने सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 5 वर्षीय तथा 15 वर्षीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र बलों पर उपस्कर के मूल्यांकन में लंबा समय लेने का आरोप लगाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उपस्कर, हथगोले इत्यादि की खरीद हेतु सशस्त्र बलों द्वारा जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट की सूचना और निर्धरण हेतु निवेदन जारी करने की प्रक्रिया को छोटा/सरल बनाने हेतु की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा शीघ्र मंजूरी तथा उपस्कर के अधिग्रहण हेतु वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसी आकस्मिकता को धयान में रखते हुए सशस्त्र बलों को अद्यतन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 15 वर्षीय एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी) 2012-2027 तथा 5 पंचवर्षीय सेना पूंजीगत अधिग्रहण योजना (एससीएपी) को अनुमोदित किया है। आगे और ब्यौरे देना देश की सुरक्षा हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) सशस्त्र सेनाओं हेतु हथियारों तथा उपकरणों का अधिग्रहण एक जटिल गतिविधि है और यह रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के उपबंधों के अनुसार की जाती है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में दी गई वृहत समय सीमा के अनुसार अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों को पूरा करने तथा संविदा को अंतिम रूप देने में दो-तीन वर्ष लगते हैं।

व्यवस्थागत तथा संस्थागत विलम्बों को रोकने के लिए प्रक्रियाओं और प्रणामिलयों को अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर नियमित रूप से परिशोधित किया जाता है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण हेतु शीघ्र अधिप्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली ढांचा उपलब्ध कराती है।

(ङ) और (च) पूंजीगत अधिग्रहण के मामलों में कार्रवाई करने हेतु वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:-

500 करोड़ रुपये तक-रक्षा मंत्री

500 करोड़ से अधिक तथा 1000 करोड़ रुपये तक-वित्त मंत्री

1000 करोड़ रुपये से अधिक-सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति

50 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत अधिप्राप्ति मामलों में कार्रवाई करने हेतु सेना मुख्यालय स्तर पर प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और 50 करोड़ रुपये से अधिक तथा 75 करोड़ रुपये तक के मामलों में अनुमोदन रक्षा सचिव द्वारा किया जाता हैं इस राशि में वृद्धि का प्रस्ताव है।

सरकार सुरक्षा परिदृश्य की लगातार समीक्षा करती है और तदनुसार उपयुक्त रक्षा उपकरण/प्लेटफार्म शामिल करने हेतु निर्णय लेती है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो सशस्त्र सेनाओं को किसी भी संभावित घटना से निपटने हेतु तैयार रखने के लिए विभिन्न देशी तथा विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाती है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 1200 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 1200 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 1200 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री इंदर सिंह नामधारी** *पीठासीन* हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीरियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 7073/15/12]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स एण्ड ट्रेड मार्क्स, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑफिस ऑफ दि कंट्रौलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन एण्ड ट्रेड मार्क्स, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 7074/15/12]

(3) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत बॉयलर अटेंडेंट्स (संशोधन) नियम, 2012 जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 347(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला वित्ररण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 7075/15/12]

(5) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा

के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2012 जो 11 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 7076/15/12]

(6) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 1242(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1038(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 7077/15/12]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1984 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2011 जो 11 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 7078/15/12]

(3) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 1251(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एजेंसी को रबी विपणन सीजन 2012-2013 के लिए 20,000 गट्टरों को कुल मात्रा की सीमा तक 17.1.2012 के आदेश संख्या का.आ.88(अ) को लागू करने से छूट दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 7079/15/12]

(दो) का.आ. 1417(अ) जो 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री में खाद्यान्नां और चीनी की 100% पैकेजिंग का अधिदेश दिया है, जो उक्त आदेश की समाप्ति से आगे तीन माह की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी 7080/15/12]

अपराह्न 12.01 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

57वां और 58वां प्रतिवेदन*

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) कंपनी विधेयक, 2011 के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(2) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011 के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

40वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): मैं कार्य मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

---

*अंतर्सत्रावधि के दौरान 57वां और 58वां प्रतिवेदन 26 जून, 2012 को निदेश 71क के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये गये और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा अब 'शून्य काल' आरंभ करेगी।

श्री गुरूदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल): मैं अध्यक्ष पीठ का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। मैं पूरी सभा से आग्रह करता हूं कि वे मेरी बातों को सुनें।

देश की अर्थव्यवस्था पहली बार गंभीर संकट में है। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संसद द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास सरकार के वक्तव्य को सुनने का कोई अवसर नहीं है और न ही किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा करने का कोई अवसर है। स्थिति ऐसी है। ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं हुई। निवेश में कमी आई है। उत्पादन में कमी आई है और सभी क्षेत्रों की यही स्थिति है। विनिर्माण, उद्योग, कृषि, यहां तक कि सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन में गिरावट आई है।

आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का आंकड़ा कम होकर 0.1 प्रतिशत हो गया है। इसका क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध है; यह रूक गई है। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसियां भारत की रैंकिंग को कम करने की धमकी दे रही हैं, और प्रतिदिन उनका कहना है कि इसमें और गिरावट आएगी। यदि ऐसा होता है तो एफडीआई अंतर प्रवाह जिस पर सरकार इतना भरोसा करती है-वे भारतीय संसाधनों के मुकाबले विदेशी रुपयों पर अधिक भरोसा करते हैं-भारत विदेशी कोष के लिए पसंदीदा स्थल नहीं बन पाएगा।

यह कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में आई समग्र अवरुद्धता का सूचक हैं इसके लिए हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। भारत में जो आर्थिक नीति अपनायी जा रही है वह देश को पूर्णत: जड़ता की स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ मुद्रास्फीर्ति है। यह पूर्णतया विरोधाभासी है। मंदी के दौर में मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना नहीं है; मुद्रास्फीति बढ़ने की स्थिति मे अवरुद्धता की संभावना नहीं होती है। आर्थिक शैली में इसे 'स्टेगफ्लेशन' कहा जाता है। सरकार इस मुद्दे पर पूर्णतया खामोश है। इसकी क्या कीमत है?

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार कीमत 10 प्रतिशत से अधिक है। बचत विशेषकर घरेलू बचत में गिरावट आई है क्योंकि मूल्यों में हुई अप्रतिम बढ़ोतरी के कारण व्यय किए जाने वाले आय में गिरावट आई है। इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इससे रोजगार प्रभावित हो रहा है; पूरे देश में ठेका पर काम करने वालों को सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में हटाया जा रहा है। नौकरी नहीं होने के कारण असंगठित मजदूरों को कम किया जा रहा है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बैंकों में रुपये भरे हुए है, लेकिन नए निवेश के लिए कोई बैंक से रूपए नहीं निकाल रहा है क्योंकि लाभ की बहुत ही कम आशा है। इसके लिए किसको दोषी माना जाए? नीति को दोषी माना जाए। मैं 'व्यक्तियों' के नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं; यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। देश जो कि परसों स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है वह अत्यधिक मंदी एवं बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है।

किस बात पर चर्चा की जा रही है? सरकार में बैठे महत्वपूर्ण लोग कह रहे हैं कि दी जा रही आर्थिक सहायता को वापस ले लिया जाए जिसका अर्थ होगा कि किसान मारे जाएंगे। वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। वे क्या बात कर रहे हैं? डीजल के दाम बढ़ाए जाएं। वे क्या बात कर रहे हैं? उनका कहना है कि अर्थ व्यवस्था को भारी मंदी से उबारने के लिए खुदरा व्यापार में एफडीआई रामबाण है।

मैं सरकार से श्वेतपत्र की मांग करता हूं, मैं सम्मानपूर्वक अध्यक्षपीठ से अर्थव्यवस्था पर संकट, अवरुद्धता और मूल्यवृद्धि पर चर्चा करने के लिए यथाशीघ्र एक तिथि निश्चित करने का अनुरोध करता हूं। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं जितना जल्द संभव हो सभा में इस पर एक चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदयः ऐसे माननीय सदस्य जो इस मुद्दे से संबद्ध होना चाहते हैं, वे कृपया सभा पटल पर पर्चियां भेजें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा की मांग करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय अध्यक्ष महोदया इस मामले पर निर्णय लेंगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री निशिकांत दुबे, श्री पी. लिंगम, श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम पटेल, श्री ए.टी. नाना पाटिल,

डॉ. संजय जायसवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अशोक अर्गल, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण, श्री रामसिंह राठवा, श्री सोहन पोटाई, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, डॉ. एम. तम्बिदुरई, श्री एस. सेम्मलई, श्री सी. राजेन्द्रन, श्री ओ.एस. मणियन, श्री पी. कुमार, श्री एम. आनंदन, श्री सी. शिवासामी, श्री के. सुगुमार, डॉ. पी. वेणुगोपाल, श्री भर्तृहरि महताब, डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री बिभू प्रसाद तराई, श्री पी.के. बिजू, श्री जसवंत सिंह, श्री खगेन दास, शेख सैदुल हक और श्री पुलीन बिहारी बासके को इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, जो विषय कामरेड गुरुदास दासगुप्ता ने यहां रखा है, मैं उससे अपनी पार्टी की तरफ से सम्बद्ध करते हुए आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि जब स्पीकर साहिबा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया था, जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं और यह विषय देश की अर्थव्यवस्था पर गहराते हुए संकट को देखते हुए बहुत ऊपर रखा गया था।

मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि अगली बीएसी की मीटिंग में हम वह तिथि तय कर दें, जिस दिन पर चर्चा हो। क्योंकि जैसा कहा गया है कि स्ट्रक्चर्ड डिबेट बहुत जरूरी है और बाकी विषयों की गम्भीरता को देखते हुए यह विषय बहुत ही ज्यादा गम्भीर है तो अगली बीएसी में अगर तिथि तय हो जायेगी कि किस दिन इस पर चर्चा की जायेगी तो हम सब लोग इस पर स्ट्रक्चर्ड डिबेट कर सकेंगे, इसलिए अगले दिन इसकी तिथि तय कर दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, देश एक गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है; सुव्यवस्थित चर्चा की आवश्यकता है; नेताओं की बैठक में भी हमने यह सुझाव दिया; अत: इसके लिए तिथि निर्धारित की जाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यह पूरा होना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह (गाजियाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाल-फिलहाल घटित हो रही कुछ पीड़ादायी घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आये दिन चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो, ऐसी खबरें हमारे देशवासियों को मिल रही हैं और देशवासियों को ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि सारी दुनिया के लोगों को देखने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान में इस समय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिनमें विशेष रूप से हिन्दू और सिख प्रमुख हैं, आज वे पूरी तरह से असुरक्षित हैं। उनकी जान और माल की सुरक्षा दोनों संकट में पड़ी हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह मजहबी दृष्टि से भी और साथ ही साथ मानवीय दृष्टि से भी केवल निंदनीय ही नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से शर्मनाक है। मैं चाहता हूं कि संसद से कम से कम इस लोक सभा के चेयर की तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए और जो कुछ भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहा है, सर्वसम्मति से उसकी निंदा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, समाचार-पत्रों के माध्यम से यह भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि 20 हिंदू परिवार और सिख परिवार पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ चुके हैं और वे यहां की सरकार से नागरिकता की मांग कर रहे हैं ओर यह मांग कर रहे हैं कि हमको शरण दी जानी चाहिए। 250 तीर्थ यात्री, जिन्हें पाकिस्तान और भारत की सीमा, वाघा बार्डर पर रोक कर, उनसे अण्डरटेकिंग ली गई कि भारत जाने के बाद, आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी चर्चा आप हिंदुस्तान में नहीं करोगे। आप यह भी गारंटी दो कि भारत जाने के बाद तुम वापस आओगे। इतना ही नहीं मैने दो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर यह भी देखा था कि सरेआम एक हिन्दू युवक का धर्मांतरण वहां पर करवाया जा रहा है। उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। समाचार-पत्रों में यह भी पढ़ने को मिला कि चौदह वर्ष की एक बालिका का अपहरण किया गया। अपहरण किए जाने के बाद उसका धर्मांतरण हुआ। उसके माता-पिता ने जब पुलिस के पास जाकर गुहार लगाई तो पुलिस ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और उसके विरूद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं बल्कि हिंन्दू पंचायत के एक प्रमुख नेता श्री लक्ष्मण दास पेरवानी ने भारतीय मिशन और साथ ही साथ अमेरिकन मिशन को पत्र लिखकर यह गुहार की है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वे हिन्दू हैं या सिख हैं, उनकी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान के ऊपर जो भी दबाव बनाया जा सकता है, वह दबाव भारत और अमेरिका की तरफ से बनाया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि भारत सरकार पाकिस्तान के राजदूत को बुला कर अपनी चिंता से, अपनी नाराजगी से अवगत कराए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वहां के अल्पसंख्यकों के जान और माल की सुरक्षा की गारंटी मिल सके। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जो सदस्य अपने आपको संबद्ध करना चाहते हैं वे कृपया अपने नाम सभा पटल पर भेज दें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): इसी मुद्दे को 'शून्य काल' में सूचीबद्ध किया गया था और मुझे बोलने की अनुमति दी जाती है तो क्या मुझे बोलना चाहिए या बाद में बोलना चाहिए।

सभापति महोदय: मैं आपको श्री मुलायम सिंह यादव के बाद समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री सी.आर. पाटिल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अशोक अर्गल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री हरिभाऊ जावले, श्री रमेश डेका, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री राकेश सिंह, योगी आदित्यनाथ, श्री जोसेफ टोप्पो, श्री गणेश सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश स्वयं को श्री राजनाथ सिंह के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, अभी जो सवाल गुप्ता जी, राजनाथ सिंह जी ओर नेता विरोधी दल ने उठाया है, मैं भी इस राय का हूं कि सदन के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि इस पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सरकार का क्या दृष्टिकोण है? क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में पाकिस्तान के राजदूत से या किसी भी स्तर पर कोई ऐसी बात कही है? सारे अखबार भरे पड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी चर्चा है। मैं समझता हूं कि देश में जो भी मानवतावादी हैं, उन सब में चिंता की बात होगी। चिंता है और चिंता करनी चाहिए। यह विषय न हिंदु का है और न मुसलमान का है। यह मानवता के खिलाफ अन्याय है। यह मानवता का सवाल है। मानवता के सवाल पर हिंदुस्तान की नीति रही है। पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने एक बार कहा था कि किसी भी देश के अंदर अगर मानवता का हनन होगा, अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान चुन नहीं बैठेगा। यह नीति हमारे हिंदुस्तान की लगातार रही है। ऐसा नेहरू जी का पुराना बयान है, मैंने एक जगह पुस्तक में यह पढ़ा है।

सभापति जी, इसलिए आप अपनी चेयर से ही घोषणा कर दीजिए कि इस पर चर्चा हो और चर्चा विस्तार से हो। यहां जो मांग की गयी है, मैं उस मांग से सहमत हूं कि राजदूत को आज ही प्रधानमंत्री जी तलब करके उनसे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दें, नाराजगी जाहिर कर दें। अगर वहां ऐसा हो रहा है तो मेरी यह राय है कि इसकी निंदा होनी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री पन्ना लाल पुनिया, श्रीमती पुतुल कुमारी अपने आपको श्री मुलायम सिंह यादव जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: सभापति महोदय, इस तरह सिद्धीकी ने यूथ टैलेंट फेस्टिवल, 2012 को 'अल्पसंख्यकों के अधिकार' विषय पर जोशीला भाषण दिया मैं कहता हूं सफाई यह है कि पाकिस्तान में शांति नगर से गोजरा तक अल्पसंख्यकों के कोई अधिकार नहीं हैं। इस देश का इतिहास अल्पसंख्यकों के कत्ल की घटनाओं से भरा हुआ है। उस देश में जहां मतांध आतंकवाद ने हजारों व्यक्तियों की जान ली हो और जहां अल्पसंख्यकों की भय में जीवित रहने के लिए बाध्य किया गया हो वहां, संविधान का अनुच्छेद 20 और कुछ नहीं बल्कि छलावा मात्र है।

इफराह सिद्धीकी लाहौर के संत एंथनी हाई स्कूल की छात्र है। उसने पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 20 का उल्लेख किया है। वह पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की दुर्दशा व्यक्त कर रही थी। पाकिस्तान में अपहरण जबरन धर्मांतरण और अवयस्क लड़कियों की शादी, घरों में लूटपाट व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की लूटपाट तथा धार्मिक आधार पर उत्पीड़न बेरोक-टोक जारी है। देश में प्रशासन नाम की या तो कोई चीज ही नहीं है अथवा वह मूक दर्शक बना हुआ है। यह राय उन अधिकांश हिंदुओं द्वारा व्यक्त की गई है जो गत शनिवार आए अर्थात कल ही भारत में आये थोड़े संपन्न कराची अथवा इस्लामाबाद और यहां तक कि अथवा दुबई भी जा रहे हैं क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान और अशांतक्षेत्रों में हिंदुओं के प्रति अपराध में कोई कमी नहीं आई है। वे निरंतर डर में जी रहे हैं।

हिंदू समुदाय सफलता के लिए भारतीय मिशन की शरण में भी जा रहा है। कुछ मुस्लिम देशों से अलग जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव से कानूनी संरक्षण नहीं मिलता पाकिस्तान में अलग-अलग मतों के लोगों के लिए समानता वाला कानून है। तथापि व्यवहार्यत: हिंदुओं और ईसाइयों के पास शिकायत करने के कई आधार है।

देश के बंटवारे के समय हिंदू आज के बांग्लादेश सहित जनसंख्या के 26 प्रतिशत थे, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था।

आज वे मुश्किल से दो प्रतिशत हैं। पाकिस्तान को अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा इसकी मांग करते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाले। कुछ ऐसे समाचार हैं जो यह दर्शाते हैं कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच समन्वय नहीं है। पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी उनकी सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई है। कट्टरपंथियों के आदेश का पालन किया जा रहा है। यह बिल्कुल उचित समय है जब हमारी सरकारी को अप्रवासी हिंदुओं को भारत में आकर बसने की अनुमति दे देनी चाहिए। अंत में, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि उन्हें यह बताया गया है कि जब उनके वीजा की अवधि समाप्त हो जाए तब उन्हें पाकिस्तान वापस चला जाना चाहिए। भरत को इस मुद्दे पर इस तरह से कार्रवाई नहीं रनी चाहिए यहां आकर बसने वाले सभी हिंदुओं के लिए हमारी सीमाएं खोली जानी चाहिए। यही एकमात्र स्थान है जो उन्हें समर्थन मदद और सुरक्षा प्रदान कर सकता है जो उन्हें समर्थन, मदद और सुरक्षा प्रदान कर सकता है हमारी सरकार का यही दृष्टिकोण होना चाहिए।

सभापति महोदय: निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने स्वयं को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध किया:

1. श्री पन्ना लाल पुलिया
2. श्री शिवकुमार उदासी
3. श्री ए.टी. नाना पाटील
4. श्री सी.आर. पाटिल
5. श्री देवजी एम. पटेल

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति जी, आज़ादी के बाद देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई जिसके कारण देश में एक पैरलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई और इस समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण, जिसको हम काला धन कहते हैं, जिस पर टैक्स नहीं भरते हैं, ऐसे धन का संग्रह खड़ा होने लगा। धीरे-धीरे टैक्स के इवेज़न के कारण, देश की तत्कालीन सरकारों की नीतियों के कारण यह धन बढ़ता गया और विदेशी बैंकों में जमा होने लगा। उसकी मात्रा इतनी बढ गई कि हमारे सामने जो आंकड़े आए हैं, कोई एक लाख करोड़ कहते हैं, कोई दस लाख करोड़ कहते हैं, सरकार की विभिन्न एजेंसियां 25 लाख करोड़ रुपये तक कहती है। 25 लाख करोड़ रुपये तक का काला धन विदेशों के बैंकों में जमा है।

सभापति जी, 2009 का चुनाव मुझे याद है। सबको पता था कि देश में काला धन पैदा होता है। श्रद्धेय आडवाणी जी ने चुनाव में इसको आम जनता का मुद्दा बनाया। पूरे देश को पता चला कि देश में काले धन के कारण आज जो देश की गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी है, उसके मूल में यह है कि देश में वह काला धन वापस लाने में कांग्रेस की सरकार विफल रही, जिसके कारण देश में यह स्थिति पैदा हुई है। उसके कारण पूरा देश आंदोलित हो गया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सारे देश में इसकी चर्चा हुई, उसके बाद जनआंदोलन शुरू हुआ, जो बात हमने उठाई, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, श्रद्धेय आडवाणी जी ने उठाई, उसको लेकर देश के विभिन्न समाजसेवकों ने, अनेक संस्थाओं ने देश में आंदोलन किये। आज भी रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा है। ...*(व्यवधान)* पूरा देश इसके साथ जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पाठक जी, आप आसन को संबोधित करें।

श्री हरिन पाठक: आंदोलन के तरीकों से उन्हें एतराज हो सकता है मगर आंदोलन का जो मुद्दा है जो मेरी पार्टी ने उठाया कि आप नहीं चाहते हैं कि देश का काला धन वापस आए। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, हमने मांग की थी कि काले धन के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाए।

सभापति महोदय: हरिन जी, आप उधर देखते क्यों हैं? आप आसन की ओर देखिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: जो कुछ भी हरिन पाठक कह रहे हैं इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, हमने मांग की थी कि काले धन के बारे में इतनी उत्तेजना है और जिसको वापस लाने से देश की आर्थिक स्थिति सुधार सकती है, तो उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। वह सदन में किया। तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने श्वेत-पत्र रखा, मगर श्वेत-पत्र में छिपाया ज्यादा और बताया कम।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देश में परिस्थिति यह हुई कि फिर आंदोलन शुरू हो गया। मुझे इस बात का बहुत दु:ख, वेदना और पीड़ा है कि हमारा तंत्र कैसा है, हमारी सरकार कैसे चलती है। ...*(व्यवधान)* विक्रम जी आप बैठिये। यह आपका विषय नहीं है। आप गुजरात में चिल्लाओ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आदरणीय पाठक जी, आप खुद ही उलझते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप आसन की ओर देखिये।

श्री हरिन पाठकः सभापति जी, मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि ध्यान से सुनें। यूएन रिज़ॉल्यूशन के बाद छोटे-छोटे देशों ने, उनके देशों का जो काला धन विदेशी बैंकों में जमा था, उसको वापस ले लिया। छोटे देशों में काला धन वापस ले लिया, वह धन अपने देश में वापस लाए और देश की प्रगति और उन्नति में वह काम आया लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि 2012 के बाद हम काला धन वापस लाने के लिए ट्रीटी करेंगे, समझौता करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 2012 अप्रैल तक यूपीए सरकार ने इस देश का जो काला धन विदेशों में लाखों करोड़ों रुपये पड़ा है, उसको वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया मगर उनको छूट दे दी कि आप काला धन कहीं और ट्रांसफर कर दो। इतना बड़ा अपराध आपने देश के साथ किया। मैं जानना चाहता हूं कि 2012 अप्रैल पूरा हो गया, 2012 अप्रैल के समझौते पूरे हो गए, उसके बाद सरकार बताए कि कितने पैसे वह काले धन के रूप में देश में वापस लाए। ...*(व्यवधान)* दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज आंदोलन के अंदर ...*(व्यवधान)* प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। यह मेरी ओर आपकी इज्जत का सवाल है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः हरिन जी, कृपया करके आप कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठकः सभापति जी, मुझे लगता है कि काले धन के बारे में सरकार कुछ छिपाती है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं, जिनका बहुत भारी मात्रा में काला धन विदेशों के बैंकों में पड़ा है, इसलिए वह अपना नाम देश को बताना नहीं चाहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं और देश जानना चाहता है कि किन-किन लोगों के पैसे हैं। मेरे पास तो इनफोर्मेशन है, उसमें ऐसा है कि सरकार में बैठे हुए बड़े-बड़े नेता और कुछ लोगों के पैसे विदेशों के बैंकों में हैं। उसके कारण सरकार काले धन के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि वह बताए कि अप्रैल, 2012 के बाद छोटे-छोटे देशों ने जब यह काला धन अपने देशों में वापस लिया तो भारत सरकार कब वापस लाएगी और क्या कदम उठाएगी? आज जो आंदोलन चल रहा है उसको देश का समर्थन है और देश जानना चाहता है कि काला धन देश में कब वापस आएगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सदस्य जो अपना नाम विषय से संबद्ध करना चाहते हैं वे अपने नाम सभा पटल पर भेज सकते है।

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः संजय जी, अन्नू टण्डन जी बोल रही हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, विपक्ष की तरफ से काले धन के मुद्दे पर जो विषय रखा गया है, मैं उस पर एसोसिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक जानकारी सदन में रखना चाहता हूं ....*व्यवधान)*

सभापति महोदयः संजय जी, ऐसा तो नहीं होता है। आप ही की दल की अन्नू जी बोल रही हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः केवल अन्नू टण्डन जी की बात प्रोसीडिंग में जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा की कार्यवाही इस प्रकार नहीं चल सकती।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री जी, कैसे हाउस चलेगा। मैं अन्नू टण्डन जी को बोला है, लेकिन वह बोले जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः संजय जी, आप ही की दल की अन्नू जी बोल रही हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कृपया अन्नू जी को बोलने दीजिए। अन्नू जी आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यह सही तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः संजय जी, आप तो बड़े अनुभवी सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार उदासी, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री देवजी एम. पटेल, श्री सी.आर. पाटिल, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अशोक अर्गल, श्री सोहन पोटाई, श्री रामसिंह राठवा, श्री चंदूलाल साहू और डॉ. किरोड़ी लाल मीणा अपने को श्री हरिन पाठक द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।

श्रीमती अन्नू टण्डनः सभापति महोदय, मैं सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा में बैंकिंग सिस्टम के द्वारा पैसे देने का काम शुरू किया गया है। पहले कैश में पैसे दिए जाते थे, जिसमें बहुत दिक्कत थी। परन्तु आज महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान के संबंधित समस्या पर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

महात्मा गांधी नरेगा के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीणों को अपनी मेहनत का भुगतान समय से मिले और उन्हें बैंकों में बहुत चक्कर न लगाने पड़े। ...*(व्यवधान)* वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि बैंकों की शाखाएं ज्यादा नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* अधिकतम यह जो शाखाएं हैं, वह टाउन एरिया में हैं या तहसील में हैं, लेकिन वह गावों में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* क्योंकि वह कमर्शियली वायबल नहीं होती हैं, इसलिए वह शाखाएं कम हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप लोग सीट पर जाइए। मैं इनके भाषण के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अन्नू टण्डनः उसका नतीजा यह होता है कि हमारे किसानों को अपनी मजदूरी का भुगतान लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है।

सभापति महोदयः आप लोग कृपया करके अपनी सीट्स पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अन्नू टण्डनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में इस समस्या के बारे में महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा कार्यक्रम के दौरान ध्यान आकर्षण किया था।

अपराह्न 13.30 बजे

इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

उस दौरान उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी और कॉन्करेन्ट ऑडिट की भी बात की थी। उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के सुमेरपुर में कुछ महिलाएं मेरे पास आयी थीं। उन्होंने मुझसे यह शिकायत किया था कि उनकी मेहनत का पैसा उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। कई बार वे बैंकों के चक्कर लगाती हैं, लेकिन वहां के बैंक कर्मचारी उनसे अधिकतर गुस्से से बात करते हैं और उनके साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। कभी-कभी उन लोगों को वे बैंक से बाहर भी निकाल देते हैं। इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा।

पहले तो यह तय करना है कि यदि ग्रामीण पैसा लेने जा रहा है तो ऐसा न हो कि वह पूरे दिन बैंक में लाईन में ही खड़ा रहे और इसकी कोई गारंटी न हो कि उसे उसी दिन उसके पैसे का भुगतान हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि उसे दोबारा अगले दिन बुलाया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी एक दिन की दिहाड़ी चली जाती है। वे उस दिन मजदूरी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पूरा दिन बैंक में अपने पुराने भुगतान के लिए खड़ा होना पड़ता है।

यहां पर आज मैं यह जरूरत महसूस करती हूं कि बैंक और एजेंसी, जो ग्रामीणों को भुगतान देते हैं, वे सही तरीके से उन्हें भुगतान करने की कोशिश करें या हमारा बैंकिंग से संबंधित मंत्रालय कोई दूसरा तरकीब निकाले कि मोबाईल बैंकिंग यूनिट्स घूमना शुरू

करे या कोई और एजेंसी इसमें भागीदार बने। ...*(व्यवधान)* लेकिन यह एक समस्या है कि बड़ी मुश्किल से तो उनकी मजदूरी का भुगतान होता है और वह भी एक दिन की मज़दूरी जाने के बाद। इसमें अगर गरीबों की कुछ मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय: श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री एस.एस. रामासुब्बू, श्री कमल किशोर 'कमांडो', श्री सी.आर. पाटिल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम. पटेल और श्री ए.टी. नाना पाटील स्वयं को श्रीमती अन्नू टण्डन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ): सभापति जी, मुम्बई के आज़ाद मैदान में रज़ा एकैडमी और आवामी विकास पार्टी, इन दो संस्थाओं की ओर से कोकराझार की घटना के खिलाफ लगभग पचास हजार प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। सबसे पहली बात है कि इनको इजाजत क्यों दी गयी? क्या सरकार इस बात को जानती थी कि पचास हजार से ज्यादा लोग जो बिल्कुल आतंक फैला रहे थे और धर्मांध बने हुए थे, उन लोगों ने कोकराझार की घटना के खिलाफ आंदोलन का नाम लेकर पुलिस और मीडिया पर हमला किया। वहां पर 44 पुलिस के जवान घायल हुए। वहां पर जो शहीद अमर जवान ज्योति है, उसे ध्वस्त किया गया।

सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं? वहां इतनी बड़ी संख्या में धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर आतंक फैलाया गया, वहां सड़कों पर चलने वाली कारें जलायी गयीं, पुलिस के वैन जलाए गए, मीडिया के वैन जलाए गए और इतना सारा आतंक होने के बाद भी सरकार खामोश है। महिला पुलिस कर्मचारियों पर भी हाथ डाला गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जो कुछ श्री अनंत गंगाराम गीते कह रहे है उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: श्री अनंत गीते, कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह विफल रही है। इस तरह से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है। पुलिस का मनोबल तोड़ने की साजिश रची जा रही है। ...*(व्यवधान)* यह केवल मुंबई का मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, आप खड़ें क्यों है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह विफल रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री रमेन डेका, श्री शिवकुमार उदासी एवं श्री ए.टी. नाना पाटील श्री अनंत गंगाराम गीते जी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री संजय निरूपम, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.36 बजे

इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट-फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय: लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए]*

अपराह्न 2.0$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 02.0$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री वीरेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.0$^{3}/_{4}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण अब नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे।

सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामले को सभा पटल पर रखने के इच्छुक है तो स्वयं वे 20 मिनट के अन्दर सभा पटल पर अपनी पर्ची बस दे। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे जिनकी प्रथम निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई शेष को व्यपगत काने जाएगें

...*(व्यवधान)*

(एक) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में आदर्श विद्यालयों के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति (आरएसएसए) कर्नाटक में लोक निर्देश विभाग के नियम और प्रखंड कार्यालयों के माध्यम से आदर्श विद्यालय नामक मॉडल स्कूल स्थापित करने संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु एक सोसाइटी है। आदर्श विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम का एक घटक है। आदर्श विद्यालय की अवधारणा के उद्देश्य में केन्द्रीय विद्यालय की भांति समान मानक का बुनियादी ढाचा और अन्य सुविधा मुहैया कराना निहित है। अब तक आदर्श विद्यालय वर्ष 2010-11 से कर्नाटक के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 प्रखंडों में कार्य करने लगा है इन आदर्श विद्यालयों में अंग्रेजी को माध्यम भाषा और प्रथम भाषा के रूप में अपनाया गया है। इस समय ये विद्यालयों मौजूदा आवास सुविधा के साथ कार्य कर रहे है। स्थायी भवन के निर्माण हेतु उपर्युक्त स्थलों के पहचान की प्रक्रिया प्रगति में है। इन विद्यालयों में अकादमिक प्रक्रिया प्रखंड के निकट स्थलों के विद्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षकों की सेवा का उपयोग करने में है। अब तक सात आदर्श विद्यालयों को सात नाट्यकों में स्वीकृत किया गया हैं और वे कर्नाटक में चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से बिना किसी बुनियादी ढ़ाचा के निजी विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं लगभग 150 छात्रों को जिला के प्रत्येक आदर्श विद्यालय में दाखिला मिला है। यद्यपि स्थलों को निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन धनराशि को अभी तक स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है ऐसी खबरें भी सामने आई कि माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालयों से ले जा रहे हैं और उन्हें बुनियादी ढाचे के अभाव में कुछ अन्य विद्यालयों में दाखिला करवा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां निंदनीय हैं और इसे शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं अध्यक्ष-पीठ के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे गरीब लोगों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कर्नाटक के चामराजनगर जिले में आदर्श विद्यालय के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए कदम उठाएं।

(दो) केरल के वयनाड में किसानों की दयनीय दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शानवास (वयनाड): वयनाड मूलतः कृषि प्रधान जिला है जो इस समय खटाव कृषि व्यवस्था और कृषक संकट से जूझ रहा है अनेक किसानों ने मुश्किलों के कारण आत्महत्या की है और इस प्रकार की डवाडोल स्थिति पर सरकार द्वारा अविलंबनीय और दीर्घकालिक हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के ऋण जांच में फंसे होने के कारण किसानों द्वारा की जानी वाली आत्महत्या संपूर्ण कृषि समुदाय पर प्रभव डालता है और प्राकृतिक विपदा उनकी और दुर्दशा कर रही है। इसी तरह की स्थिति वयनाड में सामान्य कृषक समुदाय को प्रभावित करती है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे छोटे और सीमांत किसानों द्वारा प्राप्त कृषि ऋणों हेतु ब्याज को माफ करने जैसे उपायों वयनाड में किसानों की स्थिति में सुधार हेतु कृषि ऋणों हेतु लागू की जाने वाले ब्याज दरों को किसानों के अनुकूल पुनः निर्धारित करने हेतु एक समग्र तंत्र स्थापित करके, निजी क्षेत्र के

*सभा पटल पर रखे माने गये।

बैंकों से लिए गए कृषि ऋण यह भी, बाजार की उठापटक के कारण पर ध्यान देकर वस्तुओं हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की नियमित समीक्षा मूलभूत कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद मैचिंग और ऋण चूककर्ताओं पर बैंकों द्वारा उत्पीड़न के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, पुन: निर्धारित किए ऋणों को माफ करने की नीति और किसानों के प्रतिनिधियों की बातों पर ध्यान देने उपज और बीज की गुणवत्ता में सुधार हेतु बेहतर प्रौद्योगिकीयों को समावेश करें।

अतएव मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे मौजूदा स्थिति का आकलन करने हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करें और किसानों की लाचारगी को शीघ्र खत्म करने के लिए वयनाड हेतु एक समग्र पैकेज की घोषणा करें।

(तीन) विशेष रूप से केरल में छात्रों को शिक्षा ऋण दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थामस (इदुक्की): मैं सरकार का ध्यान छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने हेतु बैंकों से शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष आ रही गंभीर-समस्याओं की ओर आकृष्ट करता हूं। कठोर निर्देशों के बावजूद बैंक शिक्षा ऋण देने में हिचक रहे हैं। हजारों-हजार छात्र शिक्षा ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा किए जा रहे भेद-भाव के कारण अपना अध्ययन जारी करने में संघर्ष का सामना कर रहे हैं। यहां पर आधारित विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों हेतु शिक्षा ग्रहण को सीमित करने का इंडियन बैंक एसोसिएशन का निर्णय छात्रों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। इस निर्णय का प्रभाव विशेषकर केरल जैसे सर्वाधिक साक्षर राज्यों में भारी संख्या में छात्रों को प्रभावित करेगा इंडियन बैंक एसोसिएशन यह दावा कर रहा है कि उन्होंने महानगरों में विशेषज्ञों से परामर्श किया हैं लेकिन वे ग्रामीण भारत की दयनीय स्थिति से अवगत नहीं है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अधिक अंक प्राप्त नहीं कर रहे हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन का परिपत्र भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों के विरुद्ध है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वे शिक्षा ग्रहण के समय पर संवितरण हेतु अनिवार्य उपाय करे और छात्रों को शिक्षा ऋण के संबंध में ग्रहण नहीं देने वाले बैंकों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करें।

(चार) मध्य प्रदेश में पचोर और शुजलपुर के बीच रेल सम्पर्क की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे का एक ट्रैक ग्वालियर-इंदौर, वाया गुना, व्यावरा मक्सी होकर मौजूद है। इस रेलवे ट्रैक पर पचोर सेड़ स्टेशन आता है, जहां से शुजालपुर की दूरी लगभग 40 कि.मी. है। इस रूट पर कोई रेलवे लाईन नहीं है। शुजालपुर जो है वह इन्दौर, उज्जैन से भोपाल रेलवे ट्रैक को जुड़ा हुआ है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पचोर रोड़ से शुजालपुर तक नई रेलवे लाईन बिछाने के कार्य को स्वीकृति मिल पाती है तो केवल संसदीय क्षेत्र राजगढ़ ही नहीं समीपस्थ राजस्थान राज्य के भी कई कस्बों व शहरों को भोपाल जाने के लिए सीधी रेल सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा।

कृपया इस नये रेल मार्ग को शीघ्र सर्वे करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें जिससे कि आम जनता को अपने समय और धन की बचत हो सके।

(पांच) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) एक आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को क्षेत्र है। देश की आजादी के 65 साल बाद भी मेरा क्षेत्र अत्यधिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यहां आज तक रेल का समुचित विकास नहीं हो पाने की वजह से कृषि क्षेत्र के विकास पर भी लगातार विपरीत असर पड़ रहा है। अति पिछड़ेपन की वजह से स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिल पाने के कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। शहरों में पलायन के बाद भी शोषण का शिकार होकर इन बेरोजगार लोगों की स्थिति और दयनीय हो जाती है। अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि कोई न कोई उद्योग हमारे क्षेत्र में स्थापित किया जाए जिसके लिए हमारे क्षेत्र में पानी एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है।

(छह) मध्य प्रदेश में रतलाम-खंडवा रेल, लाइन पर रेल पुलों की उचित मरम्मत और अनुरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): रतलाम-खंडवा मीटर गेज खण्ड करीब 125 वर्ष पुराना रेल मार्ग है जिस पर अनेक महत्वपूर्ण पुल, पुलिया तथा बोगदे निर्मित हैं। पुलों का रखरखाव पूर्व से ही उचित रूप से नहीं हो रहा है और विशेषत: आमान परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने विगत वर्ष तथा अनेकों बार अन्यथा भी इस संबंध में रेलवे बोर्ड महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे तथा माननीय रेल मंत्री महोदय को भी अवगत कराया था। इन पुलों के रखरखाव में हो रही त्रुटियों के कारण कभी भी गंभीर हादसा होने की संभावना बनी रहती है और

ऐसा ही एक हादसा केवल गैंगमैन की सतर्कता से पिछले माह होते-होते बचा है। महू से चलकर रतलाम की ओर जाने वाली यात्री गाड़ी को फतेहाबाद बडनगर के मध्य स्थित पुल से गुजरना था जिसमें दरारें आई थी ओर मिट्टी का क्षरण भी हुआ था। समय रहते उक्त वस्तु स्थिति गैंगमैन के दृष्टि में आने से उसके द्वारा यात्री गाड़ी को रोका गया तथा यात्री गाड़ी को कई किलोमीटर पीछे की ओर यात्रा करनी पड़ी। यह इस बात का द्योतक है कि भाग के कारण ही सैंकड़ों यात्रियों के प्राण बच पाए और यह भी दर्शाता है कि रखरखाव की ओर किस तरह अनदेखी की जा रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण पुल तथा बोगदे इंदौर से खंदवा के मध्य पातालपानी, कालाकुण्ड बडवाह, सनावद व अन्य स्थानों पर स्थित है जिनके रखरखावव की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जहां तक वस्तु स्थिति से मैं अवगत हूं इंदौर-खंडवा आमान परिवर्तन का कार्य आगामी 10 वर्षो में भी पूर्ण नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ऐसी स्थिति आगे भी बनी रही तो कभी भी जनहानि होने की संभावना है।

मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कृपया संबंधित अधिकारियों को न केवल इनके उचित रखरखाव, नवीनीकरण तथा चौकसी के आदेश दिए जावे वरन समय-समय पर इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा जांच भी कराई जावे। मैं रेल मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस संबंध में केवल परंपरागत उत्तर से अलग हटकर वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हुए सुरक्षा के उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

(सात) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर ट्रॉमा सेंटरों (अभिघात केन्द्रों) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): आज देश के सभी राजमार्गों पर आये दिन सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। अधिकांश मामलों में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को सही समय पर उपचार न मिल जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर बनाये जाने की आवश्यकता है। झारखंड राज्य से होकर गुजरने वाले सभी राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है। उक्त प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जरूरत है। मेरें संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एन.एच. 23 और 75 पर भी ट्रामा सेंटर बनाने का प्रस्ताव का ब्यौरा प्रदान करें।

उपरोक्त राजमार्गों पर बढ़ते यातायात के कारण दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। अतः आपसे मेरा आग्रह है कि इन दोनों जिलों के अंतर्गत राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर अविलंब स्थापित करने के आदेश जारी किए जायें जिससे कि यहां से होकर गुजरने वाले लोगों को सुविधा हो सके।

(आठ) मारीपत, दनकौर, दादरी, इटावा खुर्जा, अलीगढ़ और टूंडला रेलवे स्टेशनों को आगरा मंडल के अंतर्गत लाए जाने और अलीगढ़ से बरास्ता गाजियाबाद दिल्ली तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने की आवश्यका

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): मारीपत, दनकौर, दादरी, इटावा, खुर्जा, अलीगढ़, टुण्डला रेलवे स्टेशन से संबद्ध कार्यों के लिए यहां के लोगों को इलाहाबाद, जो कि यहां से लगभग 800 कि.मी. की दूरी पर है, जाना पड़ता है। जबकि इन स्टेशनों के निकट आगरा डिवीजन पड़ता है, जिसकी इन स्टेशनों से दूरी लगभग 150 कि.मी. के आसपास है। ऐसी स्थिति में इन स्टशेनों से संबद्ध कार्यों के सिलसिले में लोगों का इलाहाबाद आने-जाने में समय भी अधिक लगता है। इसलिए इन स्टशेनों को इलाहाबाद डिवीजन के स्थान पर आगरा डिवीजन से संबद्ध किया जाना चाहिए।

अलीगढ़ से दिल्ली वाया गाजियाबाद होते हुए रेलवे की तीसरी लाईन का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा हैं विशेषतःअजयपुर से दादरी तक की स्थिति तो बहुत ही खराब है। चूंकि, यह क्षेत्र राजधानी दिल्ली के निकट पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र से यात्रियों का राजधानी दिल्ली में अपने काम-काज के सिलसिले में एक बड़ी संख्या में आना-जाना होता है। लेकिन, निर्माण कार्य बाधित होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। इसलिए, इस रेलवे लाईन के निर्माण कार्य को वरीयता देते हुए जनहित में अविलंब पूरा किया जाए।

(नौ) पूर्व-मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत बिहार में धमहारा और कोपरिया रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत, रेल डिवीजन समस्तीपुर के धमहारा से कोपड़िया स्टेशनों के बीच फनगो हाल्ट के नजदीक कोशी नदी के पानी से रेल ट्रैक पर खतरा उत्पन्न हो गया है। बचाव कार्य धीमी गति से चल रहा है उक्त स्थल पर पूर्व में रेलवे लाइन से सटे हुए कई स्पर बने हुए थे, जिसके क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत नहीं कराई गई।

उक्त रेलखंड कई जिला यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया एवं पूर्णिया जिला का संपर्क रेल पथ है, इसे बचाने के

लिए युद्धस्तर पर काम कराने की आवश्यकता है और बाढ़ के बाद रेल खंड की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार स्पर का निर्माण एवं बोल्डर केटिंग/पिचिंग के कार्य कराकर उक्त रेलखंड को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(दस) तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किसानों को मेट्टूर बांध से जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): कावेरी डेल्टा किसानों के लिए 40 वर्ष पुराना कावेरी जल संकट इस वर्ष गहराने वाला हैं। नदी जल बंटवारा विवाद को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है और मॉनसून की असफलता कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि उत्पादों को प्रभावित कर कृषकों की चिंताएं हमेशा बढ़ाती है। इस वर्ष मेट्टूर बांध को खोलने की तिथि का पालन नहीं किया गया। सभा की खेती शुरू करने के लिए किसानों द्वारा निर्धारित तिथि वैसे ही बीत गई। यहां मैं यह भी इंगित करना चाहूंगा कि कई स्थानों पर इससे पूर्व की जाने वाली "कुरुवई" की खेती भी अत्यधिक प्रभावित हुई थी क्योंकि सयम से पानी नहीं छोड़ा गया था। केन्द्र से स्वाभाविक रूप से उम्मीद की जाती है कि वह ऊपरी तटवर्ती राज्य पर निचले तटवर्ती राज्य, जिसका कि उस नदी प्रणाली पर अधिक अधिकार है, के साथ समान रूप से इस प्राकृतिक जल संसाधन का उपयोग करने के लिए जोर डाले।

इस वर्ष का पूर्वानुमान है कि हमारे बांधों का संग्रहण स्तर वार्षिक क्षमता से बहुत कम होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अभी इसी आदिपट्टम के दौरान सिंचाई शुरू की जाए।

केन्द्र से अनुरोध है कि सिंचाई के लिए तुरंत पानी छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक एवं तमिलनाडु दोनों सरकारों से मानवीय आधार पर अनुरोध करे।

मैं केन्द्र सरकार से जल्द से जल्द सिंचाई हेतु मेट्टूर बांध से पानी छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) नैदानिक परीक्षणों में लोगों का गिनी पिग के रूप में प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु विधि को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): पीड़ितों को जानकारी देकर अथवा जानकारी दिए बगैर निजी कंपनियों द्वारा मानवों पर की जा रही औषधियों के अवैध परीक्षण की घटनाएं बढ़ रही हैं वर्ष 2010 से पहली बार जब एण्टी-सर्वाइकल कैंसर एचपीवी टीका के नैदानिक परीक्षणों में शामिल गुजरात और आंध्र प्रदेश की 6 जनजातीय लड़कियों की मौत हुई, तब सरकार ने स्वीकार किया कि गत चार वर्षों में औषधीय परीक्षणों में 1,725 व्यक्तियों ने अपनी जानें गवाई हैं। वर्ष 2007 में हुई 132 मौतों और 2008 में हुई 288 मौतों से बढ़कर वर्ष 2009 में 637 मौतें हुई और पिछले वर्ष 668 मौतें हुई जोकि 400 मिलियन अमरीकी डॉलर सेक्टर पर विनियामक नियंत्रण की पूर्ण प्रभावहीनता दिखाती है। पिछले वर्ष औषधीय परीक्षणों के दौरान "गंभीर विपरीत प्रभावों" के कारण हुई 668 मौतों के मामले में से सरकार ने सिर्फ 22 मामलों में ही मुआवजा दिया। वर्तमान में भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) के कार्यालय द्वारा रखी गई भारत की नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री के अनुसार 1,868 नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। परीक्षण की जा रही कई औषधियां देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं है और इनका परीक्षण कहीं और किया जा सकता था। यह तथ्य भी समान रूप से आश्चर्यचकित करने वाला है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नियमों में परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति की मौत के लिए जांचकर्ता द्वारा बताए गए कारणों को ही अंततम माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप नैदानिक परीक्षणों के दौरान हुई मौतों की वास्तविक संख्या सामने नहीं आ पाती है।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पादित औषधियों एवं टीकों का किशोरों, जनजातीय लोगों एवं दलितों सहित गरीब व्यक्तियों पर अवैध एवं अनैतिक नैदानिक परीक्षण ऐसे किए जा रहे थे जैसे कि सफेद चूहों पर किया जाता है। ऐसें कार्यकलाप करने में शामिल अधिकतर औषधीय कंपनियां निजी होती हैं एवं उनको नियंत्रित करने वाले संस्थानों को उनकी नीतियां हमेशा स्पष्ट नहीं होती है। परीक्षणों के लिए वे हमेशा संविदा अनुसंधान संगठनों (सीआरओ) का उपयोग करते हैं। दुर्भाग्यवश इसे नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

मैं सरकार से सफेद चूहों की तरह लोगों पर प्रयोग करने वाली निजी कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मैं भविष्य में उपरोक्त उद्धृत घटनाओं को रोकना सुनिश्चित करने के लिए नए कानून बनाने एवं मौजूदा कानून को सुदृढ़ करने का भी अनुरोध करता हूं।

(बारह) रंजीत सागर बांध से राजस्थान को उसके हिस्से का जल दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): राजस्थान राज्य को रावी व्यास जल, रणजीत सागर बांध, पौंग बांध, एवं भाखड़ा बांध से

प्राप्त होता हैं रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य के नियंत्रण में है एवं अन्य दो बांध भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल (बीबीएमबी) के नियंत्रण में हैं वर्तमान में राजस्थान के हिस्से का लगभग 72000 क्यूसेक दिवस पानी पंजाब रीलीज नहीं कर रहा हैं इस कारण से इंदिरा गांधी नहर में पेयजल हेतु भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। न्यूनतम आवश्यकता 2200 क्यूसेक पानी के विरूद्ध केवल 1100 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है जिससे नहरों के अंतिम छोर पर पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। इस कारण जनता में भारी आक्रोश है। दूसरी ओर अब की बार खड़ी फसलें भी पानी के अभाव में नष्ट हो गई। यदि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विकट हो जाएगी एवं कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 के तहत भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि संबंधित राज्यों को उनके हिस्से का पानी उपलब्ध करायें लेकिन इस मामले में भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल ने अपनी असमर्थता जताई।

इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार का उर्जा मंत्रालय भांखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को तत्काल निर्देश दे कि राजस्थान के हिस्से का पानी रीलीज करावें। यदि पंजाब रणजीत सागर बांध से पानी नहीं छोड़ता है तो राजस्थान को पंजाब के पौंग एवं भाखड़ा बांध में राज्य के हिस्से के पानी से पानी छोड़ा जाए। इससे पंजाब के हक पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान के पानी की मांग इसके निर्धारित हिस्से के अनुरूप है। इसलिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का पानी छुड़वाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब सभा में मद संख्या 7 पर चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय मैं आपसे पहले विधेयक को स्थगित कर दूसरे विधेयक पर चर्चा कराने का अनुरोध करता हूं। आप कृपया मद संख्या 8 पर चर्चा कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि सभा सहमत है। अब सभा मद संख्या 8 पर चर्चा करेगी श्री श्रीकांत जेना।

...(व्यवधान)

अपराह्न 02.01 बजे

रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "राज्य सभा द्वारा यथापारित रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोगों ने इसे उठाया था न। इस पर गीते जी को बोलने दिया गया था।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया वापस जाइये। आप लोग अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः अब कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदयः सभा कल मंगलवार 14 अगस्त, 2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 अगस्त, 2012/ 23 श्रावण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री प्रदीप माझी श्री बसुदेव आचार्य	41
2.	श्री नलिन कुमार कटील श्री गुरुदास दासगुप्त	42
3.	डॉ. बलीराम श्री वीरेन्द्र कुमार	43
4.	श्री अजय कुमार श्री एल. राजगोपाल	44
5.	श्री मनीष तिवारी	45
6.	श्री शिवकुमार उदासी श्री चंद्रकांत खैरे	46
7.	श्री रमेश राठोड़	47
8.	श्री राकेश सिंह श्री एस.एस. रामासुब्बू	48
9.	श्री पी.टी. थॉमस श्री के.पी. धनपालन	49
10.	श्री हरीश चौधरी श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	50
11.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय श्री गोपीनाथ मुंडे	51
12.	श्री अवतार सिंह भडाना	52
13.	श्री गणेश सिंह श्री लालजी टन्डन	53
14.	श्री पी. कुमार श्री रायापति सांबासिवा राव	54
15.	श्री अशोक कुमार रावत श्री नीरज शेखर	55
16.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	56
17.	श्री बलीराम जाधव श्री महाबली सिंह	57
18.	श्री आनंदराव अडसुल डॉ. पी. वेणुगोपाल	58
19.	श्री उदय प्रताप सिंह	59
20.	श्री पी.सी. चाको	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	अतारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	555, 566, 574, 643
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	524, 541
3.	श्री बसुदेव आचार्य	643
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	643, 645, 646, 648, 658
5.	श्री आनंदराव अडसुल	645, 646, 647, 648
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	494, 684
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	475, 603
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	492, 634, 683
9.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	539
10.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	557
11.	श्री एम. आनंदन	617
12.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	541, 636
13.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	576
14.	श्री कीर्ति आजाद	502, 539
15.	श्री गजानन ध. बाबर	643, 645, 646, 647, 658
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	614
17.	श्री कामेश्वर बैठा	541, 634, 635
18.	श्री अम्बिका बनर्जी	562
19.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	572, 654
20.	श्री सुदर्शन भगत	602, 654
21.	संजय भोई	577, 643
22.	श्री पी.के. बिजू	565, 659

1	2	3
23.	श्री हेमानंद बिसवाल	664
24.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	641
25.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	571, 586
26.	श्री सी. शिवासामी	496, 658, 662, 686
27.	श्री हरीश चौधरी	644
28.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	539, 559, 581, 643
29.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	478, 572
30.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	483, 675
31.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	558, 577, 599, 613, 640
32.	श्री भूदेव चौधरी	581, 585, 589, 631
33.	श्रीमती श्रुति चौधरी	508, 517, 658
34.	श्री अधीर चौधरी	552, 591, 662
35.	श्री भक्त चरण दास	613
36.	श्री खगेन दास	604, 651
37.	श्री राम सुन्दर दास	558, 564, 657
38.	श्री गुरुदास दासगुप्त	552, 555
39.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	610
40.	श्री रमेन डेका	594
41.	श्री के.डी. देशमुख	539, 583
42.	श्रीमती रमा देवी	561, 636
43.	श्री के.पी. धनपालन	687
44.	श्री संजय धोत्रे	645, 655
45.	श्री आर. ध्रुवनारायण	467, 653, 657
46.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	586, 625, 690
47.	श्री चार्ल्स डिएस	605
48.	डॉ. रामचन्द्र डोम	643
49.	श्री निशिकांत दुबे	555, 568, 636
50.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	580, 601, 647
51.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	546, 578
52.	श्री एकनाथ महोदव गायकवाड़	540, 613, 640, 643
53.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	514, 540
54.	श्री ए. गणेशमूर्ति	530, 552, 577
55.	श्री एल. राजगोपाल	567
56.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	573, 640
57.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	563
58.	श्री महेश्वर हजारी	541, 634, 635
59.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	523, 643, 674
60.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	493, 659
61.	श्री बलीराम जाधव	550
62.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	563
63.	डॉ. संजय जायसवाल	551, 578, 597, 627, 657
64.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	503, 642, 669
65.	श्री बद्रीराम जाखड़	486, 550, 580, 652, 679
66.	श्रीमती दर्शना जरदोश	549, 638
67.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	542, 637, 638
68.	श्री हरिभाऊ जावले	466, 629
69.	श्री नवीन जिन्दल	525
70.	श्री महेश जोशी	571, 642
71.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	658
72.	श्री प्रहलाद जोशी	471, 541, 584, 654, 664

1	2	3
73.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	476, 544, 637, 645
74.	श्री सुरेश कलमाडी	630
75.	श्री पी. करुणाकरन	531
76.	श्री कपिल मुनि करवारिया	558, 564, 567, 657
77.	श्री राम सिंह कस्वां	469, 599, 642
78.	श्री लालचन्द कटारिया	662
79.	श्री नलिन कुमार कटील	640, 643
80.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	548
81.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	546
82.	श्री चंद्रकांत खैरे	508, 548, 637
83.	डॉ. कृपारानी किल्ली	509, 569
84.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	539, 550, 651
85.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	550, 644, 657
86.	श्री विश्व मोहन कुमार	544, 600
87.	श्री पी. कुमार	643
88.	श्री शैलेन्द्र कुमार	634
89.	श्री यशवंत लागूरी	482, 499, 520
90.	श्री पकौड़ी लाल	632
91.	श्री पी. लिंगम	537, 581, 643
92.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	490, 541, 654, 682
93.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	539, 622, 654, 659
94.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	546, 597
95.	श्री नरहरि महतो	473, 574, 606
96.	श्री भर्तृहरि महताब	544
97.	श्री प्रदीप माझी	541, 566, 658
98.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	574
99.	श्री मंगनी लाल मंडल	553
100.	श्री जोस के. मणि	559, 616
101.	श्री हरि मांझी	558
102.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	563
103.	श्री दत्ता मेघे	575
104.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	498, 541, 642, 652, 688
105.	श्री महाबल मिश्रा	563, 565
106.	श्री पी.सी. मोहन	571, 586, 654
107.	श्री गोपीनाथ मुंडे	610
108.	श्री विलास मुत्तेमवार	570, 658
109.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	539, 587
110.	श्री पी. बलराम नायक	550, 577, 660
111.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	541, 634
112.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	541, 582, 584, 593, 661
113.	श्री नामा नागेश्वर राव	539, 585, 655, 658
114.	श्री इंदर सिंह नामधारी	601, 621
115.	श्री नारनभाई कछाड़िया	586, 625, 690
116.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	595
117.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	501, 546, 555, 581, 690
118.	श्री पी.आर. नटराजन	465
119.	श्री वैजयंत पांडा	612, 643
120.	श्री प्रबोध पांडा	581, 643, 654
121.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	590

1	2	3
122.	कुमारी सरोज पाण्डेय	513, 550, 574
123.	श्री जयराम पांगी	508
124.	श्री आनंद कुमार परांजपे	540, 613, 640, 643
125.	श्री देवजी एम. पटेल	652
126.	श्री आर.के. सिंह पटेल	657
127.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	563, 620
128.	श्री बाल कुमार पटेल	609
129.	श्री किसनभाई वी. पटेल	541, 566, 658
130.	श्री हरिन पाठक	549, 637
131.	श्री संजय दिना पाटील	584, 593, 635, 661
132.	श्री ए.टी. नाना पाटील	545
133.	श्रीमती भावना पाटील गवली	580, 601, 647
134.	श्री सी.आर. पाटिल	468, 538, 547, 549, 654
135.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	596, 652
136.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	540, 613, 640, 643
137.	श्रीमती कमला देवी पटले	475, 559, 564, 670
138.	श्री सोहन पोटाई	642
139.	श्री पोन्नम प्रभाकर	489, 642, 681
140.	श्री पन्ना लाल पुनिया	535, 671
141.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	629
142.	श्री एम.के. राघवन	580
143.	श्री अब्दुल रहमान	581, 640, 649
144.	श्री सी. राजेन्द्रन	552, 652
145.	श्री एम.बी. राजेश	541, 618, 657
146.	श्री पूर्णमासी राम	551
147.	प्रो. रमाशंकर	556, 623
148.	श्री रामकिशुन	546
149.	श्री निलेश नारायण राणे	511, 657
150.	श्री रायापति सांबासिवा राव	599, 665
151.	श्री रामसिंह राठवा	488, 680
152.	डॉ. रत्ना डे	470, 667
153.	श्री अर्जुन राय	636, 663
154.	श्री रुद्रमाधव राय	507, 541, 643
155.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	484, 541, 636, 676
156.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	516, 563, 642
157.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	500, 683, 689
158.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	519, 541, 586, 610, 654
159.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	473, 574, 606
160.	श्री महेन्द्र कुमार राय	598
161.	श्री एस. अलागिरी	510, 650
162.	श्री एस. सेम्मलई	482, 527
163.	श्री एस. पक्कीरप्पा	515, 539, 657
164.	श्री एस.आर. जेयदुरई	573, 628
165.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	573, 581
166.	श्री ए. सम्पत	541, 563, 618, 657
167.	श्रीमती सुशीला सरोज	491, 541, 577, 634, 653
168.	श्री तूफानी सरोज	547
169.	श्री सर्वे सत्यनारायण	518, 626
170.	श्री हमदुल्लाह सईद	479, 541, 658, 673

1	2	3
171.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	554, 644
172.	श्री एम.आई. शानवास	543
173.	श्री जगदीश शर्मा	563, 570
174.	श्री नीरज शेखर	643, 656
175.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	506, 543, 665
176.	श्री एंटो एंटोनी	539, 588
177.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	549, 637
178.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	521, 579, 649, 659
179.	डॉ. भोला सिंह	541, 569
180.	श्री भूपेन्द्र सिंह	477, 659, 672
181.	श्री दुष्यंत सिंह	480, 539, 599
182.	श्री गणेश सिंह	577, 641, 642
183.	श्री इज्यराज सिंह	644
184.	श्री जगदानंद सिंह	574, 624, 635, 657
185.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	504, 652
186.	श्री महाबली सिंह	659, 678
187.	श्रीमती मीना सिंह	585, 657, 662
188.	श्री पशुपति नाथ सिंह	528
189.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	497, 539
190.	श्री राधा मोहन सिंह	589, 689
191.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	592
192.	श्री रतन सिंह	461, 550, 669
193.	श्री रवनीत सिंह	487, 659
194.	श्री सुशील कुमार सिंह	633, 647, 652
195.	श्री उदय सिंह	615, 634
196.	श्री यशवीर सिंह	643, 656

1	2	3
197.	चौधरी लाल सिंह	541
198.	श्री रेवती रमण सिंह	584
199.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	607, 611
200.	राजकुमारी रत्ना सिंह	561, 636, 642, 650
201.	श्री विजय बहादुर सिंह	539, 559, 581, 643, 662
202.	डॉ. संजय सिंह	503
203.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	505, 543, 599
204.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	538, 547, 549, 654
205.	श्री ई.जी. सुगावनम	495, 499, 654, 685
206.	श्री के. सुगुमार	472, 636, 643, 645, 668
207.	श्रीमती सुप्रिया सुले	541, 582, 635, 661
208.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	526, 649
209.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	522, 550, 554, 599, 677
210.	श्री मानिक टैगोर	464, 649
211.	श्रीमती अन्नू टन्डन	462, 555, 610, 666
212.	श्री लालजी टन्डन	642
213.	श्री अशोक तंवर	533
214.	श्री बिभू प्रसाद तराई	555, 564
215.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	463, 586
216.	श्री मनीष तिवारी	639
217.	श्री जगदीश ठाकोर	555, 651
218.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	529

1	2	3
219.	श्री आर. थामराईसेलवन	512, 639, 654, 660
220.	श्री पी.टी. थॉमस	640
221.	श्री मनोहर तिरकी	473, 485
222.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	557, 569, 599
223.	श्री लक्ष्मण टुडु	482, 643
224.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	541, 634, 635
225.	श्री हर्ष वर्धन	534, 607
226.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	474, 669
227.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	481, 640
228.	श्री सज्जन वर्मा	532
229.	श्रीमती ऊषा वर्मा	541, 634, 635
230.	श्री वीरेन्द्र कुमार	649
231.	श्री पी. विश्वनाथन	560
232.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	536, 607
233.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	556, 645, 655
234.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	493, 499
235.	श्री धर्मेन्द्र यादव	645, 646, 658
236.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	534, 658, 663
237.	श्री ओम प्रकाश यादव	639
238.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	556, 619
239.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	608
240.	योगी आदित्यनाथ	651, 659

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	42, 44, 50, 54, 55
रक्षा	:	45, 47, 52, 60
पर्यावरण और वन	:	48, 51, 59
श्रम और रोजगार	:	53, 56
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	43, 46, 58
पोत परिवहन	:	49
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	41
इस्पात	:	
वस्त्र	:	57.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	465, 468, 473, 476, 480, 498, 500, 501, 502, 505, 519, 521, 534, 535, 537, 541, 543, 550, 555, 559, 569, 571, 576, 599, 613, 625, 628, 650, 654, 657, 681, 683
रक्षा	:	462, 469, 472, 483, 486, 489, 507, 512, 514, 515, 522, 524, 525, 528, 529, 530, 536, 545, 547, 563, 565, 566, 570, 579, 581, 582, 584, 585, 587, 589, 593, 601, 609, 614, 616, 630, 631, 633, 634, 639, 641, 653, 655, 665, 667, 668, 684, 690
पर्यावरण और वन	:	464, 470, 481, 490, 491, 494, 495, 496, 504, 506, 508, 511, 538, 546, 552, 562, 578, 583, 588, 590, 591, 595, 611, 612, 618, 620, 622, 637, 638, 640, 662, 663, 673, 674, 675, 676, 680, 682, 686, 688, 689
श्रम और रोजगार	:	463, 466, 485, 488, 493, 497, 517, 531, 532, 554, 557, 560, 564, 577, 597, 615, 619, 632, 648, 649, 666, 679
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	467, 477, 478, 487, 492, 516, 520, 526, 527, 539, 540, 544, 548, 549, 553, 567, 572, 575, 594, 598, 602, 603, 604, 608, 621, 623, 626, 627, 635, 642, 643, 646, 647, 652, 659, 661, 664, 669, 671, 672, 687
पोत परिवहन	:	474, 479, 503, 542, 596, 624, 677, 685
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	461, 475, 499, 510, 518, 533, 551, 558, 568, 600, 605, 629, 644, 651, 678
इस्पात	:	471, 513, 573, 574, 592, 606, 617, 656, 660, 670
वस्त्र	:	482, 484, 509, 523, 556, 561, 580, 586, 607, 610, 636, 645, 658.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/27/3/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।